

## Domestic Violence In Indian Scenario

**Mrs. Bhawna Sharma** Asstt. Professor, Department of Education, Hawabagh Women's College, Jabalpur (M.P.)  
**Dr. Rita Arora**, Asstt. Professor, Department of Education, Hawabagh Women's College, Jabalpur (M.P.)

**INTRODUCTION** -Domestic violence has emerged as one of the major social – psychological problems of present era. It is present at epidemic proportion in some or other forms around the globe and has challenged the very existence of humanity in general and female population in particular. In India, domestic violence is witnessed at high rate since antiquity in various forms i.e., Manasa (Psychological abuses), vachha (Verbal assaults) and Karmana (Physical assaults or torture). However, this evil is either unnoticed or ignored due very personal or familial issue. Consequently, very silently but rapidly domestic violence has achieved epidemic place in our society ranging from physical assaults, psychological abuses, sexual abuses, spiritual and economic abuses to infanticides, homicides or dowry deaths.

### **DOMESTIC VIOLENCE –**

Domestic abuses, spousal abuse, intimate partner violence, battering or family violence is a pattern of behavior which involves violence or other abuse by one person in a domestic context against another, such as in marriage or cohabitation. Intimate partner violence is violence by a spouse or partner in an intimate relationship against the other spouse or partner. Domestic violence can take place in heterosexual or same-sex relationships. Domestic violence can take a number of forms including physical, emotional, verbal, economic and sexual abuse, which can range from subtle, coercive forms to marital rape and to violent physical abuse that results in disfigurement or death. Domestic murders include honor killings and dowry deaths.

Globally, a wife or female partner is more commonly the victim of domestic violence, though the victim can also be the male partner, or both partners may engage in abusive or violent behavior, or the victim may act in self-defense or retaliation. Women in the developed world who experience domestic violence are often openly encouraged to report it to the authorities, whereas it has been agreed that domestic violence against men is most often unreported because of social pressure against such reporting, with those that do facing social stigma regarding their perceived lack of machismo and other denigrations of their masculinity.

Domestic violence often occurs because the abuser believes that abuse is justified and acceptable, and may produce intergenerational cycles of abuse that condone violence. Awareness, perception, definition and documentation of domestic violence differs widely from country to country. There may be a cycle of abuse during which tensions rise and an act of violence is committed, followed by a period of reconciliation and calm. Victims of domestic violence may be trapped in domestic violent situations through isolation, power and control, insufficient financial resources, fear, shame or to protect children. As a result of abuse, victims may experience physical disabilities, chronic health problems, mental illness, limited finances and poor ability to create healthy relationships. Victims may experience post – traumatic stress disorder. Children who live in a household with violence show deregulated aggression from an early age that may later contribute to continuing the legacy of abuse when they reach adulthood. Domestic violence often happens in the context of forced and child marriage.

Traditionally, domestic violence (DV) was mostly associated with physical violence. For instance, according to the Merriam – Webster dictionary definition, domestic violence is the inflicting of physical injury by one family or household member on another, also a repeated habitual pattern of such behavior. Domestic violence is now more broadly defined, often but not always including all acts of physical, sexual, psychological

or economic violence that may be committed by a person who is a family member or a person that has been an intimate partner or spouse, irrespective of whether they lived together. In the year 1993, The United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women identified domestic violence as one of three contexts in which violence against women occurs, describing it as "Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry – related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation.

Domestic violence is a broader term, often used to include child abuse, and other violent acts between family members child maltreatment, sometimes referred to as child abuse and neglect, includes all forms of physical and emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect and exploitation that results in actual or potential harm to the child's health, development of dignity. Within this broad definition, five subtypes can be distinguished – physical abuse, sexual abuse, neglect and negligent treatment, emotional abuse and exploitation. Elder abuse is a single, or repeated act, or lack of appropriate action, occurring within any relationship where there is an expectation of trust which causes harm or distress to an elder person.

The ability of victims of Domestic violence to leave the violent relation is crucial, for preventing further abuse. In traditional communities, divorced women often feel rejected and ostracized. In order to avoid this stigma, many women prefer to remain in the marriage and endure the abuse. Discriminatory marriage and divorce laws can also play a role in the proliferation of Domestic Violence. In many countries a women's access to property hinges on her relationship to a man. When she separates from her husband or when he dies, she risks losing her home, land, household goods and other property. Failure to ensure equal property rights upon separation or divorce discourages women from leaving violent marriages, as women may be forced to choose between violence at home and destitution in the street. The legal inability to obtain a divorce, due to complicated grounds for divorce in countries which do not accept any fault divorce is also a factor in the proliferation of Domestic violence. In some cultures where marriages are arranged between families, a woman who attempts a separation or divorce without the consent of her husband and extended family or relatives may risk being subjected to honor based violence. The custom of bride price also-makes leaving a marriage more difficult, if the wife wants to leave, the husband may demand back the pride price from her family who often cannot or does not want to pay it back.

#### **References:**

1. Fadeiye, J.D.(1985) A Text of Social Studies; Socialization and Political Culture International Organisation for NCE- and Undergraduates. Ibadan; Etori
2. Astone, N.M., & M Chenahan, S.S. (1991) Family Structure, Parental Practices, and High School Completion, American Sociological Review, 56(3)m 309-320
3. Mulkey, L.M., Crain, R.L. & Harrington, A.J.C. (1992) One-parent households and achievement : Economic and behavioral explanations of a small effect. Sociology of Education, 65(1), 48–65.
4. Thiessen, S. (1997) Effects of Single parenting on adolescent academic achievement: Establishing a risk and protective framework. <http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED412479.pdf>.

## A STUDY OF TIME VALUE OF MONEY

**Dr. Jitendra Kumar Yadav (Principal)**Laxmi Bai Sahuji Institute of ManagementJabalpur (MP)

In long term investment decisions, a large sum of money is invested in present, the benefit of which is anticipated over a period of time in the future. In order to determine whether a project is financially viable or not, the sum of the benefits accruing over the future period is compared with the initial investment. If the aggregate value of the benefits exceeds the initial investment, the project may be considered to be financially viable.

Prima facie, this approach appears to be satisfactory, but there is an important assumption under this approach. We have assumed that the value of money remains the same when money is invested and when it is received. In other words, we have assumed that value of one rupee today is equal to the value of one rupee at the end of first year and at the end of second year and so on. This assumption is incorrect because money has time value. The cash inflows and cash outflows at different point of time are not comparable because a rupee received today is not comparable with a rupee to be received in future. They can be made comparable by introducing the interest factor. Interest factor is one of the crucial concept in the theory of finance. This concept is known as time value of money.

The meaning of time value of money is that the worth of a rupee received today is different from the worth of a rupee to be received in future. Suppose you have Rs. 10,000 on hand now. Your friend asked you to lend this amount to him and promises to return Rs. 10,000 after one year. You can easily guess that the worth of Rs. 10,000 returned by your friend after one year would be less than the worth of Rs. 10,000 you are giving him today because if you deposit Rs. 10,000 for one year in a bank, whatever you will receive after one year would be surely more than Rs. 10,000. Moreover, Rs. 10,000 which would be received after two years from now would be far less valuable than the Rs. 10,000 received one year from now. This difference for money now as compared to future money is known as “time preference for money”. This preference is due to the opportunity of earning additional cash flow in the form of interest during that time period.

Following are the reasons of time preference of money:

- (1) **Investment opportunities:** Most of the people and the companies have preference for present money because many investment opportunities are available for earning additional cash flows.
- (2) **Risk:** Since the future is uncertain, there is uncertainty about the receipt of money in future. Therefore, individuals prefer current inflows to future inflows.
- (3) **Preference for present consumption:** Most of the persons and companies have a preference for present consumption than future consumption because of urgency of need.
- (4) **Inflation:** In an inflationary period, a rupee today has a higher purchasing power than a rupee in future. Circulation of currency increases in inflation. As a result, prices rise and purchasing power of money declines. In a developing country like India, control over inflation is not possible.
- (5) **Productive use of Capital:** capital can be employed productively to generate positive returns. An investment of one rupee today would grow to  $(1+r)$  a year hence ( $r$  is the rate of return earned on the investment).

Many financial problems involve cash flows occurring at different points of time. For evaluating such cash flow, a clear understanding of time value of money is required. The methods for dealing with time value of money are as follows:

**(A) Techniques of compounding**

1. Future value of single cash flow.
2. Future value of an annuity.

**(B) Techniques of discounting**

3. Present value of a single cash flow.
4. Present value of annuity.

**1. Future value of a single cash flow**

The future value of a single cash flow is defined as:

$$FV = PV (1+k)^n$$

Where,

FV = Future value of 'n' years

PV = Present value of cash flow

K = Rate of interest per annum

n = No. of year which compounding is done

If any of the variable PV, K and n varies the FV also varies. Calculation of the value of  $(1+k)^n$  is somewhat difficult. The pre -calculate values of  $(1+k)^n$  for different combination are published in the form of table. Following is the table showing some values of  $(1+k)^n$

**Value of FVIF<sub>kn</sub> for Various Combinations of k and n**

| n/k | 6%    | 8%    | 10%   | 12%   | 14%   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2   | 1.124 | 1.166 | 1.210 | 1.254 | 1.300 |
| 4   | 1.262 | 1.360 | 1.464 | 1.574 | 1.689 |
| 6   | 1.419 | 1.587 | 1.772 | 1.974 | 2.195 |
| 8   | 1.594 | 1.851 | 2.144 | 2.476 | 1.853 |
| 10  | 1.791 | 2.159 | 2.594 | 3.106 | 3.707 |
| 12  | 2.012 | 2.518 | 3.138 | 3.896 | 4.817 |

**Calculation of Effective Rate**

The rate of interest mentioned in the form of percentage is given per annum. It is known as Nominal Rate. If the interest is compounded annually, the nominal rate and effective rate are similar. But in practical field, the interest may be compounded half yearly (generally in case of bank, the interest is credited twice to the account of customer) or even quarterly or monthly, etc. when the compounding is done more than ones in a year, the effective rate of interest would be more than nominal rate.

The formula for calculating effective rate of interest is :

$$r = \left(1 + \frac{K}{M}\right)^m - 1$$

Where,

R = effective rate of interest

K = nominal rate of interest

M = frequency of compounding per year.

**2. Future Value of an Annuity**

An annuity is a series of periodic cash flows (payment or receipts) of equal amount.

For example, the premium payments of a life insurance policy are an annuity. If a person is required to pay Rs. 2,000 per annum as life insurance premium for the next 20 year, this stream of payment may be classified as an annuity.

If the equal amounts of cash flows occurs at the end of each period over the specified time horizon, then this stream of cash flows is defined as a regular annuity or deferred annuity. When cash flows occur at the beginning of each period, the annuity is known as an annuity due.

The future value of a regular annuity for a period of  $n$  years at a rate of interest ' $k$ ' is given by the formula:

$$FVAn = A(1+k)^{n-1} + A(1+k)^{n-2} + A(1+k)^{n-3} + \dots + A$$

Which reduces to

$$FVAn = A[(1+k)n - 1]/k$$

Where,

$A$ = amount deposited/invested at the end of every year for  $n$  year.

$K$ = rate of interest.

$N$ = time horizon.

$FVAn$ = accumulation at the end of  $n$  years.

### 3. Present Value of a Single Cash-Flow

Discounting is an alternative approach for calculating time value of money. Under this approach, we can determine the present value of a future cash flow or a stream of future cash flows. The present value approach is the commonly followed approach for evaluating the financial viability of projects.

**Formula:** The process of discounting used for calculating the present value, is simply the inverse of compounding. The present value formula can be readily obtained by manipulating the compounding formula:

$$FV_n = PV(1+k)^n$$

Dividing both the sides of Equation by  $(1+k)^n$ , we get ;

$$PV = FV_n [1/(1+k)]^n$$

### 4. Present value of an Annuity

Annuity means flow of a fixed amount occurring at the end of year. Suppose, we expect to receive Rs. 1,000 annually for 3 years, each receipt occurring at the end of the year. If the discount rate is 10%, we may like to know the present value of the stream of benefits. The present value of this annuity is simply the sum of the presents of all the inflows of this annuity.

**Formula :** The present value of an annuity ' $A$ ' receivable at the end of every year for a period of ' $n$ ' number of years at the rate of interest ' $k$ ' is equal to :

$$PVA_n = \frac{A}{(1+k)} + \frac{A}{(1+k)^2} + \dots + \frac{A}{(1+k)^{n-1}} + \frac{A}{(1+k)^n} =$$

OR

Where ,

$PVA_n$  = present value of an annuity which has a duration of  $n$  periods.

$A$  = Constant periodic flow

$K$  = Discount rate

#### How to solve questions relating to time value of money?

The numerical questions relating to time value of money may be solved by a few fixed formulas but sometimes there is confusion about that which formulas will be applied for solving a particular question. We may broadly divide the questions related to the value of money into following four categories:

1. **Future Values of a single Cash flow:** If the investors invests a sum of money in any company or deposit in bank one time and wants to know what will be the amount after a specified period of time then it is known as

future value of a single cash flow because the money is invested single time. The formula for calculating future value of a single cash flow is:

$$FV = PV (1+r)^n$$

2. **Future value of Annuity:** If a particular sum of money is invested every year for a specified period of time and investors wants to know how much amount he will receive after that period, it is known as future value of annuity because the investment is made every year. The formula for calculating future value of annuity is:  
 $FVA = A$
3. **Present Value of a Single cash flow:** suppose Mr. X is planning for his child's education and he feels that Rs. 10 lakhs will be required after 5 years. If he approaches bank to know how much amount should be deposited one time today to receive Rs. 10 lakh after five years, it will be called present value of a single cash flow. The formula for calculating present value of a single cash flow is:  
 $PV = FV / (1+r)^n$
4. **Present Value of Annuity:** Suppose Mr. X retired from his job and he is having Rs. 5 lakh to invest. If he wants to withdraw a fixed amount every year for next 20 year by investing Rs. 5 lakh initially in lumpsum. In this case the amount which he would be able to withdraw every year will be known as annuity and the amount invested today is known as its present value.

#### **Other points:**

1. Rule of 72 and rule of 69 are two specific rules which help in calculating the time within which the principle amount will double .The formula of rule of 72 is:

$$n = 72/r$$

for example, if the rate of interest is 10% then the rule of 72 indicates that:

$$n = 72/10 = 7.2 \text{ years}$$

It means the principal amount will double in 7.2 years if the interest rate is 10%.

Similarly, the formula of rule of 69 is:

$$n = 0.35 + 69/r$$

if the rate of interest is 10%

$$n = 0.35 + 69/10 = 7.25$$

It means, the principal will double in 7.25 years.

2. Sometimes it is mentioned in the question that interest is compounded half yearly or quarterly. If interest is compounded half yearly, the rate of interest should be divided by 2 and no. of year should be multiplied by 2. In the same way, if compounding is quarterly, rate of interest should be divided by 4 and no. of years should be multiply by 4.

## पौराणिक वास्तु में गृह-पर्यावरण-विचार

डॉ. रीझन झारिया, संस्कृत पालि एवं प्राकृत विभाग, रादु.वि.विद्यालय जबलपुर

गृहनिर्माण पर पर्यावरण का सबसे विशेष महत्त्व होता है, पर्यावरण की शुद्धता, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध आकाश एवं शुद्ध भूमि पर निर्भर है गृहवास्तु भी वायु, जल, अग्नि, आकाश एवं पृथ्वी इन पांचों तत्वों के अनुपातिक सन्तुलन का नाम है। अतः गृहनिर्माण में वास्तु एवं पर्यावरण का गहरा सम्बंध है। इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि यदि इन पांच तत्वों पर आधारित वास्तु गलत है तो पर्यावरण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा, सम्भवतः पर्यावरण गृहनिर्माण में सबसे प्रमुख महत्त्व रखता है जिससे गृह में शुभ शांति होती है।<sup>9</sup>

(समरांगण वास्तु एवं पर्यावरण पृष्ठ 141)

गृह-निर्माण पर हमारे जीवन पर पर्यावरण की शुद्धता होना अति आवश्यक होता है और इन पर्यावरण की आवश्यकता के लिए वृक्षों का होना अति आवश्यक होता है। गृह में पर्यावरण होने से गृह में वातावरण शुद्धता होती है और इन शुद्धता के लिए वृक्षों का अति महत्त्व होता है वृक्ष हमारे जीवन व वातावरण को शुद्धता रखते हैं जिससे गृह में गृह स्वामी व परिवार में बीमारी नहीं होती है तथा शुद्ध हवा के कारण आसाध्य रोगों का सामना नहीं करना पड़ता, जिस कारण गृह-निर्माण में वृक्ष पर्यावरण का विशेष योगदान है, हमारे जीवन में पर्यावरण में भी भवन प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूल, स्थापत्य एवं वास्तु-सूत्रों से आबद्ध हो ताकि उसमें रहने वाले प्राणी पूर्ण रूप से स्वस्थ, सुखी व सम्पन्न हो। यहीं पर्यावरण में वास्तु का उद्देश्य है। वाराहमिहिर के अनुसार वास्तु का उद्देश्य इस श्लोक इहलोक एवं परलोक दोनों की प्राप्ति है। महर्षि नारद कहते हैं।

अनेन विधिना सम्यग्वास्तुपूजां करोत्यः

आरोग्यम् पुत्रस्यभं च धान्यं लभेन्नरः ॥<sup>2</sup>

(पर्यावरणवास्तुशास्त्र १/अ/१३)

इस विधि से सम्यक प्रकार से जो वास्तु (भवन विद्या) का सम्मान पूजा करता है। वह मनुष्य, पुत्र, धन, धान्यादि का लाभ प्राप्त करता है। सही 'वास्तु' के अभाव में गृह में रहने वाले व्यक्ति के पत्नि की मृत्यु पुत्रपौत्रादि का नाश, धननाश, मानसिक अशांति, रोग बैचेनी एवं विभिन्न प्रकार के उपद्रवों की प्राप्ति होती है।

गृह पर्यावरण में इसका प्रभाव गृह में निवास करते समय उसकी बनावट दिशाएं एवं गृह में तत्त्वों के उचित समावेश का तो हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, साथ ही हमारे गृह के आस-पास के वातावरण, उगने वाले पेड़-पौधे, समीपवर्ती गृहों का भी शुभाशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के गृह के आस-पास की वस्तुओं वृक्षों आदि के शुभा-शुभ प्रभाव का वर्णन करते हैं।

मनुष्य के कल्याणार्थ वास्तुशिल्प-शास्त्रों में वृक्षों की वास्तु एवं वृक्षों का वास्तुदोष निवारण में प्रयोग का विस्तृत वर्णन किया गया है। मत्स्यपुराण में भगवान मत्स्य ने दुर्ग-निर्माण की विशद जानकारी दी है, उसी में गृह में लगाये जाने वाले एवं न लगाये जाने वाले वृक्षों, लताओं, झाड़ियों आदि का भी वर्णन है साथ ही वनस्पति-जन्य औषधियां का भी वर्णन किया गया है।<sup>3</sup>

(मत्स्यपुराण २१८/३/८६)

वृक्ष, गृह एवं वास्तु:- घर के सामने लॉन में या पिछवाड़े में पेड़-पौधे लगाना लोग पसंद करते हैं। इस सम्बंध में वास्तु-शास्त्र के विद्वानों का अलग-अलग मत है। लॉन या पिछवाड़े में पेड़ या पौधों के गमले लगाने से परिवेश में सुंदरता आती है जो गृह पर्यावरण का एक विशेष महत्त्व रखता है।

गृह के बाहर बड़े वृक्ष लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वृक्ष गृह से इतनी दूर लगाये जाएं कि प्रातः ९ बजे से लेकर तीसरे पहर तीन बजे तक पेड़ की छाया मकान पर ना पड़े। घर के पूर्व दिशा में बरगद, दक्षिण में गूलर, पश्चिम दिशा में पीपल और उत्तर दिशा में बेल का वृक्ष लगाना प्राचीन शास्त्रों के अनुसार शुभ माना गया है। लेकिन कुछ विद्वानों के मत से समस्त पेड़ घर के लॉन में अशुभ होता है।

मकान के पास कांटे वाले पेड़ जैसे— बेर की झाड़ी, अकोल्ह तथा दूध वाले पेड़ जैसे महुआ आदि नहीं लगाना चाहिए। इन्हें कटवा देना चाहिए यदि किसी कारण वश इन्हें कटवाया न जा सकता है तो इन वृक्षों की ओर मकान के बीच में शुभ-दायक वृक्ष जैसे— शाल, अशोक, पुत्रांग (नाग केशर) अरिष्ट, मौलश्री (बकुल) कटहल आदि को लगा देना उचित है इससे उनका दोष गृहस्वामी पर नहीं लगता।

घर के सामने आंगन में या लॉन (बगीचा) में गुलाब, गेंदा, रात की रानी, बेला आदि सुगंधित फूलों के पौधे प्रायः गमलों में या ऐसे ही लगाये जाते हैं। अशोक के पेड़ भी प्रायः घरों के सामने लगाए जाते हैं। इन पेड़ों का कोई अशुभ फल नहीं होता। वरन् ये तो गृह के पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं।

घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, यह कृमिनाशक है तथा दूषित वायु को शुद्ध करता है। तुलसी आरोग्य के लिए प्राकृतिक अमर संजीवनी है। यह सौ हाथ तक वायुमण्डल को विशुद्ध करती है। रविवार को रवि संयोग से दूषित रश्मियां तुलसी में जन्म लेती हैं अतः रविवार को तुलसी का स्पर्श संसर्ग निषिद्ध है।

चंपा—गुलाब, केला, चमेली, केतकी, पुन्नाग, फलिनी, नीम, अनार (दाङिम) अशोक जाति (चमेली), गुडहल, केशर, जयंती, चंदन, अपराजिता नारियल, बेल, आम, भूंग, अंगूर आदि वृक्ष एवं लताएं जहाँ भी लगाए जाए शुभदायक होते हैं।

विशाल वृक्षों में केथ वृक्ष गृह के उत्तर में, वटवृक्ष में, गूलर दक्षिण में तथा पीपल पश्चिम में लगाना शुभ होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गृह के पूर्व में ऊंची इमारतें अथवा विशाल वृक्ष नहीं होना चाहिए ताकि सूर्य की किरणें उस पर सीधी पड़ सकें। जो देवालय मठ, मकान सूर्य की किरणें एवं वायु से वंचित रहें वह शुभ फलदायी नहीं होता और प्रथम व चतुर्थ पहर की छाया को छोड़कर द्वितीय एवं तृतीय पहर की छायाविद् किसी कूप पर भी पड़े तो शुभ नहीं होती।

श्रीपर्णी (कायफल), रोहणी (कुटकी), शाक (सागोन) ऊर्जा के वृक्ष यदि सीधे हो तो उनकी लकड़ी, गृह में लगानी शुभदायक है, इसके अतिरिक्त शिंश या (शीशम) अशोक चंदन शाल (सखुआ) पतंग, लोध, अर्जुन, तालकदंब, की लकड़ी लगाना शुभ रहता है।

पितृवन (श्मशान), मार्ग, देवालय, वाल्मीकि युक्त तपस्वियों के आश्रम एवं बगीचों तथा वृक्षों तथा चैत्य (डीह) और नदी संगम पर पैदा हुए घड़े के जल से सीधे हुए वन की बलियों से लिपटे हुए और बिजली तथा वायु (आंधी) के आघात से गिरे हुए सुखे, जले एवं मधुमंकिखियों के छत्ते से संयुक्त वृक्ष कमज़ोर हो जाते हैं। इससे गृह को हानि की संभावना रहती है। जो पर्यावरण का दुषप्रभाव होता है। इन वृक्षों का उपयोग गृह में नहीं करना चाहिए।

पर्यावरण की दृष्टि से पेड़—पौधे तथा वनस्पति की दुनिया प्रकृति का उल्लास ही नहीं व्यक्त करती बल्कि मन को भी विराट तत्त्व के साथ जोड़ती है। पेड़ों से लदे पहाड़, हरी—भरी उपत्यकाएं, दूर तक फैलने चारागाह और फूलों से भरी तलहटियाँ मन को न जाने किन ऊर्चाईयों तक ले जाती हैं। मनुष्य और पेड़—पौधों का हर्ष उल्लास का यह सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से है। आदिम मानव वनों में निवास करता था और वन्य जीवन बिताता था।

### वृक्षों में देवता का स्वरूप :-

ऋषि—मुनि भी तपस्या और मनन विन्नतन के लिए वनों में ही निवास करते थे। इस प्रकार आरम्भ से ही मनुष्य का जीवन और उसका ज्ञान—विज्ञान वनों में विकसित हुआ और इसके बदले में मनुष्य ने भी उनको अपूर्व आत्मीयता प्रदान की। जिसका आख्यान लोक—परम्परा, धर्म ग्रन्थों और शास्त्रों में अनेक स्थलों पर हुआ है। वैदिक काल में भारतीय मनीषी प्रकृति के अराधक थे। वे वनस्पतियों को अपने अनुष्ठानों में विशेष महत्त्व देते थे। उस काल में कई लोकदेवता थे, जिनमें मरुत, सूर्य, इन्द्र, वरुण, उषा, रुद्र आदि के साथ—साथ वनस्पति और वृक्ष को भी देवता कहा गया है। वनस्पति व वृक्षों में रुद्र के विस्तृत स्वरूप को देखते हुये वैदिक ऋषि कहता है— “नमोवृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः”। अर्थात हरे पत्तेरूप केश वाले कल्पतरु स्वरूप उस रुद्र को नमस्कार है। सम्भवतः उस लोक में इन देवी—देवताओं के पूजन के लिए मेले लगते थे। प्राचीन भारतीयों के जीवन में इन्द्र महोत्सव हरियाली से भरी हुई शस्य श्यामला धरती के दर्शन से मानवीय उल्लास को व्यक्त करने का उत्तम था। उसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजनन और पृथ्वी की कोख में से पनपने वाले वनस्पति—जीवन को देखकर मानव के स्वाभाविक हर्ष की अभिव्यक्ति की जाती थीं। वस्तुतः हमारे देश में वृक्षों के देवत्त्व और उनकी पूजा की परम्परा बहुत प्राचीन रही है। हड्डप्पा और मोहन जोदड़ों में जो अवशेष मिले हैं उनमें भी लता आदि की आकृतियाँ धार्मिक भाव को व्यक्त करती हुई मिलती हैं। वेदों और आरण्यक ग्रन्थों में प्रकृति की महिमा अलौकिक

अनुभव के साथ व्यक्त हुई है। गीता में कृष्ण अपने को सब वृक्षों में "अश्वत्थ" बताते हैं। और अपने को अर्पित की जाने वाली वस्तुओं में स्वर्ण, रत्न और बहुमूल्य वस्तुओं के नाम न गिनाकर केवल "पत्रं पुष्पम् फल तोयम् यो में भक्त्या प्रयच्छति" की बात करते हैं।<sup>4</sup>

गीता ६/२६)

भारतीय कला और साहित्य में वृक्ष पूजा के अनेक सन्दर्भ मिलते हैं। "महाभारत" में कहा गया है। कि वृक्ष पूज्य होता है।  
एको वृक्षो हियो ग्रामे भवेत् पर्णफलान्वितः।

चैत्यो भवति निर्ज्ञातिरर्चनीय सुपूजितः।<sup>5</sup>

महाभारत आदिपर्व 138-25

वस्तुतः पत्तों, डालों, फूलों और फलों से लदा वृक्ष देवत्व के लक्षणों से युक्त माना जाता था और उस क्षेत्र के लिए चैत्य माना जाता था। अपनी शाखा तथा प्रशाखाओं में फैले वृक्ष की तुलना उपनिषदों में विश्वपुरुष से की गई है। वृक्ष के चारों ओर वैदिका बनाना एक सामान्य सी बात थी। रामायण और महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है। आज भी सांची और भरहुत को वैदिकाएं दर्शनीय हैं।

बौद्ध और जैन परम्परा में भी वृक्ष-पूजा का महत्व बना रहा। गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था। "रुखधम्म - जातक" में वृक्ष देवताओं का उल्लेख मिलता है। यह भी कहा गया है कि बोधिसत्त्व ने एक समय रुख देवता के रूप में जन्म लिया था। कुशाण काल की सुप्रसिद्ध प्राकृत रचना "अंगविज्जा" में देवी-देवताओं की सूची में पर्वत, नदी के साथ-साथ वनस्पति को भी देवता माना गया है। इसी परम्परा को बाद में जैन ग्रंथों में भी निभाया गया। किन्तु वृक्ष पूजा का मूल आधार वैदिक ग्रंथों में मिलता है। ऋषियों ने अश्वत्थ को विशेष महत्व दिया है। इसी प्रकार पीपल को साहित्य और लोक में पर्याप्त श्रद्धा मिली। अनेक पवित्र और अलौकिक वृक्षों में प्राचीन काल में 'कल्प-वृक्ष' की भी अवधारणा मुख्य थी। यद्यपि इस वृक्ष का उल्लेख वेदों में नहीं मिलता किन्तु लौकिक कल्पनाओं के आधार पर इसे इन्द्र के साथ जोड़ लिया गया और मनवांचित फल देने वाले वृक्ष के रूप में इसे नन्दन वृक्ष मान लिया गया। महाभारत, रामायण, जातक ग्रंथों और जैन साहित्य में इसकी भरपूर चर्चा हुई है। इसके बारे में जो कहा गया है उससे लगता है कि कल्प-वृक्ष की कल्पना लोक में कितनी मनोरम रही होगी जो बाद में भी वास्तुकला में उत्कीर्ण होने लगी। एक गढ़वाली लोक मानस में पद्य वृक्ष में देवत्व को आरोप किया है। धूप, दीप, चन्दन से अर्चन और दुर्घट सिंचन से उसके नावंकुरित पौधे को दुपतिया, चौपतिया और फिर एक दिन पूरे छायादार वृक्ष रूप में बढ़ने फैलने की भावना के साथ उसमें जीवन का सहज उल्लास और प्रकृति के प्रति वात्सल्य भाव भी व्यक्त हुआ है : अर्थात् पदम का नया वृक्ष उगा है— देवताओं का वृक्ष नया वृक्ष उगा है कोई वेदी बनाओं उसे धूप दीप दान दो।

बसंत में जब-उपवन खिल उठते थे तो प्राचीन काल में कई उत्सव मनाए जाते थे। तब वन और उद्यान उत्सव क्रीड़ा गोष्ठी और समाज के आयोजनों से युक्त होते थे। इसी प्रकार प्राचीन आर्य "सूर वसन्तक" "मदनोत्सव" मनाते थे। इसके साथ ही उद्यान क्रीड़ा की परम्परा में भी राजाओं के गृह-द्वार लता- मण्डपों से सुसज्जित होते थे और उनके प्रमोद वन अपने सौन्दर्य और विलास के लिए प्रसिद्ध थे। राजाओं और धनिकों के अपने उद्यान गृह होते थे जहां वे उद्यान क्रीड़ा करते थे। उद्यान क्रीड़ा इतना महत्वपूर्ण मनोरंजन था कि दण्डी जैसे काव्यशास्त्री यह मानने को बाध्य हुए कि महाकाव्य तब तक अधूरा ही समझा जाना चाहिए जब तक उसमें उद्यान क्रीड़ा का वर्णन न हो। "कामसूत्र" में प्रमोद वन, वृक्ष वाटिका, नन्दनवन आदि का उल्लेख करते हुए मनोरंजन में उनकी भूमिका को स्पष्ट किया गया है। मध्यकाल में मुगलों ने बागों के प्रति विशेष रूचि दिखाई। विजौर, निशात, चश्माशाही, शालीमार जैसे बाग आज भी उनकी गाथा गाते हैं। किन्तु वृक्ष लगाना या उद्यानों का निर्माण करना केवल विलास की वस्तु न थी। अशोक के "धम्म" के कार्यों में सड़कों के दोनों ओर छायादार पेड़ लगाना भी एक था। वस्तुतः वृक्षों को धम्म से जोड़ने का उद्देश्य यही रहा है कि लोग इनके महत्व को समझें, उनसे उल्लास और जीवन प्राप्त करें। इसीलिए प्राचीन काल में ऐसे उत्सव रचाए जाते थे।

प्राचीन वास्तुकला और चित्रकला में वृक्ष-प्रेम के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इनमें स्थापत्य में अंकित "शाल भजिका" मुद्रा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रायः अशोक, चम्पा, पलाश और शाल वृक्ष के नीचे विशेष मुद्रा में वृक्ष की टहनी पकड़े नारी आकृति का चित्रण मूर्तिकता का प्रिय विषय रहा है। अजन्ता की गुफाओं के चित्र फूलों की मालाओं, मणिबंधों और अनेक प्रकार की पुष्प-सज्जाओं से युक्त हैं। कहा जाता है कि सांची के तोरण स्तम्भों पर अंकित

आकृतियों में वृक्ष—पूजा सम्बन्धी आकृतियों का आधिक्य है। उनमें यक्ष, किन्नर और गर्ज्ञव भी फूलों की माला हाथ में लिए वृक्षों की पूजा करते दिखाए गए हैं।

### वृक्षों से देवताओं का सम्बंध :-

जनश्रुति, लोक-विश्वास और साहित्य में वृक्षों को अपार स्नेह और श्रद्धाभाव से देखा गया है। पूजा के लिए फलों, बेलपत्र, आम्रपत्र, दूर्वा, कुश, चन्दन आदि का प्रयोग सामान्य सी बात है। कुछ वृक्ष देवी—देवताओं के साथ जुड़े हैं। कृष्ण का नाम आते ही कदम्ब को कौन भुला सकता है ? अशोक को कामदेव का वृक्ष माना जाता है। कहते हैं, वह सुन्दरियों के पाद—प्रहार से खिलता है। कमल विष्णु और ब्रह्मा का पुष्प है। लक्ष्मी को कवचनार के फूल प्रिय होते हैं। बेलपत्र शिव पर चढ़ाया जाता है और पीपल के पेड़ पर यक्ष का वास माना जाता है। तुलसी को भी लोकमानस में विष्णु पत्नी के रूप में जोड़ा गया है। अनेक पेड़—पौधों लताओं, फूलों और फलों को लेकर जन—मन में अनेक विश्वास आज भी पूर्णरूप से व्याप्त हैं।

### यज्ञीय वृक्ष

पलाशः खदिरोऽश्वत्थः शमी वट उदुम्बरः ।

अपामार्गार्कदुर्वाश्च कुशाश्चेत्यपरे विदुः ॥<sup>6</sup>

शमी पलाशान्यग्रोध पलक्षवेलः तोदयवाः<sup>16</sup>

अश्वत्थोदुम्बरौ विल्वचन्दनस्सरलस्तथा ।

सालश्च देवदारुश्च खदिरश्चैव यज्ञियाः ॥<sup>7</sup>

(ब्रह्मपुराण पर्यावरण वास्तुशास्त्र पृ.क्र. ३९)

यज्ञ कार्य हेतु पलाश, खादिर, अश्वत्थ, शमी, बड़, उदुम्बर, अपामार्ग, अर्क, दूर्वा, कुश, न्यग्रोध, पलक्ष, बिल्व, चन्दन, साल, देवदारु, गुण्गल, सरल, खेजड़ी इत्यादि यज्ञीय वृक्ष कहे गये हैं। इनकी समिधा हवन कार्य में प्रयोग आती है।

### वृक्षों में मानवीकरण की उदात्त भावना :-

साहित्य में वृक्षों को आलम्बन, उद्दीपन और उपमान के रूप में महत्वपूर्ण स्थान ही नहीं, अपार ममता भी मिली है। कवियों ने पेड़—पौधों और लतादुमों में अपने ही मन की छाया देखी है और उन्हें भी अपनी तरह मानवीय सम्बंधों में जोड़कर देखा और आपसी रिश्तों में बांधा है। कालिदास में यह संवेदना चरम सीमा पर दिखाई देती है। शकुन्तला नवमालिका को सहकार अर्थात् आम को “स्वयंवर नववधू” कहकर पुकारती हैं। वस्तुतः कालिदास को लता और वृक्षों का स्वयं—विवाह बहुत प्रिय था। “अभिज्ञान शाकुन्तलम्” में अनासूर्या कहती है— “अरी शकुन्तला, पिता काश्यप को आश्रम के वृक्ष तुमसे भी अधिक प्रिय हैं। “तो शकुन्तला उत्तर देती है— “मेरा भी तो इन वृक्षों पर सगे भाई जैसा स्नेह है।”

शकुन्तला को विदा देते हुए महर्षि कण्व कहते हैं — तुम्हें जल पिलाये बिना जो जल नहीं पीती थी, तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण जो मंडनप्रिय होने पर भी तुम्हारे नए पते नहीं तोड़ती थी, तुम्हारे नए पुष्पोदगम पर जिसका उत्तस्व होता था, वह शकुन्तला पतिगृह जा रही है सब अनुमति दो ॥

शकुन्तला पतिगृह जाते हुए अपनी “लताभगिनी” वन ज्योत्सना से विदा लेती है। कश्यप कहते हैं : अवैमि ते तस्यां सौंदर्यास्नेहम्— मैं जानता हूं कि तेरा उस पर बहिन का सा स्नेह है। शकुन्तला उसे गले मिलने को कहती है। काश्यप अब निश्चिन्त हैं — यह नवमालिका भी आप से मिल गई है और मैं अब तेरी और इसकी ओर से निश्चिन्त हो गया हूँ।

रघुवंश में राजा दिलीप एक देवदारु के वृक्ष को देखकर कहते हैं —

अमुं पुरः पश्यसि देवदारं पुत्री कृतो सौ वृषभध्वजेन ।

हेमकुम्भस्तन निः सृतांना स्कन्दस्य मातु पयस्नां रसज्ञः ॥<sup>8</sup>

(रघुवंश २/३६)

यह जो सामने देवगुरु का वृक्ष है यह शिवजी के द्वारा पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया गया है। पार्वती ने इसे पुत्र के समान पाला है। जिस भाँति कार्तिकेय ने अपनी माता के स्वर्ण निर्मित घड़े से निकले हुए जल का पान

किया है। अर्थात् पार्वती ने स्वयं इस देवदारु वृक्ष का सिंचन इस प्रकार किया है इस प्रकार भारतीय संस्कृति में वृक्षों को बहुत उच्च सम्मान प्राप्त है।

इसी प्रकार बाण ने गृहोदायानों का चित्रण करते हुए प्रकृति के प्रति अपूर्व प्रेम प्रकट किया है। उन्होंने लिखा है कि रानी यशोवती जातिपुष्टों के गृच्छों का आलिंगन करती थी, द्वार पर लगे सहकार से मिलती थी और अशोक तथा बलुक से आन्तीय जैसा प्यार करती थी। भवभूति की करुणा केवल मानव तक सीमित नहीं थी। पेड़—पौधों के प्रति भी उनमें अपार सहानुभूति दिखाई देती है। भास, शूद्रक और हर्ष के नाटकों में भी पेड़—पौधों के माध्यम से मानव के उल्लास एवं आत्मभाव का सुन्दर चित्रण हुआ है। लोक जीवन और लोकगीतों में तो पेड़—पौधों को अपने ही सुख—दुखों की अभिव्यक्ति का समझायी माना गया है। आदिवासियों और वनचरों में वृक्षपूजा और वनोत्सवों की परम्परा आज भी बनी हुई है। उनमें पेड़—पौधों को लेकर कई विश्वास आज भी प्रचलित हैं। कई जातियों में वृक्ष और कुंए का विवाह रचाने की परम्परा थी। हिन्दु धर्म में सन्तान प्राप्ति हेतु “तुलसी विवाह” की प्रथा आज भी प्रचलित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बसन्त के उल्लास, वर्षा ऋतु की हरियाली और पतझड़ को भारतीय लोक मानस ने समग्र आन्तीयता से देखा है। भारत के विभिन्न भागों में ऐसे लोकगीत मिलते हैं जिनमें स्त्रियाँ आपने मन की पीड़ा को वृक्षों को कहकर सुनाती हैं। एक कश्मीरी लोकगीत में चिनार वृक्ष से एक युवती कहती है : “हे चिनार, तू कितना फला—फूला है, सब जगह बसन्त आ गया है लेकिन मेरी सन्तान क्यों नहीं ?” अवधी गीत में इस बात का अहसास व्यक्त हुआ है और उसकी डालों पर हिंडोले लगते हैं। गीत में लड़की पिता से विनय करती है, “बाबा, नीम के पेड़ को मत काटो। नीम का पेड़ पंछियों को सहारा देता है। बाबा, अपनी बेटियों को दुख मत दो। बेटियाँ पंछी की तरह होती हैं। सारे पंछी एक दिन उड़ जाएंगे और नीम अकेलापन महसूस करेगा।”

### पेड़—पौधों का पर्यावरण का योगदान

**वस्तुतः** पेड़—पौधों, उनके पत्तों, फूलों और जड़ी—बूटियों का पर्यावरण शुद्धि एवं मनुष्य जीवन को सुखद बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। आज के प्रदूषित वातावरण में उनका महत्व और भी बढ़ गया है। वे ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में सर्वाधिक मान्य हैं। वे ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। वे सूर्य—ऊर्जा ग्रहण कर हमारे लिए ईधन ऊर्जा के महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं, यह माना जाता है कि हमारे देश में वर्ष भर में लगभग दो अरब घनमीटर तेल और बिजली की तुलना में चौगुनी है। इससे स्पष्ट है की वे जलाने की लकड़ी के रूप में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किन्तु यह उनके उपयोग को अनुकूल बनाए रखने के लिए पेड़—पौधों का बहुत बड़ा योगदान है। पेड़ पौधे जमीन से शक्ति ग्रहण करते हैं किन्तु वे जमीन को शक्ति भी प्रदान करते हैं। इनकी जड़ें जमीन को कसकर पकड़े रहती हैं जिससे धरती का सन्तुलन बना रहता है। पहाड़ी भागों में जहां बहुत बारिश होती है और बाढ़ का पानी भूरक्षण और स्खलन का संकट पैदा करता है वहां पेड़—पौधे ही भूमि की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन भागों में भी जहां कड़ाके की धूप पड़ती है या जहां तेज सर्दी पड़ती है वहाँ जमीन की शक्ति समाप्त होने लगती है और केवल चट्टाने दिखाई देती हैं। वनों के खत्म हो जाने या सूखे के कारण मिट्टी में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उससे रेगिस्तान आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी ओर पेड़ों के अभाव में वाष्पीकरण न होने की प्रक्रिया मिट्टी को धूल एवं रेत में बदल देती है जिससे अच्छी खासी भूमि रेगिस्तान में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में नए रेगिस्तान बनते जाते हैं। पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी वर्षा में बह जाती है। कहा जाता है कि एक इंच अच्छी मिट्टी बनाने में प्रकृति को हजारों साल लगते हैं। किन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में आठ करोड़ टन मृदा हर साल बहकर इसलिए नष्ट हो जाती है क्योंकि उसको रोकने के लिए जंगल नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़े ही नहीं रखते जल सन्तुलन भी बनाए रखते हैं और संरक्षण में भी सहायक होते हैं। वास्तव में देश में जो कभी सूखा और कभी बाढ़ आती है, इसका कारण भी यही है कि हमने पेड़—पौधों को निर्मगता से काट डाला है।<sup>23</sup>

**वस्तुतः** पेड़—पौधे सृजन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। धरती, जीवधारियों, वातावरण और जीवन के लिए अनिवार्य पारस्परिक निर्भरता की प्रक्रिया से जुड़े हैं। जल जीव, जन्तुओं, मिट्टी, वातावरण, ईधन, उद्योग, भोजन, चारा, उर्वरक तत्त्व, औषधीय गुणों आदि सबसे वे एक पारस्परिक सम्बंध में बद्ध हैं। यदि पेड़—पौधे न हों तो पशु—पक्षियों और मानव के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अदिम काल में जब मनुष्य जंगली अवस्था में रहा होगा तो उन्होंने

ही आदमी को पनाह दी होगी और आज सभ्यता जहां औद्योगीकरण के युग में पहुंची है, उसके लिए भी मार्ग इन्होंने ही बनाया है। आज काफी, कोको, फर्नीचर, रबड़, लाख, पेण्ट, क्वायर, कोयला आदि, सभ्यता के आधार बन गए हैं।

मानव के अलावा जीव—जन्तुओं में भी प्रेम का इजहार तो जग जाहिर है, लेकिन पौधे भी प्रेम करते हैं, यह बात शोधों से सामने आई है और पता चला है कि पौधे अपने पालनहार और रक्षकों से गहरी आत्मीयता रखते हैं। उस के दुख से दुखी होते हैं और खुशी से प्रसन्न होते हैं। जरा जीवाणुओं में प्रेमलीला को देखते हैं। अत्यन्त सूक्ष्म जीवाणु (इन्हें आंख से देखना संभव नहीं होता) की एग्रोबैक्टीरिया प्रजाति में युगल प्रेमी जीवाणु एक दूसरे के आमने—सामने अति निकट आ जाते हैं। परंतु वे एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करते। बस इस मुआवस्था में कुछ समय तक रहने के बाद एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। उनके इस मौन, शर्मीले, दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने का दायित्व उन विषाणुओं पर होता है, जो उनके शरीर में परजीवी होते हैं। तालाब व नहरों के अक्सर मिलने वाले एक पौधे का नाम है बैलिसनेरिया। इसके नर और मादा फूल अलग—अलग पौधों में उत्पन्न होते हैं। मादा फूल का डंठल लंबा पतला तथा संजनी सादश सर्पिल रूप में मुड़ा होता है। जब मादा फूल पूर्ण योवन अवस्था में होता है 'तब इसके डंठल की सर्पिलाकार कुंडली धीरे—धीरे खुलती है, जिसके कारण इसका सम्पूर्ण फूल पानी की सतह से ऊपर उठकर तैरने लगता है। लगभग उसी समय नर पौधे के फूल से परिपक्व परागण पौधे से युक्त जल की सतह पर बहने लगते हैं। मादा फूल के वर्तिकाकाग्र पर पराग कण के स्थापित होते ही मादा फूल पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है क्योंकि तब तक परागण क्रिया सम्पन्न हो जाती है।

पौधों के प्रेम व्यवहार, उनकी मानवीय भावनाओं को उजागर करने वाला वर्णन केवल उनके रोचक संसार की एक झलक मात्र है। सच तो यह है कि संपूर्ण वनस्पति जगत मानवीय भावनाओं से भरा पड़ा है। बस आवश्यकता है इनको समझने की। शोधों को देखकर यह कहा जा सकता है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब पॉलीग्राफ के जरिए पौधे हमसे बातचीत करेंगे और हमारे सुख—दुख में भी शामिल होंगे।

पेड़—पौधे, वृक्ष, वनस्पति एवं पुष्प जहां प्रकृति के अनुपम सौन्दर्य के अनुपम अंग है वहां मानव मात्र के प्रति शुभ—अशुभ अनुकूल एवं प्रतिकूल भाग्य—रश्मियों के भी सूचक है प्रत्येक पेड़ पौधे वनस्पति तथा वृक्ष में प्रकृति की एक अनुपम शक्ति एक विशिष्ट रहस्य छुपा हुआ है। जिसको समझने एवं जानने से व्यक्ति व्यष्टि एवं समष्टि के रहस्यमय परतों को खोलने में सक्षम हो सकता है हमारे प्राचीन ऋषियों ने वनस्पति शास्त्र के औषधिय तत्त्वों को लेकर जहां बड़े—बड़े ग्रंथ लिखे वहां वास्तु विद्या के सन्दर्भ में इन वृक्षों के शुभ—अशुभ परिणामों को लेकर विशद् अध्ययन किया। जिस प्रकार एक कुशल वैद्य को वनस्पतियों—लताओं व समस्त प्रकार के औषध—वृक्षों गुण धर्म का ज्ञान रहता है एक दक्ष ज्योतिषि को नक्षत्र वृक्षों व धार्मिक महत्त्व वाले वृक्षों का समग्र ज्ञान रहता है एक कुशल कर्मकाण्डी पुरोहित को यज्ञीय वृक्षों व समस्त प्रकार की समिधाओं, देव पूजन में ग्राह्य—अग्राह्य पुष्पों का ज्ञान रहता है ठीक उसी प्रकार एक दक्ष वास्तुविज्ञ को गृह के अन्दन एवं बाहर लगने वाली सभी प्रकार की लकड़ियाँ तथा सभी प्रकार के पौधे—वनस्पतियों एवं पुष्प—वृक्षों की शुभाशुभ गुणवत्ता का विस्तार से ज्ञान होना चाहिए अन्यथा उसका वास्तु सम्बंधी ज्ञान अधूरा ही माना जाएगा। इस प्रकार गृह पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गृहनिर्माण का विचार करना चाहिए। जिससे गृह एवं गृह स्वामी पर किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव न पड़े।

### संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. पर्यावरणवास्तुशास्त्र १/अ/१३
2. समरांगण वास्तु एवं पर्यावरण पृक्त 141
3. ३ मत्स्यपुराण २९८/३/८६९
4. गीता ६/२६
5. महाभारतादिपर्व 138—25
6. ब्रह्मपुराण पर्यावरण वास्तुशास्त्र पृ.क्र. ३०
7. ब्रह्मपुराण पर्यावरण वास्तुशास्त्र पृ.क्र. ३१
8. (रघुवंश महाकाव्य २/३६)

## भारत की अर्थव्यवस्था है कृषि अर्थव्यवस्था

डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा, एम.ए. (ग्रामीण विकास), (अर्थशास्त्र), एम.बी.ए.

प्राचीन भारत में ग्रामीण समुदाय आत्मनिर्भर थे। व्यक्तियों की सीमित आवश्यकताएँ थीं जिनकी पूर्ति समुदाय में ही हो जाती थी। परन्तु अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय ग्रामीण समुदाय का सम्पर्क आवागमन के विकसित साधनों के कारण बाहरी जगत से हुआ तथा ग्रामवासी नगरों में रहने वालों के सम्पर्क में आए। प्राचीनकाल में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था ही थी क्योंकि अधिकांश लोग गाँवों में रहते थे तथा प्रमुख रूप से खेती ही करते थे। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से खेती ही करते थे। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप ग्रामीण कृषि व्यवस्था ही है क्योंकि कुल जनसंख्या का तीन-चौथाई भाग गाँवों में रहता है तथा अधिकांश ग्रामीण जनता आज भी कृषि पर निर्भर है।

परम्परागत भारत में एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पाई जाती रही है। गाँवों में रहने वाली विभिन्न जातियाँ परस्पर सेवाओं का विनिमय करके आपस में आवश्यकताएँ पूरी कर लेते थे। प्रत्येक जाति का एक परम्परागत व्यवसाय था जिसे जाति के सभी सदस्य करते थे। सेवाओं के विनिमय से एक तो आवश्यकताएँ पूरी हो जाती थीं तथा दूसरे निर्भरता के कारण एकता भी बनी रहती थी।

### ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों का महत्व

भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था है तथा लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। लघु एवं कुटीर उद्योग केवल भारत में ही महत्वपूर्ण नहीं अपितु विकसित देशों में भी इनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। भारत में कुटीर उद्योग में लगभग 2 करोड़ व्यक्तियों को काम मिला हुआ है। महात्मा गांधी जी भी लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास में इसीलिए बल देते थे क्योंकि इनसे ही भारत का उद्घार हो सकता है। भारतीय कृषकों को खाली समय में कुटीर एवं लघु उद्योग पूरक रोजगार प्रदान करते हैं। इन उद्योगों से ग्रामवासियों को रोजगार मिलता है तथा आर्थिक विषमताएँ समाप्त होती हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में लघु तथा कुटीर उद्योग इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके लिए न ही तो अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है और न ही विकसित तकनीकी की। भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस तरह के उद्योग पूरी तरह से अनुकूल हैं। इससे केवल पूरक रोजगार ही नहीं मिलता अपितु कृषि पर निर्भरता में कमी आती है।

भारतीय सरकार का लक्ष्य एक समाजवादी तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में ही सम्भव है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था का समाज पर नियंत्रण हो जाएगा। औद्योगिक जनसंख्या का लगभग 90 प्रतिशत भाग इन्हीं उद्योगों में लगा हुआ है। राष्ट्रीय आय में भी इन उद्योगों का भाग संगठित उद्योगों के भाग से लगभग दो गुणा है। लघु तथा कुटीर उद्योगों का महत्व भारत में निम्नलिखित पहलुओं से देखा जा सकता है—

**(1) बेरोजगारी की समस्या—**आज बेरोजगारी की समस्या केवल भारत में ही नहीं अपितु अन्य अनेक विकसित एवं विकासशील देशों में एक विकट समस्या बन गई है। भारत में लघु तथा कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे कृषकों को पूरक रोजगार तथा ग्रामवासियों को बेरोजगारी की समस्या से बचाता है। इस दृष्टि से लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग इस बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण हल नहीं हैं। गाँव में ही कुटीर उद्योग खोलकर ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है।

**(2)उपभोग की वस्तुओं की सुविधा—**ग्रामीण भारत की अधिकांश जनता निर्धन है तथा उन्हें दैनिक उपभोग की वस्तुएँ सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाती। लघु तथा कुटीर उद्योग बेरोजगारी को दूर करने के साथ-साथ गाँवों में अनेक

आवश्यक वस्तुओं जैसे कपड़ा इत्यादि की कमी भी दूर करते हैं। ग्रामीण उद्योग ही ग्रामवासियों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते हैं।

**(3) सम्पत्ति का वितरण—**अगर बड़े उद्योग ही खोले जाएँ तो आर्थिक असमानता बढ़ती जाएगी क्योंकि पैसा पूँजीपतियों के पास अधिक होता जाएगा तथा मजदूरों का शोषण होगा। कुटीर लघु उद्योग आर्थिक असमानताओं को कम करते हैं तथा इनमें मजदूरों का शोषण भी नहीं होता तथा उन्हें लाभ का उचित भाग भी मिल जाता है। इस प्रकार धन तथा सम्पत्ति के न्यायपूर्ण वितरण के लिए ग्रामीण उद्योगों का विकास अति महत्वपूर्ण है। केवल ऐसा करने से ही समाजवादी समाज की स्थापना की जा सकती है।

**(4) उद्योगों का विकेन्द्रीकरण—**लघु तथा कुटीर उद्योग केवल धन एवं सम्पत्ति का न्यायपूर्ण वितरण ही नहीं करते अपितु उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करने में भी सहायता देते हैं। देश का विकास तभी हो सकता है जबकि उद्योग केवल कुछ सीमित केन्द्रों में ही नहीं हों अपितु सम्पूर्ण देश में फैले हुए हों। लघु तथा कुटीर उद्योग उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करके अर्थव्यवस्था में सन्तुलन लाने का प्रयास करते हैं।

**(4) भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल—**भारत में लघु तथा कुटीर उद्योग इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं क्योंकि कुटीर उद्योगों में स्वेच्छापूर्वक तथा स्वतंत्रता से काम करने के अवसर मिलते हैं। इन उद्योगों में अनेक कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जोकि विदेशों तक में बेची जाती हैं। इनका लाभ इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को ही मिलता है।

लघु तथा कुटीर उद्योग भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होते हुए भी इतनी अधिक प्रगति नहीं कर पाए। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तो इनकी रिश्ति काफी खराब थी। अंग्रेजी शासनकाल में इन ग्रामीण उद्योगों को सबसे बड़ा धक्का मिला है क्योंकि अंग्रेजों की नीति तो कारखानों में बनी हुई वस्तुओं को भारत में बेचना था अर्थात् अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए भारत को एक बाजार बनाना था। ऐसा तभी संभव हो सकता था जबकि ग्रामीण उद्योगों का विनाश हो। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इन उद्योगों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। अंग्रेजी शासनकाल में ग्रामीण उद्योग इसलिए भी विकसित नहीं हो सके क्योंकि इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएँ बाजारी प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकती थीं। क्योंकि इन उद्योगों में लगे हुए व्यक्ति अशिक्षित, अज्ञानी, तथा रुद्धिवादी थे इसलिए बदलती परिस्थितियों में वे काफी पीछे रह गए थे।

### कुटीर उद्योगों के विकास के लिए किए गए प्रयास

यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण उद्योगों के विकास को ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सामुदायिक विकास योजनाओं का ही अंग बनाया गया है, फिर भी इनके विकास में अनेक कठिनाईयाँ आई हैं। इन उद्योगों में अधिकतर पुराने यन्त्र प्रयोग किए जाते हैं जोकि समय तथा धन की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं। इन उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुएँ बेचने में कठिनाई होती है तथा बाजारी प्रतियोगिता में ऐसी वस्तुएँ पिछड़ जाती हैं। इनके अतिरिक्त कच्चे माल के मिलने में कठिनाई तथा तकनीकी जानकारी का अभाव भी इनके विकास में रुकावट बना हुआ है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारतीय सरकार ने इन अनेक कठिनाईयों को दूर करने तथा लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 1948 ई. की औद्योगिक नीति के अनुसार कुटीर उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। सरकार ने निम्नलिखित उल्लेखनीय कदम इन उद्योगों के विकास के लिए उठाए हैं—

**(1) वित्तीय सहायता—**स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले लघु एवं कुटीर उद्योग साहूकारों से ऋण लेकर चलाए जाते थे तथा इसके लिए काफी ब्याज देना पड़ता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों को ऋण एवं अनुदान स्वीकृत किए हैं जिससे शोषण में कमी हुई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इन उद्योगों को

सहायता देने की विशेष योजनाएँ चलाई हैं। औद्योगिक सहकारी समितियों ने भी ऋण देकर इन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है।

**(2)कुटीर उद्योग मण्डलों की स्थापना—** यद्यपि कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों का विकास करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है फिर भी केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय बोर्डस एवं आयोगों की नियुक्ति करके इन्हें प्रोत्साहन दिया है। ये बोर्ड उद्योगों के विकास का सर्वेक्षण करते हैं तथा उत्पादन की देश विदेशों में बिक्री बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जिन अखिल भारतीय संस्थाओं का विकास किया गया है, उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं—

- i. केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन,
- ii. अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग,
- iii. अखिल भारतीय हथकरघा मण्डल,
- iv. अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल,
- v. लघु उद्योग मण्डल,
- vi. नारियल जटा मण्डल,
- vii. केन्द्रीय रेशम मण्डल,
- viii. अविष्कार प्रोत्साहन मण्डल,
- ix. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, तथा
- x. दस्तकारी और हथकरघा निर्यात निगम।

**(3) विपणन सुविधाएँ—** केन्द्रीय राज्य सरकारों ने इन उद्योगों के उत्पादनों का विक्रय बढ़ाने के लिए प्रदर्शनियाँ आयोजित करने के लिए एम्पोरियम खोले हैं। केन्द्रीय सरकार ने एक केन्द्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम की स्थापना की है जिसका उद्देश्य विपणन कार्य में सहायता देना है। इसके अतिरिक्त सहकारी विपणन समितियों तथा औद्योगिक सहकारियों के एक संघ का निर्माण किया गया है।

**(4) औद्योगिक बस्तियाँ—** इन उद्योगों के विकास के लिए देश में कई औद्योगिक बस्तियाँ खोली गई हैं जिनका उद्देश्य उद्योगों के लिए शक्ति, जल, भवन, इत्यादि की उत्तम सुविधाएँ दिलवाना तथा कच्चा माल उपलब्ध करना है। इनका उद्देश्य उद्योगों का विकेन्द्रीकरण तथा उद्योगों के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन देना है। 1971 ई. में 572 औद्योगिक बस्तियों की योजना स्वीकृत की गई।

**(5) प्राविधिक सहायता—** प्राविधिक सहायता के लिए औद्योगिक विस्तार सेवा संगठन बनाया है जिसका उद्देश्य लघु उद्योगों को यांत्रिक सहायता तथा प्रबंधकीय सलाह उपलब्ध करना है। प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग सेवा शाखा स्थापित की गई है। भारतीय लोग प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजे जाते हैं तथा विदेशी विशेषज्ञ भारत में बुलाए जाते हैं। एक अविष्कार मण्डल की भी स्थापना की गई है।

**(6) अनुसंधान केन्द्र—** पूना, बेलगांव, मद्रास, खड़गपुर, मैसूर, बर्धा, नागपुर, कटक, बड़ौदा, गुडूर, इत्यादि अनेक स्थानों पर अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई है। सभी राज्यों में ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट खोले गए हैं।

**(7) सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम—** प्रथम योजना में लघु एवं वृहत् उद्योगों के लिए सम्मिलित कार्यक्रम के सिद्धांत को स्वीकार किया गया जिसके अन्तर्गत लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धों का उत्पादन क्षेत्र सीमित रखा गया तथा विशाल उद्योगों की क्षमता पर रोक लगाई गई। कुटीर उद्योगों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था की जाती है और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में समर्वय किया जाता है।

**(8) छूट एवं रियायतें—** सरकार ने लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए करों में भी छूट दी है। जहाज भाड़ा भी रियायती दर पर लिया जाता है।

कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रेत्साहन देने हेतु सभी सरकारी कार्यक्रम अधिक कारण नहीं हो पाए हैं। इसीलिए इन उद्योगों का निरन्तर छास होता जा रहा है तथा ग्रामवासी अब इन्हें अधिक लाभकारी नहीं मानते हैं।

### **कुटीर तथा लघु उद्योग**

भारत के प्रमुख कुटीर तथा लघु स्तरीय उद्योगों का वर्णन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि दोनों किस तरह के उद्योग हैं तथा इनमें क्या अन्तर है। देश की औद्योगिक संरचना को तीन भागों में बँटा जा सकता है—

(1) वृहत् स्तरीय उद्योग,

(2) मध्यम स्तरीय उद्योग, तथा

(3) लघु स्तरीय उद्योग।

लघु स्तरीय उद्योग दो प्रकार के हैं—

(अ) कुटीर उद्योग, तथा

(ब)) लघु उद्योग।

राजकोषीय आयोग के अनुसार कुटीर उद्योग वह उद्योग है जो पूर्णतया अथवा मुख्यतः परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्णकाल या अशंकाल व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, जबकि लघु उद्योग वे उद्योग हैं जो मुख्यता दस से पचास तक मजदूरी पर रखे गए श्रमिकों द्वारा चलाए जाते हैं और जो श्रमिक की कुटिया में नहीं चलाया जाता। इनमें वे सब इकाइयाँ व संस्थान समिलित किए जाते हैं जिनमें केवल लाखों रुपयों की पूँजी लगी हुई होती है।

### **भारत के प्रमुख कुटीर एवं लघु उद्योग**

यद्यपि प्रमुख रूप से भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि इसकी दो—तिहाई जनसंख्या कृषि पर आश्रित है फिर भी भारत में अनेक लघुस्तरीय तथा कुटीर उद्योग पाए जाते हैं जिनका सामान केवल अपने देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी बिकता है। लगभग 2 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति कुटीर उद्योगों में लगे हैं जिनमें से 10 लाख हथकरघा उद्योग में काम करते हैं जो संगठित उद्योगों और खनन उद्योगों में काम करने वालों से अधिक है। भारत के प्रमुख कुटीर एवं लघु उद्योग निम्नलिखित हैं—

**(1) हथकरघा उद्योग—** हथकरघा उद्योग हाथ के बने कपड़े के लिए मशहूर हैं तथा प्राचीन भारत से लेकर आज तक सबसे अधिक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग रहा है। इस उद्योग की उन्नति के लिए एक अखिल भारतीय हथकरघा मण्डल की स्थापना की गई तथा देश में कुल कपड़े का 40% उत्पादन इन्हीं उद्योगों द्वारा होता है जिनमें लगभग 30 लाख व्यक्तियों से अधिक काम कर रहे हैं।

**(2) ऊन उद्योग—**भारत का ऊन उद्योग भी काफी प्राचीन है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में हजारों लोगों को इस उद्योग के कारण रोजगार मिला हुआ है। जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश इन उद्योगों के प्रमुख केन्द्र हैं तथा ऊन की बनी कम्बल, शाल इत्यादि पूरे देश में नहीं विदेश में भी बेची जाती है।

**(3) रेशम उद्योग—**यह भी एक प्रमुख लघु उद्योग है जोकि असम, जम्मू व कश्मीर तमिलनाडू तथा बंगाल में प्रमुख रूप से विकसित है। इस उद्योग के विकास के लिए 1949 ई. में केन्द्रीय रेशम बोर्ड स्थापित किया गया था जोकि अनुसंधान सम्बंधी कार्यों को भी देखता है। इस उद्योग के अन्तर्गत शहतूत के पेड़ लगाना, रेशम के पेड़ कीड़े पालना, रेशम को साफ करना तथा कपड़ा बुनना शामिल हैं। अनेक राज्यों में रेशम उत्पादन प्रशिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की गई हैं।

**(4) शहद उद्योग**—इस उद्योग के विकास हेतु सरकार ने अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक विकसित हैं तथा इसमें कम पूँजी लगती है। शहद क्योंकि अत्यंत उपयोगी वस्तु है इसलिए सरकार ने इसके अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए अनेक केन्द्रों की स्थापना की है। कश्मीर, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, तथा मैसूर और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इन उद्योगों ने विशेष प्रगति की है।

**(5) गुड़ तथा खाण्ड उद्योग**—यह भी ग्रामीण उद्योग है जिसमें किसान गन्ने से गुड़ और खाण्ड बनाते हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इस उद्योग की प्रगति के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

**(6) चमड़ा उद्योग**—यह एक प्राचीन उद्योग है जिसमें आज भी लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में इस उद्योग में 1.5 लाख व्यक्ति काम कर रहे हैं। आगरा तथा कानपुर इसके सबसे प्रमुख केन्द्र हैं तथा चमड़े का सामान विदेशों में भी बेचा जाता है।

**(7) दियासलाई उद्योग**—1956 ई. के बाद इस उद्योग का तीव्र विकास हुआ है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड इस उद्योग की देखभाल करता है। दियासलाई का उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में भारत के लिए अपेक्षाकृत नवीन है।

**(8) खेल का सामान बनाने का उद्योग**—विभाजन से पहले स्यालकोट खेल का सामान बनाने का प्रमुख केन्द्र था परन्तु विभाजन के बाद यह उद्योग पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ। खेल का सामान विदेशों को बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। पंजाब में जालन्धर तथा उत्तर प्रदेश में मेरठ इसके प्रमुख केन्द्र हैं। सरकारी सहायता तथा सहयोग से अब यह उद्योग काफी प्रगति कर रहा है।

**(9) बॉस का सामान बनाने का उद्योग**—बॉस एक उपयोगी वस्तु है तथा भारत में अनेक स्थानों पर बॉसों के जंगल पाए जाते हैं। कुर्सियाँ, मेज, हाथ के पंखे इत्यादि बनाने के लिए बॉस का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि भारत में यह उद्योग कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाया है फिर इस दिशा में अनुसंधान तेजी से चल रहा है।

**(10) मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग**—यह लघु उद्योग भारत का प्राचीनतम उद्योग है जिसमें लाखों लोग प्राचीनकाल से ही रोजगार पाते रहे हैं। सुराही, घड़े, गमले तथा अन्य मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग काफी मात्रा में भारत में किया जाता है। आजकल चीनी मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे हैं।

### ग्रामीण भारत में गैर-कृषकीकरण

भारत में गैर-कृषकीकरण की प्रक्रिया का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। इसे अधिकांश विद्वान् भूमि सुधारों एवं ग्रामीण विकास हेतु चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का नकारात्मक परिणाम मानते हैं। बाजारी अर्थव्यवस्था में छोटे कृषकों के लिए कृषि व्यवसाय आजीविका की दृष्टि से उपयोगी नहीं रह पाता। वे भू-स्वामी एवं सम्पन्न कृषकों से न तो प्रतियोगिता ही कर पाते हैं और न ही उन्हें सरकारी नीतियों का लाभ ही मिल पाता है। सरकार द्वारा कृषि उपकरणों एवं खादों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता कम करने का सबसे अधिक प्रभाव भी इन छोटे कृषकों पर ही पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपनी जमीन बेचकर जो पूँजी उनके पास होती है वह किसी अन्य गैर-कृषि कार्य में लगाने लगते हैं। गाँव के पहले से ही संपन्न कृषक छोटे कृषकों की भूमि को खरीद कर और संपन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से गैर-कृषकीकरण की प्रक्रिया भी संपन्न कृषकों को ही लाभ पहुँचाने वाली है।

### वैश्वीकरण तथा उदारीकरण

वैश्वीकरण (Globalization) तथा उदारीकरण (Liberalization) की प्रक्रियाओं ने भी भारत में गैर-कृषकीकरण को प्रोत्साहन दिया है। इन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप छोटे कृषक बड़े कृषकों से पिछ़ जाते हैं और कृषि उनके लिए अनार्थिक सिध्द होने लगती है। भारत में कृषि सम्बंधी पूँजीवाद के उदय, हरित क्रान्ति तथा शिक्षा के विकास व विस्तार

के परिणामस्वरूप भारतीय कृषकों में गैर-कृषकीकरण की वृद्धि हुई है। आज अनेक आदिवासियों, जिन्होंने कृषि को अपनी आजीविका का साधन बना लिया है, ने भी अपनी मँगों को लेकर सरकार के विरुद्ध आवाज उठानी प्रारम्भ कर दी है। जब उनकी मँगों पूरी नहीं हो पाती तो ऐसे आदिवासी भी गैर-कृषि कार्यों को अपनाने लगते हैं।

भारत में गैर-कृषकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने का प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(1) हरित क्रान्ति—भारत में हुई हरित क्रान्ति के परिणामस्वरूप निश्चित रूप से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है परन्तु हरित क्रान्ति का लाभ गाँवों में बड़े भू-स्वामियों एवं कृषकों को ही हुआ है। छोटे कृषक एवं भूमिहीन मजदूरों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। हरित क्रान्ति ने गाँवों की आर्थिक विषमता को और भी अधिक गहरा कर दिया है। इससे भी कृषक के असंतोष में वृद्धि हुई है। इसलिए जिस प्रकार से विकासकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण समाज के निम्न वर्गों को नहीं मिल पाया है, ठीक इसी प्रकार हरित क्रान्ति भी इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने में असफल रही है। मैंहगाई में तीव्र वृद्धि से उनकी भौतिक दशाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे कृषकों में असंतोष की भावना विकसित होना स्वाभाविक ही है। यह असंतोष उन्हें कृषि कार्य को छोड़कर किसी गैर-कृषि कार्य को अपनाने के लिए विवश कर देता है।

(2) शोषणकारी कृषक समाज की संरचना—समकालीन भारत में गैर-कृषकीकरण के लिए शोषणकारी कृषक संरचना को भी उत्तरदायी माना जाता है। इस संरचना में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के दो विपरीत छोर पाए जाते हैं। इसके एक छोर पर तो भू-स्वामी एवं संपन्न कृषक हैं तो दूसरे छोर पर छोटे व सीमान्त कृषक एवं वेतनभोगी मजदूर। भू-स्वामी एवं संपन्न कृषक सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाकर अधिक अमीर होते जा रहे हैं, जबकि छोटे व सीमान्त कृषक एवं वेतनभोगी पहले से अधिक निर्धन होते जा रहे हैं। स्वतन्त्रता पश्चात् इस विश्वास में वृद्धि हुई है कि इन असमानताओं को यदि समाप्त नहीं तो कम किया जा सकता है, परन्तु संस्तरण के निम्न स्तरों के उत्थान के प्रत्येक प्रशासकीय प्रयास असफल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अनेक छोटे व सीमान्त कृषक कृषि कार्य को छोड़कर किसी गैर-कृषि व्यवसाय में लग जाते हैं।

(3) बेकारी तथा अर्द्ध-बेकारी— ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषकीकरण का एक अन्य कारण बेकारी एवं अर्द्ध-बेकारी है अर्थात् काम करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए काम का नहीं पाया जाना है। एक ओर बेरोजगारी तथा दूसरी ओर जनसंख्या विस्फोट एवं बढ़ती हुई मैंहगाई के कारण कृषि पर निर्भर लोगों की आर्थिक स्थिति में हास हुआ है। छोटे व सीमान्त कृषकों के लिए कृषि अनार्थिक हो जाती है। उनके सामने रोजगार का अन्य जो कोई विकल्प उपलब्ध होता है वे उसे अपना लेते हैं।

(4) वैश्वीकरण—एक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था से अन्तर्गत है। वैश्वीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसका मौलिक मन्त्रव्य यह है कि प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर उपलब्ध अवसर, संसाधन, ज्ञान और तकनीकी सुगम रूप से उपलब्ध होने चाहिए। इसमें एक अन्य आधारभूत मान्यता यह भी है कि विश्व स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं तक प्रत्येक ब की पहुँच तभी सम्भव है जबकि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पूँजी, तकनीकी, मानव, संसाधनों, कच्चे माल तथा निर्मित वस्तुओं का आवागमन निर्बाध रूप से हो। विकसित राष्ट्र में श्रमिकों की ऊँची परितोषिक दरों को देखते हुए राष्ट्रों के उद्यमी अपनी पूँजी को विकासशील राष्ट्र में लगाना चाहते हैं ताकि उन्हें अधिक लाभ हो सके। अगर विदेशी उद्यमी अपनी पूँजी लगाते हैं तो अनेक छोटे एवं सीमान्त कृषक कृषि व्यवसाय को छोड़कर इन उद्यमों में काम करना शुरू कर देते हैं।

(5) उदारीकरण—उदारीकरण का अभिप्राय अर्थव्यवस्था पर शासन के नियंत्रण में शनैः शनैः शिथिलीकरण और अन्ततः समाप्ति से है। उदारीकरण के समर्थक उत्पादन और वितरण पर भौतिक प्रतिबंधों (Physical controls), जैसे—उत्पादन की सीमा बाँधना (Cutting on production), लाइसेंस, कोटा और परमिट की समाप्ति पर बल देते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उदारीकरण, वैश्वीकरण का सहगामी है। जहाँ वैश्वीकरण का मुख्य क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और शेष विश्व के मध्य प्रतिबंधरहित संबंधों का विकास हैं, वहीं उदारीकरण का का मुख्य कार्य—क्षेत्र बाजार शक्तियों (मँग और पूर्ति) की अवाधि क्रियाशीलता को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख संचालक शक्ति बनाना है। उदारीकरण का लाभ भी पहले से ही संपन्न कृषकों को मिलता है। छोटे एवं सीमान्त कृषकों के पास न तो उत्पादन बढ़ाने हेतु पूँजी ही होती है और न ही वे बड़े एवं सम्पन्न कृषकों से बाजारी परिस्थितियों में प्रतियोगिता ही कर पाते हैं। ऐसे में वे किसी गैर-कृषि कार्य को करना हितकर मानते हैं। ऐसी परिस्थिति गैर-कृषकीकरण को प्रोत्साहन देती है।

## भारत में बेकारी के कारण

योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत की बेकारी के लिए इन कारणों का अनुमान किया था—

- (1) जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि,
- (2) ग्रामीण उद्योगों का नष्ट होना,
- (3) रोजगार का कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र में अनुपयुक्त विकास,
- (4) बैंटवारे के कारण शरणार्थियों की समस्या, तथा
- (5) कृषि में पुरानी विधियों का प्रयोग।

भारत में बेकारी के प्रमुख कारण निम्नांकित हैं—

**(1) जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि—भारतवर्ष में जन्म दर बहुत अधिक है।** यदि उत्पादन के साधनों, उद्योग—धन्धों में जनसंख्या में वृद्धि समान गति से हो, तब ऐसी दशा में बेकारी नहीं फैलती, परन्तु ऐसा नहीं होता। भारत में जनसंख्या की वृद्धि ही बेकारी का प्रमुख कारण है। हमारे देश की जनसंख्या 1921 में 25 करोड़ थी, 1931 में 28 करोड़, 1941 में 32 करोड़, 1951 में 36 करोड़, 1961 में 44 करोड़, 1971 में 55 करोड़, 1981 में 68 करोड़, तथा 1991 में 84.4 करोड़ थी। पिछले 10 वर्षों में 1981—91 में जनसंख्या में 23.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि देश की जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही, तो ऐसा अनुमान है कि 20वीं शताब्दी के अन्त तक देश की जनसंख्या 1 अरब से ऊपर हो जाएँगी। तब इससे बेकारी ही नहीं वरन् इससे अन्न, आवास तथा अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाएँगी।

**(2) कुटीर उद्योगों का नष्ट होना—वैज्ञानिक प्रगति के साथ—साथ देश में गरीबी और बेकारी बढ़ी है।** इसका प्रमुख कारण यह है कि सभी वस्तुएँ मशीनों द्वारा अच्छी और सस्ती (कम दामों पर) तैयार की जाने लगी हैं। लोग भी मशीनीकृत वस्तुओं को अधिक पसंद करने लगे हैं। अतः कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया है। पहले जो काम दस व्यक्ति करते थे, मशीनों के अविष्कार से एक व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए पर्याप्त होने लगा है। भारत में घरेलू उद्योग—धन्धों से ग्रामीण लोगों को बहुत आर्थिक सहायता मिलती थी परन्तु इनके हास के कारण बेकारी बढ़ी है। यह समस्या आज मुँह फाड़कर हमारे समक्ष उपस्थित है।

**(3) उद्योगों की संतोषजनक उन्नति न होना—भारत में उद्योग—धन्धों में काफी तीव्र गति से उन्नति हो रही है।** परन्तु, फिर भी, जनसंख्या की अपेक्षा उद्योग—धन्धों की उन्नति लगभग आधी ही है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि उद्योग—धन्धों की उन्नति सन्तुष्टि प्रदान करने वाली नहीं है। इसके असमान विकास के कारण आधी जनसंख्या बेकार हो जाती है।

**(4) पुरातन कृषि व्यवस्था—भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है।** ग्रामवासी जीवकोपार्जन के लिए कृषि पर आश्रित होते हैं। यद्यपि भारतवर्ष की जनसंख्या 1901 में 24 करोड़ से बढ़कर सन् 1991 में 84 करोड़ से अधिक हो गई, किन्तु उसी अनुपात में कृषि सम्बन्धी भूमि में वृद्धि नहीं हुई है। अतः हम देखते हैं कि भूमि आकार में तो सीमित है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या असीमित होती जा रही है। इस प्रकार से ग्रामों में बेकारी बढ़ रही है।

हमारे देश की कृषि भी मौसमी है। कृषक साल में तीन या चार माह तक बेकार रहते हैं। देश की अधिकतर कृषि वर्षा पर आधारित है, यदि वर्षा कम या अधिक हो जाती है, तो कृषक बेकार हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग—धन्धों, पशु—पालन आदि का भी अभाव है और कृषक लोग अपने अतिरिक्त समय का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार, कृषि से सम्बन्धित व्यक्ति बेकार रहते हैं।

**(5) दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली—शिक्षा की दोषपूर्ण प्रणाली के कारण हमारे देश में बहुत से शिक्षित व्यक्ति बेकार हैं।** आजकल केवल साहित्य से सम्बन्धित व किताबी शिक्षा ही जाती है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा पूरी करने के बाद व्यक्ति को विषय के संबंध में केवल सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र होता है। उन्हें किसी प्रकार के उद्योगों से सम्बन्धित शिक्षा नहीं दी जाती है। यही कारण है कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् भी बहुत ही साधारण उद्योगों व व्यवसायों से सम्बन्धित बातों से अनिभिज्ञ रहते हैं। इसी कारणवश उन्हें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं मिल पाता और यदि मिल भी जाता है, तो वह उस कार्य को सुचारू रूप से सम्भालने व कार्यान्वयित करने में असमर्थ होते हैं। साथ ही, शिक्षित व्यक्ति शारीरिक श्रम करने में भी लज्जा महसूस करते हैं। यही कारण है कि बहुत से व्यक्ति शिक्षित होकर भी बेकारी में

जीवन—यापन करते हैं। सरकारी नीति एवं त्रुटिपूर्ण अनुमानों के फलस्वरूप आज इंजीनियरों में भी बेकारी बढ़ती जा रही है। भारत में शिक्षित बेकारी केवल दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण ही नहीं हैं। यह अनेक अन्य कारणों से भी है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

**(i) तकनीकी शिक्षा अभाव**—आज अधिकतर शिक्षा ऐसी दी जाती है जो केवल सैद्धान्तिक ज्ञान तक ही सीमित है। इसका जीवन में अधिक लाभ नहीं है। बी. ए., एम. ए., करने के बाद लड़के को यह भी पता नहीं होता कि उसे अब क्या करना है। तकनीकी शिक्षा के पूर्ण अभाव के कारण वह अपना कोई छोटा—मोटा काम भी नहीं कर सकता।

**(ii) स्नातकों की भरमार**—भारतीय विश्वविद्यालय में स्नातकों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। नौकरी में इन सभी व्यक्तियों को नहीं लगाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि नौकरी की सम्भानाएँ इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं। इसलिए शिक्षित बेकारी प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है।

**(iii) शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता**—शिक्षा के समय शारीरिक विकास तथा श्रम की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके कारण शिक्षा के बाद भी लड़के शारीरिक श्रम के प्रति उदासीन रहते हैं। पढ़े—लिखे व्यक्ति न ही खेती करना चाहते हैं और न ही कोई अन्य कठिन परिश्रम। इससे भी बेकारी बढ़ती है।

**(6) श्रम शक्ति में धीमी गति से वृद्धि**—बेरोजगारी का एक कारण श्रम शक्ति का धीमी गति से विकास है। हमारे देश में जनसंख्या 2.43 प्रतिशत की दर से बढ़ती जा रही है, जबकि श्रम शक्ति में वृद्धि की दर 1.9 प्रतिशत है। इस धीमी गति के कारण भारतवर्ष में स्थिति प्रतिवर्ष बिगड़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रम शक्ति की वार्षिक वृद्धि का करीब 11 प्रतिशत संगठित क्षेत्र खपा लेता है। बाकी 89 प्रतिशत श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्र में लग जाती है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी की समस्या गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। वास्तव में, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी की समस्या अधिक उम्र एवं भयावह है। ग्रामीण बेकारी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—

- (1) देश में कृषि का वर्षा पर आधारित रहना,
- (2) देश में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन, बाल विवाह एवं अधिक सन्तान के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि,
- (3) कृषि के लिए धन के अपर्याप्त साधन,
- (4) निम्न जातियों का शोषण,
- (5) ग्रामों में शिक्षा का अभाव,
- (6) कुटीर उद्योग—धन्यों का अभाव,
- (7) कृषि में आधुनिकतम यन्त्रों का प्रयोग,
- (8) यातायात के साधनों का अभाव,
- (9) अज्ञानता, अनमिज्ञता एवं अन्धविश्वासों का प्रचलन, तथा
- (10) व्यवसायिक प्रशिक्षण का अभाव,

### बेकारी को दूर करने के उपाय

बेकारी भारत में आज एक अत्यधिक गम्भीर समस्या मानी जाती है। इसीलिए सरकार इसके निराकरण के लिए अनेक कदम उठा रही है। आज भारत में यदि सामाजिक विघटन के कारणों का विश्लेषण किया जाए, तो पता चलता है कि बढ़ती हुई बेकारी भी विघटन का एक प्रमुख कारण है। आये दिन बेकार व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। व्यक्तिगत विघटन ही नहीं वरन् विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता, समाज में बढ़ते हुए अपराध भी बेकारी के परिणाम कहे जा सकते हैं। यदि समाज को इन दुष्परिणामों से बचाना है तो समाज से बेकारी दूर करना अनिवार्य है। इस बढ़ती हुई समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है। यदि पिछले छह आम चुनावों (1977, 1980, 1984, 1989, 1991, तथा 1996) के सभी पार्टियों के घोषणा—पत्रों पर दृष्टि डाली जाए तो सभी दल समस्या के समाधान पर जोर देते रहे हैं। परन्तु अभी इस दिशा में आशातीत सफलता नहीं मिल पाई है। बेकारी को दूर करने के कुछ प्रमुख उपाय निम्नांकित हैं—

**(1) जनसंख्या पर नियंत्रण**—जनसंख्या पर नियंत्रण द्वारा बेकारी को कम किया जा सकता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है। इसी कारण यहाँ बेकारी और निर्धनता जैसी समस्याएँ पाई जाती हैं। अतः लोगों को जनसंख्या को सीमित करने की शिक्षा दी जानी चाहिए।

**(2) कृषि क्षेत्र में सुधार—** कृषि क्षेत्र में सुधार करके भी बेकारी को कम किया जा सकता है। सिंचाई साधनों में सुधार, कृषि के यन्त्रीकरण, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर, कृषकों को पर्याप्त सहायता व प्रशिक्षण देकर तथा कृषकों को सहायक उद्योग—धन्धों (जैसे मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि) में प्रोत्साहन देकर कृषि के क्षेत्र में बेकारी को कम किया जा सकता है।

**(3) नियोजित औद्योगीकरण—** औद्योगिक विकास को नियोजित कर तथा पिछड़े क्षेत्रों में कारखाने खोलकर बेकारी दूर की जा सकती है। ग्रामीण उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इससे ग्रामीणों को गाँवों में ही रोजगार प्राप्त हो सकेंगे। बेकार लोगों को बैंकों द्वारा रोजगार के लिए अधिक सुविधाएँ दी जानी चाहिए।

**(4) शिक्षा व्यवस्था में सुधार—** शिक्षा को व्यावसायिक बनाकर शिक्षित बेकारी को कम किया जा सकता है। शिक्षा पद्धति व्यावहारिक होनी चाहिए ताकि शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् विद्यार्थी अपना स्वतंत्र व्यवसाय करने योग्य बन सकें। बेकार शिक्षितों को लघु उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त सुविधाएँ दी जानी चाहिए।

**(5) रोजगार कार्यालयों को प्रभावकारी बनाकर—** नए रोजगार खोलकर तथा रोजगार कार्यालयों को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। छात्रों को इन्हीं कार्यालयों द्वारा रोजगार का ज्ञान दिया जाना चाहिए।

**(6) सामाजिक बुराईयों की समाप्ति—** रुद्धिवादी एवं देहेज प्रथा जैसी बुराईयों को दूर करके भी बेकारी को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। वास्तव में, भारतीय सामाजिक संरचना को उन सब दोषों से मुक्त किया जाना चाहिए जो निर्धनता व बेकारी को प्रोत्साहन देते हैं।

**(7) सरकारी योजनाओं को प्रभावकारी बनाकर—** सरकार ने बेकारी वनिधनता की रोकथाम के लिए जो योजनाएँ बनाई हैं उन्हें अधिक प्रभावकारी बनाए जाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनका लाभ उन्हीं लोगों को पहुँच सके जिनके लिए ये योजनाएँ बनाई जाती हैं।

**(8) रोजगार अवसरों में वृद्धि—** रोजगार अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए। कुटीर उद्योगों का विकास करके तथा पिछड़े क्षेत्रों में नवीन उद्योगों की स्थापना द्वारा ऐसा किया जा सकता है।

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त श्रमिकों को पर्याप्त वेतन का प्रबंध करके, विकलांगों के पुनर्वास की योजनाएँ बनाकर, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को प्रभावकारी बनाकर, उत्पादन में वृद्धि करके, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर, सामाजिक सेवाओं का विस्तार करके आदि विविध उपायों द्वारा भी बेकारी को कम किया जा सकता है।

### सरकार द्वारा बेकारी दूर करने के प्रयास

भारत में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार ने बेकारी दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस समस्या की ओर काफी ध्यान दिया गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयास इस प्रकार है—

**(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना** में बेकारी के प्रश्न पर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया। वस्तुतः उस समय देश के सामने और बहुत सी समस्याएँ थीं। किन्तु सन् 1953 के प्रारम्भ से ही यह समस्या अधिक स्पष्ट एवं गंभीर रूप से उभरने लगी। अतः योजना आयोग ने देश में रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए प्रथम योजना के आधार में वृद्धि की। इस हेतु 309 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय करने की व्यवस्था की गई। सन् 1956 के अन्त में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक 11 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया गया। प्रथम योजना काल में लगभग 54 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ, फिर भी इस योजना के अन्त में, भारत में बेकारों की संख्या का अनुमान 53 लाख लगाया गया, जिसमें ये 25 लाख नगरों में तथा 28 लाख ग्रामों में थे।

**(2)** दूसरी योजना के अन्तर्गत 80 लाख व्यक्तियों को गैर—सरकारी क्षेत्र में तथा 16 लाख को कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। किन्तु इस योजना काल में केवल 80 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाया जा सका। 65 लाख व्यक्तियों को गैर—कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार मिला। इस योजना के अन्त तक 53 लाख व्यक्तियों के बेरोजगार रहने का अनुमान था। पूर्ण बेकारों के अतिरिक्त अर्द्ध बेकारों की संख्या का अनुमान 1960—61 में 180 लाख था।

(3) तीसरी योजना के अन्तर्गत सन् 1961 की जनगणना के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि तीसरी योजना की अवधि में श्रमिक वर्ग में लगभग 170 लाख व्यक्तियों की वृद्धि होगी जिसमें एक-तिहाई वृद्धि शहरी क्षेत्रों में होगी। इसके विपरीत यह अनुमान था कि इस योजना अवधि में 140 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाया जाएगा। 35 लाख को कृषि क्षेत्र में तथा 105 लाख व्यक्तियों को गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार दिलाने की व्यवस्था की गई थी।

(4) चौथी योजना में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 230 लाख श्रमिक और बढ़ जाएँगे। केन्द्रीय सरकार ने 50 करोड़ रूपये की एक योजना प्रारम्भ की थी। यह योजना 337 जिलों में लागू की गई और प्रत्येक जिले में 1000 व्यक्तियों को रोजगार मिला।

(5) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देकर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नए लघु एवं कुटीर उद्योग खोलकर बेकारी दूर करने का प्रयास किया गया। शिक्षित बेकारों को भी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकारी कर्ज देकर प्रोत्साहन दिया गया।

(6) 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' को छठी योजना का समन्वित भाग बनाया गया। इस योजना के अन्त तक प्रत्येक विकास खण्ड में अनेक परियारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया। इसके साथ ही 'केश प्रोग्राम', अन्य व्यक्तियों को रोजगार दिलवाने तथा अनुसूचित जातियों व जनजातियों के उत्थान के लिए भी अनेक कदम उठाए गए।

(7) सातवीं योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर विशेष महत्व दिया गया तथा 2,487.47 करोड़ रूपये इस पर खर्च किए गए। इस योजना में विकास, आधुनिकीकरण, आत्मर्निभरता और सामाजिक न्याय के साथ-साथ खाद्यान्वयन उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने तथा निर्धनता रेखा से लोगों को ऊपर उठाने पर विशेष जोर दिया गया है।

(8) आठवीं योजना में पर्याप्त रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु किए जाने वाले कार्यक्रमों को भी प्रभावशाली बनाया गया।

इसके अतिरिक्त सरकार ने बेकारी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं—

(1) सन् 1975 से लागू 20 सूत्री कार्यक्रम में 1980, 1982 तथा 1984 में संसोधन करके इसे निर्धनता उन्मूलन तथा बेकारी-उन्मूलन के लिए अधिक प्रभावशाली बनाया है।

(2) सन् 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

(3) सन् 1983-84 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम किया गया। विकलांगों तथा शिक्षित बेकारों के लिए अनेक योजनाएँ बनाई गई।

(4) अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लोगों को आरक्षण सुविधाएँ देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए गए।

(5) सन् 1983 में स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई। काम के बदले अनाज देने की सयोजना भी बनाई गई।

(6) सातवीं तथा आठवीं योजनाओं में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की ओर विशेष ध्यान दिया गया। नवीं योजना में भी निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों के उत्थान हेतु अनेक उपाय किये जा रहे हैं।

इस, प्रकार सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं परन्तु सफलता अधिक नहीं मिली है। इस समस्या का हल केवल संगठित क्षेत्र की ओर ध्यान देने से नहीं हो सकता। अतः असंगठित क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए और कुछ ठोस उपाय (जैसे छोटे-छोटे फार्मों की संख्या में वृद्धि, छोटी जोतों को लाभकारी बनाने और ग्रामीण समाज में रोजगार के अवसर बढ़ाने) करने की आवश्यकता है।

## बेकारी के परिणाम

निर्धनता तथा बेकारी दोनों सापेक्षिक शब्द हैं। जहाँ निर्धनता होगी वहाँ बेकारी अवश्य ही पाई जाएगी। यदि देश में बेकारी अधिक है, तो निश्चित ही वह देश निर्धन भी होगा। इनके परिणामों का अनुमान लगाना एक कठिन कार्य है। मुख्य रूप से निर्धनता तथा बेकारी के निम्नलिखित सामाजिक परिणाम कहे जा सकते हैं—

**(1) सामाजिक विघटन—**सामाजिक विघटन के अनेक कारण हैं। सामाजिक समस्याओं को सामाजिक विघटन का मुख्य कारण बताया गया है। बेकारी समाज के अन्दर अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न कर देती हैं जो समाज की प्रगति में बाधक बन जाती हैं। निर्धनता के कारण समाज में बेकारी फैल जाती है। अतः बेकारी सामाजिक विघटन का एक बड़ा कारण है। इस सम्बन्ध में ऑगर्बन तथा निमकॉफ ने लिखा है कि बेकारी आधुनिक युग की अत्यधिक सामाजिक गम्भीर दशा है, यह सामाजिक विघटन की साथी है।

**(2) पारिवारिक विघटन—**बेकारी पारिवारिक विघटन का आर्थिक कारण कही जाती है। कहीं जाती है। बेकारी निर्धनता से जुड़ी हुई है। इनके कारण पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन मिलता है। इनसे पति—पत्नी व माता—पिता और बच्चों के सम्बन्ध प्रभावित होते हैं। अन्ततः व्यक्ति अपने को हर प्रकार से सामान्य रखने में विफल हो जाता है। सारा पारिवारिक वातावरण कलह एवं क्रोधपूर्ण बन जाता है। बच्चों की उचित देख—रेख एवं पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। बच्चों को उचित शिक्षा भी नहीं मिल पाती। व्यक्तिवाद की धारणा जाग्रत हो जाती है और इससे पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।

**(3) व्यक्तिगत विघटन—**बेकारी के कारण व्यक्ति में हीनता की भावना आ जाती है। धन के अभाव के कारण उसका सामाजिक स्तर नीचा हो जाता है। व्यक्ति का दृष्टिकोण निराशावादी हो जाता है। वह अपने को समाज समझ बैठता है। वह समाज की मान्यताओं एवं रीति—रिवाजों की परवाह नहीं करता। वह अकेला एवं असहाय सा महसूस करने लगता है। इस प्रकार, उसमें व्यक्तिवाद एवं अलगाव (Alienation) की धारणा जाग्रत हो जाती है। सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विघटन के परिणाम इस प्रकार हैं—

**(i) आत्महत्या—**सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत विघटन के कारण व्यक्ति जीवन से निराश हो जाता है। वह कई बार तो आत्महत्या तक कर लेता है;

**(ii) मद्यपान को बढ़ावा—**व्यक्तिगत विघटन का दूसरा रूप मद्यपान है। जब समाज में बेकारी तथा निर्धनता अधिक बढ़ती है तो फलस्वरूप सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत विघटन उत्पन्न हो जाता है। विघटित व्यक्ति निराशा को दूर करने के लिए शराब पीने लगता है; तथा

**(iii) वेश्यवृत्ति—**जैनगरा तथा गनेकर ने आर्थिक (यदोंकि बेकारी तथा निर्धनता आर्थिक दशा के पहलू हैं) दशा को वेश्यावृत्ति का कारण बताते हुए लिखा है कि वेश्याओं की कुछ संख्या इस दूषित व्यवहार को इस कारण अपनाती हैं कि वह निर्धन एवं बेकार होती हैं। मद्रास विजिलेन्स ऐसोसियेशन के अनुसार, “वेश्यावृत्ति का व्यवसाय अधिकांश रूप से जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है।” लॉडरस ने भूख को वेश्यावृत्ति का आधार माना है।

**(4) अपराध—**बेकारी अपराध को बढ़ावा देती है। बेकारी के कारण व्यक्ति अपनी तथा अपने परिवार की इच्छाओं को वैज्ञानिक रूप से पूरा करने में विफल हो जाता है। वह अवैधानिक ढंगों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। वह अपने बच्चों की भी उचित प्रकार से देखरेख नहीं कर पाता। व्यक्ति का व्यक्तिगत विघटन होने लगता है। इस कारण भी उसको वैधानिकता तथा अवैधानिकता का ज्ञान नहीं रह पाता और वह अपराधी बन बैठता है।

**(5) बाल अपराध—**बेकारी बाल अपराध को भी बढ़ावा देती है। बेकारी के कारण बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थोड़ी आयु में ही उन्हें छोटी—छोटी नौकरियों पर भेज दिया जाता है। बच्चे गन्दी आदतों के शिकार बन बैठते हैं। आर्थिक हीनता के कारण माता—पिता बच्चों की उचित ढंग से देख—रेख नहीं कर

पाते। बच्चा जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति घर में नहीं कर पाता तो अवैधानिक रूप से उनकी पूर्ति करना चाहता है और बाल अपराधी बन बैठता है। निर्धनता तथा बेकारी के कारण लोगों को गन्दी बस्तियों में रहना पड़ता है। वहाँ के बुरे वातावरण के कारण बच्चा बाल अपराधी बन बैठता है।

**(6)आर्थिक दुष्परिणाम—** बेकारी व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करती वरन् सम्पूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करती है। इसे राष्ट्रीय बरबादी की सूचक माना गया है। बेकारी के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय गिर जाती है। इससे औद्योगिक अशान्ति, शोषण, अपराध, चोरी, डकैती तथा गरीबी भी बढ़ जाती है।

**(7)राजनीतिक दुष्परिणाम—** बेकारी का राजनीतिक परिणाम भी बड़ा भयंकर होता है। अधिक बेकारी बढ़ने पर समाज में अशान्ति मच जाती है। सरकार के स्थायित्व को खतरा बना रहता है। बेकारी राज्य के राजनीतिक ताने बाने को तोड़ देती है। आज जो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता दिखाई देती है, वह भी बेकारी की ही देन है। अधिकांश छात्र यह सोचते हैं कि पढ़ने के बाद उन्हें कौन-सी नौकरी मिलनी है।

उपर्युक्त विवेचन से बेकारी की समस्या की गम्भीरता का पता चलता है। इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में तीव्रता लाने की आवश्यकता हैं तथा विभिन्न उपायों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता हैं। इस सर्वद्वय में रमेश लक्ष्मण का कथन उचित ही है कि, "सब कहने और करने के उपरान्त भी बेकारी की समस्या को हल करने की सरकार की नैतिक व राजनीतिक जिम्मेदारी है। इस मौर्चे पर सरकार की असफलता देश को लम्बाई व चौड़ाई से चीरती हुई व्यापक अशांति की ओर ले जा सकती है।"

### ग्रामीण भारत में गैर-कृषकीकरण की समस्या

भारतीय कृषकों ने अपने लम्बे इतिहास में अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। मध्यकाल में एक समय ऐसा भी था जब अनेक युध्द और खून-खराबा हो रहा था। परन्तु इन परिस्थितियों ने भारतीय कृषकों को अधिक प्रभावित नहीं किया। सामान्तवादी शासन में कृषकों को भूमि से बेदखल करने के बहुत कम उदाहरण उपलब्ध हैं। ए. आर. देसाई के अनुसार आज शान्तिप्रिय एवं चुप रहने वाले भारतीय कृषक आन्दोलित कृषकों के रूप में उठ खड़े हुए हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कृषकों, काश्तकारों, पट्टेदारी पर खेती करने वालों और भूमिहीन वेतनभोगी श्रमिकों के जीवन में अनेक संरचनाएँ पाई जाती हैं। उनके अस्तित्व की दशाएँ शोचनीय हैं और वे जीवन की साधारण सुख-सुविधाओं से अधिकांशतः वंचित हैं। ऐसी स्थिति में उनमें असंतोष पाया जाना स्वाभाविक ही है। बहुत से छोटे कृषक अपनी निम्न आर्थिक स्थिति के कारण अपनी भूमि बेच देते हैं तथा कृषि कार्य करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कृषि कार्य उनकी आजीविका चलाने में अधिक उपयोगी नहीं रहा है। सरकार की नीतियाँ ऐसे छोटे किसानों को सहायता देने के बजाय पहले से संपन्न भू-स्वामियों को ही लाभ पहुँचाती हैं। किसानों द्वारा कृषि व्यवसाय को छोड़कर किसी गैर-कृषि व्यवसाय को अपनाने की प्रक्रिया को ही गैर-कृषकीकरण कहा जाता है। यह शब्द भी मार्क्सवादी विद्वानों द्वारा प्रयोग किया गया है।

दरिद्रीकरण की तरह गैर-कृषकीकरण भी ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं, हरित क्रान्ति, भूमि सुधारों आदि का नकारात्मक परिणाम माना जाता है। ग्रामीण विकास हेतु चलाए गए इन कार्यक्रमों का लाभ पहले से सम्पन्न भू-स्वामियों एवं कृषकों को ही मिल पा रहा है। ग्रामीण समाज के निम्नतम वर्ग, छोटे किसान एवं वेतनभोगी कृषि श्रमिक, जिन्हें आर्थिक सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है, वे ग्रामीण समाज के विकास के इन सभी कार्यक्रमों के लाभों से पूरी तरह से वंचित ही हैं। नवीन प्रौद्योगिक एवं उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसका लाभ भी प्रमुखतः बड़े कृषकों या भू-स्वामियों को ही हुआ है। इसका एक अन्य परिणाम यह हो रहा है कि ग्रामीण समाज में अधिकाधिक सीमान्त और छोटे कृषक भूमिहीन श्रमिकों के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं, जबकि भूमिहीन कृषक दरिद्र बनते जा रहे हैं। कृषकों का कृषि व्यवसाय को छोड़कर किसी गैर-कृषि व्यवसाय को अपना लेने की प्रक्रिया को ही गैर-कृषकीकरण कहा जाता है। एक प्रकार से यह व्यवसाय को बदलने की एक प्रक्रिया है जिसमें कृषक कृषि व्यवसाय को छोड़कर कोई गैर-कृषि व्यवसाय, जैसे वेतनभोगी श्रमिक, किसी निजी फर्म या सरकारी दफ्तर में नौकर अथवा दुकानदार बन जाते हैं। व्यवसाय परिवर्तन की यह स्थिति तभी विकसित होती है जब कृषक को इस बात का

अहसास हो जाता है कि कृषि व्यवसाय उसकी आजीविका हेतु पर्याप्त नहीं है तथा सरकारी नीतियों का लाभ भी उसे नहीं मिल पा रहा है। गैर-कृषकीकरण के परिणामस्वरूप भारत में कृषि श्रमिकों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि होती जा रही है परन्तु उनकी आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो पा रहा है। जहाँ 1921 ई. में कृषि श्रमिकों की संख्या 2.10 करोड़ थी वहीं 1981 ई. में यह संख्या बढ़कर 5.5 करोड़ हो गई। वर्तमान में यह संख्या 8 करोड़ से अधिक ही है। यदि बटाइदारी में खेती करने वालों और उन लोगों को इसमें सम्मिलित कर लिया जाए जिनके पास भूमि के अनार्थिक प्रकार के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, तो कृषि श्रमिकों का प्रतिशत काफी बढ़ जाएगा।

#### सन्दर्भ—सूची –

1. E.Raab and G.J. Selznick, Major Social Problem, p.3,
2. Arnoid W.green, sociology: an analysis of life in modern society, p. 246,
3. Paul b. Horton and Gerald R. Leslie, the sociology and social problems, p.4.

## वैश्वीकरण का ग्रामीण कृषि पर आर्थिक प्रभाव

कृष्ण कुमार कोल, शोधार्थी वाणिज्य रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय

अर्थव्यवस्था समाज की एक प्रमुख उपव्यवस्था है। यह अन्य उपव्यवस्थाओं; जैसे राजनीतिक उपव्यवस्था, धार्मिक उपव्यवस्था, शैक्षणिक उपव्यवस्था, नातेदारी उपव्यवस्था इत्यादि से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। सभी उपव्यवस्थाएँ समग्र रूप में किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती हैं। अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध मुख्य रूप से आर्थिक संस्थाओं से है। आर्थिक संस्थाएँ एवं आर्थिक पद्धतियों का प्रत्येक समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है। किंगस्टे डेविस के अनुसार, 'समाज चाहे सभ्य हो या असभ्य, सीमित वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करने वाले आधरभूत विचारों, आदर्श नियमों तथा पदों को ही आर्थिक संस्था की संज्ञा दी जाएगी।'<sup>1</sup> इसी प्रकार, जोन्स ने लिखा है कि, "आर्थिक संस्थाएँ विभिन्न प्रविधियों, विचारों तथा प्रथाओं की उस समग्रता को कहते हैं जो जीवन की अवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए भौतिक पर्यावरण के अधिकतम उपयोग से सम्बन्धित है।"<sup>2</sup> इन्हीं संस्थाओं की व्यवस्था अर्थात् आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकसित संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था या आर्थिक पद्धति कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने तो आर्थिक पद्धति को समाज की नींव बताया है जिस पर समाज की अन्य उप-व्यवस्थाएँ (जैसे धर्म, दर्शन, कानून, नैतिकता एवं राज-व्यवस्था आदि) टिकी हैं।

प्रत्येक देश की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है। पिछले कुछ दशकों में सभी देशों का प्रयास रहा है कि पूरे विश्व को ही 'एक अर्थव्यवस्था' एवं 'एक विश्व' का रूप दिया जाए। विभिन्न देशों द्वारा वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रियाएँ इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रारम्भ की गई हैं। ये दोनों जुड़वाँ प्रक्रियाएँ मानी जाती हैं तथा इन प्रक्रियाओं का प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था पर दूरगमी प्रभाव पड़ता है।

### वैश्वीकरण का अर्थ

एक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण (जिसे 'भूमण्डलीकरण' या 'विश्वव्यापीकरण' भी कहा जाता है) को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था से अन्तर्गत्वन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार व वित्तीय समझौते से भिन्न यह वह प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के द्वारा विश्व स्तर पर उपलब्ध आर्थिक अवसरों से लाभान्वित होने का विचार अन्तर्निहित है। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विचार इसलिए एक सीमित अवधारणा है क्योंकि इसके अन्तर्गत दो या दो से अधिक राष्ट्र किसी निश्चित अवधि या उद्देश्य के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। वैश्वीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसका मौलिक मन्त्रव्य यह है कि प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर उपलब्ध अवसर, संसाधन, ज्ञान और तकनीकी सुगम रूप से उपलब्ध होने चाहिए। इसमें एक अन्य आधारभूत मान्यता यह भी है कि विश्व स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं तक प्रत्येक राष्ट्र की पहुँच तभी सम्भव है जबकि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पूँजी, तकनीकी, मानव संसाधनों, कच्चे माल तथा निर्मित वस्तुओं का आवागमन निर्बाध रूप से हो। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विश्व स्तर पर बाजार शक्तियों की क्रियाशीलता में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। इस विचारधारा के समर्थक यह स्वीकार करते हैं कि वैश्वीकरण विकसित तथा विकासशील दोनों देशों के हित में है। विकसित राष्ट्रों में श्रमिकों की ऊँची पारितोषिक दरों को देखते हुए इन राष्ट्रों के उद्यमी अपनी पूँजी को विकासशील राष्ट्र में लगाना चाहते हैं ताकि उन्हें अधिक लाभ हो सके। विकासशील राष्ट्र पूँजी की कमी और तकनीकी पिछड़ेपन को अपने विकास में प्रमुख बाधक मानते हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा विकसित राष्ट्रों में उपलब्ध पूँजी और तकनीकी का प्रभाव सुगमता से इन राष्ट्रों की ओर हो सकता है। साथ ही विकसित राष्ट्रों में बाजार संतृप्ति(Saturation) अवस्था में है तथा विकासशील राष्ट्रों के निरन्तर व्यापक होते बाजारों के मध्यम से वे इस समस्या का समाधान सम्भव मानते हैं।

विश्व स्तर पर प्रायः यह देखने में आया है कि संरक्षणवाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक प्रतिस्पर्धाओं को राजनीतिक व सैनिक तनावों और युद्धों में बदल देता है। इसीलिए द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व समुदाय ने इस स्थिति से बचने के लिए 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष', 'विश्व बैंक' तथा 'प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता' जैसी संस्थाएँ सृजित की हैं जिनका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र प्रतियोगी वातावरण तैयार करना है। इन संस्थाओं

ने पूँजी, तकनीकी व वस्तुओं के स्वतन्त्र प्रवाह के लिए जितने भी उपाय किए उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण 15 अप्रैल, 1994 ई. को मोरक्को के मराकश नगर में गैट के आठवें राउण्ड पर हुई सन्धि है जिसके द्वारा 'विश्व व्यापार संगठन' की स्थापना की गई है।

### वैश्वीकरण में अन्तर्निहित तत्त्व

वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्त्व निहित हैं—

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सरकार का हस्तक्षेप अवांछनीय है। दोनों बाजारों में सरकारों का प्रत्यक्ष उत्पाद, वितरण में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अनुदानों और करों के द्वारा उद्यमों और उद्योगों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में संरक्षित करना अदक्षता को बढ़ावा देता है अन्ततः उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है।
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की विनिमय दरें, बाजार द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही पूँजी आधिकय-क्षेत्रों से अल्पता-क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होगी।
- (3) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सीमा शुल्क, कोटा व अन्य प्रतिबंधों के द्वारा अदक्षता को प्रोत्साहन मिलता है। अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण में इन बाधक तत्त्वों को शनैः शनैः समाप्त किया जाना चाहिए।
- (4) विश्व स्तर पर बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के लिए समान कानून होने चाहिए। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों में हुए तकनीकी ज्ञान के संवर्द्धन को समान महत्व व संरक्षण देना चाहिए।
- (5) विश्व स्तर पर पूँजी आवागमन निर्बाध होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के नागरिकों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश करने व अर्जित लाभ को ले जाने की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए।
- (6) विश्व स्तर पर तकनीकी के निर्बाध आवागमन की भाँति मानव संसाधनों का भी आवागमन स्वतंत्र होना चाहिए।

यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विकासशील राष्ट्र हिचकिचाते हुए सम्मिलित हुए हैं। उनका विचार है कि पूर्णतया स्वतंत्र बाजार—आधरित विश्व अर्थव्यवस्था में वे अपने तकनीकी पिछड़ेपन, मानवीय संसाधनों के निम्न स्तर व पूँजी की कमी के कारण यथोचित रूप से समायोजित नहीं हो पा रहे हैं। उनका यह विचार है कि वस्तुओं, पूँजी तथा तकनीकी के विनिमय को निर्बाधित करने में विकसित देश अत्यधिक सक्रियता दिखाते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में उनका वर्चस्व है। आवृज्जन कानूनों को अत्यधिक कठोर बनाकर विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों की श्रमशक्ति को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहते। इसके अतिरिक्त बाल श्रमिक, पर्यावरण संरक्षण आदि मुद्दों को विश्व स्तर से सम्बद्ध करने के विकसित राष्ट्रों के प्रयास भी विकासशील राष्ट्रों के व्यापार को हतोत्साहित करने के उपाय हैं। विकासशील राष्ट्रों को यह आशंका है कि विकसित राष्ट्र पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश कर तथा निरन्तर विस्तृत होते जा रहे बाजारों का उपभोग कर भारी मात्रा में लाभ अर्जित करते हैं। वे इस लाभ को विकासशील राष्ट्रों में निवेश नहीं करते बल्कि अपने देशों में ले जाते हैं। यह स्थिति एक प्रकार से औपनिवेशिक विदोहन की भाँति ही है। इसी प्रकार विकसित राष्ट्रों की बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय व्यापारिक कम्पनियाँ विकासशील राष्ट्रों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने को तत्पर रहती हैं परन्तु इन राष्ट्रों की चिरकालिक बेरोजगारी की समस्या व तकनीकी पिछड़ेपन का कोई उपचार प्रस्तुत नहीं करती। अनेक विद्वान् यह भी मानते हैं कि पश्चिमी जीवन शैली का अन्धानुकरण वैश्वीकरण का ही एक परिणम है जोकि विकासशील राष्ट्रों में विकास त्वयों की प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है।

### उदारीकरण का अर्थ

उदारीकरण का अभिप्राय अर्थव्यवस्था पर शासन के नियंत्रण में शनैः शनैः शिथिलीकरण और अन्ततः समाप्ति से है। दूसरे शब्दों में, उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था के कार्यकरण में बाजार की भूमिका की पुनःस्थापना और सरकार के हस्तक्षेप का निषेध है। इस अवधारणा की मौलिक मान्यता यह है कि बाजार के कार्यकरण में सरकार का हस्तक्षेप दो प्रकार की

विकृतियाँ उत्पन्न करता है –प्रथम, प्रतियोगिता को कुणित करके दक्षता के विकास को बाधित करता है एवं परिणामस्वरूप लागतों में कमी नहीं आने देता, जिससे अर्थव्यवस्था की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता की क्षमता भी घटती है; और द्वितीय, सरकारी नियंत्रणों के कारण संसाधनों का भी अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पाता अर्थात् जनता की आवश्यकताओं (मात्रा और गुणात्मकता) के अनुरूप उत्पादन की मात्रा से अधिक शासकीय नियंत्रणों के कारण गुणवत्ता में जन रुचि की अवेहनना होती है। यह स्थिति कारखनों में लगे निवेश (मशीनों और श्रमिकों) के अल्प प्रयोग में प्रकट होती है अर्थात् कारखने अपनी क्षमता से कम उत्पादन करते हैं।

उदारीकरण के समर्थक उर्पयुक्त दोनों आधारों पर उत्पादन और वितरण पर भौतिक प्रतिबंधों; जैसे—उत्पादन की सीमा बाँधना, लाइसेंस, कोटा और परमिट की समाप्ति पर बल देते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उदारीकरण, वैश्वीकरण का सहगामी है। जहाँ वैश्वीकरण का मुख्य क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और शेष विश्व के मध्य प्रतिबंधरहित संबंधों का विकास हैं, वर्ही उदारीकरण का मुख्य कार्य—क्षेत्र बाजार शक्तियों (मांग और पूर्ति) की अबाध क्रियाशीलता को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख संचालक शक्ति बनाना है।

भारत में उदारीकरण का विचार, 1991 ई. में, प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव तथा वित्तमंत्री श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पुरजोर रूप से क्रियान्वित किया जाने लगा। यद्यपि अस्सी के दशक में ही उद्योगों की लाइसेंस प्रणाली के सरलीकरण और 'एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार कानून' में शिथिलता को इसका पूर्वगामी माना जा सकता है। उदारीकरण के सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि यह प्रक्रिया परिचम में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गेट थेचर के द्वारा पोषित एवं समर्थित थी। इन देशों में उदारीकरण मुख्य रूप से सरकार के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को दी जाने वाली सहायता; जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा व बेरोजगारी भत्ता आदि पर पुनर्विचार से प्रारम्भ हुआ। अतः उदारीकरण का एक पहलू अनुदानों में भी कमी करना और अन्ततः उनका उन्मूलन करना है।

### **भारत में उदारीकरण के प्रमुख पहलू**

भारत में उदारीकरण के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं—

- (1) सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की सर्वोच्च और निर्णायक स्थिति से हटा कर उसे कुछ सामरिक महत्व के उद्योगों तक सीमित रखना। इस नीति को 1991 ई. से प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार मात्र रक्षा उत्पादन, रेलवे, परमाणु ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित खनिजों तक ही सीमित रह गया है।
- (2) उद्योगों की लाइसेंस प्रणाली मात्र पाँच उद्योगों तक सीमित रह गई है—सिंगार तथा तम्बाकू उत्पादन, ऐल्कोहलिक पेय, औद्योगिक विस्फोटक सामग्री, घातक रसायन तथा जानवरों की चर्बी, तेल आदि। उल्लेखनीय है कि ये समस्त उद्योग पर्यावरण सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित हैं।
- (3) सरकार तेजी से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश कर रही है। इस प्रक्रिया का अभिप्राय—मात्र यह है कि अब उदारीकरण के दौर में उद्योगों की स्थापना अपेक्षाकृत सरल है।

उदारीकरण की प्रक्रिया मात्र उद्योगों तक सीमित नहीं है बल्कि इसके अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों की कार्य प्रणाली में सरकारी प्रतिबंधों को शिथिल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए—बैंकों को नगरीय क्षेत्रों में अपनी शाखाएँ बन्द करने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार, बैंक अपनी व्याज दरें निर्धारित करने को स्वतंत्र हैं। वित्तीय संस्थानों के उदारीकरण में बहुत बड़ा कदम बीमा क्षेत्र में निजी उद्यमियों की अनुमान्यता है।

उदारीकरण तथा वैश्वीकरण, जिसे समग्र रूप से ढाँचागत समायोजन(Structural adjustment) या आर्थिक सुधार भी कहा है, की प्रक्रिया मात्र उद्योगों तथा वित्त तक ही सीमित नहीं है। इस प्रक्रिया में सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पुनर्विचार व पुनर्गठन भी सम्मिलित है। 'प्रयोक्ता को दाम चुकाना चाहिए' (The user must pay) उदारीकरण का मूल मन्त्र है, अतः इस दृष्टि से सामाजिक-सेवाओं व सुविधाओं की सार्वजनिक या राजकीय संस्थानों द्वारा उपलब्धता नीति पर गम्भीर विचार— विमर्श जारी है।

उदारीकरण के वर्तमान दौर में, जिन्हें दूसरी पीढ़ी के सुधार भी कहा जाता है, श्रम कानूनों के संसोधन पर विचार किया जा रहा है। श्रम कानूनों में प्रमुख लक्ष्य श्रमिकों की निकास नीति(Exit policy) तय करने का है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि उदारीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, जो यद्यपि मूल रूप में आर्थिक संरचना के समायोजन से सम्बन्धित है परन्तु उसके आयाम गम्भीर रूप से सामाजिक-राजनीतिक हैं। खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुरक्षा आदि ऐसे प्रश्न हैं, जिनके आयाम नितांत आर्थिक न होकर गम्भीर रूप से सामाजिक हैं।

ऐसा माना जाता है कि अर्थव्यवस्था जितनी अधिक उदारीकृत होगी, उतना ही देश का आर्थिक विकास होगा। अमेरिका तथा पश्चिमी समाजों में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था के कारण अत्यधिक विकास हुआ है। इसके विपरीत लक्षणों वाली अर्थव्यवस्था, जिसे नियत्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, चीन को छोड़कर अन्य साम्यवादी राष्ट्रों में सफल नहीं हो पाई है।

### **भारत में उदारीकरण तथा वैश्वीकरण**

स्वतन्त्रता-प्राप्ति कि पश्चात् देश में बनने वाली वस्तुओं को प्रोत्साहन देने हेतु विदेशी निवेशकों पर भारत में उद्योग खोलने अथवा भारतीय उद्योगों में पूँजी लगाने पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हुए थे। इस नीति के परिणामस्वरूप देश का आर्थिक विकास आशानुकूल नहीं हो पा रहा था।

अर्थव्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जुलाई 1991 ई. में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए—

(1) विदेशी निवेशक भारत में पूँजी—निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार नई आर्थिक नीति के अनुसार विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वारा खोल दिए गए हैं।

(2) रक्षा, समाज और पर्यावरण सम्बन्धी महत्त्व के 18 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिए गए हैं।

(3) सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटकर 8 कर दी गई है, जो उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए वे इस प्रकार हैं—

(i) अस्त्र-शस्त्र तथा सुरक्षा का अन्य सामान,

(ii) परमाणु ऊर्जा,

(iii) कोयला व लिंगनाइट,

(iv) खनिज तेल,

(v) लोहा, मैग्नीज, क्रोम, जिप्सम, सल्फर, सोना व हीरों का खनन,

(vi) ताँबा, जस्ता, टिन, मॉलिब्डेनम तथा बुलफ्रैम का खनन,

(vii) परमाणु ऊर्जा, तथा

(viii) रेल परिवहन।

- (4) चुनिन्दा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी सम्पत्ति के अपनियोजन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है।
- (5) उन्नत प्रौद्योगिकी वाले तथा उच्च प्राथमिकता के उद्योगों, निर्यात में लगी व्यापारिक कम्पनियों और होटल तथा पर्यटन से जुड़े उद्योगों में 51% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
- (6) अनिवासी भारतीयों और विदेशी कार्पोरिट निकायों को पूँजी और आय के प्रत्यावर्तन की छूट सहित 100% तक विदेशी पूँजी निवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
- (7) अगस्त 1991 ई. और अक्टूबर 1992 ई. के बीच विदेशी सहयोग के 1,242 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिनमें 36.70 अरब रुपये का विदेशी निवेश समिलित है। 80% से अधिक की स्वीकृति प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए दी गई।
- (8) अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में पूँजी निवेश प्रोत्साहन देने हेतु प्रभावी कदम उठाए गए।
- (9) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए अनेक प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
- (10) उद्यमियों की सहायता हेतु सभी राज्यों की राजधानियों से जुड़े 'कम्प्यूटराइज्ड फैसिलिटेशन सेल' स्थापित किए गए।
- (11) औद्योगिक पुर्नगठन से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु 'राष्ट्रीय नवीकरण कोष' की स्थापना की गई।
- (12) 'राष्ट्रीय चर्म विकास कार्यक्रम' प्रारम्भ किए गए ताकि चमड़े के उत्पादन को बढ़ाया जा सके, विपन्न प्रक्रिया को सुधारा जा सके तथा अनुसंधान पर विकास की क्षमता सुदृढ़ की सके।
- (13) देश-विदेश में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के बारे में सूचना एकत्र करने, उसका विश्लेषण करने, उसे स्टोर करने और उसका प्रचार-प्रसार करने हेतु एक 'औद्योगिक प्रौद्योगिकी डाटा बैंक' की स्थापना की गई।
- (14) बुनियादी सुविधा जुटाने हेतु 'विकास केन्द्र योजना' पर कार्य प्रारम्भ किया गया।

### भारत में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के परिणाम

पिछले एक दशक से भारत में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने भारतीयों अर्थव्यवस्था तथा भारतीय समाज पर दूरगमी प्रभाव डाले हैं। वैसे तो पिछले पचास वर्षों में हुए आर्थिक विकास ने भारतीय समाज की सामाजिक-आर्थिक उपव्यवस्थाओं को पर्याप्त प्रभावित किया है तथापि उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के पिछले कुछ वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि दर को अधिक प्रोत्साहन मिला है। इन प्रक्रियाओं के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं—

- (1) भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। यह दुगुनी से भी अधिक हो गई है। 1950–51 ई. में प्रति व्यक्ति आय 1,121 रुपये थी जो 1990–91 ई. में बढ़कर 2,222 रुपये हो गई है तथा 1996–97 ई. में यह 2,761 रुपये थी अर्थात् उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के केवल छह वर्षों में ही इसमें 24.2% की वृद्धि हुई जो औसतन 3.7% प्रतिवर्ष बैठती है। अगर यही वृद्धि दर कायम रखी गई तो आगामी पन्द्रह वर्षों में यह दुगुनी हो जाएगी।
- (2) खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। 1950–51 ई. में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 508 लाख टन था जो 1990–91 ई. में बढ़कर 1,764 लाख टन हो गया और 1996–97 ई. में यह 1,993 लाख टन हो गया। इस प्रकार खाद्यान्नों के उत्पादन में देश आत्मर्निभर हो गया है।
- (3) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत में खाद्य—तेलों, सब्जियों, दूध, अण्डों, कपड़ों, आदि वस्तुओं का उपभोग बढ़ गया है। जीवन की अन्य सुविधाओं में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। दैनिक जीवन की अनेक वस्तुएँ अब सरलता से उपलब्ध हैं तथा जनता उनका उपभोग भी बड़ी मात्रा में कर रही है।

(4) भारत उपभोग वस्तुओं के क्षेत्र में भी लगभग आत्मर्निभर हो गया है। सभी उपभोग की वस्तुएँ भारत में ही निर्मित होने लगी हैं। यद्यपि समाज के सभी वर्गों में वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि एक समान नहीं है तथापि यह एक सत्य है कि साधारण व्यक्तियों द्वारा अनिवार्य वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि हुई है। सुविधाओं और विलासितापूर्ण वस्तुओं के स्तर में तीव्रता से वृद्धि हुई है और उनके अधिक उपयोग के फलस्वरूप गरीब तथा अन्य वर्गों के बीच अन्तराल बढ़ गया है।

(5) देश में बिजली के उपभोग में वृद्धि हुई है। 1995–96 ई० में घरों केवल 2.4 किलोवाट बिजली का औसत उपभोग किया जाता था। 1980–81 ई० में यह बढ़कर 57.1 किलोवाट हो गया है। यह एक सराहनीय उपलब्धि है। बिजली के उपभोग में वृद्धि हमारी प्रगति का सूचक है। इसके उपभोग—ढाँचे का भूमि के पक्ष में परिवर्तन, देश के समग्र कल्याण की दृष्टि से सराहनीय कदम माना जाता है।

(6) सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सूचकांकों की दिशा में अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इनमें से प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं—

(i) देश में जन्म पर प्रत्याशित आयु में वृद्धि हुई है। 1950–51 ई० में यह केवल 32.1 वर्ष थी, जबकि 1992–93 ई० में यह बढ़कर 60.4 वर्ष हो गई है।

(ii) मृत्यु दर में भारी कमी आई है। 1950–51 ई० में यह केवल 27.4 प्रति हजार व्यक्ति थी, जबकि 1995–96 ई० में यह घटकर केवल 8.9 प्रति हजार रह गई है।

(iii) देश में साक्षात्ता का स्तर उन्नत हुआ है। 1950–51 ई० में यह केवल 18.3% व्यक्ति साक्षर थे, जबकि 1990–91 ई० में साक्षात्ता की दर 52.2% हो गई।

(iv) देश में शिक्षा सुविधाओं में 8 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। यह वृद्धि छात्रों की संख्या, स्कूलों एवं कॉलेजों की संख्या सभी में स्पष्टतया देखी जा सकती है।

(v) स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी विस्तार हुआ है। अस्पतालों, डिस्पेन्सरियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों की संख्या में यथेष्ट वृद्धि हुई है। मेडिकल कॉलेजों की भी संख्या बढ़ी है।

उपर्युक्त उपलब्धियों के बावजूद उदारीकरण एवं वैश्वीकरण; भारत में पाई जाने वाली सभी समस्याओं के समाधान के लिए संजीवनी बूटी सावित नहीं हुए हैं। इन प्रक्रियाओं को प्रारम्भ हुए एक दशक समाप्त होने को है परन्तु अनेक समस्याएँ यथावत् बनी हुई हैं। उदाहरणार्थ— आर्थिक प्रगति के बावजूद गरीबी की समस्या यथावत् बनी हुई है। 1993–94 ई० में 36% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रही थी तथा आज भी देश की एक—तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे हैं। चिकित्सा सुविधाओं में तो वृद्धि हुई है तथा कुछ संक्रामक रोगों (जैसे—चेचक, तपेदिक, मलेरिया, कोढ़ आदि) पर नियंत्रण पा लिया गया है, परन्तु अनेक गैर—संक्रामक एवं एड्स जैसी नई संक्रामक बीमारियों में बहुत वृद्धि हो गई। स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारी सुविधाओं का लाभ केवल 30% जनसंख्या ही उठा पा रही है। यह सही है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है परन्तु सभी वस्तुओं की कीमतों में हो रही वृद्धि के सामने यह उपलब्धि भी कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही है।

विकास प्रक्रियाओं का एक और निराशाजनक पहलू अमीर और गरीब में बढ़ता हुआ अन्तराल है। यह सत्य है कि आयोजन के पहले तीन दशकों में सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए तथा उचित मजदूरी दिलाने के लिए अनेक सराहनीय कार्य किए परन्तु उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में पूँजीपतियों को मनमानी करने की खुली छूट मिल गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पूँजीपतियों के पास आय और सम्पत्ति का संकेन्द्रण बढ़ता जा रही है। ऐसा लगता है जैसे इनसे पूँजीपतियों को कुशलता बढ़ाने की आड़ में उत्पादन में मजदूरी के भाग को कम करने

का लाइसेन्स मिल गया हैं। नए आर्थिक सुधार जनसाधारण के कल्याण की दृष्टि से मजदूर वर्गों के रोजगार को असुरक्षित बना रहे हैं तथा देश में हो रही उत्पादिकता में वृद्धि के लाभ मुख्य रूप से पूँजीपतियों द्वारा ही हड्डे जा रहे हैं।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र व भारी मूलभूत उद्योगों के विकास के द्वारा एवं हरित क्रान्ति के तात्कालिक परिणामों द्वारा हमने आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कुछ कदम तो अवश्य बढ़ाए हैं परन्तु रूपये के लगातार हो रहे अवमूल्यन, विदेशी ऋण पर आधारित निवेश, पर्शियां ढंग पर हुए औद्योगीकरण, देश में बढ़ती सम्पत्ति तथा आय का केन्द्रीकरण, विदेशी वस्तुओं के उपयोग को दी जा रही वरीयता तथा आधुनिक तकनीकों के अन्धानुकरण के कारण हमारी आत्मनिर्भरता पंगु तथा अधूरी बनी हुई है।

## भारतीय कृषि में आधुनिक तकनीक

सत्येन्द्र कुमार महोबिया, शोध छात्र, अर्थशास्त्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। महात्मा गांधी जी के शब्दों में, “कृषि भारत की आत्मा है।” भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन की सफलता के लिए योजना आयोग ने कृषि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। भारत में करोड़ों लोगों को भोजन एवं आजीविका कृषि से ही प्राप्त होती है। कृषि पर ही देश के उद्योग-धन्धे, व्यापार, व्यवसाय, यातायात एवं संचार के साधन निर्भर हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 25 प्रतिशत है और देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। किसी भी देश के विकास की कुंजी कृषि आय में वृद्धि को माना जाता है। भारत इस नियम में कोई अपवाद नहीं है।

भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

**(1)प्रकृति पर निर्भरता—**भारतीय कृषि को प्रायः भाग्य का खेल कहा जाता है, क्योंकि कृषि मुख्यतः वर्षा की स्थिति पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता भारतीय अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित करती है। आज के वैज्ञानिक प्रगति के युग में भी अधिकांश भारतीय किसान अधिक उपज हेतु समय पर होने वाली वर्षा पर ही निर्भर हैं। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह उद्योग हो अथवा व्यापार, प्राकृतिक प्रभावों से कभी अछूता नहीं बचता।

**(2)कृषि की निम्न उत्पादकता—**भारत में कृषि पदार्थों का प्रति एकड़ उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में एक हेक्टेयर भूमि में केवल 2553 किग्रा गेहूँ, 1921 किग्रा चावल, 260 किग्रा कपास तथा 1042 किग्रा मूँगफलीही पैदा होती है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल 330 डॉलर है।

**(3)जीविका का मुख्य साधन—**भारत में कृषि ही वह क्षेत्र है जिस पर देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु निर्भर करती है। 1991 ई. की जनगणना के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या का 67.2 प्रतिशत भाग कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करता है।

**(4)भूमि का असमान वितरण—**भारत में भूमि का असमान वितरण पाया जाता है। यहाँ केवल 10 प्रतिशत व्यक्तियों के पास कुल कृषि योग्य भूमि का 51.7 प्रतिशत स्वामित्व है, जबकि दूसरी ओर 10 प्रतिशत कृषक ऐसे हैं, जिनके पास कृषि योग्य भूमि का केवल 0.18 प्रतिशत भाग उपलब्ध है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 14 प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं। देश में औसत प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि मात्र 0.91 एकड़ है।

**(5)अनार्थिक जोत की इकाइयाँ—**भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ कृषि बहुत छोटे-छोटे कृषि क्षेत्रों(खेतों) पर की जाती है। सरैया सहकारी समिति के मतानुसार, “भारतीय कृषि के उत्पादन में सबसे बड़ी बाधा अनुत्पादक व अलाभकारी जोतें हैं।” राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भी यद्यपि सम्पूर्ण भारत में कृषि जोतों का औसत आकार 5.34 एकड़ है, तथापि लगभग 70 प्रतिशत कृषक परिवार ऐसे हैं, जिन्हें कृषि भूमि का केवल 16 प्रतिशत भाग ही प्राप्त है। भारत में कृषि जोतों का आकार केवल छोटा ही नहीं है, अपितु व्यक्तिगत जोतें बहुत बिखरी हुई हैं। महाराष्ट्र में पिंतला सौदागर नामक ग्राम में 156 किसानों के पास 759 खेत थे, जिनमें से 463 खेतों का आकार एक एकड़ से भी कम था।

**(6)मिश्रित खेती—**मिश्रित खेती भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता है। इसका अभिप्राय यह है कि एक खेत में भारतीय कृषक एक से अधिक फसलें बोता है। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में एक ही खेत में गेहूँ चना, जौ, आदि उगाया जाता है। इस प्रकार की कृषि के स्थान पर विशिष्ट कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

**(7) कृषि जीवन—निर्वाह हेतु—**भारतीय सामाजिक जीवन में कृषि जीवन की एक पद्धति मानी जाती है। भारतीय कृषक इसलिए खेती नहीं करता कि उसके पास जीवन-यापन का कोई अन्य साधन नहीं है, अपितु वह कृषि अपने परिवार के

जीवन—यापन अर्थात् परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है। यही कारण है कि वह वाणिज्यीकरण एवं व्यापार की ओर विशेष ध्यान नहीं देता है। अभी तक केवल कुछ ही व्यापारिक फसलों का वाणिज्यीकरण सम्भव हो पाना इसी का परिणाम माना जाता है।

**(8) कृषि की अल्प विकसित अवस्था—निरन्तर प्रयासों के बावजूद भारतीय कृषि आज भी पिछड़ी अवस्था में है। कलाउस्टन का यह कथन उचित ही है कि, “भारत में पिछड़े हुए वर्ग हैं तथा इनके साथ ही दुर्भाग्य से हमारे उद्योग एवं कृषि भी पिछड़े हुए हैं।” भारत में कृषि की अल्प विकसित अवस्था ही कम उत्पादन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है।**

**(9) उत्पादन की परम्परागत तकनीक—** कृषि में उत्पादन के लिए अभी भी पुरातन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि आधुनिक युग में आधुनिक एवं नवीन तकनीकों काफी विकास हुआ है, तथापि भारतीय कृषक आज भी पर्याप्त साधन न हो पाने के परिणामस्वरूप हल और खुरपी का प्रयोग करता है।

**(10) अल्प रोजगार—** भारतीय कृषि कृषकों को वर्ष भर रोजगार प्रदान नहीं कर पाती है। अल्प रोजगार के परिणामस्वरूप ही भारतीय कृषिक वर्ष में 140 से लेकर 270 दिन तक बेकार रहते हैं। इसी कारण कृषि क्षेत्र में अर्द्ध-बेरोजगारी की समस्या बनी रहती है।

**(11) श्रम—प्रधान—** भारतीय कृषि श्रम—प्रधान है अर्थात् भारत में पूँजी के अनुपात में श्रम की प्रधानता है।

**(12) खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता —** भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है। देश के कुल कृषि के 75 प्रतिशत भाग में खाद्यान्न तथा 25 प्रतिशत भाग में व्यापारिक फसलों का उत्पादन होता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय कृषि की अपनी कुछ निजी विशेषताएँ हैं, जिसके कारण भारतीय कृषि ने एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त कर ली है।

### भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व

भारत की लगभग तीन—चौथाई जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि से यह अनुपात दो—तिहाई है। इसी कारण भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि सबसे अधिक निर्णायक क्षेत्र है। कृषि ही खाद्य सामग्री प्रदान करती है, रोजगार उत्पादित करती है, निर्धनता दूर करने में सहायता प्रदान करती है तथा देश के माल के निर्यात में सार्थक सहयोग प्रदान करती है। महात्मा गांधी कृषि को ‘भारत की आत्मा’ मानते थे। नेहरू जी ने भी इसीलिए कहा था, “कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।” भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्नलिखित शीषकों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है—

**(1) भारतीयों की आजीविका का प्रमुख स्त्रोत—भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 67% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं इससे संबंधित व्यवसायों में संलग्न है। अतः कृषि भारतीयों की आजीविका का प्रमुख साधन मानी जाती है। अमेरिका, ब्रिटेन तथा कनाडा जैसे विकसित देशों में कृषि एवं सम्बद्ध व्यवसायों पर निर्भर जनसंख्या का उनकी कुल जनसंख्या में अनुपात लगभग 16 प्रतिशत ही है।**

**(2) राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्त्रोत—** कृषि राष्ट्रीय आय में बड़ा भाग प्रदान करती है। उदाहरणार्थ—1997–98 ई. में भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 28 प्रतिशत भाग कृषि आय से ही प्राप्त हुआ था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रथम तीन दशकों में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 50 प्रतिशत से भी अधिक था।

**(3) सर्वाधिक भूमि का कृषि में उपयोग—** देश के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग कृषि में प्रयुक्त किया जाता है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के 43.5% भाग में खेती की जाती है।

(4) खाद्यान्न की पूर्ति का प्रमुख साधन—भारत में कृषि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या को भोजन तथा 36 करोड़ से अधिक पशुओं को चारा प्रदान करती है। भारतवासियों के भोजन में कृषि उत्पाद ही प्रमुख होते हैं। इसलिए कृषि ही भारत में खाद्यान्न की पूर्ति का प्रमुख साधन है।

(5) अनेक उद्योगों का कृषि पर आधारित होना—भारत के अनेक उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर ही आधारित हैं; जैसे—सूती वस्त्र, जूट, चीनी, हथकरघा, वनस्पति तेल, चाय व कॉफी उद्योग आदि। संसार के सभी देशों में उद्योगों का विकास कृषि के विकास के बाद ही सम्भव हुआ है। इस प्रकार, औद्योगिक विकास कृषि के विकास पर ही निर्भर है।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अनेक वस्तुओं का कृषि पर निर्भर होना—भारत में निर्यात का अधिकांश भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। हमारे कुल निर्यात का एक बहुत बड़ा भाग कृषि उपजों से बने पदार्थों का ही होता है। निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों में चाय, जूट, चीनी, लाख, ऊन, रुई, मसाले, तिलहन आदि प्रमुख हैं।

(7) यातायात के साधनों के विकास में सहायक—कृषि उत्पादों को ढोने में रेल एवं सड़क परिवहन का उल्लेखनीय योगदान है। इस प्रकार कृषि, परिवहन सेवाओं का विकास करती है। जिस वर्ष भारत में कृषि उत्पादन कम होता है, उस वर्ष रेल व सड़क परिवहन आदि सभी साधनों की आय कम हो जाती है। इसके विपरीत, अच्छी फसल वाले वर्षों में इन साधनों की आय में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।

(8) भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार—भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था ही है तथा राष्ट्रीय आय का लगभग 28 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है। इस प्रकार, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि का विकास अत्यंत आवश्यक है।

(9) पशुपालन में सहायक—भारत में कृषक पशुपालन कार्य एक सहायक धन्ये के रूप में करते हैं। पशुपालन उद्योग से समस्त राष्ट्रीय आय का 7.8 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। कृषि तथा पशुपालन उद्योग एक—दूसरे के पूरक तथा सहायक व्यवसाय हैं। कृषि पशुओं को चारा प्रदान करती है और पशु कृषि को बहुमूल्य खाद प्रदान करते हैं।

(10) केन्द्र तथा सरकारों की आय का साधन—यद्यपि कृषि क्षेत्र पर कर का भार अधिक नहीं है, तथापि कृषि राजस्व प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्त्रोत माना जाता है। लगान से लगभग 200 करोड़ रुपये वार्षिक आय का अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि, वस्तुओं के निर्यात कर से भी आय प्राप्त होती है। केन्द्रीय सरकार के उत्पादन शुल्कों का एक बहुत बड़ा भाग चाय, तम्बाकू तिलहन आदि फसलों से ही प्राप्त होता है।

(11) आन्तरिक व्यापार का आधार—भारत में खाद्य पदार्थों पर राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग व्यय होता है। अनुमान है कि शहरी क्षेत्रों में आय का 58.2 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आय का 67.2 प्रतिशत भोजन पर व्यय किया जाता है। स्पष्ट है कि आन्तरिक व्यापार मुख्यतः कृषि पर आधारित होता है और कृषि क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन का प्रभाव आन्तरिक व्यापार पर पड़ता है। बैंकिंग व बीमा व्यवसाय भी कृषि से काफी प्रभावित होते हैं।

(12) कृषि : जीवन—यापन का एक महत्वपूर्ण ढंग—भारत में कृषि का महत्व अर्थिक जीवन के साथ—साथ अन्य क्षेत्रों में भी स्पष्ट देखा जा सकता है। कृषि ने हमारे आचार—विचार, परम्पराओं एवं संस्कृति सभी को प्रभावित किया है। इसीलिए कृषि को केवल एक व्यवसाय ही नहीं माना जाता है, अपितु इसे जीवन का एक ढंग भी कहा जाता है जो लोगों के विचारों और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालता है। भारत की प्राचीन गौरवमय संस्कृति आज भी ग्राम्य—जीवन की ही धरोहर है।

(13) अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति—यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि कृषि पदार्थों के माध्यम से हमें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। विश्व—कृषि अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। होल्डरसेन के शब्दों में, “भारत विश्व में गन्ने से बनाई जाने वाली चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल के उत्पादन में भारत को चीन जैसा उच्च स्थान प्राप्त है—..... मूँगफली के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम है। ..... लाख के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है.....”

“संसार में चीन के बाद चाय का यह सबसे बड़ा उत्पादक है।” इन शब्दों से भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है।

(14) पूँजी निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र—देश की सर्वाधिक पूँजी कृषि—क्षेत्र में नियोजित है। स्थायी पूँजी की दृष्टि से कृषि—क्षेत्रों का स्थान सबसे उच्च है। कृषि—क्षेत्रों के अतिरिक्त करोड़ों रुपये का निवेश सिंचाई के साधनों, पशुओं, कृषि उपकरणों आदि में हुआ है।

### ग्रामीण भारत में गैर—कृषकीकरण की समस्या

भारतीय कृषकों ने अपने लम्बे इतिहास में अनेक उत्तार—चढ़ाव देखे हैं। मध्यकाल में एक समय ऐसा भी था जब अनेक युद्ध और खून—खराबा हो रहा था। परन्तु इन परिस्थितियों ने भारतीय कृषकों को अधिक प्रभावित नहीं किया। सामान्तवादी शासन में कृषकों को भूमि से बेदखल करने के बहुत कम उदाहरण उपलब्ध हैं। ए. आर. देसाई के अनुसार आज शान्तिप्रिय एवं चुप रहने वाले भारतीय कृषक आन्दोलित कृषकों के रूप में उठ खड़े हुए हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कृषकों, काश्तकारों, पट्टेदारी पर खेती करने वालों और भूमिहीन वेतनभोगी श्रमिकों के जीवन में अनेक संरचनाएँ पाई जाती हैं। उनके अस्तित्व की दशाएँ शोचनीय हैं और वे जीवन की साधारण सुख—सुविधाओं से अधिकांशतः वंचित हैं। ऐसी स्थिति में उनमें असंतोष पाया जाना स्वाभाविक ही है। बहुत से छोटे कृषक अपनी निम्न आर्थिक स्थिति के कारण अपनी भूमि बेच देते हैं तथा कृषि कार्य करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कृषि कार्य उनकी आजीविका चलाने में अधिक उपयोगी नहीं रहा है। सरकार की नीतियाँ ऐसे छोटे किसानों को सहायता देने के बजाय पहले से संपन्न भू—स्वामियों को ही लाभ पहुँचाती हैं। किसानों द्वारा कृषि व्यवसाय को छोड़कर किसी गैर—कृषि व्यवसाय को अपनाने की प्रक्रिया को ही गैर—कृषकीकरण कहा जाता है। यह शब्द भी मार्क्सवादी विद्वानों द्वारा प्रयोग किया गया है।

दरिद्रीकरण की तरह गैर—कृषकीकरण भी ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं, हरित क्रान्ति, भूमि सुधारों आदि का नकारात्मक परिणाम माना जाता है। ग्रामीण विकास हेतु चलाए गए इन कार्यक्रमों का लाभ पहले से सम्पन्न भू स्वामियों एवं कृषकों को ही मिल पा रहा है। ग्रामीण समाज के निम्नतम वर्ग, छोटे किसान एवं वेतनभोगी कृषि श्रमिक, जिन्हें आर्थिक सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है, वे ग्रामीण समाज के विकास के इन सभी कार्यक्रमों के लाभों से पूरी तरह से वंचित ही हैं। नवीन प्रौद्योगिक एवं उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसका लाभ भी प्रमुखतः बड़े कृषकों या भू—स्वामियों को ही हुआ है। इसका एक अन्य परिणाम यह हो रहा है कि ग्रामीण समाज में अधिकाधिक सीमान्त और छोटे कृषक भूमिहीन श्रमिकों के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं, जबकि भूमिहीन कृषक दरिद्र बनते जा रहे हैं। कृषकों का कृषि व्यवसाय को छोड़कर किसी गैर—कृषि व्यवसाय को अपना लेने की प्रक्रिया को ही गैर—कृषकीकरण कहा जाता है। एक प्रकार से यह व्यवसाय को बदलने की एक प्रक्रिया है जिसमें कृषक कृषि व्यवसाय को छोड़कर कोई गैर—कृषि व्यवसाय, जैसे वेतनभोगी श्रमिक, किसी निजी फर्म या सरकारी दफ्तर में नौकर अथवा दुकानदार बन जाते हैं। व्यवसाय परिवर्तन की यह स्थिति तभी विकसित होती है जब कृषक को इस बात का अहसास हो जाता है कि कृषि व्यवसाय उसकी आजीविका हेतु पर्याप्त नहीं है तथा सरकारी नीतियों का लाभ भी उसे नहीं मिल पा रहा है। गैर—कृषकीकरण के परिणामस्वरूप भारत में कृषि श्रमिकों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि होती जा रही है परन्तु उनकी आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो पा रहा है। जहाँ 1921 ई. में कृषि श्रमिकों की संख्या 2.10 करोड़ थी वहीं 1981 ई. में यह संख्या बढ़कर 5.5 करोड़ हो गई। वर्तमान में यह संख्या 8 करोड़ से अधिक ही है। यदि बटाईदारी में खेती करने वालों और उन लोगों को इसमें सम्मिलित कर लिया जाए जिनके पास भूमि के अनार्थिक प्रकार के छोटे—छोटे टुकड़े हैं, तो कृषि श्रमिकों का प्रतिशत काफी बढ़ जाएगा।

**Performance of National agriculture insurance scheme in India  
with special reference to Madhya Pradesh**

**Richa Khanna** (Research scholar , Department of economics, Rani durgavati university.)  
**Dr. Sadhana Srivastava** (Superviser , Rani durgavati university)

**Abstract :** The paper analyses the importance of Agriculture in India and Madhya Pradesh and the volatility attached to it has been very devastating . Crop insurance i.e, National agriculture insurance scheme(NAIS) is a step of overcoming risk and losses attached to farmers income and well being, this has been analysed through comparing India level results of NAIS and Madhya Pradesh level results of NAIS. Madhya Pradesh has shown impressive results with increase in number of farmers insured. But certain loopholes can be observed in it which needs to be looked upon like subsidy, claim to premium ratio, government intervention and banking procedure at Madhya Pradesh level. Some measures have been suggested in the paper which can improve the working of scheme.

1. **Introduction** Agriculture is one of the most primitive and traditional method of livelihood in the world. In earlier days people were solely dependent on farming for subsistence and also as a source of income. In rural India, households that depend on income from agriculture (either self-employed or as agricultural labour), accounted for nearly 70 per cent of the population. Seventy five percent of all rural poor are in households that are dependent on agriculture, in some way or other. Households that were self-employed in agriculture, account for 28 per cent of all rural poor, while households that were primarily dependent on agriculture as labour, account for 47 per cent of all rural poor. All this facts shows the need for the development of agricultural sector in India.

Agriculture share in GDP has declined from over half at Independence to less than one-fifth in 2006-07, agriculture remains the predominant sector in terms of employment and livelihood with more than half of India's workforce engaged in it as the principal occupation.

The enterprise of agriculture is subject to lot many uncertainties. Still, more people in India earn their livelihood from this sector, than from all other economic sectors put together. Agricultural associated with several risks which include adverse changes in both input and output prices, Agricultural risk can be categorized as production risk, price or market, financial or credit, and institutional risks ,on the policies as well as on the resources of the government.


Instability in the agricultural sector cannot be completely eliminated, but its adverse effects can be minimized through various measures. one major impediment here is that by and large financial facilities are utterly inadequate amongst the Indian farmers. Thus, because of these drawbacks, the policy makers of the country have sought to **insurance of crops** as a feasible measure to combat against the risks and hazards and provide protection to the farmers. This will encourage them to carry on with their productive efforts, which not only improves the well being of the farmers but also ultimately helps in stabilizing the agricultural output<sup>1</sup>

- 1.1 **Status of agriculture in Madhya Pradesh:** Madhya Pradesh is the second largest state in the country in terms of area with a total geographical area of 308 lakh hectares constituting 9 percent of the total geographic area of the country and ranks at sixth position with the total population of 72 million, out of which 72% resides in rural areas (**census 2011**). According to Census 2011, 69.8 % of the total workers and 85.6 % of the total workers in rural areas are dependent on agriculture for livelihood in Madhya Pradesh. This comprises 31.2% (Source: Estimates of Gross/Net State Domestic Products and Per Capita Income 2004-05 to 2013-14 by Directorate of Economics and Statistics, GoMP)cultivators and 38.6% agriculture labours. The sector is also contributing 24.9% to State's GDP at constant prices (2004-05 prices) and 33.6% at current prices. The trend in this sector has shown stabilization from 2004-05 to 2012-

13 with little yearly fluctuations and the advanced estimates shows even higher share of 27.38% from agriculture and allied sectors. Hence, the positive and consistent growth rate of this sector is of immense importance to drive the state economy, especially the rural economy. It also it has a great potential in influencing the state as well as the national economy in environmentally sustaining ways.

**1.2 1.1a) Achievement of agriculture in Madhya Pradesh:** Madhya Pradesh has become one of the leading states in the country to achieve agriculture growth rate of 9.04% during 1<sup>th</sup> five year plan when the national annual target growth rate was of 5% and national average was 2.48%. In comparison to other states in country its contribution to states GSDP is on much higher side.

**Fig1.1: Proportionate share of agriculture and allied activities in GSDP in M.P. in comparison to all India level constant price (base year: 2004-05)**



source: 1. For Madhya Pradesh- Directorate of Economics and Statistics, GoMP, Bhopal,  
2. For India- Central Statistical Organization, GSDP updates and Data Book by Planning Commission of India, 10th March 2014.

1. Mallikrjun S. Hasanbadi , An Economic analysis of crop insurance for onion in Dharwad district ;Department of agriculture economics , college of Agriculture; Dharwad , September 2005.

In comparison to all India level Madhya Pradesh has shown better result in terms of agriculture share in GSDP from 2004-05 to 2012-13. This shows that in Madhya Pradesh agriculture is performing better than all India level on average.

### 1.3 Need for Agriculture insurance

The 11<sup>th</sup> plan document has noted that farmers are now subject to much greater risk than what Indian farmers have been used to in past. Severity of risk has increased on account of climate variability and this is accompanied by much greater variability of world prices.

To meet the problem of price variability coordination between minimum support price (MSP) and trade policies are required.

The principle evidence of the second risk ie, climate variability has been rising temperature, erratic rainfall pattern and increase in the severity of droughts , floods and cyclones which have caused huge losses in agriculture production and livestock population.

Agricultural risk is associated with negative outcomes that stem from imperfectly predictable biological, climatic, and price variables. They also include adverse changes in both input and output prices. Production, price or market, financial or credit, and in situational risks are the different categories under which

agricultural risks can be classified. **Hazell ,Pomareda and Valdes**<sup>2</sup> indicated that risk and uncertainty pose a serious impediment to agriculture development.Risk effect both crop area and yield ,with growing commercialization and climate changes the degree of risk due to eventualities is increasing , fluctuation in price causes variability in farm income in such a case Minimum support price (MSP) is a means of overcoming price risk .

Another type of risk is production risk and crop insurance is believed to overcome this problem. One method of setting risk to farmers is through crop insurance.

2. *Peter Hazell, Carlos Pomareda, and Alberto Valdes, Crop insurance for Agriculture development : Issues and Experience , Published for the International Food Policy Research Institute , The John Hopkins University press, Baltimore and London,1986.*

## 2. Review of literature

**(Dandekar 1976)<sup>1</sup>**

Discussions about the introduction of crop insurance had started at the time of independence. However, the first concrete steps were taken in October 1965 when the Government of India (GoI) decided to draw up a Crop Insurance Bill and a model scheme of crop insurance in order to enable the States to introduce crop insurance. After receiving comments from the State Governments, the Committee concluded that it would not be advisable to introduce crop insurance in the near future, even on a pilot basis. Prof V.M. Dandekar examined the arguments and strongly advocated the introduction of crop insurance production and whose annual variability of crop productivity would be similar.

### **Gilboa and Maurice (1979)<sup>2</sup>**

Claim that "the threat of catastrophic losses is the single most effective deterrent to the introduction of comprehensive crop insurance programs in developing countries." They also argue that the threat of catastrophic losses is the strongest reason for agricultural insurers to rely on reinsurance, thereby prudently avoiding a dependence on excess reserves or the need for government contributions. Although reinsurance is probably necessary for self-financed agricultural insurers, there is not yet a widespread market for this type of insurance. **Hazell et al., (1986)**<sup>3</sup>Crop credit insurance also reduces the risk of becoming defaulter of institutional credit. The reimbursement of indemnities in the case of crop failure enables the farmer to repay his debts and thus, his credit line with the formal financial institutions is maintained intact .The farmers do not have to seek loans from private moneylenders.

**Hazell (1992)<sup>4</sup>**The farmer is likely to allocate resources in profit maximizing way if he is sure that he will be compensated when his income is catastrophically low for reasons beyond his control. A farmer may grow more profitable crops even though they are risky. Similarly, farmer may adopt improved but uncertain technology when he is assured of compensation in case of failure .This will increase value added from agriculture, and income of the farm family.

### **Bhende, M.J(2005)<sup>6</sup>**

Agricultural insurance is one method by which farmers can stabilize farm income and investment from the disastrous effect of crop losses due to natural hazards or low market prices. Crop insurance not only stabilizes

1. V.M. Dandekar, Crop insurance in India, Economic and Political weekly, 1976, A-61 to A-80.

2. D.Gilboa., and N.Maurice. 1979. "The Reinsurance of Comprehensive Crop Insurance Programs." Paper presented at FAO, October 1979, Rome, Italy.

the farm income but also helps the farmers to initiate production activity after the bad agricultural year. Crop insurance forms an important component of safety net programs being implemented in many developed countries governments often play an active role in helping producers to manage risk successful. A new model of crop insurance programmed called as National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) or Rashtriya Krishi Bima Yojna (RKBY) was launched formally by the Prime Minister on 23<sup>rd</sup> June 1999. The NAIS addressed some of the issues and shortcoming present in the earlier CCIS.

#### **Economic survey 11<sup>th</sup> plan outlay,( 2007)<sup>6</sup>**

Crop insurance was introduced in the country two decades ago. The present version, the NAIS is available since 1999–2000. Despite States' support for coverage of the NAIS being tardy, NAIS is a useful device, especially for farmers growing relatively risky crops. The main problem is that NAIS is not really actuarial insurance they are as follows:-1.Premiums for most important crops are fixed at all-India level irrespective of risk and the government pays for entire excess of claims over premium received.3.Moreover, being compulsory for all borrowers from banks in States where it is in force, and with relatively few non- loaned farmers involved, it mainly insure banks against default following poor harvest. Further, its popularity with farmers is limited since it is based on crop- cutting experiments, which delays claims payments until well after harvest and the risk covered is only of yield shortfalls at the block level. An equally important aspect is the need for much larger involvement of the States in the functioning of the scheme.

#### **World Bank report (2007)<sup>8</sup>**

In this World Bank focuses on the importance of NAIS as it covers 18 million farmers insured last year making it the largest crop insurance programme in the world in absolute terms and in terms of farmer insured. Despite it there are certain limitations due to which government has to bear heavy loss, delay in indemnity payments and difficulty in administrating large insurance unit. The intention of World Bank was to provide suggestions of improving NAIS by following suggestions such as risk differentiation in which premium is set by AIC and indemnity is adjusted according to district level variations, size of insurance unit should be given improvement in the claim settlement of farmers, Advanced indemnity payments should

**Raju,S.S. and Chand, Ramesh(2008)<sup>8</sup>**As stated earlier, only nine states participated in NAIS during 1999 *Rabi* season. In 2006-07, the NAIS is being implemented by all the states except Punjab and Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, and Nagaland. Since the beginning of the scheme till the *Rabi* season of 2006-07, 97.08 million cases were extended the insurance cover. Out of these, 19.5 per cent were in Maharashtra, 15.4 per cent in Andhra Pradesh, 13.2 per cent in Madhya Pradesh and 8.4 per cent each in Gujarat and Uttar Pradesh. Thus, these five states accounted for 65 per cent of the total cases and 69 per cent of area insured under NAIS. It is important to mention that share of these states in all-India holdings and all-India cropped area is 8.5 per cent and 9.2 per cent, respectively.

3. P.Hazell, L.M., Bossooco and G.Arica, Insuarne experience of other countries, The Jhon Hopkins university press , 1986

4. P.Hazell, The appropriate role of agriculture insurance in developing countries,Journal of International development ,1992,4(6):567-81.

5. M.J. Bhende, Agriculture insurance in India: Problems and prospect, Department of Economic Analysis and Research, NABARD,2005, occasional paper no. 44

6. Economic survey report on XIth five year plan, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi, 2007.

7. World bank report , India: National agriculture insurance scheme(NAIS): Market based solutions for better risk sharing, India country management unit south asia finance and private sector unit,feburary 2007,report no. 39353.

The farmers claiming indemnity payment accounted for 67.3 per cent of the total 21.34 million beneficiaries (recipient of claims) in Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh and Maharashtra. The claim – premium ratio was less than unity in Assam, Goa, Haryana, Jammu and Kashmir, Meghalaya, Tripura, Uttaranchal and Andaman and Nicobar Islands, implying no loss in premium received by NAIS in these states. Bihar and Jharkhand were on the other extreme, where claims paid by NAIS were more than ten-times of the premium collected. In Tamil Nadu and Karnataka, the claims paid by the scheme were 6.4 - and 4.9 - times, respectively of the premiums obtained.

#### Nair , Reshma (2010)<sup>9</sup>

An evaluation of the crop insurance programmers in India through the multi-peril yield based National Agricultural Insurance Scheme reveals that while it has done well on equity grounds A disaggregated study of beneficiaries under the NAIS reveals that more than 60% of the farmers, who benefited under food crops and oilseeds, belong to the small and marginal category (having landholdings less than two hectares) Also, while small and marginal farmers accounted for only one-third of the total claims (given their smaller landholdings and hence the lower sum insured), this is significantly higher for crops like paddy, wheat and sugarcane, where more than half of the total claims disbursed were for these categories. Despite these encouraging results from the equity point of view, an analysis of the penetration levels across regions and crops does not show very impressive results. The coverage and indemnity payments are biased towards a few regions and crops, and there are delays in settlement of claims.

#### Department of Agriculture and cooperation, Ministry of agriculture (2011)<sup>10</sup>

In the state wise data collected by ministry of agriculture in 2011-12 the status of M.P. is as follows:-

| Farmer insured | Area Insured (ha.) | Sum Insured | Farmer Premium | GOI Share in Premium | Premium Collected | Claims Payable | Claims Paid | Farmer s Benefited |
|----------------|--------------------|-------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------|
| 12.75%         | 21.04%             | 13.5 %      | 13.92%         | 3.8 %                | 12.88%            | 6.5 %          | 6.63 %      | 8.8%               |

In M.P. the crop insurance scheme has been implemented since 1999-2000.But the limitations of NAIS need to be evaluated by a field study in M.P. regions and which may prove to be a hurdle from development of agriculture insurance. In M.P. the insurance policy is adopted on the basis of “AREA APPROACH”. The unit of insurance is the Block.

### 3. Comparison of National agriculture insurance scheme (NAIS) at India and State level:

Table 3.1 : Status of NAIS at India and Madhya Pradesh level:

|       | Number of farmers covered | Number of farmers benefitted | Area insured | Sum insured | Gross premium | Subsidy | Claims   | Claim to premium ratio |
|-------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------|----------|------------------------|
| India | 218614.99                 | 58593.73                     | 329386.05    | 323958      | 9760.52       | 1252.3  | 33426.85 | 3.425                  |
| M.P.  | 509848.25                 | 76403.83                     | 751224.87    | 750543.4    | 22221.42      | 3063.84 | 75919.12 | 3.416                  |

Source: [www.aicindia.org](http://www.aicindia.org)

8. Raju S.S. and Ramesh chand, Agriculture Insurance in India problems and prospect ,National centre for agricultural economics and policy research , ICAR, working paper no. 08 , 2008.

9. Reshma Nair, Crop Insurance in India: Changes and challenges, Economic and Political weekly, Vol.no.6, 2010.


10. Evaluation of impact assessments study of crop insurance schemes, department of agriculture and cooperation, Ministry of agriculture, 2011.

The above table shows the data at India and Madhya Pradesh level for the variables which shows the true picture of NAIS and the end result of number of farmers insured (for both seasons) have that Madhya Pradesh has higher number of farmers insured than at India level, which 133% higher than India level . Though Claims to premium ratio is almost same at both level i.e. 3.42, claim at each level is 3.42 times higher than premium received.

**Fig 3.2 : Graphically analyzing the status of NAIS:**

**3.2 a) Comparison in Number of Farmers insured and Number of Farmers benefitted:**


**3.3**



The above graph shows comparison between India and Madhya Pradesh level, Graphically it has been proved that Madhya Pradesh is performing better than India, as number of farmers covered is more at Madhya Pradesh level and farmers benefitted is lesser than farmers insured at both levels, though Madhya Pradesh is slightly higher than India level. The reason for such trend can be due to increased government intervention at State level as Madhya Pradesh , it employees 70 % of rural population in primary sector, farmers are now much aware about advantages of insuring the crop yield this also stabilizes their income and has **trickle-down effect** on farmers standard of living , health and education.

Though number of farmers benefitted has been less in comparison to insured farmers reasons can be attributed to delay in claim payment in comparison to number of farmers insured, many farmers were unable to pay premium amount as their premium amount to be paid does not match with their willingness and capacity to pay or no such natural calamity can be observed.

3.2 b) Comparison between sum insured, gross premium, subsidy and claims received:



The above data shows comparison between sum insured , gross premium , subsidy and claims received and the above data also shows that all the variables at Madhya Pradesh level is better than India level. Sum insured is higher at Madhya Pradesh level with higher premium paid, higher subsidy and higher claims at Madhya Pradesh level.

This can be the result of trust developed within farmers for crop insurance thereby insuring more area for insurance, premium paying capacity of farmers in Madhya Pradesh is better than All India level this also shows improvement in Farmers income and capacity to pay. Subsidy received on premium paid by farmers is also better at Madhya Pradesh level.

#### **Findings:**

1. Government role has been significant in improving the performance of National agriculture insurance scheme at Madhya Pradesh level as compared to all India level, which can be seen from increase in number of farmer's insured, higher premium paid, increased subsidy provided, and also creating more awareness among farmers about crop insurance.
2. Farmer's premium paying capacity is better at Madhya Pradesh level than at India level. This can be due to income stabilization of farmers at Madhya Pradesh level.
3. Farmers benefitted from this scheme is better at Madhya Pradesh level than India level but it is very low as compared to farmers insured, this can be the result of either no crop loss in that particular year or lag in smooth functioning of disbursement of loan amount due to delay in collection of samples for calculating the loss in yield and also delay in claim payment.
4. Claim is higher than premium collected at both levels, this shows lack in banking procedure, many a times it has been observed that farmers are insuring more land and paying less premium due to which their area insured increases and so is the indemnity amount but they pay lesser premium. Many a time's farmers do take insurance but fail to pay premium amount but they receive claims also. These all factors should be looked upon.
5. Wide difference can be observed in the functioning of Madhya Pradesh and India, these shows that there is lack of coordination between centre and state functioning.

#### **Suggestions:**

1. At all India level improvement is required with more government intervention in states where crop insurance has not shown better results. Thereby adopting the strategy and model of progressive states.
2. Farmers premium subsidy should be worked upon in a better and subsidizing maximum portion of Premium paid only for farmers with less than average per capita income of India and the criteria of area insured should be deleted rather the determinant should be average income, as large farmers also avail the facility of subsidized premium by insuring more land on papers and paying less premium.
3. Centre and state should work in coordination to each other with proper functioning and communication than the results will be much better.
4. Farmers benefitted are less at Madhya Pradesh level also than number of farmers insured this should be looked upon by identifying issues such as functioning of bank and developing trust among farmers for banking.
5. Claim to premium ratio is very high , this shows loss from scheme , hence this can be controlled by improving the premium rate for marginal and small farmers and also by maintaining a centralized data base of land records for each farmer so that cheating can be avoided.

**Conclusion :**Madhya Pradesh has shown better results of all variables than all India level, there is a need for improvement at India level too as uncertainty in agriculture is increasing due to global warming and farmers yield and income is becoming more volatile. Madhya Pradesh has shown improvement over the years in insuring more farmers, but there still an need for improving the claim amount which is higher than premium collected by developing a data base of land records so that correct area should be reported by farmers, it should be kept in mind that more and more farmers should be benefitted from this scheme by providing premium subsidy at higher rate .

At all India level there is a need that all the states should effectively implement the scheme and centre should take initiatives by adopting the model of progressive states .

### Bibliography

D.Gilboa, and N. Maurice. (1979) "The Reinsurance of Comprehensive Crop Insurance Programs." Paper presented at FAO, October 1979, Rome, Italy.

Economic survey report on XIth five year plan(2007) , Ministry of Finance , Government of India, New Delhi.

Evaluation of impact assessment study of crop insurance schemes (2011), department of agriculture and cooperataion , Ministry of agriculture .

Mallikrjun S. Hasanbadi (2005) , An Economic analysis of crop insurance for onion in Dharwad district;Department of agriculture economics , college of Agriculture; Dharwad , September.

M.J. Bhende (2005), Agriculture insurance in India : Problems and prospect, Department of Economic Analysis and Research , NABARD, occasional paper no. 44.

P.Hazell, L.M.. Bosssoco and G.Arica(1986) , insurance experience of other countries, The Jhon Hopkins university press .

Peter Hazell, Carlos Pomareda, and Alberto Valdes(1986) , Crop insurance for Agriculture development : Issues and Experience, Published for the International Food Policy Research Institute, The John Hopkins University press, Baltimore and London.

P.Hazell (1992), The appropriate role of agriculture insurance in developing countries,Journal of International development ,4(6):567-81.

Raju S.S. and Ramesh chand(2008),Agriculture Insurance in India problems and prospect ,National centre for agricultural economics and policy research , ICAR, working paper no. 08.

Reshma Nair(2010) , Crop Insurance in India : Changes and challenges , Economic and Political weekly , Vol.no.6 .

V.M. Dandekar(1976) , Crop insurance in India , Economic and Political weekly, A-61 to A-80.

World bank report , India(2007): National agriculture insurance scheme(NAIS): Market based solutions for better risk sharing, India country management unit south asia finance and private sector unit,feburary,report no. 39353.

## कुटीर उद्योगों का विकास

**श्रीमति रश्मि पटैल, शोध छात्रा, अर्थशास्त्र विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर**

**कुटीर उद्योगों का विकास** –कुटीर उद्योगों का विकासये उद्योगों किसमितियां कुटीर उद्योगों को प्रोत्त्वाहन देती है और उनके उत्पादित माल को कुशलतापूर्वक अधिक से अधिक मूल्य पर बेचने का भी प्रबंध करती है। इससे कुटीर उद्योगों का विकास होता है एवं किसानों में इस आशा का संचार होता है कि वह कितना भी उत्पादन करें इन उद्योगों के माध्यम से उनका पूरा उत्पादन बिक जाएगा और किसानों एवं समितियों दोनों को लाभ होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सरकारी विपणन समितियों का बहुत महत्व है। इन सब लाभों से भारतीय कृषक के आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। भारत में सहकारी विपणन समितियां सन् 1912 के नियम के पास होने के बाद बनाना आरंभ हुई हैं।

भारत में खेती और वाणिज्यिक बैंक –वाणिज्यिक बैंक की भूमिका अद्वितीय है और कृषि के विकास उत्पादन पर विशेष योगदान महत्व रखती है। शर्मा जी ने वाणिज्यिक बैंकों का प्रत्येक ग्राम में होना अनिवार्य बताया है। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा कृषि के विक्रय के लिये मार्केट निर्माण जिससे कि कृषि वस्तुओं को सही मूल्य मिल सकें एवं विपणन व्यवस्था ठीक से संचालित हो सकें।

“कृषि का ऊंचा उठता ग्राफ” कृषि की प्रत्येक समस्याओं का हल पहले कृषक पूँजीपति के पास जाकर लेता था पर आज कृषक की सहायता बैंकों के द्वारा की जाए तो कृषि की उत्पादन क्षमता की बढ़ोत्तरी हो सकती है अरोड़ा ने अपने लेख में कृषि और ग्रामीण विकास के संस्थागत ऋण के लिए तथा व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति की सिफारिशों को लागू किया जाता है। कृषि ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक द्वारा कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1982 में योजना लागू की गई थी। नाबार्ड ने राज्य सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में ARDC के पूरे उपक्रम और भारतीय रिजर्व बैंक की पुनर्वित कार्यों को संभाल लिया है। नाबार्ड नीति नियोजन के क्षेत्र में एक निर्णयक भूमिका निभाती है जिससे ग्रामीण कृषकों को पुनर्वित सुविधाएँ प्रदान की जा सके। ग्रामीण विकास में कृषि की बड़ी भूमिका है लेकिन विपणन की उचित व्यवस्था न होने के कारण आज समस्या हो रही है। उक्त समस्या के निदान हेतु नाबार्ड के द्वारा कृषि विपणन के विकास हेतु नई—नई योजना बनायी जा रही है।

**कृषि कृषक की भूमिका**— भारत के विशेष संदर्भ में कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में कृषक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। कृषक को यदि वाणिज्यिक बैंक सहायता प्रदान करें, तो उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है। आगे अपने लेख में अनीता मोदी ने दर्शाया है कि कृषक वाणिज्यिक सहायता से अपनी ही नहीं अपितु कृषि उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी कर सकता है। कृषि हेतु सुविधाएँ प्रदान की जाने लगी हैं। ग्रामीण कृषि कार्य के विकास में क्षेत्रीय बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतिवर्ष कृषि का उत्पाद 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत होने लगा है। कृषि गोदाम एवं कृषि विपणन नीति का इसमें बहुत बड़ा योगदान है।

महिला श्रमिकों के मौसमी प्रतियोगिता को कृषि से संबंधित बताया गया है कि किस ऋतु में या माह में महिला श्रमिकों ने कितना योगदान दिया है। एवं बाजार में इनके कार्य का क्या महत्व है। को आंकड़ों एवं संख्यिकी दृष्टि से समझाया गया है। विभिन्न एवं महत्वपूर्ण सूत्रों द्वारा सीमांकित वितरण एवं घनत्व को ज्ञात किया गया है। किस माह में महिलाओं ने सहायक रूपी कार्यकर्ता के रूप में काम किया है इसे मापकर सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। के. एस. टेस्ट द्वारा परीक्षण किया गया है। इस शोध पत्र से शोध ग्रंथ में सूत्रों का प्रयोग किया गया है एवं बाजार में महिलाओं की सहभागिता को भी दर्शाया गया है।

कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि आधारित उद्योगों का क्षेत्र विशाल है। जैसे खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य तेल, बागवानी उत्पाद और डेयरी उद्योग इत्यादि। लगभग 39 प्रतिशत उद्योग कृषि पर आधारित है। कृषि आधारित उद्योग

विकास एवं वृद्धि दोनो क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। आने वाली पीढ़ियों को भी यह क्षेत्र निरतंर रोजगार और आय उपलब्ध कराता रहेगा। कई क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण ने अच्छी तरकी की है जैसे चावल के क्षेत्र में। चावल की अनेक प्रकार की गुणवत्ता पूर्ण किस्में विदेशों को निर्यात की जाती है। खाद्य तेलों जैसे मूँगफली, रेपसीड, सरसों और नारियल तेल की घरेलू बाजार में अच्छी मांग है। इन खाद्य तेलों की अनेक मिलें निरतंर कार्यशील हैं। किसानों की आवश्यकतानुसार वित्त की सुविधा मुहैया कराई गई है। डेयरी उत्पाद के क्षेत्र में भी भारत तकनीकी रूप से पूर्ण दक्ष हो गया है। दूध से बनी अनेकों प्रकार के उत्पादों का निर्यात किया जाता है। मछली के क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिक उदारीकरण के बाद इस क्षेत्र ने उल्लेखनीय तरकी की है। इसलिये सरकार को कृषि के विकास हेतु कृषि विपणन नीति पर जोर देना होगा।

कृषि विकास करने में भारतीय रिजर्व बैंक जो कि क्षेत्रीय बैंकों को ऋण देने की सुविधा प्रदान करती है। बैंकों द्वारा कृषि विपणन हेतु गोदाम एवं विपणन हेतु लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके कारण कृषि का विकास तेजी से हो रहा है।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का केन्द्र बिन्दु व भारतीय जीवन की धूरी है। अर्थिक जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का मध्यम होने के कारण कृषि को देश के अर्थव्यवस्था की आधारशिला कहा जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्रों से ही अपना जीविकापार्जन कर रही है। जिसका प्रमुख कारण लोगों को कृषि हेतु मार्केट की उपलब्धता एवं सही मूल्य मिलना है। अतः कृषि विपणन नीति आर्थिक विकास की आधारशिला है।

कृषि को सुचारू रूप से चलाने में बैंकों से आर्थिक मदद मील का पत्थर साबित हो रही है। चूंकि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है भारत में निवास करने वाली नागरिकों को कृषि पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है। भारत में नाबार्ड सरकार की ऐजेन्सी है नाबार्ड में कृषि से संबंधित सारी योजनाओं को लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। वर्तमान में नाबार्ड कृषि विपणन पर विशेष जोर दे रहा है एवं सरकार के साथ काम कर रहा है।

कृषि का विकास व संपन्नता नितांत आवश्यक है तथा भारत में कृषि उत्पादन की क्षमता में प्रतिदिन बढ़ोत्तरी होती जा रही है। भारत में निवास कर रहे लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है यहाँ के नागरिक कार्य को अत्यंत ही लगन व मेहनत से कर रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ कृषि का उत्पादन प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है, परंतु भारत में कृषि विपणन की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को सही मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है।

कृषि कार्य का विकास तभी संभव है तब किसानों को ग्रामीण बैंक, जिसमें प्रमुख रूप से वाणिज्यिक की मदद से किसानों को समय-समय पर आवश्यक सुविधायें प्रदान की जाए। कृषि पर आधारित जनता कृषि में उन्नत किस्म की फसल पैदावार करने के लिए सहकारी बैंकों से कम दर में ऋण लेकर कृषि कार्य करते हैं। लघु अवधि के लिए ऋण लेकर मौसमी फसलों की पैदावार बढ़ाने में राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा कृषि विकास हेतु कुओं का निर्माण, लघु सिंचाई योजनाओं, मशीनों को खरीदने, कृषि उपकरण आदि में राज्य सहकारी बैंकों की मध्यम अवधि के ऋण देता है, जिसमें प्रमुख रूप से गोदाम के निर्माण एवं अपने माल को कृषि विपणन केन्द्र तक ले जा सके इसके लिये ट्रैक्टर आदि की भी व्यवस्था की जा रही है।

#### मध्यप्रदेश में कृषि का विश्लेषण :-

मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम सन् 1932 में “मध्य प्रान्त कपास बाजार अधिनियम” परित किया गया था। इसके पश्चात् सन् 1935 में “कपास बाजार अधिनियम के आधार पर ही “मध्य प्रान्त कृषि उत्पादन बाजार अधिनियम” पारित किया गया। ‘मध्य प्रान्त कपास बाजार अधिनियम’ के तहत कपास के बाजारों को नियमित करने की व्यवस्था की गयी थी, किन्तु नये अधिनियम अर्थात् मध्य प्रान्त कृषि उत्पादन बाजार अधिनियम में कपास के अतिरिक्त सभी कृषि उत्पादनों के

लिए नियमित बाजार स्थापित किये गये थे। इन दोनों अधिनियमों के तहत दो बाजार समितियाँ स्थापित की जाती थी। उनमें से एक कपास बाजार के लिए तथा दूसरी अन्य कृषि उत्पादनों के लिए कार्य करती थी। इन दोनों समितियों का गठन एक ही स्थान पर किया गया था। इन अधिनियमों में सन् 1947 में संशोधन किया गया, जिसके फलस्वरूप अधिनियम में नियमित बाजारों की व्यवस्था सहकारी संस्थाओं के लिए भी उपलब्ध कराई गयी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद “मध्य भारत प्रान्त कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1952” के अधीन इस राज्य में बाजारों का नियमन किया जाने लगा। इसके पश्चात् इस राज्य में सन् 1956 में एक अन्य अधिनियम पारित किया गया था जिसे “भोपाल राज्य कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम” के नाम से जाना जाता है, किन्तु राज्यों के पुनर्संगठन के पश्चात् सन् 1960 “मध्य प्रदेश कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम” पारित किया गया तथा इसके अधीन नियमित बाजारों की स्थापना का कार्य आरम्भ हुआ। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में “मध्य प्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972” के तहत कृषि बाजारों का नियमन किया जाता है। सन् 1972 में पारित इस अधिनियम में सन् 1974 में संशोधन किये गये।

इस प्रान्त में सन् 1950 तक केवल 3 ही नियमित बाजार थे। इन बाजारों की संख्या सन् 1960 में बढ़कर 86 हो गयी थी। सन् 1970 में 246 तथा 1980 में 317 नियमित बाजार राज्य में कार्य कर रहे थे। मार्च 1985 तक इस राज्य में 435 नियमित बाजारों की स्थापना की जा चुकी थी।

“मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972” में बाजार समिति के सदस्यों की कुल संख्या बीस निर्धारित की गयी है। इसमें विभिन्न वर्गों को इस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया गया है— कुल सदस्य संख्या बीस है, इसमें विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व है— एक सदस्य प्रतिनिधि हम्माल, एक सदस्य संसद सदस्य, एक सदस्य विधायक, एक सदस्य उपक्षेत्र का उपक्षेत्रीय अधिकारी, एक सदस्य सहकारी विपणन समिति का, चार सदस्य पशुधन मालिक के ग्यारह सदस्य उत्पादकों के होंगे।

देश में कुल मिलाकर 4145 नियमित या व्यवस्थित मंडियां हैं जिसमें से वर्ष 1977 तक 2936 (70%) मंडियों को नियमित या व्यवस्थित किया जा चुका है। अप्रैल 1969 में ऐसी मंडियों की कुल संख्या 1844 तथा दिसम्बर 1970 तक इनकी संख्या बढ़कर 2131 हो गई। उत्प्र० में 573 मंडियों की संख्या कियाशील है। भारत में केरल, नागालैण्ड, असम मेघालय और जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर अन्य समस्त राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में मंडियों को नियंत्रित करने के लिए ‘कृषि उपज बाजार अधिनियम’ पारित किये गये हैं। इस प्रकार की मंडियों में विपणन की प्रत्येक प्रक्रिया या सेवा विस्तृत विधान के द्वारा निर्देशित होती है। मध्यस्थों के कमीशन की दर निश्चित कर दी जाती है। अनुचित कटौतियों का काटना अवैध घोषित कर दिया जाता है। समान व सही भौटिक बाटों का उपयोग, वस्तुओं का उचित वर्गीकरण, वस्तुओं के वैज्ञानिक भण्डारण, गाड़ी के पार्किंग, गाड़ी धोने एवं खड़ी करने, प्रकाश, पेय जल, बाजार सूचनाओं के आकलन—प्रसारण, केता—विकेता विवाद निपटारे आदि की समुचित व्यवस्था होती है। विक्रय किये गये माल का नकद भुगतान कराया जाता है।

नियंत्रित मंडी का प्रबंध, कृषि उपज मंडी समिति करती है। समिति उत्पादक, व्यापारी, स्थानीय स्वयंत्रशासी, संस्था, सरकार व सहकारियों के प्रतिनिधि रहते हैं। समिति में 12–16 तक सदस्य होते हैं। समिति का कार्य है— समस्त विपणन कार्यकर्ताओं को अनुज्ञापत्र प्रदान करना, कार्यकर्ताओं के तथा बाजार के अन्य खर्चों की दरें निर्धारित करना, बाजार व्यवहार और मण्डी शुल्क में एकरूपता लाना विवाद निपटारा करना आदि। एक अध्ययन के अनुसार इन मंडियों की स्थापना से विपणन व्ययों में 29% से 50% घटोत्तरी हुई है। इसके साथ ही नीलामी में अपनी पैदावार का विक्रय करने से किसान को मूल्य अधिक प्राप्त होता है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि नियंत्रित मंडियों में अपना माल बेचकर किसान 2.5% अतिरिक्त लाभ उठाते हैं। किसान की मध्यास्थों के शोषण की रक्षा होती है। कार्यरत कृषि उत्पादन मंडियों ने किसान का मनोबल बढ़ाया है नया उत्साह और विश्वास लगाया है।

नियंत्रित मंडियों का सूत्रपात 1897 में हुआ था। लगभग नौ दर्शकों की इस लम्बी अवधि के बावजूद भी मंडियों के नियमित करने का कार्य अधूरा पड़ा है।

विपणन सहकारियों की स्थापना :— सहकारी विपणन से तात्पर्य उस एच्छिक संगठन से है जिसमें पारस्परिक लाभ प्राप्त करने व विपणन समस्याओं का समाधान करने के लिये मिल-जुलकर कार्य किया जाता है। खूल रूप से सहकारी विपणन संस्था रचेच्छा से सामूहिक क्रय और विक्रय के लिए निमित किया गया एक व्यावसायिक संगठन है। ये एच्छिक विपणन संस्थायें विपणन व्यय को कम करती हैं और सदस्यों को व्यापारिक प्रतियोगिता का सामना करने की शक्ति प्रदान करती हैं। भारत के अतिरिक्त डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, अमेरिका व कनाडा आदि विदेशों में भी सहकारी विपणन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है।

**Analysis of River Water Quality: A Review****R.K. Shrivastava and ManishaKumariya** (Environmental Research Laboratory)

P.G. Deptt. of Environmental Science Government Model Science College (Autonomous),  
 (NAAC Re-Accredited 'A' Grade), College with Potential for Excellence (UGC), Jabalpur (M.P.),  
 India Corresponding Author

**Abstract:** Water is a vital resource for human survival. The availability of good quality water is an indispensable feature for preventing diseases and improving quality of life. It is necessary to know details about different physico-chemical parameters such as colour, temperature, Total hardness, pH, sulphate, chloride, DO, BOD, COD, alkalinity used for testing of water quality. The objective of this paper is to study various water pollutants available in River followed by literature review.

**Keywords:** Surface water quality, Ground water, River water quality, water quality standard, Physico-chemical Parameter.

**Introduction:** Water is the most important in shaping the land and regulating the climate. It is one of the most important compounds that profoundly influence life. Water is one of the most important and abundant compounds of the ecosystem. All living organisms on the earth need water for their survival and growth. As of now only earth is the planet having about 70 % of water. But due to increased human population, industrialization, the use of fertilizers in the agriculture and man-made activity, it is highly polluted with different harmful contaminants. Therefore, it is necessary that the quality of drinking water should be checked at regular time interval, because due to use of contaminated drinking water, human population suffers from varying of water borne diseases. It is difficult to understand the biological phenomenon fully because the chemistry of water reveals much about the Metabolism of the ecosystem and explain the general hydro - biological relationship. Water pollution is a serious problem in India as almost 70 per cent of its surface water resources and a growing percentage of its groundwater reserves are contaminated by biological, toxic, organic, and inorganic pollutants. In many cases, these sources have been rendered unsafe for human consumption as well as for other activities, such as irrigation and industrial needs. This shows that degraded water quality can contribute to water scarcity as it limits its availability for both human use and for the ecosystem. Due to growth of population, agriculture, and industries, demand for domestic water has increased many times during the last few years. Rivers play an important role in human development by providing drinking water, making the land fertile and serving as a conduit for transportation.

**Review of Literature:**

The various technical research paper on the assessment of water quality for lake, river, sea and different areas have been presented at research level for the study. These papers are presented below.

**Chauhanet. al. (2003)** worked on assessment of physical chemical parameter and quality of Sutlej River in Nangal area of Punjab (India). The Physico-Chemical parameters were studied and analyzed for the period of one year i.e. July 2010 to June 2011. Various physico-chemical parameters such as water temperature, water colour, Turbidity, free ammonia, Total dissolved solid, pH, Dissolved oxygen, Free CO<sub>2</sub>, Total hardness, total alkalinity, chlorides, BOD, Nitrates, Phosphates, Sulphates were studied. The results revealed that there was significant seasonal variation in some physicochemical parameters and river water was moderately polluted in Nangal area. On the basis of primarily study, it was apparent that water was not potable but can be used for propagation of wildlife, fisheries and irrigation.

**Bhosaleet. al., (2004)** studied Water quality assessment of the River Godavari, at RamkundaNashik. Three samples collected from three locations along the area during the months June, August, and October respectively. During present study, some physical and chemical properties were determined. The measurement of temperature, pH and TDS were taken in the field, immediately after the collection of samples, using a portable water quality analyzer, Chlorides, Total hardness, Ca, Total alkalinity. The result of the study shows that, the river is polluted at Ramkunda. It is believed that continued pollution of the water sources by various human activities may lead to various health problem to human being. The values of correlation coefficients and their significance levels will help in selecting the proper treatments to minimize the contaminations of river water of Godavari at Ramkunda.

**Jhaet al., (2009)** studied physical, chemical and biological characteristics of surface water in and around Jabalpur city, M.P. to evaluate the suitability of water for irrigation and domestic uses. Samples of water were collected from various localities such as Narmada and Pariyat water supply system, various ghats of Narmada river, various tals and tanks, main drains of the city such as Omtinala and Motinala and were analyzed for pH, electrical conductivity, temperature, dissolved oxygen, five days Biological oxygen demand, fecal coliform, turbidity, total solids, nitrates and phosphates. Water quality indices "WQI" developed in 1970 by the U.S. National sanitation foundation was calculated for these water samples. The results conclude that the water quality of water supply systems, various ghats of Narmada river is of medium quality and can be used for domestic use after suitable treatment. The water quality of various tanks and drains falls in the range of bad quality waters by index rating and can be used for irrigational purposes. This study is helpful to environmental planning and pollution control measures applicable to the area.

**Sharma et al., (2011)** worked on Evaluation of water quality of Narmada river with reference to physico-chemical parameters at Hoshangabad city, MP, India. River Narmada is one of the 13 prominent rivers of India, which covers 98,797 sq km of total water-shed area. Narmada is considered to be the lifeline and west flowing river of the state of Madhya Pradesh. The monitoring of water quality of Narmada river was carried out for one year 2007. The water samples were collected from the river Narmada water from four selected stations Bandhrabhan, Naogha, Sethanighat, Dongarwara for a period of twelve months during the year 2007. The river water samples were collected in different sampling bottles as per Standard Method (APHA). The pH, electrical conductivity and turbidity were estimated at sampling sites. The other parameters were measured by the procedure given by APHA in the laboratory. The investigation period was divided into two seasons i.e. pre-monsoon and monsoon.

**Bhalmeet al., (2012)** summarized water analysis and their treatment processes in different region, which is helpful to know the different treatment processes and parameters used in the study. From the above papers, we have concluded that due to increase in industrialization, water quality of drinking water deteriorated, and hence there is a need of proper analysis of water and prior treatment.

**Arora et al., (2012)** worked on Water quality of river Ganga during mass bathing in Haridwar during MahaKumbha of 2010 in terms of microbiological and molecular analysis. The sample was collected from river Ganga during MakarSankranti to ShakhPoornima and assessed for fecal indicator bacteria Escherichia coli along with Standard Plate Count (SPC) to determine total bacterial load in the river.

**Christopher et al., (2012)** studied on Yamuna River water quality. Yamuna is the major tributary of River Ganges serving almost 57 million people across its travelling length in India. Water quality of Yamuna has deteriorated despite huge expenditure and efforts put by the government. One of the potent effects of the polluted water is occurrence of heavy metals, which are harmful and toxic at high concentrations affecting aquatic animals as well as human life. The article reviews the present status of Yamuna and describes the major studies across this topic. Emphasis has been laid on the waters entering Delhi region and the control exerted by the Government. The water quality of Yamuna at the point of its entry into Delhi fits to water quality standards in terms of Dissolved Oxygen (DO) and Bio-chemical Oxygen Demand (BOD).The main source of pollution of

the river Yamuna is the domestic and industrial sewage due to which the quality of water at the point where the river leaves Delhi has worsened. The results were water quality of the river is unfit for any purpose.

**Gadekaret et al., (2012)** observed that the water quality of river is deteriorated due to domestic, industrial effluents direct discharge into river and various human activities along the banks of the river. Instead of analyzing the single parameter and predicting the quality of river does not define the actual quality of the river for serving required purpose. So, the seasonal river quality monitoring by analyzing various physico-chemical parameters and by integrating them is very much necessary in order to determine and maintain the water quality of the rivers.

**Kumar et. al. (2013)**, studied on Water Quality Assessment of River Gomti in Lucknow. Gomti river originates from Madhoganj, Tanda village in Pilibhit district, U.P. It passes through the district of Shahjahanpur, Kheri, Hardoi, Sitapur, Lucknow, Barabanki, Sultanpur, Jaunpur and ultimately merges in Ganga. The world is facing problems with a wide variety of pollutants both inorganic and organic in nature. Healthy soil, clean water and air are the soul of life. Often soil, water and air are no longer clean and pure and poses human health risks. Gomti receives huge quantities of untreated sewage, agricultural runoff, brings lot of pesticides, fertilizer, street washouts bringing oil, asphalt, sediment and many types of heavy metals. From industrial effluents to domestic discharge, the river becomes more of a flowing dumping yard. The physicochemical parameters in water of river Gomti were assessed to know about the water quality in its catchment area. Total of fifteen sampling sites were selected between Guaghat upstream and Gomti Barrage. Parameters like Temperature, Total suspended solids(TSS), Total dissolved solid (TDS), pH, Hardness, Dissolved oxygen (DO), Nitrate, Nitrite, Chlorine, Total Coliforms and some Heavy metals were determined. Changes in water quality of river Gomti due to variations in quantity of parameters were found. Heavy metals mainly Iron, Cadmium, Copper and Arsenic were noticed.

**Tambekar et al., (2013)** wrote a review on studies related to Wardha River quality. Wardha, Wainganga and Penganga are the major river surrounding Chandrapur district. Wardha river flows into the district from western boundary and then flows along the boundaries of warora, chandrapur, korpana, rajura, Ballarpur and ghondiparitalukas and Penganga and Irai rivers meet the wardha river during this course. As wardha river flows through several industrial active areas of chandrapur district monitoring of water quality of wardha river. Domestic wastes, municipal sewage, industrial effluent from paper & pulp industries as well as agricultural runoffs are directly or indirectly responsible for deterioration of water quality many values of parameter crossed the maximum permissible limit, due to heavy discharge of effluent waste and domestic sewage in the river basin including deterioration of wardha river water quality.

An assessment of water quality has been carried out in Madhya Pradesh of Betwa River by **Vishwakarma et al., (2013)**. The River Betwa is a river in Northern India, and tributary of the Yamuna originating in the Kumra (Jhirri) village in Raisen district of Madhya Pradesh, India. The River Betwa plays a significant role in the human life of the villages located in Mandideep, Nayapura and Bhojpur areas. The present methodology deals with the monthly interval variation of physico-chemical characteristics of river Betwa during October 2011 to August 2012. Five major sampling station (1 were selected: station - I Jhirri, station -II Nayapura, station-III Mandideep, station-IV Bhojpur and station-V Vidisha. Various physico-chemical parameters like temperature, turbidity, DO, COD, TDS, TSS, pH, Hardness, Nitrate, Nitrite, Chlorine etc.

**Chaurasia et al., (2013)** studied on Water quality and pollution load of River Mandakini at Chitrakoot, Satna. The rivers in India have religious importance. Water, especially river water subjected to pollution due to direct discharge of domestic sewage, industrial waste, Agricultural run-off, etc. into the river. Most of the major towns are located on the catchment area of river systems, discharging their wastewater directly or indirectly into surface water bodies e.g. rivers, etc. The detailed survey of river revealed that small areas as well as large areas which fall in the way of river, dump domestic and toxic wastes in the river rendering serious environmental problems posing threat on human beings and biodiversity. The point sources discharge of domestic sewage or

wastewater through open drains or sewerage system, etc. The non-point sources of pollution are agriculture runoff, washing of cloths, cattle wallowing and throwing of carcasses or half burnt dead bodies etc.

**Dubey et al., (2013)** studied on water quality and pollution status of Tapiriver, Gujurat, India. An attempt has been made to study water quality parameters and pollution status of Tapi River (Gujarat). The water samples were collected from pre-selected sampling stations during January to June 2011 and important physico-chemical parameters such as temperature, turbidity, conductivity, pH, total alkalinity, DO,BOD, COD, chloride, total hardness, phosphate, Nitrate-N, Nitrite-N, ammonia, sodium and potassium were analyzed.

**Bhoret. al. (2013)**, worked onwater quality assessment of the rive r Godavari, At Ramkund, Nashik, (Maharashtra), India.The river Godavari which is a holy river k own since ancient times. As per stories of Ramayana it was believed that PrabhuRamchandra was used to take his bath in river Godavari at Ramkund. The probable reason was that, the river changes its direction from North- South to East – West which causes turbulence in water and helps to increase the dissolved oxygen level in water. Hence, the water quality at Ramkund is assumed to be much better. People all across country come to Nashik and take a holy bath in Ramkund and to perform various religious activities. This population is in lakhs during Kumb-mela. Keeping this in view, the physico-chemical properties of river Godavari at Ramkunda, Nashik are studied. Water quality is assessed during months of June to October 2012, to ascertain the impact of human activities, particularly due to floating population. Temperature, pH, Chlorides, Total Suspended Solids (TSS), Total Dissolved Solid (TDS), Total Hardness (TH), Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD) was determined.

**Salahuddinet al. (2014)**, Studied that the variations in physico-chemical parameters such as temperatures, pH, transparency, total alkalinity, total hardness, chloride content, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD) were observed between 1100 and 0700 h.

In this review result were analyzed for monthly variation and comparative physio-chemical study of Baba Ghat of Beehar river of Rewa city (M. P.) in March, April and May 2012 by**Agrawal et al., (2014)**. All life on earth depends on water. Fresh water is a critical, finite, vulnerable, renewable natural resource on the earth and plays as important role in our living environment without it life is impossible. Monthly variation in physical and chemical parameters like Temperature, pH, total solids, total dissolved solids, total hardness , chlorides, calcium, magnesium, biological oxygen demand and chemical oxygen demand etc.

**Kulkarni et al., (2014)** carried out a study to assess the Ganga river ecosystem at Haridwar, Uttarakhand, India. The river Ganges is regarded as one of the most holy and sacred rivers of the world from time immemorial. The evaluation of river water quality is a critical element in the assessment of water resources. The quality/potability of water that is consumed defines the base line of protection against many diseases and infections. The present study aimed to calculate Water Quality Index (WQI) by the analysis of sixteen physico-chemical parameters on the basis of River Ganga, weighted arithmetic index and WQI by National Sanitation Foundation (NSF) to assess the suitability of water for drinking, irrigation purposes and other human uses.

**Pathak et al., (2015)** studied on Water quality index (WQI) of river Bhagirathi to determine the quality of its water for public use, recreation and other purposes and used parameters of pH, electric conductivity, Total dissolve solids, Total suspended solids, Dissolve oxygen , Biological oxygen demand, Total alkalinity, Total hardness, Chloride, Nitrate and Sulphate were determine.

**Shrivastava et al., (2015)** studied on Deteriorating water quality of river Patalganga Mumbai. Water quality is of major concern in India; this is especially true for rivers being used as drinking water sources. One such river considered in this study is the Patalganga, which is located about 60 km from Mumbai and is a significant source of water supply for Panvel, Alibaug and Rasayani. This paper aims to determine the polluting sources responsible for the poor water quality of the Patalgangariver and to suggest a scientifically sound water quality management plan to improve the same.

**Kumawatet. al.,(2015)** studied on Quality status study of river Kshipra at Ujjain before Its linkage with Narmada water. Kshipra is Holy River that originates from the Kakri-Badi (Indore) of Madhya Pradesh and flows across Ujjain city ( $23^{\circ}18' N$ ,  $75^{\circ}77' E$ ) which is considered to be geographically, historically,

geologically, astronomically and astrologically important. Unlike other river of our country the life line of Ujjain is also facing the consequences of various anthropogenic activities that are leading to its quality deterioration. The present study was carried out to assess the quality status of Kshipra water before its proper linkage with river Narmada, so as to have a baseline data for future studies and to plan management strategy for forthcoming Simhastha (Kumbh) mela during 2016. Water quality was assessed in terms of physical, chemical and microbiological parameters. Four sampling sites (Ghat) viz., Triveni,Gau,Ram, and Mangalnath were selected covering almost whole city along with river traverse. Physical parameters included pH, temperature, conductivity and opacity, while chemical parameters assessed were Total Dissolved Solid, Total Suspended Solid, hardness (Ca++and Mg++) Dissolved Oxygen and BOD. Total coliforms, fecal coliforms, fecal streptococci and Total Viable Count (TVC) were taken as microbial parameters. All parameters were studied following standard protocols. Results reveal that value of all the parameters were above the permissible limits laid by WHO/ CPCB. Present study brings out the urgency and need for the sustainable management of river Kshipra and thereby maintaining sustainability of our society and culture.

**Rizvi et.al. (2015)**, worked on Assessment of water quality of Hindon river in Ghaziabad and Noida, India by using multivariate statistical methods. The river is highly polluted due to industrial, municipal and agricultural activities. In the present study, water quality of river Hindon is assessed by using Multivariate statistical methods. Water quality data obtained from eight different sampling stations has been subjected to Pearson correlation, principal component analysis and cluster analysis. Principal component analysis yields three major components which were responsible for 84% of total variance within the data set. First factor which is controlled by Total Dissolved Solids, Total Hardness, and chloride explains 36.85% of total variance. The second factor, having strong positive loading of temperature and pH explains 28.34% of the total variance and third factor that can be attributed to organic pollution is responsible for 19.71% of total variance. Hierarchical cluster analysis was carried out to classify sampling stations of certain similarity which grouped eight different sites into two clusters. Thus, the present study has helped to recognize the major components contributing to water quality and has further illustrated the significance of multivariate techniques for analysis and elucidation of water quality data.

**Deshmukhet. al. (2015)**, studied on Investigation of water quality parameters of Nag river in Nagpur region, MS, India. In this review, the water quality of Nag river of Nagpur in Maharashtra, India is determined. Recently, various endless efforts are being made to bring Nag river into city's heritage list. This river flows across the city and serves as waste water carrying drainage for city of Nagpur. Its ecosystem is extremely polluted by urban waste pollution from Nagpur. All metabolic, physiological activities & life processes of aquatic organism are generally influenced by such polluted waste & hence it is essential to study physico-chemical characteristics of water. The waste water will be analyzed for the main water quality parameters such as temperature, pH, color, dissolved oxygen, conductivity, turbidity, total dissolved solids. The effluent samples will be collected from five different locations.

**Conclusion:** The seasonal river quality monitoring by analyzing various physico-chemical parameters and by integrating them is very much necessary in order to determine and maintain the water quality of the rivers. The present review paper undertaken to account to bring an acute awareness among the people about the quality of water. The individual and the community can help minimize water pollution by simple housekeeping and management practices the amount of waste generated can be minimized.

**Acknowledgement :** The authors are thankful to the principal, Govt. Model Science (autonomous) college, Jabalpur(M.P.),for providing necessary facilities.

**References:**

- Bhalme SP, Dr.nagarnaik BP (2012)** Analysis Of drinking water of different places, international journal of engineering research and applications (IJERA) (2)3:3155-3158.
- Gadekar M.R., Gonte R.N., Paithankar V.K., Sangale Y.B., Yeola N.P.(2012),** Review on river water quality designation, international journal of emerging technology and advanced engineering website: www.ijetae.com (issn 2250-2459, 2(9).
- JhaaMedha and Tignath Sanjay(2009)** , Assessment and impacts of surface water environment in and around Jabalpur city, Madhya Pradesh, India, e-Journal Earth Science India; 2(II):111-116.
- Mudgal L.K., Singh A.K.(2013),** Comparative studies of physico-chemical parameters of t4=u74so reservoirs of narmada river, mp, india current world environment; 8(3):473-478.
- TambekarPratiksha, Pravin P. Morey, Batra R.J., WeginwarR.G.(2013)** ,Physico-chemical parameter evaluation of water quality around chandrapur district maharastra, india, journal of chemical and pharmaceutical research; 5(5):27-36.
- Agrawal, G.D., Kannan, G.K.(1994),** Degradation of River due to Diffuse Activities and Appropriate Approach for Management-A Case Study of River Mandakini, J. Indian Assoc. Environmental Management , 23,113-121 .
- ChaurasiaSadhana and Karan Raj(2013),**Studies of Water quality and pollution load of river Mandakini at Chitrakoot, India.International Research Journal of Environment Sciences ISSN 2319–1414 Vol. 2(6), 13-19.
- Dhananjay Kumar, Anjali Verma, NamitaDhusia and NandkishorMore(2013),** Water Quality Assessment of River Gomti in Lucknow. Universal Journal of Environmental Research and Technology All Rights Reserved Euresian Publication © eISSN 2249 0256 Available Online at: [www.environmentaljournal.org](http://www.environmentaljournal.org) Volume 3, Issue 3: 337-344 .
- SoniVirendra, SalahuddinKhwaja and Manish VisavadiaPreimpoundmental(2013),**Studies on water quality of narmada river of india. international research journal of environment sciences, 2(6), 31-38.
- Sharma Shraddha, VishwakarmaRakesh, Dixit Savita and Jain Praveen(2011),** Studies of Evaluation of water quality of Narmada river with Physco- chemical Parameters at Hoshangabad city, MP, India Research Journal of Chemical SciencesVol. 1(3) June .
- Bhagat S, Chauhan, SK Sagar(2013),** Impact of pollutants on water quality of river Sutlej in Nangal Area of Punjab, India, Biological Forum-An International Journal. 5(1):113-123.
- P. Mahesh Kumar and C. Prabhahar(2012),**Physico – chemical parameters of river water: a review, international journal of pharmaceutical & biological archives ; 3(6): 1304-1312.
- Shrivastava A. , Tandon A. , Rakesh Kumar(2015) ,**Studies of water **quality** management plan for Patalganga river for drinking purpose & human health safety , International sciences, 3(2), pp. 0071 – 0087, website. [www.ijsrpub. Com](http://www.ijsrpub.com).
- Sharma Shraddha, VishwakarmaRakesh, Dixit Savita and Jain Praveen(2011) ,**Studies of Evaluation of water quality of Narmada river with Physco- chemical Parameters at Hoshangabad city, MP, India Research Journal of Chemical SciencesVol. 1(3)June.
- Sharma K.D., Lal N. and Pathak R.D.,** Water quality of sewage drains entering Yamuna at Agra, Indian J. Environ. Hlth. 23(2), 118-122 (1981) 23.
- Shukla B.D., Suresh C., Tripathy R., Deep Kumari V. and Pande V.S. (1989),** Physico-chemical and biological characteristics of river Ganga from Mirzapur to Ballia, Indian J. Environ. H1t,31(3), 218-227.
- SujataSen , DrMrinalKanti Paul and Madhab Borah (2011),** Study of some physico-chemical parameters of pond andriver water with reference to correlation study, international journal of chemtech research, vol.3, no.4, pp 1802-1807,
- Bhagat S, Chauhan, SK Sagar (2013),** Impact of pollutants on water quality of river Sutlej in Nangal Area of Punjab, India, Biological Forum-An International Journal; 5(1):113-123

**Dubey Monika and Ujjania N.C.(2013)**, Water quality and pollution status of Tapi river, Gujarat, India International Journal of Pure and Applied Zoology Vol.1, Issue 3, pp: 261-266, <http://www.ijpaz.com>

**ManjushaBhor, PrakashKadave, AbhijitBhor, SheetalBhor, ManishaBhosale,**

**Bholay A.D.(2013)**, Water quality assessment of the river godavari, at ramkund, nashik, (maharashtra), india.researchinventy: international journal of engineering and science issn:2278-4721,vol.2,issue2, pp64-68 [www.researchinventy.com](http://www.researchinventy.com)

**.Ali I, Singh P, Rawat MSM, BadoniA.(2008)**, Analysis of organochlorine pesticides in the Hindon River water, India. Journal of Environmental Protection Science; 2: 47- 53.

**Kumawat, D.M. and Manish K. Sharma(2015)**, Study of quality status study of river kshipra at ujjain before its linkage with narmada water journal of global biosciences issn 2320-1355 volume 4, number 2, pp. 1508-1516 website: [www.mutagens.co.in](http://www.mutagens.co.in) e-mail: submit@mutagens.co.in researchsubmission@hotmail.com

**NidaRizvi, DeekshaKatyaL and VarunJoshi(2015)**, Assessment of water quality of hindon river in ghaziabad and noida, india by using multivariate statistical methods original research article journal of global ecology and environment 3(2): 80-90 .

**Payal K. Baitule, Wahid Deshmukh, M. P. Bhorkar(2015)**, Investigation of water quality parameters of nag river in nagpur region, ms, indiainternational journal on recent and innovation trends in computing and communication issn: 2321-8169 volume: 3 issue: 2041–045.

## गीत—काव्य का स्रोत : ऋग्वेद

श्री सच्चिदानन्द दुबे, शोधार्थी, हिंदी एवं भाषाविज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

ऐतिहासिक दृष्टि से उपलब्ध प्रमाणित आधारों पर यह माना गया है कि गीतों की रचना का प्रारम्भ मानव—सभ्यता एवं संस्कृति के प्रथम प्रभात से हो चुका था। 'गीत—परम्परा अति प्राचीन है, अर्थात् वेदों से भी पहले की। भारतीय परम्परा की दृष्टि से 'गीत—काव्य का इतिहास वेदों से ही प्रारम्भ होता है। सामवेद गायन ही है। गीत—शब्द का पूरा—पूरा महत्व श्रीमद्भगवत् गीता में देख जा सकता है — स्वयं वेदों के गायकों ने उन्हें गीत कहा है — 'गीर्भि वरुण सीमहि' — अर्थात् हे मेरे वरणीय, मैं तुम्हें अपने गीतों से बाँधता हूँ।

'भगवतगीता', अर्थात् भगवान के द्वारा गाया गया उपनिषद। वैदिक मंत्र गेय हैं, अर्थात् वे गीत—बद्ध हैं, मंत्र के आरम्भ में उनके स्वरों का भी निर्देश पाया जाता है। वेद, मंत्र—दृष्टा कवियों के गीत हैं। वैदिक काल में भी गान के दो प्रमुख प्रकार पाये जाते हैं, क. ग्राम गान ख. अरण्य गान। यह ग्राम—गान लोक—गीत का ही पूर्व रूप है।

बौद्ध—जैन कवियों के काव्य में गीतियों का रूप मात्र स्तुतियों—स्त्रोंतों में देखा जा सकता है। यहाँ गीत—काव्य के तत्त्वों की बात करना व्यर्थ है। बौद्ध और जैन वाङ्मय वैयक्तिक दर्शन का विषय है, सामूहिक गान का नहीं।

'ऋग्वेद में 'गाथित शब्द गानेवाले के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है — इस प्रकार समस्त गाथाएँ छन्दबद्ध पर सामाजिक अवसरों पर गाये जाने योग्य होती थीं। उनसे हमें लोक—गीतों के तत्कालीन स्वरूप का संकेत मिलता है। ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थों में भी अनेक उल्लेख उपलब्ध हैं।

'वैदिक ऋचाओं में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित उच्चारणों का विधान है, यास्क ने निरूक्त में इनकी व्याख्या की है। वैदिक ऋचाएँ सामूहिक रूप में, सम्बवत्, बाद्य—यंत्रादि के साथ गायी जाती थीं — सामवेद का सम्बन्ध संगीत से है। वहाँ अनेक बाद्य—यंत्रों का उल्लेख है, अर्थ यह है कि सामूहिक रूप से बाद्य—यंत्रों के साथ वेदों के गाये जाने का प्रमाण मिलता है।

'निराला के विचार में आर्य जाति का सामवेद संगीत के लिए प्रसिद्ध है। यों इस जाति ने ऐसे पदों में जो कुछ भी कहा है, भाववश संगीत में कहा है। संगीत का ऐसा मुक्त रूप अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता। गायत्री की महत्व आज भी आर्यों में प्रतिष्ठित है। इसके नाम में ही संगीत की सूचना है। भाव और भाशा की ऐसी पवित्र झंकार और भी कहीं हैं, मुझे नहीं मालूम। स्वर के साथ शब्द, भाव और छंद तीनों मुक्त हैं।

डॉ. नानूराम व्यास 'ऋग्वेद' में उषा के प्रति की गई स्तुतियों में गीत—काव्य की सर्वप्रथम झलक देखते हैं।

श्री बलदेव उपाध्याय गीत—काव्य को 'संस्कृत भारती का परम रमणीय अंग' मानते हैं। नरेन्द्र शर्मा के विचार में 'गीत हमारी संस्कृति को अत्यन्तप्रिय रहा है। नन्द दुलारे बाजपेयी मानते हैं कि 'गीतों का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है और समुज्ज्वल है। प्रतीत होता है कि गीत—काव्य की प्राचीनतम स्फूर्ति है और मानव स्वभाव की एक मौलिक वृत्ति है।

इस प्रकार, सभी विद्वानों के विचार इस विषय में समान है कि 'भारत में गीत रचना का उदय वेदों (ऋग्वेद) से देखने का मिलता है। अतः गीतों की परम्परा यो सीधी वेदों से स्थापित की जा सकती है। इन मतों के सार रूप में 'नीरज' का कहना है कि 'गीत, काव्य का सबसे प्राचीनतम रूप है — कभी वह मंत्र बनकर रहा, कभी ऋचा बनकर, कभी श्लोक बनकर, कभी गान बनकर और कभी गीत बनकर।

अरस्तू (384 ई. पू. – 322ई. पू.) ने त्रासदी के अन्तर्गत अलंकरण प्रसाधन मानते हुए, गीत संबंधी स्फुट विचार व्यक्त किये हैं। पूर्वोग्रहों से ग्रस्त, भले ही अरस्तू गीत–विधा पर व्यापकता से विचार न कर सका, किन्तु 'गीत' के विषय में उनसे विचार किया है जिससे लगभग 23 सौ वर्श पूर्व प्राचीन गीत–परम्परा का आभास होता है।

संस्कृत गीत काव्य की परम्परा का इतिहास कालिदास की 'मेघदूत' कृति से आरम्भ हुआ माना जाता है। फिर जयदेव के 'गीत गोविन्द' को प्रमुख स्थान दिया जाता है। किन्तु 'संस्कृत में महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार बने कि उसमें गीति–काव्य का प्रवेश सम्भव न हो सका। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में शुद्ध गीति–काव्यत्व का अभाव–सा है, और लोक–गीतों का प्रभाव उस पर परोक्ष रूप से पड़ा है।

किन्तु कालिदास के उपरान्त 'चौर कवि अथवा विल्हण' की 'चौर पंचाशिका' कृति स्वच्छंद आत्मनुभूतिप्रधान 'एक भावन्विति सम्बद्ध गीतिहै। संस्कृत साहित्य में शुद्ध आत्मनुभूतिप्रधान यह प्रथम काव्य है। यहाँ कवि का व्यक्तित्व बंधन को तोड़कर साहस के साथ सामने आ खड़ा हुआ है। (हिन्दी में छायावाद पूर्व अन्यन्त्र यह बात देखने को नहीं मिलती।) यह कारण है, यह शुद्ध गीति–काव्य भावक्षेत्र में गहराई के विचार से 'मेघदूत' से भी आगे बढ़ गया है।

### संदर्भ ग्रंथ –

1. लालधर त्रिपाठी 'प्रवासी' पृ. 29
2. काव्य के रूप : गुलाबराय, पृ. 120
3. श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य अथवा कर्मयोग भास्त्र : लोकमान्य बालगंगाधन तिलक, पृ. 8 अनु. श्रीमान माधवराम जी सप्रे, सन् 1950
4. गीतिकाव्य का विकास : लालधर त्रिपाठी 'प्रवासी' पृ. 2
5. गीतिकाव्य : रामखेलावन पाण्डेय, पृ. 20
6. भारतीय लोक – सहित्य : श्याम परमार, पृ. 62
7. पाश्चात काव्य–शास्त्र की परम्परा : प्रधान सम्पादक डॉ. नगेन्द्र, पृ. 4
8. अरस्तू का काव्यशास्त्र। डॉ. नगेन्द्र पृ. 119–62–63
9. गीति–काव्य का विकास : लालधर त्रिपाठी 'प्रवासी', पृ. 6
10. गीति–काव्य : रामखेलावन पाण्डेय, एम. ए.पृ. 6
11. गीति–काव्य : रामखेलावन पाण्डेय एम. ए.पृ. 10
12. गीति– काव्य का विकास – लालधर त्रिपाठी प्रवासी' पृ. 67

## महाकवि भट्टकाव्य में धर्म

**सागर कुमार पाण्डेय, शोधछात्र, संस्कृत पालि एवं प्राकृत विभाग, रा.दु.वि.वि.जबलपुर**

भारत एक बहुलवादी समाज है, जहाँ पर धर्म के अनेक सकारात्मक कार्य हैं, तथा सामाजिक जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, भारतीय संस्कृति का मूलाधार धर्म ही है। भारत धर्म प्राण देश है, ग्रीष्म, वसन्त आदि, परस्पर विरुद्ध ऋतुओं के समावेश के समान आपात द्रुष्टि से परस्पर विरुद्ध रूप में प्रतियमान धर्मों का समावेश और समन्वय यही सम्भव है।

धर्म अलौकिक श्रेय की प्राप्ति का साधन हैं, धर्म विशाल वृक्ष की भाँति भारतीय धरातल का अनादिकाल से लौकिक एवं पारलौकिक सुख के लिये पत्र, पुष्ट एवं फल के रूप में अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान कर रहा है, न केवल भारतवासी वरन् सम्पूर्ण विश्व के निवासी धर्म की शीतल छाया एवं अमर फल की प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं।

प्राचीन काल से ही धर्म भारतीय समाज का प्रमुख अङ्ग रहा है। वेद, स्मृति, दर्शन, पुराण, धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र, रामायण और महाभारत आदि धार्मिक ग्रन्थों में इसके स्वरूप का वर्णन किया गया है।

### **राजा का धर्म या राजधर्म :**

राजधर्म का व्याख्या अनेक ग्रन्थों से प्राप्त होता है, यहाँ पर धर्म शब्द कर्तव्य के अर्थ में ही प्रयुक्त है। राजा समाज का आदर्श होता है। महाकवि भट्टकाव्य ने राजा के छोटे-मोटे कर्तव्यों से लेकर सेना की छोटी-मोटी बातों तक का वर्णन करते हैं। सन्धि, समास, विग्रह आदि गुणों के प्रयोगों के अवसरों पर वे अपनी युक्तियों तथा परस्पर विरोधी तर्कों से सुगम बना देते हैं। उनकी सूझ-बूझ पर विस्मित होना पड़ता है, प्रजा की सर्वविधि हित व्यापक अधिकार को ध्यान में रखते हुये वर्णन करते हैं।

**भट्टकाव्य में राजा दशरथ राजधर्म का पालन करते हुए अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा करते हैं—**

**ततः सुचेतीकृत पौरभूत्यो राज्येऽभिषेक्ये सुतमित्य नीचैः।**

**आघोषयन् भूमिपतिः समस्तं भ्योऽपि लोकं सुमनीचकार ॥**

### **भट्टकाव्य 3/2**

महाकवि भट्टकाव्य ने काव्य में राजनीतिक दौव पेचों की व्याख्या बड़ी सुन्दरता से किया है। ऐसा कोई भी चीज उसमें नहीं छूट पायी है, जिसकी कमी की ओर संकेत मिले राजा रावण को हनुमान जी सन्धि करने की सलाह देते हैं, विभीषण भी रावण को राज्य के प्रति कर्तव्य और सन्धि करने की सलाह देते हैं, नाना माल्यवान भी राज्य के प्रति कल्याण के लिए सलाह देते हैं, कुम्भकर्ण ने भी नीति मार्ग का ही प्रदर्शन कराया —

**घोषेण तेन प्रतिलब्धसंज्ञो निद्राऽविलाऽक्षः श्रुतकार्यसारः ।**

**स्फुरद्धनः साऽम्बुरिवाऽन्तरीक्षं वाक्यं ततोऽभाषत कुम्भकर्णः ॥**

### **भट्टकाव्य 12/61**

महाकवि भट्टकाव्य ने अपने महाकाव्य में वे परस्पर विरोधी विचारों को आमने-सामने रखकर उचित पक्ष के निर्णय का जो प्रसंग प्रस्तुत किया है, उससे हर पाठक को अपने दैनिक कार्यों में राजनीति का अपेक्षित ज्ञान हो जाता है तथा राजा के विशेष गुणों का भी ज्ञान होता है।

**पितृधर्म :**

भट्टिकाव्य में महाकवि भट्टिट ने पिता के धर्म का बड़ा सुन्दर ढंग से वर्णन किया है, भट्टिकाव्य के दशरथ पिता धर्म का पालन करते हुए महारानी कैकेयी को अनेक प्रलोभन देते हैं, कि राम को वनगमन न माँगे –

**वसूनि देशांश्च निवर्तयिष्यन् रामं नृपः सङ्गिग्रहमाण एव।**

**तयाऽवज्ञे भरताऽभिषेको विषादशङ्कुश्च मतौनिचरणे ॥**

भट्टिकाव्य 3/8

**पुत्रधर्म :**

महाकवि भट्टिट ने अपने महाकाव्य भट्टिकाव्य में पुत्रधर्म को दृष्टव्य किया है, भट्टिकाव्य के राम और लक्ष्मण ने अपने निकट आये हुए अप्यन्त शोक सन्तप्त प्रजाजनों से कहाँ कि— पिता जी की आज्ञा का पालन कर कृतार्थ होने वाले ऐसी समृद्धि के समय पर आप लोग शोक क्यों करते हैं।

**प्रस्थास्यमानावुपसेदुषस्तौ शोशुच्यमाननिदमूच तुस्तान ।**

**किं शोचते हाऽभ्युदये बताऽस्मान् नियोगलाभेन पितुः कृतार्थान् ॥**

भट्टिकाव्य 3/12

भरत द्वारा पिता का मरण शोक को सुनकर करुणा पूर्वक विलाप करने के अनन्तर राम पहले मृत पिता का पिण्डदान करते हैं—

**चिरं रुदित्वा करुणं सशब्दं गोत्राऽभिधायं सरितं समेत्य ।**

**मध्ये जलाद् राघवलक्ष्मणाभ्यां प्रत्तं द्वयज्जलमन्ति केऽपाम् ॥**

भट्टिकाव्य 3/50

सीता के वियोग से दुःख को प्राप्त करते हुए भी धर्मात्मा राम अपने धर्म का पालन करते हुए पितृ पक्ष में पिता को जलाजलि प्रदान करते हैं—

**स्नानभ्यषिचताऽभ्योऽसौ रुदन्दयितया विना ।**

**तथाऽभ्यषिक्त वारीणि पितृभ्यः शोक मूर्च्छितः ।**

भट्टिकाव्य 6/23

**राक्षस धर्म :**

भट्टिकाव्य में राक्षस धर्म का निरूपण मिलता है, निशाचर मारीच कहता है — हे दशरथ पुत्र राम ! हम निशाचरगण ब्राह्मणों को भक्षण करते हैं, देव पूजकों का वध करते हैं, और नगर को मरे हुए मनुष्यों का आवास बनाते हैं, यह हम राक्षसों का धर्म है —

**अद्यो द्विजान्देवयजीन्निहन्मः कुर्मः पुरं प्रेतनराऽधि वासम् ।**

**धर्मो ह्यां दाशरथे ! निजो नो नैवाऽध्यकारिण्महिं वेद वृत्ते ॥**

भट्टिकाव्य 2/34

**ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय धर्म :**

शुक्ल यजुर्वेद 20/25 में कहा गया है कि –

**यत्र ब्रह्मा च क्षत्रं च ..... ।**

अर्थात् जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, वह लोक पुण्यवान् होता है।

**भट्टिकाव्य** के ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से इसका वर्णन करते हुये कहा है कि क्षत्रिय तेज और ब्रह्मतेज परस्पर भलाई के लिये है –

**मयात्वमात्था: शरणं भयेषु वयं त्वयाऽप्याप्स्यहि धर्मवृद्धयै ।**

**क्षात्रं द्विजत्वं च परस्पराऽर्थं शङ्का कृथा मा प्रहिणु स्वसूनुम् ॥**

**भट्टिकाव्य 1/21**

गीता में क्षत्रिय धर्म का निर्देश इस प्रकार से दिया गया है –

**शौर्यं तेजो धृतिर्दक्षयं युद्धे चाप्यपलायनम् ।**

**दानमीश्वर भावश्चक्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥**

**गीता 18/43**

याज्ञवल्क्य स्मृति में क्षत्रिय का प्रमुख कार्य प्रजा का पालन करना बताते हैं –

**प्रधानं क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम् ।**

**याज्ञवल्क्यस्मृति – 2 भाग पृ. 25**

आचार्य शुक्र क्षत्रियों के तीन कर्तव्यों का उल्लेख किया है – सज्जनों की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना, कर लेना यथा –

**संद्रक्षणं दुष्टनाशः स्वांशादानं तु क्षत्रिये ।**

**शुक्र 7/24**

**भट्टिकाव्य** में राम स्वयं क्षत्रिय धर्म का वर्णन करते हुए मारीच से कहते हैं – क्षत्रियों का धर्म हैं कि धनुष बाण धारण करे और परद्रोही व्यक्ति का वध करे –

**धर्मोऽस्ति सत्यं तव राक्षसोऽयमन्यो व्यतिस्ते तु ममाऽपि धर्मः ।**

**ब्रह्मद्विषस्ते प्रणिहन्मि येन राजन्यवृत्तिर्धृतकार्मुकेषुः ॥**

**भट्टिकाव्य 2/23**

**भट्टिकाव्य** के राम क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वालि का वध किया है और उसको वेदपाठी वृद्धों से निन्दित बताया है।

महाकवि भट्टिक वैदिक साहित्य एवं संस्कृत के धार्मिक वृत्तों से ओत–प्रोत थे, उनका काव्य धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित था, उनके देवगढ़ भौतिक शावित के रूप में सर्वोच्च सत्ता का प्रतिनिधित्व किया है।

भारतीय समाज में जीवन के अनेक धार्मिक क्रियाओं के साथ–साथ यज्ञ का भी विशेष महत्व है, भट्टिक के काव्य में इसका दृष्टव्य मिलता है। विविध यज्ञों के कर्ता दशरथ स्वयं पुत्रयेष्टि यज्ञ करवाते हैं।

इन्द्रजित के राक्षस गढ़ ब्राह्मणों से यज्ञ करवाते हैं –

आशासत् ततः शान्तिमस्तुरग्नीनहावयन ।

विप्रानवाचयन् योधा: प्राकुर्वन मङ्गलानि च ॥

भट्टकाव्य 17 / 1

इन्द्रजित् निकुम्भिला यज्ञशाला में स्वयं यज्ञ करता हैं—

मा र्म तिष्ठत तत्रस्थो वध्योऽसावहुताऽनलः ।

अस्त्रे ब्रह्मशिरस्युग्रे स्यन्दने चाऽनुपार्जिते ॥

भट्टकाव्य 17 / 26

अर्थात् आप लोग विलम्ब मत करे, निकुम्भिला में विद्यमान इन्द्रजित् जब तक अग्निकार्य नहीं करता हैं, ब्रह्मशिरा नाम के दुःसह अस्त्र का और रथ का उपार्जन नहीं करता हैं तभी तक वह मारा जा सकता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म का जिस व्यापक रूप में प्रयोग होना चाहिए उसे मानवीय कर्तव्यों का समन्वय ही कहा जा सकता है, धर्म मनुष्य की सर्वोपरि आवश्यकता है। जीवन की सार्थकता अपने आप को धर्म परायण बना लेना है, महाकवि भट्टि ने उपर्युक्त उद्धरण उनके धर्म परायण होने के द्योतक हैं।

## पश्चिमी राजस्थान में शासन सुधार के लिए हिन्दी समाचार पत्रों की भूमिका (स्वतंत्रता आन्दोलन के विशेष संदर्भ में)

धर्मेन्द्र कुमार दुबे, रिसर्च स्कॉलर, पैसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर

स्वतंत्रता आन्दोलन के समय जब सम्पूर्ण देश अंग्रेजों की दहशत एवं देशी रियासतों द्वारा उनका पिछलगूँ बन जाने से जनता में हुए आकोश ने जब सिर चढ़कर बोलना शुरू किया तो उसका एक मात्र कारण यही था कि जनता इन अत्याचारों से त्रस्त होकर एक स्वतंत्रता व स्वाधीनता के लिए एक नयी राह की तलाश में थी। इस दौर में पश्चिमी राजस्थान जिसमें आन्दोलन की चिंगारी जयनारायण व्यास सरीखे स्वतंत्रता आन्दोलन के अगवा ने सुलगा रखी थी का एक उद्देश्य यह भी था कि किस प्रकार शासन सुधार को लागू करवाया जा सके। सम्पूर्ण राजस्थान में इस हेतु प्रजा मण्डल आन्दोलन अंगड़ाई ले रहा था और इस आन्दोलन को आगे तक ले जाने के लिए उस समय के हिन्दी समाचार पत्रों ने विशेष भूमिका निभाई। ये समाचार पत्र आन्दोलन से सम्बन्धित समाचारों के साथ-साथ प्रशासन सुधार हेतु आन्दोलनकारियों द्वारा सोची जा रही योजनाओं को जन साधारण तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। उस समय के प्रमुख पत्रिकाओं का प्रमुख घटनाओं के साथ अध्ययन निम्न प्रकार से है।

नवज्योति के सम्पादकीय 'स्वतंत्र भारत की रूपरेखा' में ब्रिटिश भारत के साथ ही रियासती जनता के विषयों को भी तार्किक ढंग से विवेचित किया। पत्र ने रियासतों में 'वैध शासन कायम हो', शीर्षक लेख के माध्यम से रियासती प्रजा के अधिकारों की बहाली, उनकी विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं सत्ता में जन भागीदारी के बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से उभारा। पत्र में ऐतिहासिक घोषणा शीर्षक से अपने सम्पादकीय में लिखा – 'ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार की ओर से महत्वपूर्ण घोषणा कर दी।' अपने गंभीर उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए नवज्योति ने सत्ता हस्तांतरण की पूर्व तैयारियों की अवधि में ही राजस्थान के एकीकरण की दिशा में जनजागृति के प्रयास प्रारम्भ कर दिए थे। पत्र ने राजस्थान के एकीकरण की योजना प्रस्तुत करते हुए लिखा कि प्रांतीय लोक परिषद् का अजमेर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया गया है। नवज्योति ने आदर्श राजस्थान का नवशा बनाकर भी लेख के साथ छापा था। स्वाधीनता मिलने पर पत्र ने मुख पृष्ठ पर भारत का नवशा प्रकाशित किया एवं सम्पादकीय लिखा – 'अपना राज आ गया'<sup>1</sup> यही तो सारी प्रजामण्डल संस्थाओं का मूल उद्देश्य था।

जोधपुर के पत्र 'रियासती' ने लोकनायक जयनारायण व्यास की देशी रियासतों के नरेशों को दी गई यह चेतावनी बड़े शीर्षक के साथ प्रकाशित की कि जनता की मांगे मान लें, वरना जन आन्दोलन भड़केगा। पत्र ने डाबरा कांड की तीव्र भर्त्तना की। उसने लिखा कि डाबरा के असली हत्यारों को सजा दो। सरकार हमारे नेताओं को खूनी एवं हत्यारे साबित करना चाहती है। यह नागरिकता का भयंकर अपमान है। इस पत्र का प्रकाशन थोड़े ही दिन बाद राजकोप का शिकार हो गया। जोशी एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी किए गए, फलतः पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। इस प्रकार प्रजाहितैषी पत्र 'रियासती' को सियासती जुल्मों के आगे अपना बलिदान करना पड़ा।

प्रजाहितैषी पत्र की ही भाँति बीकानेर रियासत ने जब प्रजासेवक के प्रवेश पर पूर्णतया रोक लगा दी। पत्र ने इसकी सूचना जनसाधारण को देते हुए लिखा कि इस रोक का देश के अनेक पत्रों ने विरोध जताया है जिसमें कलकत्ता का विश्वामित्र प्रमुख है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब भारत की स्वाधीनता का मसला तेजी से उभर रहा था। प्रजा सेवक ने स्वाधीनता की भावना को और प्रबल करने के उद्देश्य से जहां 'भारत छोड़ो' का शंखनाद फिर गूंज उठा और 'रियासतों का प्रतिनिधि कौन है' शीर्षक से सम्पादकीय लिखे वहीं मुख्यपृष्ठ पर सुभाषचन्द्र बोस का चित्र एवं आजाद हिन्द सेना का अभिवादन गीत 'चलो दिल्ली – चलो दिल्ली' और अन्य पृष्ठों पर आजाद हिन्द सेना का इतिहास प्रकाशित किया ताकि जनभावना प्रबल हो। पत्र ने जोधपुर में पण्डित जवाहरलाल नेहरू के जनसभा में दिए भाषण को 'जिम्मेवार हुक्मत के लिए अपने को तैयार रखो' शीर्षक से विस्तार से प्रकाशित किया। जैसलमेर के हालात का सजीव चित्रण, "जैसलमेर की जनता की दुःखपूर्ण कहानी" शीर्षक से प्रस्तुत लेख के तहत किया तो मारवाड़ विद्यार्थी संघ के नेतृत्व में हड़ताल के समाचार के साथ ही आजाद हिन्द सेना के सैनिकों की रिहाई, इण्डोनेशिया से हिन्दुस्तानी फौजों को वापस बुलाने, कलकत्ता गोलीकाण्ड के अपराधियों को सजा देने तथा जोधपुर के द्वितीय बम केस के एक मात्र बंदी जोरावरमल

को रिहा करने की मांगों को प्रमुखता से प्रचारित किया। प्रजासेवक पत्र ने हर विषय पर अपनी लेखनी चलाई। खाद्यान्न के संकट के दौर में जहाँ उसने बदमाश व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को जोर-शोर से उठाया, वहीं शाहपुरा प्रजामण्डल के अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया। लोगों को अपने हक्कों के लिए जाग्रत करने के उद्देश्य से पत्र ने उसी क्रम में लिखा – ‘बांसवाड़ा वह राज्य है जहां प्रगतिशील महारावल और सुधारवादी दीवान के रहते हुए भी भूख और बीमारियों का तांडव हो रहा है।’

जागीरी तत्वों के लिए प्रजामण्डल नाम ही कड़वा था। वे किसी भी कीमत पर प्रजामण्डलों के उद्देश्यों का प्रचार प्रसार होने देना पसंद नहीं करते थे। उनके अवर्णनीय अत्याचारों से प्रजा के सेवक ‘प्रजासेवक’ पत्र ने जागीरी प्रथा के खिलाफ खुलकर लिखा कि – ‘जागीरी प्रथा के लिये मौत का घंटा। दुनिया की कोई ताकत अब उसे नहीं बचा सकती। अंग्रेजों भारत छोड़े, राजाओं! प्रजा की ओर देखो, जागीरदारों! कमाओ-खाओ, साल भर के भीतर ही महकमा खास पर तिरंगा झंडा फहराने लगेगा। जयनारायण व्यास ने नारां में कहा – ब्रिटिश शिष्टमण्डली से रियासती जनता को खतरा है। क्या ये भी जनता के प्रतिनिधियों की बजाय राजाओं से बातचीत करेंगे। शासन सुधारों में सत्ता नौकरशाही के हाथ में रखी गई है।

इसी क्रम में प्रजासेवक ने अलवर प्रजामण्डल की सभा में डॉ. के.एन. काटजू के हवाले से लिखा – ‘आने वाले युग में जागीरदार कैसे रहना चाहते हैं? क्या वे जनता से लड़ेंगे या वे अकल से काम लेंगे? इंग्लैण्ड में वे कुली समझे जाते हैं। विश्व युद्ध में राजाओं का ब्रिटेन के समर्थन पर कटाक्ष करते हुए पत्र ने ‘मारवाड़ को क्या मिला?’ शीर्षक से अपना सम्पादकीय लिखा। बड़े नगरों एवं कस्बों के अलावा पत्र ने अन्य स्थानों की गतिविधियों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया। पत्र ने लिखा – ‘बाली, सादड़ी, खुड़ाला में हड़ताल रही और लोक परिषद के प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओं पर अमानुषी अत्याचार किए गए। इससे जागीरदारों तथा सरकारी नौकरों के नापाक गठबंधन का पता चलता है।’ पत्र ने लिखा – ‘जोधपुर में बीस हजार जनता का प्रदर्शन, लोगों का महलों की ओर कूच।’ मारवाड़ के देहातों में जागीरी गुंडों की कमीनी हरकतें, किसानों की निर्मम हत्या, स्त्रियों पर बलात्कार।’ इस तरह के शीर्षकों से दिए समाचारों का जनमानस पर व्यापक असर हुआ। पत्र ने साथ ही सामाजिक कुरुतियाँ उन्मूलन एवं समाज सुधार की दिशा में भी प्रयास जारी रखे एवं इस विषय में निरन्तर लेख प्रकाशित किए। पत्र ने पर्दा प्रथा त्याग कर विवाह करने वाले हुकमराज मेहता एवं उनकी पत्नी का चित्र प्रकाशित किया एवं लिखा कि अन्य लोग भी इससे प्रेरणा लेंगे।

दैनिक होने से लोकवाणी का प्रसार बढ़ा। इससे पत्र में प्रकाशित समाचारों, लेखों एवं सम्पादकीय टिप्पणियों का भी जनमानस पर व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होने लगा। अन्य प्रकार की सामग्री के साथ ही लोकवाणी ने प्रजापरिषदों, लोकमण्डलों से संवंधित समाचार सविस्तार छापने पर पूरा बल दिया।

लोकवाणी पत्र ने नारां में 28 फरवरी को मारवाड़ लोक परिषद के नौवें अधिवेशन की रिपोर्ट, जयनारायण व्यास का भाषण, ‘राजा लोग रियासतों की प्रतिनिधि नहीं हैं’ शीर्षक के साथ-साथ हीरालाल शास्त्री की जयपुर नरेश से 27 फरवरी 1946 को रामबाग में दो घंटे तक चली बातचीत का विवरण इस कथन के साथ प्रकाशित किया कि जागीरदारों ने अपना रवैया नहीं बदला तो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। यह प्रथा आज के युवा के लिए अभिशाप है। पत्र ने मारवाड़ लोक परिषद के अधिवेशन का समाचार देते हुए लिखा कि – ‘सौ गांवों के किसानों एवं अलग-अलग परगनों के प्रतिनिधियों सहित शामिल हुए।’ शासन सुधारों से जुड़ी गतिविधियों से जनसाधारण को अवगत कराने में पत्र अग्रणी रहा। पत्र ने लिखा कि कोटा-अलवर में शासन सुधार होंगे। अलवर में प्रजामण्डल की प्रधानमंत्री से वार्ता में यह आश्वासन दिया गया है। ‘लोकवाणी’ ने ‘रियासतों में वैधानिक सुधार’ शीर्षक से मोहनलाल सुखाड़िया का लेख प्रकाशित किया। इसमें कहा गया कि – ‘दरअसल सारी सत्ता जनता में निहित है और जनता की ही अंतिम निर्णय है।’ पत्र ने इसी विषय पर अपने संपादकीय में लिखा कि ‘शासन सुधारों का ढोंग हो रहा है। रियासतों में शासन सुधारों के लिये जो दौर चला एवं कमेटियाँ बनी, वे सब ढोंग हैं।’ इतना कटु यथार्थ – ‘लोकवाणी’ जैसे निर्भीक पत्र ही छाप सकते थे।

पत्र ने विभिन्न रियासतों में व्याप्त जनरोष का उल्लेख करने हुए लिखा कि शिवगंज में गोपा दिवस मनाने का निर्णय किया गया। इससे पूर्व गोपा की 4 अप्रेल को जेल में हुई मृत्यु के मामले पर भी विचार किया गया। बैठक में

झूंगरपुर, अलवर एवं बीकानेर में हो दमन पर भी विचार किया गया। पत्र ने लिखा कि करौली में राजपूताना प्रांतीय परिषद् की बैठक में राजपूताना की प्रत्येक रियासत में विधान निर्मात्री परिषद् बनाने एवं अंतकालीन अवधि में लोकप्रिय सरकारें स्थापित करने की मांग की गई। 'लोकवाणी' ने कांग्रेस अधिवेशन में रियासती विषयों से संबंधित चर्चाओं – प्रस्तावों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। पत्र ने साफ लिखा कि कांग्रेस ने मेरठ अधिवेशन में रियासतों में उत्तरदायी सरकारों की मांग का प्रस्ताव रखा गया। उसमें कहा गया कि रियासतों में बढ़ते संकट को देखते हुए कांग्रेस यह घोषित करती है कि वह देशी राज्यों की आजादी की लड़ाई को भारत के स्वातंत्र्य संघर्ष का एक अभिन्न अंग मानती है एवं रियासती प्रजा को नागरिक अधिकारों की ओर स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर भारत के एक अविच्छेद अंग की भाँति उत्तरदायी सरकार की स्थापना संघर्ष को श्रद्धा से देखती है। पत्र ने इसी क्रम में आगे यह भी लिखा कि आजाद हिन्दुस्तान में रियासती जनता गुलाम न रह सकेगी। देशी राज्यों का संघ बनाने की योजना का भंडाफोड़ हो गया है। इस प्रकार लोकवाणी एवं अन्य पत्रों ने स्वार्थी राजाओं की स्वतंत्र राज्य निर्माण की कुटिल चालों को विफल करके प्रजा के हितों की ठीक उसी भाँति रक्षा की है जैसे युद्ध में सिपाही करते हैं।

इन सभी समाचार पत्रों ने अपनी आवाज बुलन्द करते हुए तत्कालिन रियासतों व अग्रेंजो के दमन चक को खुल कर सामने रखा। पश्चिमी राजस्थान जो पिछड़े क्षेत्र की श्रेणी में आता है को स्वतंत्रा आन्दोलन में पीछे नहीं रहने दिया। ये हिन्दी समाचार पत्र ही थे जिन्होंने जनता को तो जाग्रत किया साथ ही समाज में परोपकारी शासन एवं राजस्थान के एकीकरण तक के कार्य को पूर्ण करने में भरपुर सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया। स्वतंत्रता सग्रह के समय प्रशासनिक सुधारों का बीज बोने का श्रेय इन हिन्दी समाचार पत्रों को यदि दिया जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी, और यदि इन्हें यह श्रेय नहीं मिलता है तो वास्तविक रूप से इन समाचार पत्रों के साथ बेमानी होगी।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

- 1 डॉ. विनीता परिहार, राजस्थान में प्रजामण्डल आन्दोलन,
- 2 विद्यार्थी सम्मिलित हरिश्चन्द्र चन्द्रिका,
- 3 जगहितकारक, 29 अप्रैल 1863।
- 4 देशहितैषी,
- 5 डॉ. मनोहर प्रभाकर – राजस्थान में हिन्दी पत्रकारिता,
- 6 गुप्त निबंधावली,
- 7 गुप्त निबंधावली एवं बाबू बालमुकुंद गुप्त, समाचार पत्रों का इतिहास : अम्बिका प्रसाद वाजपेयी।
- 8 राजपूताना हैराल्ड,
- 9 के.एम. सक्सेना, पोलिटिकल मूवमेण्ट एण्ड अवेकनिंग इन राजस्थान
- 10 राम रत्न भट्टाचार, रा.ग्रो.हि.ज
- 11 डॉ. मनोहर प्रभाकर – राजस्थान में हिन्दी पत्रकारिता,
- 12 राजस्थान समाचार, 1 फरवरी 1896।
- 13 राजपूताना मालवा टाइम्स, 16 मार्च 1896।
- 14 समालोचक
- 15 स्वदेश, 29 जनवरी, 1928
- 16 चौधरी रामनारायण, बीसवीं सदी का राजस्थान,
- 17 राजस्थान केसरी, 26 जनवरी 1930।
- 18 नवीन राजस्थान, 3 दिसम्बर 1922।
- 19 तरुण राजस्थान, 2 एवं 30 मार्च 1923।
- 20 मीरां, अजमेर, 18 जनवरी 1947।
- 21 राजस्थान संदेश, 4 जनवरी 1932।

## “चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भक्ति का स्वरूप”

डॉ. शैलेन्द्र चौधरीदर्शन विभाग रा.दु.वि.वि. जबलपुर (म.प्र.)

वैष्णव भक्ति का केन्द्र बिन्दु ‘कृष्ण’ एवं उनके समस्त अवतार माने जाते हैं। जहाँ भक्त अपनी प्रकृति के अनुसार नवधा भक्ति के किसी एक स्वरूप को अपनाकर अपने इष्ट के मिलन हेतु अग्रसर होता है। नवधा भक्ति का आधार ‘प्रेम’ है। यह प्रेम ही भक्त एवं भगवान् के बीच सेतु का काम करता है। प्रेम की बहुत प्रकार के भाव—भगिमाएँ होती हैं। और इन सभी भगिमाओं में प्रेम प्रकट होता है। इन भगिमाओं में प्रेम की अंतिम भगिमा परमात्मा को माना गया है। ‘प्रेम’ के इस ढाई अक्षरों से शास्त्रों का निर्माण हुआ है, क्योंकि यह स्वस्थ्य सहज मार्ग है; जो नैसर्गिक रूप से प्रभु की कृपा द्वारा ही संभव हो सकता है।

पन्द्रहवीं शताब्दी में एक महान संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक ग्राम में हुआ था। इनकी भक्ति ने नए युग का सृजन किया था; क्योंकि सृजन का अर्थ है शून्य से अस्तित्व का निर्माण होना। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पूर्व से ही पश्चिम बंगाल कर्मकाण्डीय (तामसिक पूजा) शक्ति उपासना का केन्द्र रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ सर्वप्रथम वैष्णव भक्ति की आधारशिला रखी। वैष्णव परपरा में इनको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इनके द्वारा भक्ति के विभिन्न स्तरों की व्याख्या की गई हैं जो वर्तमान में भी वैष्णव भक्तों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। महाप्रभु अपने विषय सनातन को भक्ति के तीन प्रकार के अधिकारी के विषय में बताते हैं जिसे उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में महाप्रभु कहते हैं—

“श्रद्धावान् जन हय भक्त्ये अधिकारी ।

उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, श्रद्धा—अनुसारी ॥

शास्त्र—युक्त्ये सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार ।

उत्तम अधिकारी सेइ तारये संसार । ॥39 ॥ ॥”

अर्थात्— “नैसर्गिक रूप से उत्पन्न श्रद्धा से भक्त भक्ति का अधिकारी होता है। इस श्रद्धा की अधिक गाढ़ता से उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ तीन प्रकार के अधिकारी हो सकते हैं, जो भक्त शास्त्रों में निपुण एवं तर्कों में चतुर हैं, जिसकी ईश्वर पर अटूट श्रद्धा है, वह भक्त भक्ति का उत्तम अधिकारी होता है, ऐसा भक्त अन्य दूसरों को भी तारने में सहायक होता है।”

इन तीन प्रकार के अधिकारी के विषय में सर्वप्रथम महाप्रभु उत्तम भक्ति के अधिकारी के विषय में कहते हैं, यथा:—

“शास्त्रे युक्तौ च निपुणः, सर्वथा दृढ़निश्चयः ।

प्रौढ़श्रद्धोऽधिकारी यः, स भक्तावृत्तमो मतः । ॥27 ॥ ॥<sup>1</sup>

अर्थात्— “जो भक्त शास्त्र ज्ञान में निपुण होकर उसको व्यावहारिक व तार्किक रूप में प्रयोग सक्षमपूर्वक करता है एवं जिसकी शास्त्र में निःसन्देह युक्त श्रद्धा रहती है ऐसे भक्त को उत्तम अधिकारी माना गया है।”

दूसरे प्रकार के अधिकारी अर्थात् मध्यम के लिए महाप्रभु सनातन से कहते हैं:—

“शास्त्रयुक्ति नाहि जाने दृढ़श्रद्धावान् ।

मध्यम अधिकारी से इ महाभाग्यवान् । ॥४० ॥”

अर्थात्— “ऐसे भक्त जो शास्त्र नहीं जानते व तर्कों को करने में निपुण नहीं है लेकिन शास्त्रों में उनकी श्रद्धा है, ऐसे भक्त मध्यम श्रेणी का अधिकारी होते हैं ।”

तीसरे प्रकार के अधिकारी के लिए महाप्रभु कहते हैं—

“जाहार कोमल श्रद्धा से ‘कनिष्ठ जन’

क्रमे—क्रमे ते हो भक्त हइये उत्तम । ॥४९ ॥”

अर्थात्— “ऐसा भक्त कोमल हृदय वाला होता है अर्थात् दूसरों के द्वारा दी जाने वाली तार्किक युक्ति से उसकी श्रद्धा विचलित हो जाती है, ऐसे भक्त कनिष्ठ श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ।”<sup>2</sup>

माध्यम एवं कनिष्ठ प्रकार के भक्तों को यह प्रयास निरन्तर करना चाहिए कि वह उत्तम श्रेणी के भक्त बन सकें। जब तक उत्तम श्रेणी के भक्त न बन जाओ तब तक शास्त्रों के अनुकूल कर्मों को करना चाहिए। भक्ति मार्ग में सबसे प्रमुख अत्यन्त श्रद्धा व शास्त्र में उल्लेखित ज्ञान ईश्वरीकृत है ऐसा मानना जरूरी है। दूसरा शास्त्र अनुसार व्यावहारिक जीवन में इसका आचरण करना चाहिए। इस कर्म को महाप्रभु श्रीकृष्ण द्वारा उद्घव को बताए ज्ञान को इस प्रकार कहते हैं :—

“तावत कर्मणि कुर्वति न निर्विधेत यावत् ।

मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते । ॥२५ ॥”<sup>3</sup>

अर्थात्— “भक्त को साधना के द्वारा जब तक निर्वेद अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, ऐसे भक्त को तब तक मेरी कथाओं का श्रवण—कीर्तनादि श्रद्धापूर्वक करते रहना चाहिए। इस कीर्तन के साथ—साथ ऐसे भक्त को चाहिए कि वह निष्काम भाव से नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता रहे” ।

इस प्रकार महाप्रभु श्रीमद्भागवत् का उद्धरण देते हुए कहते हैं :—

“चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिमनाऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी व भरतर्शभ । ॥२९ ॥”

अर्थात्— “कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन ! आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी एव ज्ञानी यह चार प्रकार के सुकृति भक्त ही मुझको भजते हैं ।”<sup>4</sup>

महाप्रभु ने कर्म, योग, ज्ञानादिक को अभिधेय न मानकर भक्ति को अभिधेय माना है। साधन भक्ति पर महाप्रभु ने विशेष महत्व दिया है। इस कारण उन्होंने साधन भक्ति के चौंसठ अंग माने हैं। भक्ति की सुगमता को बताते हुए महाप्रभु देश, काल, समय, दशाओं आदि किसी भी अवस्था में भक्त को भक्ति करने के लिए कहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार को कोई बंधन नहीं है, अतः साधन भक्ति में देश, काल एवं अवस्था का महत्व नहीं है। भक्ति को सर्वस्थानों, सर्वकालों एवं सर्व अवस्थाओं में भक्त भक्ति को कर सकता है, भक्त का कर्त्तव्य है कि वह ईश्वर की स्तुति करे।<sup>5</sup>

महाप्रभु ने भक्ति के दस प्रकार बताए हैं। इसमें साधन भक्ति को प्रथम स्थान दिया है और शेष नौ प्रकार की भक्ति को प्रेम भक्ति कहा है। यह प्रेम भक्ति इस प्रकार है— रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव एवं महाभाव। इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से प्रेमभक्ति का विकास होता है। शान्त रस के भक्तों में यह रति प्रेम तक ही पहुँचती है। दास्य रस में यह राग अवस्था तक होता है। सखा रूप में यह अनुराग के प्रारंभिक रूप तक पहुँचता है।

इसी प्रकार माता—पिता के रूप में वात्सल्य रति अनुराग की अन्तिम सीमा तक पहुँचता है। कान्तागणों अर्थात् मधुरा रति में ही यह महाभाव की अन्तिम सीमा तक पहुँचती है।

श्रीमद्भागवत् से महाप्रभु साधन भक्ति का उद्धरण देते हुए कहते हैं, यथा :—

“भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम्।

भक्तिः पुनाति मन्त्रिष्ठा भवपाकानपि सम्भवात् ॥३०॥”

अर्थात् — “कृष्ण—उद्धव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि श्रद्धा प्रेम के वशीभूत होकर जो साधु पुरुष भक्त मुझे याद करता है, मैं उसी के वशीभूत होता हूँ। भवानभोजी जैसे नीच व्यक्ति भी यदि मुझे श्रद्धा—प्रेम से याद करते हैं तो मैं उनकी भी जाति—दोष को पवित्र कर देता हूँ।

महाप्रभु इसी तरह भागवत् का एक अन्य उद्धरण देते हुए कहते हैं यथा :—

“न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव।

स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥३१॥”

अर्थात् — “कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव ! मैं भक्तों की दृढ़ भक्ति से ही वशीभूत होता हूँ— योग, सांख्य, वर्णाश्रम धर्म, वेदाध्ययन, तपस्या आदि किसी से भी मैं वशीभूत नहीं होता हूँ।”

इसी प्रकार महाप्रभु भक्ति में बाँधा डालने वाली उपशाखाओं को काटने के विषय में कहते हैं कि भुक्ति—मुक्ति—वांछा—धन—प्रतिष्ठा एवं निशिद्धाचार आदि का भक्त को त्याग कर देना चाहिए। भक्त को केवल भक्ति पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। जब भक्ति की बीज लता रूपा में विकसित होता है, तब वह वृन्दावन, गोलोक तक पहुँचता है। इस अवस्था में ही पूर्ण रूप से पके हुए फल की प्राप्ति होती है। यही पर श्रीकृष्ण रूपी धन कल्पवृक्ष रूप में प्रेम के द्वारा आस्वादन किया जा सकता है। यही परमपुरुषार्थ है।

महाप्रभु साधन भक्ति के संदर्भ में सनातन से कहते हैं :—

“कृतिसाध्या भवेत् साध्यभावा सा साधनभिधा।

नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकटयुं हृदि साध्यता ॥५०॥<sup>6</sup>

अर्थात्— “ भक्तिरसामृत सिन्धु में “अन्याभिलाशिता”शून्य” इत्यादि भलोक के बाद यह कहा गया है कि उत्तम भक्ति यदि इन्द्रियों अर्थात् जिह्वा—कणादि के द्वारा उसका साधन—अनुष्ठान किया जाए और उसके उपरान्त साध्य व लक्ष्य अपने इष्ट (कृष्ण) की ओर कर दिया जाए तो उसे ‘साधन भक्ति’ कहते हैं। नैसर्गिक रूप में हृदय में उत्पन्न प्रेम इन साधन क्रियाओं को करते—करते स्वतः प्रकट होना चाहिए, तभी साधन भक्ति की सिद्धाता फलीभूत होती है।”

महाप्रभु इसी साधन भक्ति को समझाते हुए सनातन से आगे कहते हैं कि कृष्ण प्रेम अनादि, अनंत और नित्य सिद्ध है, उसे किसी क्रिया के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह कृष्ण प्रेम, चित्त का शुद्ध होने के उपरान्त स्वतः ही इसमें उदय हो जाता है। जैसे काली रात के उपरान्त सूर्य का उदय होना होता है, इसलिए इस साधन भक्ति का “तटस्थ—लक्षण” और श्रवण—कीर्तनादि को ‘स्वरूप—लक्षण’ कहते हैं।

साधन भक्ति में शुकदेव जी द्वारा कहे गए श्लोक का उद्धरण देते हुए महाप्रभु कहते हैं :—

“तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान् हरिरीश्वरः।

श्रोतव्यः कीतितव्य”च, स्मर्त्तव्य”चेच्छताभयन् । ॥५१ ॥”

अर्थात्— “हे परीक्षित ! जो भक्त गृहस्थ हैं और अपने स्त्री-पुत्र, धन व इस जगत् के माया बंधन में लिप्त हैं। ऐसे भक्त को इस माया से मुक्ति के लिए अपने इष्ट श्रीहरि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, मनन एवं स्मरण करना चाहिए।”

इसी तरह साधन भक्ति का दूसरा उद्धरण देते हुए महाप्रभु कहते हैं :-

“मुखबाहूरूपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह ।

चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैविप्रादयः पृथक् । ॥५२ ॥

य एशां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमी”वरम् ।

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टाः पतन्त्यधः । ॥५३ ॥”<sup>7</sup>

अर्थात्— उस परम पुरुष के मुख, बाहु, उरु एवं चरणों से भिन्न-भिन्न प्रकार के चार वर्णों के लोग उत्पन्न हुए, जिनसे चार आश्रम प्रचलित हुए। इन चार वर्णों से उत्पन्न व्यक्ति अपने उत्पत्तिकर्त्ता परमपुरुष का भजन-सुमिरन नहीं करता एवं सदैव उसकी अवज्ञा करता है, ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से विमुख होकर विनाश को प्राप्त होता है।

महाप्रभु अपने साधन भक्ति के तीसरे उद्धरण को इस प्रकार कहते हैं :-

“स्मर्त्तव्यः सततं विष्णुर्विस्मर्त्तव्य न जातुचित् ।

सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः । ॥५४ ॥”

अर्थात्— भगवान् श्री विष्णु का ही सभी को स्मरण करना चाहिए। उनका कभी भी विस्मरण भक्त को नहीं करना चाहिए। परम पुरुष अर्थात् विष्णु द्वारा जितने भी विधि-निषेध भक्तों के लिए बनाए गए हैं, वे समस्त उस परमपुरुष के अधीन हैं।<sup>8</sup>

साधन भक्ति के अंगों के अधिक होने के कारण उसे संक्षेप में बताते हुए महाप्रभु बताते हैं कि इसमें गुरु दीक्षा लेना, धर्म के प्रति जिज्ञासु बने रहना, महत् पुरुषों के समान आचरण करना व उनकी आज्ञा का पालन करना, श्रीकृष्ण प्रेम को व्यक्त करने के लिए उनकी प्रीतियुक्त वस्तु का प्रयोग करना व अन्य वस्तु का त्याग करना, कृष्ण की विभिन्न लीला स्थलों का भ्रमण करना, पूजन व उस स्थान में निवास करना, कम से कम वस्तुओं को दैनिक उपयोग के लिए प्रयोग करना, अधिक वस्तुओं व मूल्यावान रत्नों का संग्रह न करना, इसके अतिरिक्त गौ, ब्राह्मण एवं वैष्णवों की सेवा करना, नामापराधों व सेवा अपराध से दूर रहना आदि साधन भक्ति माने जाते हैं।

इसके अतिरिक्त साधन भक्ति में नृत्य, कीर्तन, परिक्रमा, श्रीमूर्ति के पीछे-पीछे चलना, स्त्रोत पाठ करना, दण्डवत प्रणाम करना, धूप-माला-चन्दन का प्रयोग, नाम जप आदि का भी विशेष महत्व है।

इस प्रकार चैतन्यमहाप्रभु के अनुसार भक्त भगवान् से तादात्म स्थापित कर सकता है; इसलिए कहा जाता है। कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाय, अर्थात् उसमें दो नहीं समा सकते। इस प्रकार भक्त धीरे-धीरे भगवान् हो जाता है और भगवान् धीरे-धीरे भक्त हो जाता है।

सन्दर्भ :-

1. कृष्णदास कविराज, श्री श्री चैतन्यचरितामृत, मध्य खण्ड, द्वाविंश परिच्छेद, श्री हरिनाम संकीर्तन मण्डल, वृन्दावन, संस्करण—पंचम, सन्—2001, पृ.—542—543.
2. कृष्णदास कविराज, श्री श्री चैतन्यचरितामृत, मध्य खण्ड, द्वाविंश परिच्छेद, श्री हरिनाम संकीर्तन मण्डल, वृन्दावन, संस्करण—पंचम, सन्—2001, पृ.—543..
3. तदैव, पृ.—542.
4. कृष्णदास कविराज, श्री श्री चैतन्यचरितामृत, मध्य खण्ड, चतुविंश परिच्छेद, श्री हरिनाम संकीर्तन मण्डल, वृन्दावन, संस्करण—पंचम सन्—2001, पृ.—598.
5. तदैव, पृ.—616.
6. कृष्णदास कविराज, श्री श्री चैतन्यचरितामृत, मध्य खण्ड, द्वाविंश परिच्छेद, श्री हरिनाम संकीर्तन मण्डल, वृन्दावन, संस्करण—पंचम, सन्—2001, पृ.—549.
7. कृष्णदास कविराज, श्री श्री चैतन्यचरितामृत, मध्य खण्ड, द्वाविंश परिच्छेद, श्री हरिनाम संकीर्तन मण्डल, वृन्दावन, संस्करण—पंचम, सन्—2001, पृ.—550.
8. कृष्णदास कविराज, श्री श्री चैतन्यचरितामृत, मध्य खण्ड, द्वाविंश परिच्छेद, श्री हरिनाम संकीर्तन मण्डल, वृन्दावन, संस्करण—पंचम, सन्—2001, पृ.—550.
9. गोस्वामी, केशव, मायावाद की जीवनी, गौड़ीय वेदान्त प्रकाशन, मथुरा, संस्करण—द्वितीय, सन्—2005.
10. गोस्वामी, केशव, श्री चैतन्य चरित्र—पीयूष, गौड़ीय वेदान्त प्रकाशन, संस्करण—प्रथम, वृन्दावन, सन्—2004.
11. गोस्वामी, केशव, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर (शिक्षा—समन्वित जीवन चरित्र), गौड़ीय वेदान्त प्रकाशन, वृन्दावन, सन्—2009.
12. गोस्वामी, रूप भक्तिरसामृतसिंघु, भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट, मुंबई, संस्करण—चतुर्थ, सन्—1970.
13. गोस्वामी, रूप, भक्तिरसामृतसिंघु, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, संस्करण—प्रथम, सन्—1963.
14. गोस्वामी, वीरचन्द्र, महाप्रभु—श्रीगौरांग, श्रीहरि संकीर्तन मण्डल श्रीधाम, वृन्दावन, संस्करण—प्रथम सन्—1985.
15. गोयल, उषा, श्री चैतन्य महाप्रभु संस्कृति और साहित्य, श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु पंचशती समिती, राजस्थान।

## बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में छ.ग.के जशपुर जिले में कैथोलिक चर्च का शिक्षण कार्यों में योगदान

**डॉ. ए. तिर्की,** सहायक प्राध्यापक(इतिहास) शास.जे.पी. वर्मा स्नातको, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)  
**डॉ. श्रीमती सी. अनुपा तिर्की,** सहायक प्राध्यापक (राजनीतिकशास्त्र) नवीन कन्या महा. पासगढ़(छ.ग.)

मानव समाज एवं सभ्यता का मुख्य आधार शिक्षा होती है। शिक्षा के द्वारा सभ्यता तथा संस्कृति का निर्माण होता है। शिक्षा मानव जीवन की सर्वोच्च आवश्यकताओं में से एक है जिसके द्वारा मनुष्य का बौद्धिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक व आर्थिक विकास तथा राजनैतिक जागृति संभव होता है।

आधुनिक शिक्षा पद्धति की शुरुआत पवित्र रोमन से माना जाता है। शर्लमन (चाल्स) के शासनकाल (768–814) में कैरोलिन्जियन पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप प्रत्येक पैरिस (Parish) में एक विद्यालय की स्थापना की गई। कहा जाता है कि कालांतर में इस समय स्थापित किये गये— चर्च स्कूल ही विकसित होकर आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना के आधारशिला बनें।

कालांतर में इस शिक्षा पद्धति का प्रसार क्रमशः फ्रांस, इंग्लैण्ड, स्पेन तथा यूरोपीय राज्यों में हुआ। इंग्लैण्ड का औपनिवेशिक साम्राज्य अधिक होने के कारण इस शिक्षण पद्धति का प्रसार पूरे विश्व में फैल गया। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में यही शिक्षण पद्धति का विकास पूरे हिन्दुस्तान में होने लगा। फ्रांस, पुर्तगाल, हालैण्ड, इंग्लैण्ड, स्पेन, बिलजियम, जर्मनी आदि अनेक यूरोपीय देशों की शिक्षण संस्थाएँ भारत में स्थापित होने लगी। छ.ग. में जशपुर जिला भी पश्चिमी व आधुनिक शिक्षण पद्धति से अछूता नहीं रहा।

20वीं सदी में जशपुर जिले के शैक्षणिक विकास में कैथोलिक ईसाई धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस समय ब्रिटिश शासन द्वारा एक भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई थी, उसी दौरान कैथोलिक चर्च के द्वारा अनेक विद्यालयों की स्थापना की गई। जो जशपुर रियासत की जनता का विकास का कारण बना। 20वीं सदी के प्रथम दशक से ही जशपुर रियासत में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा शिक्षा प्रसार का कार्य करना कैथोलिक चर्च के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। आज जशपुर जिले में कैथोलिक चर्च के द्वारा एक महाविद्यालय, 24 हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल 44 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, 88 प्राथमिक शालाएं, 01 बी.टी.आई., 02 गृहणी स्कूल, 01 बालबाड़ी ड्रेनिंग सेंटर की स्थापना एवं छात्र-छात्राओं के लिए कुल 26 छात्रावास की स्थापना की गई। इनमें से अधिकांश शालाएं हिन्दी माध्यम की थी। इन विद्यालयों में प्रतिवर्ष लगभग 37000 छात्र-छात्राएं अध्ययन करते हैं। इनके अध्यापन कार्य में लगभग 1000 शिक्षण-शिक्षिकाएं एवं 113 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके परिणाम स्वरूप जशपुर जिला आदिवासी बाहुल्य होने के बावजूद आज सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिलों की तुलना में सर्वाधिक शिक्षित जिला है। 20वीं सदी में जशपुर जिले के इतिहास में कैथोलिकों के द्वारा अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना को ही उनके सभी प्रकार के मानव सेवा कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि इन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के परिणाम स्वरूप जशपुर जिले की जनता का विकास संभव हुआ। आज भारत के प्रत्येक राज्य में जशपुर जिले के लोग विभिन्न सरकारी सेवाओं एवं अन्य कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तथा विश्व के अनेक देशों में कार्यरत हैं इस प्रकार ये शिक्षण संस्थाएं शासन के साथ मिलकर शिक्षा के विकास एवं प्रसार हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।

### शिक्षण कार्यों का उद्देश्य :—

प्रत्येक व्यक्ति में निहित ईश्वरीय छवि को उभारते हुए मानवीय मूल्यों के आधार पर विद्यार्थियों का सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक विकास करना शिक्षा का मूल उद्देश्य हैं। विद्यार्थियों को सफल जीवन हेतु सम्पूर्ण शिक्षा देना जिससे वे आत्म सम्मान, आत्म विश्वास, आत्म निर्भरता की भावना एवं नेतृत्व के गुणों से सम्पन्न चरित्रावान व्यक्ति बनकर सत्य, न्याय, प्रेम, सेवा एवं शान्ति पर आधारित बेहतर समाज एवं राष्ट्र के निर्माण तथा पर्यावरण सुरक्षा हेतु निष्ठावान नागरिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उद्देश्यों पर विशेष महत्व दिया गया हैं –

1. स्थानीय जनता को शिक्षित करना तथा उनके लिए नौकरियां उपलब्ध कराना।
2. शिक्षा के विकास के साथ-साथ अच्छी नैतिकता तथा लोगों में धार्मिक मूल्यों का संचार करना और समाज में चरित्रवान स्त्री-पुरुष का निर्माण करना।
3. उन्नत तथा अच्छी शिक्षण व्यवस्था के द्वारा समाज का कमज़ोर वर्ग शेष सामाजिक वर्ग के समकक्ष आ सके।
4. लोगों की सामाजिक स्थिति एवं जीवन स्तर ऊंचा उठाने का लक्ष्य रखा गया है।

शिक्षा ने समाज, राष्ट्र एवं पूरे मानव समाज के विकास में अपना सर्वोच्च योगदान दिया है। शिक्षा विद्यार्थियों में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जागृति पैदा करती है तथा उन्हें निष्ठावान नागरिक बनाती है। कैथोलिक विद्यालयों का लक्ष्य न केवल विद्यार्थियों का सर्वांगिण विकास है वरन् उन्हें अपने राष्ट्र एवं समाज की धरोहर को मानवीय मूल्य के आधार पर विकसित करना और इसके प्रति निष्ठावान नागरिकों का सृजन करना भी है।

#### **जशपुर कैथोलिक शिक्षण संस्थाओं का सर्वोच्च मूल्य :-**

1. ज्ञान एवं ईश भक्ति।
2. सत्य, न्याय एवं ईमानदारी।
3. आत्म सम्मान, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मबोध, आत्माभिव्यक्ति।
4. कर्तव्य परायणता, उदारता, सहकारिता, सहयोग, सहभागिता, परिश्रमी।
5. अनुशासन, संयम, आज्ञाकारिता, उत्तरदायित्व, निष्ठा।
6. साहस, जिज्ञासा, महत्वकांक्षा, सृजनशील, प्रवीणता, विवेचनात्मक दृष्टिकोण, चिंतनशील, दूरदर्शी, संवाद, आशावाद।
7. शिष्टाचार, सरलता, विन्रमता, कृतज्ञता, मिलनसारिता, प्रसन्नचित, आदरभाव।
8. सहानुभूति, दया, क्षमा, शांति।
9. एकता, समानता, मैत्री, सद्भावना।
10. देशभक्ति, संस्कृति, प्रेम, समाज सेवा, जागरूकता।

#### **जशपुर जिले में कैथोलिक धर्म प्रांतीय शिक्षा नीति एवं कार्यक्रम :-**

जशपुर जिले में कैथोलिक धर्म प्रांतीय शिक्षा नीति एवं योजना के तहत् सात महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया गया है, जो निम्नानुसार है –

#### **1. शैक्षणिक समुदाय का निर्माण करना :-**

शिक्षा एक सामुदायिक प्रयास है। शिक्षण कार्य में अनेक व्यक्ति सम्मिलित हैं। अध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रबंधक वर्ग एवं कर्मचारी। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति हेतु इन सभी घटकों को एक परिवार के रूप में बांधना आवश्यक है। यदि इन घटकों में सही समन्वय और सामन्जस्य नहीं होने पर कैथोलिकों का शैक्षणिक प्रयास ही विघटित हो जायेगा। अतः एक ही लक्ष्य एवं योजना के अंतर्गत एकता एवं मैत्री भाव के साथ प्रत्येक घटक को शिक्षण कार्य में सहभागी बनकर अपनी विशिष्ट भूमिका निभाने की जरूरत शिक्षा नीति के तहत् बतलाई गई है।

## 2. शिक्षा एवं संस्कृति :-

शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों का सम्पूर्ण मानवीय विकास है। एक शैक्षणिक समुदाय (परिवार, समाज, अभिभावक, विद्यालय, प्रबंधक वर्ग, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं विद्यार्थी) का सर्वोपरी लक्ष्य विद्यार्थियों का वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास की कोशिश की गई है।

वैयक्तिक विकास के तहत ईश्वर प्रदत्त जीवन के विकास की उस स्थिति से है जहां विद्यार्थीअपनी मानवीय योग्यताओं को विकसित कर सकें तथा मानव गरिमा को पहचान कर अपने जीवन का उत्तरदायित्व स्वयं ले सके। शिक्षा नीति में सामाजिक विकास पर भी जोर दिया गया है जहां विद्यार्थी सकारात्मक रूप से समाज में अपना स्थान ले सके। वे अपनी क्षमताओं के अनुसार जीवन में विभिन्न व्यवसायों के द्वारा समाज के समग्र विकास करने की जरूरत बतलाई गई है। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी की क्षमता एवं अभिभूति को परिपूर्णता प्रदान करना बतलाता गया है।

## 3. सुसमाचार प्रचार एवं विश्वास प्रशिक्षण :-

समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए इसा मसीह के द्वारा मानव मुक्ति के लिए किये गये कार्यों— संदेशों, शिक्षाओं, नैतिक मूल्यों को दूसरों तक पहुंचाना सुसमाचार प्रचार के अंतर्गत आता है। सुसमाचार का शुभ संदेश सभी मानव जाति तक पहुंचाना तथा उन नैतिक मूल्यों के प्रभाव से परिपूर्ण मानव समाज के आंतरिक परिवर्तन लाना तथा उस समाज को नया रूप देना जशपुर जिले के केंथोलिक धर्म प्रांतीय शिक्षा नीति में बतलाया गया है। सुसमाचार प्रचार करने में कलीसिया दूसरे धर्मों, सांस्कृतियों और परम्पराओं का सम्मान करती है। कलीसिया की मान्यता है कि सभी धर्मों में ईश्वर संबंधी प्रकाशन है। कलीसिया के सुसमाचार प्रचार के कार्यों से दूसरें धर्मों, सांस्कृतियों और परम्पराओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। सुसमाचार प्रचार का अर्थ हिन्दू मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध, जैनव अन्य अपने ही धर्म में रहकर भी उसमें और अच्छा धर्मावलम्बी बन सकते हैं।

## 4. युवा दल एवं सामुदायिक जीवन का अनुभव :-

युवा दल एवं विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न सतर पर उम्र एवं रुचि के आधार पर निर्मित युवाओं का दल है। जो समय—समय पर एक साथ मिलकर अपने विचारों का आदान—प्रदान करता है।

दलों में युवा सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श कर रचनात्मक कार्य करना सीखते हैं। इस तरह वे एक साथ मिलकर निष्ठापूर्ण समाज की सेवा करना सीखते हैं। विभिन्न जाति तथा धर्म के युवाओं से निर्मित युवादल में युवा वर्ग आदर, सम्मान, मैल—प्रेम एवं सद्भावना पूर्ण जीवन जीने और कार्य करना सीखता है। इस प्रकार समाज में युवा अपने महत्वपूर्ण स्थान और जिम्मेदारी को परखता है। नैतिक मूल्यों पर आधारित न्याय और सामंजस्य पूर्ण जीवन सीखता है।

## 5. जीवन क्षेत्र चुनाव के लिए मार्गदर्शन :-

इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की सृष्टि एक विशेष कार्य हेतु की गई। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य की सृष्टि एक विशेष उद्देश्य से की है। प्रत्येक मनुष्य सम्पूर्ण मानवीय परिवार का एक सदस्य है। इस संसार में हर व्यक्ति के लिए अलग—अलग कार्य क्षेत्र है। जशपुर जिले में अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई हैं। इन शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभाओं को निखारने एवं तथा उनकी योग्यताओं के अनुरूप जीवन क्षेत्र के चुनाव के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। विद्यालयों में इसके लिए आवश्यक वातावरण एवं अवसर उपलब्ध किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य सम्पूर्ण परिवार का एक सदस्य है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस मानवीय परिवार का अंग बनाकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना है। प्रत्येक बुलाहट को पहचानने, चुनाव करने एवं विकसित करने के लिए मार्गदर्शन देना, शिक्षा नीति का अंग माना जाता है।

**6. नेतृत्व विकास :-**

जशपुर जिले में कैथोलिक धर्म प्रांतीय शिक्षा नीति एवं योजना के तहत सात महत्वपूर्ण विषयों में से नेतृत्व विकास को भी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक माना गया है। यहां नेतृत्व विकास का तात्पर्य विद्यार्थियों में निहीत क्षमताओं की अभिव्यक्ति एवं विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इस कार्य के लिए उन्हें विद्यालय के विभिन्न कार्यकलापों में व्यक्तिगत एवं दलीय जिम्मेदारी देना एवं प्रोत्साहित करना है। इन मिशन संस्थाओं के उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थी अपने रुचि एवं योग्यताओं का विकास करके अपने जीवन क्षेत्र का चुनाव कर सके तथा योग्य नागरिक बन सके।

**7. राष्ट्र एवं समाज के प्रति निष्ठा :-**

विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार करें जहां अपने राष्ट्र एवं समाज के प्रति निष्ठावान नागरिकों का निर्माण हो जो अपने राष्ट्र और समाज को उन्नति के शिखर पर ले चले। शिक्षा ने राष्ट्र एवं समाज के विकास में अपना सर्वोच्च योगदान दिया है। शिक्षा विद्यार्थियों में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जागृति लाती है और उन्हें निष्ठावान नागरिक बनाती है। कैथोलिक विद्यालयों का लक्ष्य न केवल विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास ही है वरन् उन्हें अपने राष्ट्र एवं समाज की धरोहर को मानवीय मूल्य के आधार पर विकसित करना और इसके प्रति निष्ठावान नागरिकों का सृजन भी है।

**कैथोलिक शिक्षण संस्थाओं का प्रभाव –**

20वीं सदी के उत्तरार्द्ध तक जशपुर जिले के कैथोलिक शिक्षण संस्थाओं का जाल सा बिछ गया। इन शिक्षण संस्थाओं का जशपुर जिले के जनजीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। खीस्तीय शिक्षा के द्वारा आदिवासियों एवं दलितों तथा सामान्य वर्ग के लोगों ने ज्ञानार्जन किया, इसके माध्यम से इन्हें अपने समाज के संबंध में आत्म-मंथन व, सोचने समझने का बल मिला। जशपुर जिले के विशेषकर जनजाति एवं दलित वर्ग के लोग सामान्य लोगों के सम्पर्क में आये। इसके साथ उन्हें आत्म विश्वास एवं आत्म गौरव प्राप्त हुआ। वे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर पर निर्णय लेने में सफल हुए। जशपुर जिले में आदिवासी एवं दलितों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनैतिक बदलाव एवं विकास का श्रेय इन्हीं शिक्षण संस्थाओं को जाता है।

**संदर्भ ग्रंथ :-**

1. सिन्हा डॉ. विपिन बिहारी—मध्यकालीन यूरोप—ज्ञानदा प्रकाश नई दिल्ली – 202 पृ. 158–163
2. रायगढ़ धर्म प्रान्तीय स्वर्ण जयंती स्मारिका 1951–2001, पृ. 16–19
3. रायगढ़ धर्म प्रान्तीय शिक्षा नीति एवं योजना पृ. 1–5
4. टोप्पो फा. पौल – खीस्त हमारी ज्योति और मुक्ति, पृ. 95–97
5. एकका फा. मार्सेल –जशपुर धर्म प्रान्त की एक झलक 2006, पृ. 193
6. छोटा नागपुर सर्वे IIलीवन्स शताब्दी स्मारिका 1985, पृ. 68–69

## महिला सशक्तिकरण

**शिल्पा भाँगरे, शोधछात्रा (समाज कार्य) समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, रा.दु.वि.वि, जबलपुर**

**सारांश :-** मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और महिला उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। महिला अस्तित्व के बिना हम समाज की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में किसी भी सभ्य समाज की स्थिति, उस समाज में स्त्रियों की दशा देकर ज्ञात की जा सकती है। मास्को में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए तत्कालीन सोवियत नेता 'मिखाइल गोर्बाच्योव' के ये कथन स्त्रियों के व्यापक महत्व को स्वयं ही स्पष्ट कर सकते हैं - 'रोटी, किताब और स्त्री' जीवन में ये तीन अनमोल रत्न हैं। रोटी हमें जीवन देती है, किताबें हमारी पीढ़ीयों को जोड़ती हैं और महिलायें हमारे जीवन-सूत्र को बाँधकर बनाये रखने में अहम भूमिका निभाती है।<sup>1</sup>

वैदिक कालीन समाज से लेकर उत्तरोत्तर भारतीय संस्कृति में 'नारी' एक ऐसा शाश्वत प्रतीक बनकर घुलमिल गई कि अनेक आक्षेप-विक्षेप के उपरान्त भी उसे एक सम्मानित स्थान दिया गया, उसकी गरिमा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अभाव में भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि का प्रणयन व समीक्षण अपूर्ण है वस्तुतः नारी के सम्बन्ध में पुत्री, कन्या, माता, पत्नी, बहन, भार्या, जाया आदि अनेक संबंध निश्चित ही उसे पृथक-पृथक व्यवहारों में प्रस्तुत करती है ऐसे सम्बोधन जो संवेदनशील, सुखद एवं विभिन्न स्थितियों में नारी पुरुष का संयोग है, उसके जीवन का संवाद है।<sup>2</sup>

नारी के बदलते प्रतिमानों पर विमर्श करने से पूर्व यह आवश्यक रूप से अवधार्य है वैदिक कालीन संस्कृति से उत्तरोत्तर आगामी युगों तक धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक मान्यताएँ परिवर्तित होती रही हैं, ऐसे में नारी के प्रतिमानों में परिवर्तन सहज व स्वाभाविक है। मानव अतीत से प्रेरणा पाकर वर्तमान में भविष्य के लिए जीता है अतः नारी के अतीत का प्रयाख्यान वर्तमान समाज के लिए प्रेरक होता हुआ भविष्य के लिए निर्णायक होगा।

वेदकाल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था और परिवार में पिता का प्रभुत्व था किन्तु माता भी तिरस्कृत नहीं थी, उसे तो पिता से पहले आदर दिया जाता था।<sup>3</sup>

अत विभिन्न युगों में महिलाओं कि प्रस्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया।

1. वैदिक काल
2. उत्तर वैदिक काल
3. मध्यकाल या इस्लामिक काल
4. ब्रिटिश काल या उसके पश्चात्

कई पौराणिक साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि वैदिक काल में नारियों की स्थिति अच्छी थी उसे उन्हें संपत्ति तथा सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार था।

उत्तर वैदिक युग में आकर नारियों की स्थिति में गिरावट आने लगी उन्हें शिक्षा, सम्पत्ति आदि अधिकारों से वंचित किया जाने लगा। गुप्तकाल तक आते-आते इनकी प्रस्थिति में और हास हुआ जिसके फलस्वरूप इनमें अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास आदि फैलने लगे।<sup>4</sup>

नारी स्थिति का सर्वाधिक पतन मुस्लिम युग में हुआ इस युग में आकर नारी भोग की वस्तु के रूप में जानी जाने लगी। बालिका शिशु वध, बालिका भ्रूण हत्या, सती, जौहर पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह, हरम जैसी कुप्रथाओं अस्तित्व में आयी इस युग में नारी अज्ञानता, अशिक्षा, अविश्वास का केन्द्र बन गयी तथा यह नारी स्थिति के इतिहास में सबसे काला अध्याय है।

ब्रिटिश काल में स्वतन्त्रता, समानता न्याय जैसे विचारों से भारतीय समाज परिवर्तित हुआ जिसके फलस्वरूप इसके प्रभाव में सामाजिक सुधार आनंदोलन शुरू हुए।<sup>5</sup>

### अन्तराष्ट्रीय महिला सम्मेलन :

केन्या की राजधानी नौरोबी में 1985 में अन्तराष्ट्रीय महिला सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण को परिभाषित किया गया – महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उने परिवार समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की संस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायतता, भारत में महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य प्राथमिक रूप से महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा में सुधार लाना।<sup>6</sup>

### महिला सशक्तिकरण :

सशक्तिकरण शब्द अपने आप में व्यापकता को धेरे है, यह व्यक्ति व समूह दोनों स्तरों पर भिन्न-भिन्न हो सकता है जहाँ व्यक्ति स्तर पर इसे निर्णयात्मक भूमिका निभाने के लिए देखा जा सकता है वहीं समूह के स्तर पर भागीदारी निभाने के अर्थ में सशक्तिकरण शब्द व्यक्तिगत व सामुदायिक दोनों स्तरों पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक शक्ति के बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है इस प्रकार यह स्वयं अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाने का नाम सशक्तिकरण से हम सदैव यह मांग करते हैं कि वह बाध्य रूप से व्यवहारिक कार्य संचालन में प्रकट हो इस प्रकार सशक्तिकरण में निम्न पहलुओं को सम्मिलित किया जा सकता है –

1. व्यक्तिगत व सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता।
2. निर्णय लेने के लिए साधनों व सूचनाओं तक पहुँचाना।
3. सामूहिक निर्णय प्रक्रिया भागीदारी निभाने की क्षमता निर्माण करना।

इस प्रकार यदि हम सशक्तिकरण को महिलाओं के संदर्भ में जोड़े तो महिलाओं के व्यक्तिगत-सामूहिक स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक विकास को उनका सशक्तिकरण कह सकते हैं।<sup>7</sup>

‘विभिन्न स्त्री संगठनों, गोष्ठियों, विचारों के आदान-प्रदान एवं सामाजिक सुधारों के प्रयत्नों के फलस्वरूप कई संवैधानिक मान्यतायें एवं व्यवस्थायें की गयी और समय-समय पर ऐसे अधिनियम पारित किये गये जिन्होंने स्त्रियों की निर्योग्यताओं को दूर करके उन्हें ऊँचा उठाने पर प्रबल शक्ति के रूप में अधिकार दिये गये जो आज हमारी उपलब्धियों और महिला सशक्तिकरण का साक्षी प्रमाण है –

सती-प्रथा निषेध अधिनियम 1829, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल-विवाह निरोधक अधिनियम 1929, अलग रहने एवं भरण-पोषण हिन्दू विवाहित स्त्रियों का अधिकार अधिनियम 1946 हिन्दू-विवाह अधिनियम 1955।<sup>8</sup>

अतः प्रस्तुत अध्ययन में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न युगों में ज्ञात प्रस्तित तथा भारत सरकार द्वारा महिला संरक्षण के संबंध में बनाये गये विभिन्न अधिनियम के माध्यम से भारतीय समाज में महिलाओं से जुड़ी सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक तथा लिंग भेदभाव से जुड़ी समस्त समस्याओं का समाधान करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है।<sup>9</sup>

भारतीय धर्मशास्त्र में नारी को सर्वशक्ति सम्पन्न मानते हुए उसे विद्या, शील, ममता, यश और सम्पत्ति के प्रतीक रूप में माना गया है। वैदिक काल से ही भारतीय नारी श्रद्धा एवं आदर की पात्र रही है शक्ति की उपासना करने वाला वर्ग यह स्वीकार करता है कि शक्ति स्वरूपा बनकर सृष्टि का प्रारम्भ एवं विनाश करने वाली देवी नारी ही है जिसका आश्रय लेकर विधाता सृष्टि की संरचना में प्रवृत्त होता है, भगवान् शंकर उस शक्ति के बिना अधूरे हैं उनकी शक्ति की ही आराधना की जाती है, उस शक्ति से रहित शिव-शव हो जाते हैं शव पर (नारी प्रतीक) की मात्रा ही शव को शिव बनाकर पूर्ण करती है। इतिहास गवाह है कि सीता नहीं रहती तो राक्षस सम्राट रावण का वध नहीं होता।

### निष्कर्षत :

निर्विवाद सत्य है कि महिलाओं की भागीदारी के अभाव में कोई भी समाज, राज्य एवं राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास की कल्पना संभव नहीं है क्योंकि इनमें विकास सन्तुष्टि है सशक्तिकरण बाहर से थोपा नहीं जा सकता वह तो स्वयं से उत्पन्न होता है।

उपरोक्त अध्ययन के पश्चात् यह कहना उपयुक्त होगा कि – परिवर्तन संसार का नियम है और इसी परिवर्तन के आधार पर, महिला सशक्तिकरण के प्रतिप्रेक्ष्य में नारी स्वयं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक जैसी विभिन्न जीवन की शैलियों में निर्णन लेने में सक्षम हो रही है।

अतः महिलाओं के स्वयं के निर्णय को प्रधानता देना ही भारत सरकार का लक्ष्य है जिससे सम्पूर्ण महिला सशक्त हो सके।

#### सन्दर्भ :

1. महिला सशक्तिकरण—भारतीय परिप्रेक्ष्य में, डॉ. पंकज शर्मा, डॉ. पाठक, पृ. 229, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली – 110002
2. ऋग्वेद, 3.53.4, सायण, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी
3. ऋग्वेद, 4.81.4, सायण, चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी
4. एजुकेशन इन एशियन्ट इण्डिया पृ. 208
5. वैदिक संस्कृति और सभ्यता, डॉ. कैलाशचन्द्र जैन, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली—110015
6. Catherine, Mackinnon- Feminism Unmodified Diswaroes on Life and Lan 1987
7. शिक्षा और जन आंदोलन, सक्सेना, साधना, ग्रन्थ शिल्पी, नई दिल्ली, 2000
8. भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ, पब्लिकेशन
9. भारतीय नारी सामाजिक अध्ययन, डॉ. राजकुमार, अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली

## औद्योगिक दृष्टि से महिलाश्रमिकों की स्थिति

श्रीमति कमला पटेल, (अर्थशास्त्र) जबलपुर

आज के तेज पूर्ण जीवन में स्त्रियों का जितना महत्व है उतना पृथ्वी पर किसी का नहीं उनके असाधारण एवं साहसिक उनके आत्मबल के आधार पर पाये जाते हैं बिषम परिस्थितियों में रहने के कारण उनके जीवन में अपूर्ण तेज एवं शौर्य का संचार हुआ है बदलते परिवेश में आज की महिला में विशेष ओज के दर्शन होते हैं। आज उनमें अविद्या एवं अंधविश्वास नहीं है आज वे बहुमूल्य कपड़ों से लदी कठपुतली नहीं आज उनमें नवीन जीवन का संचार हुआ है आज उन्होंने घर के काम काजों के साथ-साथ बाहर क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व बना लिया है। कामकाजी महिलाये तो घर की धुरी होती है इनके इर्द गिर्द पूरा ग्रह चक्र घूमता है। आज की नारी में तो अपूर्ण साहस होता है। यदि उसका पति विदेश में हो या सेना में हो तो वह निडर होकर अपने घर परिवार की परवरिश आराम से करती है आज हर क्षेत्र में हर वर्ग की महिलाओं ने विजय फताहाका फहराया है।

मध्यम वर्ग की महिलाओं में विपरीत परिस्थितियों में जूझने की अहम शक्ति होती है घर की आर्थिक परिस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र के अलावा घर में छोटे-छोटे कार्यों को करने में संकोच नहीं करती। बुनाई सिलाई, बड़ी, पापड़, अगरबत्ती, मोमबत्ती जैसे कार्य वे खुशी-खुशी करती हैं। निम्न वर्ग की महिलायें शारीरिक श्रम करने में किसी से पीछे नहीं हैं वे घर के प्रत्येक कार्य को बखूबी कर लेती हैं ज्ञाहू पौछा कपड़े धोना जैसे काम कई घरों में करके वे काफी पैंसा कमा लेती है उन्हें किसी प्रकार की घुटन नहीं होती है। कारखानों में काम करना हो या मकान बनाने की मजदूरी करना हो या खदानों में काम करना हो आज की महिलायें किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं आज पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करने को भी तत्पर हैं।

शहरी क्षेत्रों में तो महिलायें, लड़कियां, फुरसत में बैठना अपनी तोहीन समझती हैं आज हर एक स्कूलों में आधे से अधिक महिलायें होती हैं। अधिकांश महिलायें शिक्षकीय कार्य करती देखी जाती हैं। ऑफिसों की लिखी पढ़ी सेल्स गलर्स के रूप में या ब्यूटी पार्लर जैसे कार्यों में भी महिलायें पीछे नहीं हैं शिक्षित लड़कियां सर्विस न मिलने पर ट्यूशन जैसे कार्य करती हैं।

संगीत, नृत्य, ड्रामा आदि सिखाने के कार्य भी महिलायें करती हैं। कढ़ाई, बुनाई, पेंचिंग जैसे कार्य करने को आज की महिलायें जाग्रत हो गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें अपने पति के साथ कृषि में सहायता करती हैं, बोनी करवाना, उड़वना करवाना, बीनना, फटकना, गायों को चारा लाना, दूध दुहना आदि मेहनती कार्य हंसते हुए करती हैं। आज कल खेती के कार्यों को सम्हालने में स्त्रियां ज्यादा सफल हो रहीं हैं। कुछ महिलाओं ने तो ट्रेक्टर इत्यादि चलाने का कार्य करके पुरुषों को पीछे कर दिया है। इस पुरुष प्रधान देश में हर क्षेत्र में अग्रणी महिलायें पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहीं हैं। हंसते हुए हर परिस्थिति से जूझ रही हैं। आज भी पुरुष के सहयोग की अपेक्षा करती हुई आगे बढ़ना चाहती है।

भारत जैसे विकासशील देश की आर्थिक प्रगति अधिकाशतया कृषि एवं कृषि से संबंधित उद्योगों पर निर्भर रहती है। देश की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान करीब एक तिहाई है। जहां तक कृषि कार्यों में मानव श्रम की भागीदारी होती है। किन्तु भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में कृषि कार्यों के योगदान में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के योगदान को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। आज महिलाओं के योगदान को पहचाना जा रहा है। जो महिला श्रम को कृषि कार्यों में एक ही दिशा दे रहा है।

कई कृषि कार्य ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा कर सकती हैं। धान की रोपाई, निराई गुड़ाई, पशुपालन। महिलाओं न केवल कृषि कार्यों में बल्कि पशुपालन के कार्य पशुओं को चारा, पानी देना, दूध दोहना, पशु बीजों की सफाई करना महिलाएं न कार्यों में अपना अदम्य योगदान देती हैं। कृषक महिलाएं संसार के लगभग आधे भोजन का उत्पादन करती हैं।

कृषि में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। खेती महिलाओं की गतिविधि बनती जा रही है सरकारी अनुदानों के अनुसार देश में खेतीहर मजदूर में खेती हर मजदूरी और स्वरोजगार में लगे लोगों में लगभग आधी

संख्या महिला वर्ग की है। ग्रामीण क्षेत्रों की कुल महिला मजदूरों का 89.5 प्रतिशत खेती तथा इससे संबंधित उद्योगों में लगा है। मछली पालन, जिनमें मछलियों का पालन, मछलियों को सुखाना, बेचना जालों की मरम्मत क्षेत्र में महिलायें, उपज संग्रह करने, वनों पर आधारित लघु उद्योग टोकरियां बनाना, झाड़ू बनाना, रस्सी बनाना जैसे कार्यों में महिलाओं का प्रतिशत काफी ऊंचा है।

### श्रम का अर्थ

साधारण बोलचाल की भाषा में शारीरिक कार्य को ही श्रम कहते हैं। किन्तु अर्थशास्त्र में श्रम शब्द को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है।

“धन प्राप्त करने की दृष्टि से मनुष्य द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य श्रम कहलाता है चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक।

प्रो. थॉम के अनुसार सभी प्रकार का मानवीय श्रम चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक जो किसी पुरुस्कार की प्राप्ति की आशा से किया गया हो गया हो श्रम कहलाता है।

श्रम बल को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है जिन्हें संगठित तथा असंगठित क्षेत्र कहते हैं भारत जैसे विकासशील देश में अकुशल श्रमशक्ति की अधिकता है। अकुशल श्रमिक वे श्रमिक कहलाते हैं, जिन्हें किसी विशेष ज्ञान व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों का श्रम बाजार में सम्पूर्ण परिदृश्य ही धूलिम हो जाता है। आज महिलाओं के समक्ष दोहरी भूमिका का निवाह करना पड़ता है। एक ओर उन्हें समाज के निर्धारित मूल्यों के विपरीत घर से बाहर जाकर श्रम करने को बाध्य होती है, दूसरी ओर उन्हें अपने परिवार के उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। वे अपने पारिवारिक दायित्व व कार्यों के बीच सामंजस्य बनाये रखने हेतु कठिन परिश्रम करने वाली ये महिलायें परिवार समाज व देश में उपेक्षित तथा शोषित जीवन व्यतीत करने हेतु विवश होती हैं।

असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएँ जो मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में कार्य करती हैं। वे नर्स, आया, तथा सलाहकार, वक्तव्य और स्टेनोग्राफर, कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, शिक्षक के रूप में इनफोरमल क्षेत्र में कार्यरत हैं। अधिकांश महिला श्रमिक शहरी क्षेत्रों में इनफोरमल क्षेत्र में लगी हुई हैं। शहरों में रहने वाली महिला खुदरा विक्रेता, व्यापारी एवं दुकानदार, गलियों में सामान बेचने वाले, होटल एवं रेस्तरां के रख-रखाव, घरेलु नौकर, सफाई, झाड़ू देने के काम, सफाई एवं धुलाई लाँझी तथा धोबी, सफाई और कपड़ा प्रेस के कार्य, चारा उपलब्ध कराने के लिए किसान के रूप में दूध उत्पादन करने वाला किसान, मुर्गी पालन करने वाला, कृषि श्रमिक, अन्य कृषि श्रमिक, सूत काटने एवं लादने का कार्य करने वाले श्रमिक के रूप में खेटा बुनने, खाने के पदार्थों के रख-रखाव तथा सफाई, बीड़ी बनाने वाले दर्जी और पोशाक बनाने वाले, और नकासी करने वाले, चिकनी मिट्टी के सामान बनाने वाले श्रमिक रबर और प्लास्टिक बनाने वाले, टोकरी बुनने वाले श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं।

‘ शहरों में महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में कार्यरत हैं। अधिकांश महिलाएं उत्पादन करने वाले अवसाय एवं उससे संबंधित कार्य में घरेलु सेवा, मकान बनाने वाले कार्य, गलियों में घूम-घूमकर तथा ठेलों पर सामान बेचने वाले श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं।

महिलाओं की कुछ गतिविधियां शहरों तक ही सीमित हैं। लखनऊ में मुर्गों से संबंधित कार्य, बैंगलोर में अगरबत्ती बनाने से संबंधित कार्य, फरीदाबाद में चप्पल की पट्टी काछने में। खुदरा व्यापारी, (व्यापारी एवं दुकानदार) गलियों में सामान बेचने वाले, सिलाई, बनावट घरेलु सेवा ये कार्य बड़े शहरों में पाए जाते हैं। स्व-नियोजित अधिकांश महिलाएं दुग्धशाला, सिलाई, फूल बेचने तथा मछली बेचने के कार्यों में लगी हुई हैं।

### मध्यप्रदेश के उद्योग

मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का द्वितीय राज्य है, किन्तु वह औद्योगिक दृष्टि से देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। सन् 1956 के उपरांत प्रदेश में प्रदेश में उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनों का सुचारू रूप से दोहन करने के लिए औद्योगिक दिशा में सार्थक पहल की गई। म.प्र. आज औद्योगिक की दृष्टि से देश में 7 वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में सर्वप्रथम उपक्रमांक के बड़े कारखानों की स्थापना हुई, जिसमें मुख्य रूप भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल मलाजखण्ड ताबां संयंत्र बालाघाट, नेशनल पेपर मिल्स, नेपाल नगर आदि उल्लेखनीय है। औद्योगिकरण के दूसरे चरण में निजी क्षेत्र, मध्यम एवं छोटे उद्योग का तीव्र गति से विस्तार किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन की ओर से राज्य में औद्योगिक की दशा में गति लाने के लिए पृथक रूप से कई उपक्रम स्थापित किये गये। राज्य के औद्योगिक विकास में म.प्र. में उद्योग निगम, म.प्र. औद्योगिक विकास निगम, का सक्रिय योगदान रहा है म.प्र. में उद्योगों के विस्तार हेतु जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गयी। ग्रामीण व नगरीय अचलों में योजना बद्ध तरीके से औद्योगिकरण की दिशा में एक क्रान्ति के रूप में आठवां दशक माना जाता है।

कृषि, खनिज एवं वन सम्पदा की प्रचुरता लेने पर भी म.प्र. में औद्योगिक विकास बहुत मंद गति से हुआ है। यहां लगभग 27 प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। जिनमें लोहा, कोयला, बॉक्साइड, अभ्रक, ताबां, सोना, हीरा, सीसा, डोलामाइट, ग्रेफाइट आदि खनिज महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश का 31.18 क्षेत्र वनों से आच्छादित है। जिससे बांस, गोद, लाख, हर्रा, इमारती लकड़ी तेंदु पत्ता आदि पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। इनका उपयोग कागज प्लाईबुड हाई-बोर्ड, कत्था, टेनिन आयुर्वेदिक औषधियां के उपयोग उद्योग में उपयोग किया जाता है।

प्रदेश में भारत का 50 प्रतिशत मैगनीज 40 प्रतिशत बॉक्साइट 30 प्रतिशत लोहा अयस्क तथा 35 प्रतिशत कोयला प्राप्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश में लगभग 55 लाख खेतिहार परिवार हैं तथा लगभग 19.85 मिलियन हेक्टेयर भूमि खेती के उपयोग में आती है। कृषि से भी उद्योग हेतु कच्चा माल प्राप्त होता है कपास, गन्ना, चावल, तिलहन फसलों पर आधारित सूती कपड़े, शक्कर, स्ट्रा बोर्ड तेल वनस्पति आदि उद्योग लगाये जा सकते हैं।

म.प्र. राज्य भारत की प्रतिशत छोले उत्पन्न करता है। राज्य सोयाबीन उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर रहा है, फिर भी अन्य प्रदेशों की तुलना में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा प्रदेश है। इसका मूल कारण संभवतः वित्तीय संसाधन, वैज्ञानिक कुशलता तथा विकसित तकनीक का अभाव है।

म. प्र. में भारी मध्यम उद्योगों की संख्या लगभग 518 है तथा लघु उद्योगों की संख्या 265000 है, प्रदेश के 36 जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की श्रेणी में आते हैं मार्च 1990 तक राज्य में 926 वृद्ध एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों स्थापित हो चुकी हैं।

### ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रमिक

ग्रामीण क्षेत्रों लगभग 87 प्रतिशत महिला श्रमिक कृषि में किसान एवं मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। अपने परिवार के लिए भोजन उत्पादन करने के लिए महिलाएँ नगदी धान, आल, सेब, मटर के दाने, मशरूम, अदरक, और चिकित्सा से संबंधित पौधों का उत्पादन करती हैं। उड़ीसा, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, कश्मीर और केरला की महिलाएँ रापनी धास काटने, फसल काटने तथा चावल कुटने का कार्य करती हैं। गुजरात में महिलाएँ तम्बाकू रुई और मुंगफली का काम करती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में घास कुटने फसल काटने और दाल तैयार करने में लगी हुई हैं।

बहुत महिलाएँ चाय-बागान में लगी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अन्य अनौपचारिक व्यवसाय जहाँ इनकी संख्या अधिक है। धरती के स्वरूप पर आधारित हैं। जो जंगल, दुग्ध उत्पादक और छोटे स्तर पर पशु पालन, मत्स्य पालन, मछली बेचना और जाल बुनना घरेलु काम पर आधारित व्यवसाय हस्तकर्धा कि बुनाई और कटाई, तार एवं फाइबर का काम, हस्तशिल्प झाड़ू और टोकरी बनाने का कार्य, पत्तियों से प्लेट और टोकरी बनाना, सिलाई और पोषाक बनाना, खाने का समान बनाना, ढेलों में समान बेचना बनावट कार्य करती हैं।

असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएँ आज भी उन्हीं अमानवीय दशाओं में कार्य करने हेतु बाध्य होती हैं। ये महिलाएँ अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं होती हैं। इनकी स्वयं की आय पर कोई अधिकार नहीं होता न ही वे अपनी जिन्दगी के बारे में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में स्वतंत्र होती हैं। वे अपने अधिकारों का परित्याग करके परिवार की 'बेहतरीकरण' के लिए कार्य करने हेतु बाध्य होती हैं।

ये महिला श्रमिक सामाजिक दृष्टि से अनुसूचित जाति की होने के कारण ये पिछड़ी हुई दशा में कार्यरत रहती हैं। इनका कोई सशक्त संगठन भी नहीं है, जो इनके अधिकारों की रक्षा कर सकें।

**निष्कर्ष :-** प्राचीन काल से ही महिलाएँ शारीरिक श्रम करके पारिवारिक व्यवस्था में सहयोग देती रही हैं। पारिवार की आन्तरिक जिम्मेदारियों को महिलाओं ने श्रम करके ही सम्पादित किया है। इनके इन मूल्यवान योगदान का मूल्यांकन कभी आर्थिक मापदण्डों के आधार पर नहीं आँका जा सकता। महिलाओं के इस श्रम को माता, पत्नी, बहिन, बेटी के कर्तव्यों से सम्मानित किया जाता है। समय के बदलाव से आधुनिक युग का आगमन हुआ। आज इस युग में महिलाएँ

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है, किन्तु महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक पारिवारिक समस्याओं पुरुषों से भिन्न होती है।

भारत की आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई जाती है। भारतीय महिलाएँ आज से नहीं सदियों से जागरूक एवं अग्रणी रही हैं। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति ने प्राचीन काल से ही महिलाओं को उच्च स्थान दिया है। पहले महिलाओं का घर से बाहर जाकर कार्य करना पसन्द नहीं किया जाता था, किन्तु आर्थिक दबावों तथा रीन सीन की लागतों में वृद्धि के कारण महिलाओं को घर से बाहर न जाने की परम्परा को तोड़ना पड़ा।

आधुनिक समाज में महिलाओं को कदम—कदम पर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। चूंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ महिलाएँ पढ़ी लिखी होने के बाद भी वह स्थान प्राप्त नहीं हैं जिनकी वे हकदार हैं।

हमारी सामाजिक संरचना सरल नहीं है। इसमें विभिन्न रंगों का समावेश हुआ है। जिसमें विभिन्न विचारधाराओं के लोग निवास करते हैं। यहाँ महिलाओं के स्वतंत्र अस्तित्व को पूर्ण रूप से बलीन चीट तो नहीं किया जा सकेगा, किंतु जिन क्षेत्रों में महिलाओं का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित था, उन क्षेत्रों में उन्हें स्थान प्राप्त हो सकेगा। उन्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त करने हेतु अभी लम्बी लड़ाई लड़नी है। महिलाओं का आत्म विश्वास उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की प्रेरणा देता है।

उत्पादन के सभी क्षेत्रों में नये तकनीक का और स्वचालित यंत्रों में वृद्धि महिला श्रमिकों पर सर्वप्रथम प्रभावित करता है। अधिकांश महिलाओं को निम्न श्रेणी के नियोजन में किये जाते हैं। जिन पर निम्न कौशल की आवश्यकता होती है आधुनिक पूँजी के रूप में तकनीक का प्रवेश अधिकांश महिलाओं को उपर्युक्त काम से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का विरस्थापन को प्राथमिकता दी जाती है मशीन पर काम की स्थिति और महिलाओं का प्रशिक्षण पाने असमर्थता एक ऐसा परिवेश है कि महिलाएँ ऐसे कार्यों पर उद्योग में काम नहीं सके या अपने नियोजन को कुछ ही कार्यों तक सीमित रख सके पैंकिंग बांधने वाले कार्य पुरुषों के लिए आरक्षित रख जाते हैं। अधिकांश महिलाओं को कपड़ा उद्योग में अपने कार्य से हाथ धोना पड़ा है, उसका कारण तकनीक और उद्योग धंधे का पुर्नगठन है।

अनौपचारिक क्षेत्रों में महिलाएँ सामान्यतः बहुत ही निकृष्ट श्रेणी के कार्य करती हैं। बुहारना, कपड़ों की सफाई, बौझा ढोना खीचने के कार्य, महिलाएँ खदानों में अन्य काम करती हैं। तम्बाकू बनाने का काम, कुर्सी और ऐसे कार्य को कम्पेयर पट्टी, अन्य स्वचालित यंत्रों द्वारा विस्थापित किया गया है। औद्योगिक तकनीक से पंजाब में खेती करना।

### संदर्भ :

1. अग्रवाल डॉ. गोपाल कृष्ण— आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. 2003, पेज 123 से 125
2. नटानी प्रकाशनारायण— महिलाओं के अधिकार पर अत्याचार तथा उत्तर दायित्व, महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकार, विनायक प्रकाशन, जयपुर—12 पेज 47
3. नायक श्रीमति कमला— कामकाजी महिलाएँ एवं उनकी व्यथा, नारी चिंतन आदित्य पब्लिशर्स जगदेश्वरी माता काम्प्लेक्स पाठक वार्ड, बीना, 2006 पेज 47
4. गुप्ता, रमनिका— कामकाजी महिलाओं के प्रति मानसिकता में बदलाव श्रमिक संघों की भूमिका, स्त्री विमर्श शिल्पायन वेस्ट गोरखपार्क, शाहदरा दिल्ली 2006 पेज 156,157,161
5. चिंचालकर श्री पी.वी.— ग्रामीण महिला श्रमिक, ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करना, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, बी.सी.ई. गेट के पास उत्तर अंबाझरी मार्ग नागपुर 2005 पेज 5,6

## Social Intelligence on Social values

**Shilpi Naval Pal**, Researcher Philosophy RDVV Jabalpur

**Introduction :** The personality of an individual depends mainly on what he has experienced in his early life i.e. (0-5 yrs.) Generally, family is the first and foremost informal school in an individual's life which later helps in the development of an individual's personality along with equal contribution of educational institutes and the society he lives in.

Education is generally considered to be responsible for the all-round development and personality of the child. One may find individual differences because of different environmental condition an individual lives in resulting in different behavioral patterns. The social intelligence of an individual may be the resultant of these forces which in turn may affect the interactive pattern of an individual. This may at times result not only in better social values but also affect the nature of the individual in terms of his specific disciplined behavior.

The present research work is an attempt to find out whether there is any relationship among social value and Disciplined Behavior of Higher secondary school students in relation to social intelligence.

The result will go a long way to help in knowing the Intelligence level, Educational, Vocational and Career Guidance of Higher Secondary School Students.

### Need and Importance

The environment these days is slightly complex since the children are apprehensive of the employment opportunities in the country where there are a large number of Education Unemployed. Social Intelligence helps effectively navigate and negotiate complex Social Relationship and Environments. The interaction of the students with the outside world helps in the developments Social Skills to face the physical world.

Social intelligence is of more importance in the present life style due to growing tensions, stress and various complexities. It can be learned, developed and used as an effective life skill for managing personal life, inter personal relationships and achieving success in all the walks of life.

### Disciplined Behavior:

The word Disciplined Behavior means learning or formal training where disciplined minds dwells in disciplined and trained personality. Discipline is generally linked with the character of a man or a woman with which he or she is controlled and predicated. An individual with good habits can be counted on to act with due consideration for rights and welfare of others.

Discipline is present in ones impulses and powers to regulate which if not controlled can get in effective and waste, under the condition of an open chaos. The purpose is to bring efficiency in the work by Disciplined Behavior. A disciplined persons thinking is directed towards discovering something new and better. He is constructive and accomplishes higher goals. He performs every act perfectly.

**Saxena, S. and Jain R.K. (2013)** studied "Social Intelligence of under Graduate Students in Relation to their Gender and Subject Stream". Survey method was used and the sample of the study comprised 60 male and 60 female undergraduate students by adopting stratified disproportionate random sampling technique. Tools used were Social Intelligence Scale by Chadda and Ganeshan. The data was analysed by using 't' test. The findings

suggest that the female students possess more Social Intelligence than male students and the analysis of stream indicates that Art students have greater Social Intelligence than students of the other stream.

### **Researches done under Social Values**

**Carothers, P.,J. Vaske and M. Donnelly(2001)** studied on “Social values versus Interpersonal conflict among Hikers and Mountain Bikers”. The study investigated three different groups: people who hike only, people who bike only and people who engage in both. Across all three groups, hikers were less likely to be the cause of conflict. When hiking was seen as a problem, mountain bikers and dual-sport participants were more likely than hikers to report unacceptable behaviors. Hikers were more likely than mountain bikers to have a conflict with mountain bikers, whereas dual-sport participants fell in between these two extremes. This study, unlike a previous study of hunters and non-hunters, found less Social values conflict than Interpersonal conflict. These two findings are not surprising given the similarity between hikers and mountain bikers and the strength of an anti-hunting sentiment in the society.

### **Researches done under Disciplined Behavior**

**Tiwari, Raina (2008)** studied “impact of NCC training on feelings of National Integration Leadership Potential and Behavior of Higher Secondary School Students”. Discipline behavior of girls and boys with NCC is more than girls and boys without NCC. Discipline behavior of private school boys with NCC is more than that of boys without NCC. Discipline behavior of girls with NCC is more than girls without NCC. Discipline behavior of private school girls with NCC is more than girls without NCC. NCC boys and girls are more discipline than boys and girls without NCC. Discipline Behavior of private school boys and girls with NCC is more than boys and girls without NCC. Discipline Behavior of boys with NCC is more than that of boys without NCC.

**Banerjee, Shilpi (2012)** carried out a research “to study leadership Ability and Disciplined Behavior of students in Relation to the Nature of School Management”. The study was carried out an a sample of 120 students from govt. and non-govt. schools. The results revealed that there is no significant difference in the disciplined behavior of govt. and non-govt. school students. It was also found that there is no significant gender difference in the disciplined behavior. Govt. and non-govt. schools. The too used was the disciplined behavior test by Aditya Shukla.

### **Planning of Research Work**

The following steps will be followed for the research work:-

1. list of schools will be procured from the DEO which are offering Higher Secondary Education.
2. Random selection of school shall be made to constitute the sample units.
3. Social intelligence test will be administered to discriminate the Higher Secondary Schools with high /low Social Intelligence.
4. Social value test and Disciplined Behavior test will be administered to find how high or low Social Intelligence affects the Social Values and Disciplined Behavior in an individual.
5. The scoring of the two tests will be done on the basis of the scoring keys provided in the manual and master sheets will be prepared.
6. Statistical analysis will be done for verification of Hypothesis and drawing out of conclusions.

**Sampling:**  
**Table no. 01**  
**Initial sample**

| Boy  | Girls | Total |
|------|-------|-------|
| 1000 | 1000  | 2000  |

After the administration of the Social Intelligence test scoring will be done to find out the high and low levels of Social Intelligence of the students. Approximately, 600 students of high level of Social Intelligence and 600 students of low Social Intelligence will be selected as final sample from the initial sample as shown below:

**Table no. 02**  
**final sample**

| Social Intelligence level | Higher Secondary School Students |     | Total |
|---------------------------|----------------------------------|-----|-------|
| High                      | 300                              | 300 | 600   |
| Low                       | 300                              | 300 | 600   |
| Total                     | 600                              | 600 | 1200  |

Social values, on the other hands act as a balancing factor between the internal and external demands of an individual. It is said if someone has good values inculcated in him he is said to have a perfect harmony between the inner and outer world both. It is said that when an individual changes an unconstructive or a disruptive behavior to a more constructive one he is said to have refocused his behavior for something good and that is only possible if he has the right kind of values in him which makes him realize the difference between the right and wrong of his behavior.

The importance of this is that, all Human Beings must learn a set of skills which are beneficial for the environment and community he lives in. social values help an individual explore, as he is opening himself to the environmental awareness and responses to meet the demands and dangers which he may experience in his day life.

**Social intelligence:**

It describes the capacity to effectively negotiate complex social relationships and environments. It also means when an aggregate measure of self and social awareness evolved social beliefs attitudes capacity and appetite is brought together it results in social change. It is also said that a person with a high social Intelligence Quotient (SQ) is no better or worse than someone with a low SQ, but they have different attitudes, hopes, interests and desires.

**Social values:**

Social values form an important part of the society. It explains the way in which social processes should take place in the society for interactions. It is an effort made by an individual to cope with standards and needs of the society in order to be accepted. It accounts for the stability and social order. It also provides the general idea of conduct in the society which in turn results in social control in an individual's life. Values are considered to be

the criteria people use in assessing their daily lives, arranging their priorities, measuring their pleasures and pains and also giving a certain amount of discipline in one's life.

**Reference :**

- Banerjee, Shilpi (2012) "To study leadership Ability and Disciplined Behavior of Students in Relation to the Nature of School Management", Unpublished Dissertation, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur (M.P.)
- Buch M.B., "fourth Survey of Research in Education", 1983-88-Volume II.
- Buch M.B., "fifth Survey of Research in Education", 1988-92-Volume I.
- Buch M.B., "Sixth Survey of Research in Education", 1993-2000-Volume I.
- Dixit, Preeti M. (2012) "To study Academic Achievement in Relation to Social Intelligence and Emotional Intelligence of High School Students of Jabalpur District", Unpublished Thesis, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur (M.P.)
- IOSR Journal of Research and Method in Education, Vol. I, Issue I, (Jan-Feb2013)pp.01-04.  
[www.iosr.iournals.org](http://www.iosr.iournals.org)
- Singh, R.P., Sharma, M. "Indian Journal of Psychology and Education", Vol. 44(2)(1), Bhargava periodicals, Agra.
- Tiwari, Raina (2008) " Impact of NCC Training on feelings of National Integration, Leadership, Potential and Discipline Behavior of Higher Secondary School Students," Unpublished Thesis, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur (M.P.)

## भारतीय धर्म और नैतिकता : डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा

दिनेश पटेल, एम.ए.एम.फिल बौद्ध अध्ययन, पी-एच.डी.अध्ययनरत् डॉ. हरि सिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

**प्रस्तावना :** तार्किक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोणों से नैतिकता एवं धर्म में गहरा संबंध है, दोनों को कभी—कभी एक दूसरे से पृथक भी समझा जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, किन्तु वे बहुत ही नैतिक आचरण के व्यक्ति होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बाहरी दृष्टि से बहुत ही धार्मिक पुरुष प्रतीत होते हैं, पर वे अपने आचरण एवं भावना में बज़ुत ही अशुभ हैं। वे व्यावहारिक जीवन में भ्रष्टाचार करते हैं। नैतिक एवं धर्म व्यवहार, जैसा कि प्रतीत होता है, लोगों में एक समान नहीं दिखते। यहाँ तक कि एक ही आदमी में दोनों के प्रति समान आस्था नहीं है। इस तथ्य का मतलब है कि सभी प्रकार के लोगों की अपने—अपने धर्म में आस्था कम हुई है। आधुनिक युग में कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का विकास होता जा रहा है जिनका झुकाव धर्म की ओर नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर ने बहुत पहले ही यह चेतावनी दी कि धर्मों को जन—सेवा से अपना ध्यान अन्य कहीं नहीं लगाना चाहिये अन्यथा उनमें जो कुछ भी मानवीय आकर्षण है वह भी समाप्त हो जायेगा। मानव सेवा से अपने को दूर करके धर्मों ने अपना सम्मान घटाया है।

प्रारम्भ में धर्मों ने नैतिकता को स्थान दिया, पर कालान्तर में धर्मों व्यवहार यांत्रिक बन गया अर्थात् पूजा—पाठ, यज्ञ—भजन प्रमुख बन गये और मानव के प्रति शुभ आचरण का महत्व कम होता गया। इस प्रकार धर्मों में नैतिक आचरण का स्थान कम हो गया है।

यहाँ पर हम केवल हिन्दू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, तथा बौद्धधर्म की नैतिक विचारधाराओं का स्पष्टीकरण करेंगे क्योंकि डॉ. अम्बेडकर ने इन्हीं को अपने अध्ययन का मुख्य केन्द्र माना था। जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तब इन धर्मों के बारे में गम्भीरता से सोचा और बौद्धधर्म को अपनाने का निर्णय किया।

### 1. हिन्दू धर्म के मौलिक सिद्धान्त :-

संक्षेप में, आत्म—मोक्ष हिन्दू नीतिशास्त्र का सर्वोत्तम आदर्श है। वर्ण, आश्रम तथा पुरुषार्थ तीनों मिलकर हिन्दू धर्म की नैतिकता का निर्माण करते हैं। इन्हीं के अनुसार व्यवहार करना सदाचार कहलाता है जो शास्त्र—संगत भी होता है।

किन्तु व्यवहार में, हिन्दू धर्म एवं नैतिकता में बड़ा भारी अन्तर है। वर्ण आदर्श “दबाव एवं अन्याय” के साधन बना दिये गये और उनसे “असमानता तथा बहिष्कार” की भावनाओं का उदय हुआ। यह बात डॉ. राधाकृष्णन जैसे विद्वान ने स्वीकार की। उधर प्रो. टाइट्स भी लिखते हैं “हिन्दू नैतिकता के सिद्धान्त तथा निरंकुश, विशेष, उच्च वर्गों के बीच एक समझौता है। जातिवाद के भेदभाव सहयोगात्मक जीवन, जनतन्त्र एवं शिक्षा के विकास में बाधक हैं। जाति व्यक्तियों की साधारण विवाह व्यवस्था में भी अवरोधक तत्व उत्पन्न करती है। इन्हीं जाति भेदभावों से निर्दयता की भावनायें उत्पन्न हुई तथा स्त्रियों के प्रति दीनता का भाव भी उत्पन्न हुआ।”

सैद्धान्तिक दृष्टि से डॉ. अम्बेडकर केवल वर्ण व्यवस्था (तथा जिसे आज जाति व्यवस्था कहते हैं) के ही नहीं, अपितु समस्त हिन्दू धर्म और दर्शन के विरोधी थे क्योंकि हिन्दू समाज ने अपने सदस्यों को ही निम्न स्तर पर लाकर नहीं पटका, परन्तु उन लोगों को भी अप्रगतिशील बनाया जो उसमें रहे। जाति व्यवस्था का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है:- “जाति से आर्थिक कुशलता नहीं निकलती। जाति ने जाति विशेष उत्थान नहीं किया और न कर सकती है। जाति ने एक काम तो अवश्य किया है इसने हिन्दू समाज को छिन्न—भिन्न करके उसका नैतिक पतन किया है।”

“जाति व्यवस्था का हिन्दू धर्म की नैतिकता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जाति ने जन-भावना का विनाश किया है। जाति ने जन-दया तथा प्रेम की भावनाओं को समाप्त किया है। जाति ने जन-चेतना तथा जन-मत को असम्भव बना दिया है। किसी हिन्दू का जीवन उसकी जाति है। उसकी कर्तव्यनिष्ठा अपनी जाति के प्रति है। गुण जाति सूचक बन गया है तथा नैतिकता जाति से जोड़ दी गई है। सद्भावना का कोई महत्व नहीं रह गया है। योग्यता को कोई ध्यान में नहीं रखता। निर्धन लोगों के प्रति सेवा-भाव नहीं रहा। दुःखी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। दया तो है किन्तु उसका प्रारम्भ जाति से होता है और जाति में ही समाप्त हो जाता है। सद्भावना तो है पर अपनी ही जाति वालों के लिये, अन्य लोगों के लिये नहीं है।”

“मुझे समस्त वर्ण-व्यवस्था विभिन्न वर्गों के नामों सहित बिल्कुल पसन्द नहीं है। मैं पूर्णतः इसके विरुद्ध हूँ लेकिन वर्ण-व्यवस्था के प्रति मेरा विरोध केवल भावनाओं के ऊपर आधारित नहीं है। कुछ एक ऐसे ठोस आधार हैं जिनकी वजह से मैं इसका विरोध करता हूँ। गम्भीर एवं गहरी समीक्षा के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वर्ण व्यवस्था अव्यवहारिक है, हानिकारक है और वह पूर्ण रूप से असफल रही है।” ये हिन्दू धर्म के चार आश्रम शूद्रों तथा स्त्रियों पर लागू नहीं होते। उनको पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं। वे हथियार भी अपने पास नहीं रख सकते। उन्हें सन्यासी जीवन व्यतीत करने की अनुमति नहीं है। “हिन्दू समाज वर्ग-नैतिकता पर आधारित है। यही वर्ग-नैतिकता इसके पतन का कारण है।” वास्तव में जिसे हिन्दू धर्म कहते हैं वह एक कानून अथवा कानून पर आधारित वर्ग-नैतिकता है। “मैं स्पष्ट कहूँ तो इसे मैं धर्म नहीं कह सकता। इन आज्ञाओं को धर्म कहने का प्रथम अवसर यह हुआ है कि इसने नैतिक जीवन की स्वतन्त्रता तथा स्वेच्छाचारिका का नाश किया है। नैतिकता को कठोरतम नियमों की सीमा में रख दिया है।” नैतिकता में जो स्वतन्त्रता तथा समानता का भाव होता है, वह हिन्दू समाज तथा धर्म में नहीं मिलता।

हिन्दू धर्म के उस व्यावहारिक रूप को यदि देखा जाये जो मन्दिरों में मिलता है तो विचित्र स्थिति मिलेगी। पण्डा-पुजारी लोग प्रत्येक बौद्धिक एवं प्रगतिशील कदम का विरोध करते हैं। स्त्रियों की स्थिति के सुधार, शूद्रों-अछूतों की उन्नति, परम्पनाओं में थोड़े से परिवर्तन, कट्टरता तथा धर्मान्धता के प्रति विद्रोह, इन सबका विरोध पण्डा-पुजारियों द्वारा किया जाता है। डॉ. अम्बेडकर का विचार है कि हिन्दू धर्म जितना ही तीव्र रहा है वह उतना ही धर्मान्धता तथा कट्टरता पर आधारित रहा है। जितनी उनकी निर्दयता बढ़ी है उतनी ही सामाजिक स्थिति खराब रही है। निर्दयता का मूल भय रहा है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिन्दू धर्म और निर्दयता साथ-साथ पनपते रहे हैं।

हिन्दू धर्म में पाये जाने वाले कर्म सिद्धान्त को भो डॉ. अम्बेडकर ने अस्वीकार कर दिया। हिन्दू कर्म सिद्धान्त आत्मा के आवागमन पर आधारित है। आत्मा वहीं पर अगला जन्म ग्रहण करती है जहां पर व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्म उपर्युक्त बैठते हैं। आज कोई व्यक्ति जिस स्थिति में है वह इसलिए है कि उसने पिछले जन्म में वैसे ही कर्म किये होंगे। डॉ. अम्बेडकर इसे बदले पर आधारित सिद्धान्त मानते हैं क्योंकि निर्धन या अमीर परिवार में जन्म लेना, लंगड़ा लूला होना आदि पिछले जन्मों के कर्म का फल है। हिन्दू कर्म सिद्धान्त, इस दृष्टि से, समानता तथा सामाजिकता पर आधारित नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है “इसका एकमात्र उद्देश्य जिसके बारे में कोई सोच सकता है समाज और राज्य को उस उत्तरदायित्व से मुक्त करना है जो उन्हें निर्धनों और निम्न श्रेणियों के लोगों के साथ निभाना है, अन्यथा इस प्रकार का अन्यायपूर्ण तथा असमान सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया गया होता है।”

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, जीवन का मूल उद्देश्य “आत्म-मोक्ष” नहीं है, बल्कि शुभ जीवन की प्राप्ति करना है। वह यह नहीं मानते कि किसी आदमी का शुभ जीवन उसी समय हो सकता है जब वह ईश्वर आराधना में लीन रहे। यह आवश्यक नहीं कि ईश्वर के भय के कारण नैतिक बना जाये। यदि आदमी शुभ जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे अच्छी शिक्षा, अच्छे मित्र, प्रेम, सद्भावना, अच्छी आमदनी, अच्छा स्वास्थ्य, मनपसन्द काम जैसी चीजों की आवश्यकता है। हिन्दू धर्म की नैतिकता ‘आत्म-मोक्ष’ का आदर्श डॉ. अम्बेडकर के नैतिक प्रमाप में उपयुक्त नहीं बैठता। अतः वह ‘आत्म-मोक्ष’ को जीवन का सर्वोत्तम आदर्श नहीं मानते।

जहाँ तक हिन्दू धर्म के नैतिक सामाजिक आदर्शों का सम्बन्ध है, वे बिल्कुल असफल रहे हैं। ब्राह्मण का आदर्श कर्तव्य विद्या अध्ययन करना तथा अन्य लोगों को विद्या दान करना है। उसका कार्य है कि सभी धार्मिक पुस्तकों के ज्ञान में दक्ष हो, किन्तु आज स्थिति कुछ ओर है। ब्राह्मण लोग धन—दौलत के पीछे दौड़ रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, हिन्दू धर्म का सबसे बड़ा निकटतम शत्रु ब्राह्मणवाद है। हिन्दू धर्म में कुछ अच्छे गुण हो सकते हैं, पर ब्राह्मणवाद ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। ब्राह्मणवाद हिन्दू धर्म की कट्टरपन्थी शाखा है। "ब्राह्मणवाद से मेरा अभिप्राय उन शक्ति अधिकारों और हितों से नहीं है जो ब्राह्मणों को एक समूह (समाज) के नाते मिले हैं। ब्राह्मणवाद से मेरा अर्थ स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के मूल्यों के अभाव या निषेध से है। इस अर्थ में, यह सभी वर्गों में पाया जाता है, केवल ब्राह्मणों में नहीं, हॉलाकि वे ही इसके जन्मदाता हैं। ब्राह्मणवाद के प्रभाव केवल सामाजिक अधिकार जैसे अन्तर्जातीय भोज तथा अन्तर्जातीय विवाह एक ही सीमित नहीं रहे। उसने नागरिक अधिकारों का भी हनन किया। ब्राह्मणवाद इतना व्यापक है कि इससे आर्थिक अवसरों पर भी प्रभाव पड़ता है।"

इन सब कारणों को देखते हुए, डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म के दर्शन तथा नैतिकता को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बहुत से सुधारात्मक प्रयत्न किये कि हिन्दू समाज जाति विहीन बने समानता तथा स्वतन्त्रता के आदर्श अपनाये, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।

## 2. इस्लाम धर्म की नैतिकता :-

'इस्लाम' शब्द का अर्थ ईश्वर के प्रति 'समर्पण' से है। यह एक धर्म तथा नैतिक व्यवस्था दोनों ही है। इसे जीवन मार्ग भी कह सकते हैं। इस्लाम की नैतिकता का प्रारम्भ सामुदायिक जीवन से होता है जो अरब देशों में विद्यमान था। वह एक सामुदायिक नैतिकता थी, उसमें साहस, कर्तव्यनिष्ठा, आदरशीलता, तथा उदारता जैसे गुणों पर बल दिया जाता है। जाति अभियान उस समय बहुत था जब मौहम्मद साहेब ने इस्लाम की नींव डाली, पर धीरे-धीरे यह जाति अभिमान लुप्त हो गया।

इस्लाम की नैतिकता सामुदायिक तथा आधुनिक विचारों का एक मिश्रित रूप है। शुभ वही है जो कुरान के मुताबिक आचरण किया जाता है। अशुभ वह है जो अल्लाह की आज्ञा के विरुद्ध होता है। एक ओर तो इस्लाम में दान, दया, आदर, सच्चाई, दासों के प्रति मानवीय भाव, अनाथों के लिए न्याय जैसे गुणों पर बल दिया जाता है और आत्म-हत्या, अमानवता, डकैती, ठगी, जुआ, झूठ, चोरी, शराब की बिक्री तथा उपभोग के विरुद्ध कानून है, लेकिन दूसरी ओर दास-प्रथा और बहु-स्त्री विवाह" की स्वीकृति दी जाती है। यहाँ तक कि मौहम्मद साहेब जिस समाज में रहते थे उसमें भी दास-प्रथा विद्यमान थी। एक मुस्लिम एक समय में चार औरतें रख सकता है। तलाक आदि भी दिया जा सकता है। इस्लाम के अनुसार ब्रह्मचर्य का जीवन आवश्यक नहीं है क्योंकि उससे प्राकृतिक इच्छाओं का दमन होता है। अतः परिवार नियोजन जैसी चीज मुस्लिम समाज के लिए निरर्थक है।

## 3. ईसाई धर्म की नैतिकता :-

ईसाई नैतिकता अधिकांशतः धर्मशास्त्रों के ऊपर आधारित है। नैतिकता की मूल समस्या यह है कि ईश्वर आदमी से क्या करवाना चाहता है और उसे ईश्वर की इच्छाओं (आज्ञाओं) का कैसे पालन करना चाहिये। ईसाई मत में प्रवेश करने का अर्थ है नवीन आदमी बनना, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना आदि। ईश्वर ही मनुष्य को सही-सही निर्देश दे सकता है। आदमी को ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ईसाई जीवन में स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व, निर्णय आदि केवल ईश्वर की आज्ञानुसार ही सम्भव हो सकते हैं। ईश्वर के बिना ईसाई जीवन अधूरा है।

ईसाई धर्म की दस विशेषाज्ञाओं में से प्रेम को मौलिक माना गया है। जेसस ने कहा— "तुम अपने पूर्ण हृदय, पूर्ण आत्मा, इच्छा एवं मान, और शक्ति के साथ ईश्वर से प्रेम करोगे।" यह प्रथम विशेषाज्ञा है। दूसरी यह है— "तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करोगे।" ईसाई नैतिकता में प्रेम को ही मौलिक बना दिया गया है। यह कानून का परिपालन है तथा न्याय का प्रतीक है। शीर्ष जीवन बिना प्रेम के सम्भव नहीं हो सकता है। शुभ जीवन के लिए आवश्यक है कि

जेसस के प्रति पूर्ण भक्तिभाव प्रदर्शित किया जाये। शुभ जीवन एक ऐसी जिज्ञासा है जो जेसस के आदर्शों से प्रेरित होती है। जेसस के प्रति भक्तिभाव ने ईसाई मत के अनुसार गिरजाघर की स्थापना में मूल प्रेरणा प्रदान की। प्रत्येक रविवार के दिन ईसाई लोग गिरजाघरों में जाते हैं। पादरियों से जेसस के आदर्शों तथा ईश्वर की महिमा के बारे में उपदेश सुनते हैं। गिरजाघर की परम्परा ईसाई जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बन गयी है। उसके बिना ईसाई धर्म अधूरा है।

डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है “धर्म का यही अर्थ हो गया है और धर्म से यही भावार्थ ग्रहण किया जा सकता है कि ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना।” धर्म का यह स्वरूप डॉ. अम्बेडकर के नैतिक प्रमाप की दृष्टि से खरा नहीं उत्तरता। इन धर्मों में नैतिकता उनका आवश्यक अंग नहीं है। यही बात ईसाई तथा ईस्लामी धर्मों पर लागू हो सकती है।

#### 4. बौद्ध धर्म की नैतिकता :-

बौद्ध धर्म ने अपना आन्दोलन ब्राह्मणवाद के कठोरतावाद तथा पूजा-पाठ के विरुद्ध आरम्भ किया। उसने ब्राह्मणवाद के आत्मा तथा ब्रह्म संबंधी सिद्धान्तों की कड़ी आलोचना की। बुद्ध के धर्म की शिक्षायें मूलतः निरीश्वरवादी तथा मनोवैज्ञानिक हैं। वे मानववादी अधिक हैं। उनमें दण्ड और भय का स्थान नहीं है। बौद्धधर्म का मौलिक उद्देश्य दुःख की स्थिति का अन्त करना है। लोगों को भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाना है। वह केवल बौद्ध लोगों के बन्धुत्व में ही विश्वास नहीं करता, बल्कि विश्व शान्ति तथा विश्व बन्धुत्व उसका व्यापक ध्येय है।

बुद्ध ने सभी निर्धन एवं शोषित लोगों के लिये स्वतन्त्रता तथा समानता की मॉग की। उन्होंने स्वयं किसी भेदभाव के बिना उपाली, सुनीत, सुप्राबुद्ध, सोपाल तथा सुष्ठियां जैसे निम्न जाति वालों को अपने भिक्षु संघ में प्रविष्ट किया। बुद्ध का यह आन्दोलन बहुत ही प्रभावशाली था। उनमें केवल अहिंसा का सिद्धान्त ही नहीं, वरन् नवीन समाज की स्थापना के लिये भी संदेश था।

बौद्ध धर्म का मुख्य केन्द्र मनुष्य और समाज है। अन्य शब्दों में, बौद्धधर्म की समस्त नैतिकता दुःख की मान्यता तथा उसके निवारण पर आधारित है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से दुःख का अन्त होना चाहिये।

डॉ. अम्बेडकर ने जिस नैतिक प्रमाप का प्रतिपादन किया उससे बौद्धधर्म के ही नैतिक सिद्धान्तों की पुष्टि होती है। बौद्धधर्म बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से डॉ. अम्बेडकर को प्रिय लगा। उपेक्षित मानवता के लिये उसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्होंने अपने नैतिक प्रमाप का अनुकरण भगवान् बुद्ध की शिक्षाओं से किया है। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे बौद्धधर्म एवं दर्शन का गहन अध्ययन करें, उसे स्वीकार करके उसका प्रचार करें क्योंकि इसमें समता, मैत्री तथा प्रज्ञा का अनोखा मिश्रण मिलता है। इन्हीं मूल्यों के अभ्यास से आदमी शुभ जीवन की प्राप्ति कर सकता है। उन्होंने बौद्धधर्म को जो स्वीकार किया उसमें धन-दौलत की प्राप्ति की भावना नहीं है।

#### डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, किसी भी सच्चे धर्म की चार मुख्य विशेषतायें होती हैं –

1. समाज की एकता के लिए कानून अथवा नैतिकता की स्वीकृति होनी चाहिये। दोनों के बिना समाज टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा। सभी समाजों में कानून का बहुत थोड़ा सा भाग होता है। विघटनकारी तत्वों को नियन्त्रण में रखना कानून का मुख्य कार्य होता है, लेकिन बहुसंख्यक लोग अपना सामाजिक जीवन नैतिक सिद्धान्तों के आधार पर चलाते हैं। अतः धर्म को नैतिकता के रूप में समाज के शासन का मुख्य सिद्धान्त होना चाहिये।
2. “धर्म को विज्ञान के अनुकूल होना चाहिये। यदि धर्म विज्ञान के अनुरूप नहीं होता तो उसका सम्मान ही नहीं घटता, वह हंसी का विषय भी हो सकता है, वह जीवन के सिद्धान्त के रूप में समाप्त हो सकता है और कालान्तर में अपना अस्तित्व भी खो सकता है। अन्य शब्दों में, यदि धर्म को वास्तविक ढंग से कार्य करना है तो उसे बुद्धि के अनुरूप होना चाहिये। बुद्धि या तर्क विज्ञान का दूसरा नाम है।

3. "नैतिकता के सिद्धान्त के रूप में धर्म को एक ओर बात स्वीकार्य होनी चाहिये। धर्म के लिये यही आवश्यक नहीं कि उसमें नैतिक सिद्धान्त हों। उसे मौलिक दृष्टि से स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के सिद्धान्तों का परिपालन करना चाहिये। जब तक कोई धर्म इन तीन सिद्धान्तों को स्वीकार नहीं करता उसका भविष्य अन्धकारमय हो सकता है।"
4. "धर्म को, निर्धनता की अवस्था को, पवित्र स्थिति नहीं मानना चाहिये। जिनके पास धन है यदि वे उसका परित्याग कर दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन निर्धनता स्वतः अच्छी अवस्था नहीं कही जा सकती। निर्धनता को अच्छी या शुभ अवस्था घोषित करना धर्म को अपराध तथा अशुभ करने के लिए प्रोत्साहित करना है, इस पृथ्वी को नर्क के समान बनाना है।"

डॉ. अम्बेडकर ने निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखते हुये इस्लाम, हिन्दू तथा ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया है :—

1. ये धर्म विज्ञान के अनुकूल नहीं हैं और उनके सामाजिक आदर्श कुछ ऐसे हैं कि उनसे विश्व-बन्धुत्व की भावना का विस्तार नहीं होने पाता। वे संकुचित हैं। उनके सिद्धान्तों से स्वयं उनके समाज में संगठन शक्ति का भाव नहीं मिलता। उनके सामाजिक आदर्श स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृभाव के सिद्धान्तों को पूर्ण मान्यता नहीं देते।
2. इन धर्मों में अभौतिक आत्मा को माना गया है तथा आत्म-मोक्ष जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। यह मान्यता भी डॉ. अम्बेडकर के नैतिक-दर्शन में स्वीकार्य नहीं है। उनकी नैतिकता अमर आत्मा के सिद्धान्त को नहीं मानती।

इन बातों के अतिरिक्त इस्लाम, हिन्दू तथा ईसाई धर्मों में नैतिकता अधिकतर भय तथा धर्मान्धता पर आधारित है। दण्ड का भय उनमें दिखाया गया है। यदि अपने को दण्ड अथवा ईश्वर की ताड़ना से बचाना है तो नैतिक बनना पड़ेगा।

डॉ. अम्बेडकर ने इस प्रकार की नैतिकता को स्वीकार नहीं किया। नैतिकता सामाजिक प्रेरणा का सिद्धान्त है, न कि बाहरी शक्तियों का दबाव।

इसलिए डॉ. अम्बेडकर द्वारा बतायी गई चार शर्तों को कौन सा धर्म पूरा करता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुये उन्होंने स्वतः लिखा है:

"जहाँ तक मैं जानता हूँ बौद्धधर्म ही ऐसा धर्म है जो इन चार विशेषताओं की सम्पूर्ति करता है। यह विचित्र प्रतीत हो सकता है क्योंकि आज तक जिन विद्वानों ने बौद्धधर्म के विषय में लिखा उन्होंने बताया कि बुद्ध ने अहिंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं बताया। यह बड़ी भारी भूल है। यह ठीक है कि बुद्ध ने अहिंसा का पाठ सिखाया। मैं इसके महत्व को घटना नहीं चाहता क्योंकि यह एक महान् आदर्श है। जब तक संसार इस आदर्श का अनुसरण नहीं करता वह बच नहीं सकता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बुद्ध ने अहिंसा के अतिरिक्त अन्य बातों को भी बताया। बुद्ध ने अपने धर्म में सामाजिक स्वतन्त्रता, बौद्धिक स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता और राजनैतिक स्वतन्त्रता भी बतायी। उन्होंने समानता का प्रसार आदमी-आदमी के बीच ही नहीं वरन् स्त्री और पुरुष के बीच भी किया। बुद्ध की तुलना में अन्य कोई इतना महान् धार्मिक पुरुष मिलना कठिन है क्योंकि उनकी शिक्षाओं में जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित हैं। उनकी शिक्षाओं का मूल ध्येय आदमी को इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करना है, न कि किसी अन्य दुनिया के लिये।" संक्षेप में, बौद्धधर्म की नैतिकता डॉ. साहेब के नैतिक-दर्शन के बिल्कुल अनुकूल है। उनका नैतिक प्रमाप बुद्ध के धर्म के अनुरूप है। यही कारण है कि डॉ. अम्बेडकर ने बौद्धधर्म को हृदय से स्वीकार कर लिया।

**उपसंहार :** धर्म और नैतिकता के संदर्भ में डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि धर्म में 'ईश्वर' के लिये कहीं कुछ स्थान नहीं है तो भी धर्म में 'नैतिकता' का वही स्थान जो 'धर्म' या 'रिलिजन' में ईश्वर का धर्म में प्रार्थनाओं, तीर्थ-यात्राओं, कर्मकाण्डों, रीति-रिवाजों तथा बलि-कर्मों के लिये कोई जगह नहीं है। नैतिकता ही धर्म का सारतत्व है।

नैतिकता नहीं तो धर्म नहीं। धर्म में जो नैतिकता है उसका सीधा मूल-स्रोत आदमी की आदमी से मैत्री की जो आवश्यकता है, वही है। इसमें ईश्वर की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिक बनाने की आवश्यकता नहीं। अपने भले के लिये ही आदमी के लिये यह आवश्यक है कि वह आदमी से मैत्री करें।

डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के धर्म का जो भारत में पुर्नजागरण किया वह भारत एवं विश्व शान्ति तथा मानवता एवं समानता, बन्धुत्वता और स्वतंत्रता, मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जाटव, डॉ. डी. आर., डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर और नैतिकता का सिद्धान्त, समता साहित्य सदन, जयपुर, 1993
2. अम्बेडकर, डॉ. बी. आर., समग्र वाड्गमय भाग 1, 3 और 6, डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर सामाजिक संस्थान, दिल्ली, 2009
3. चंचरीक, कन्हैयालाल, आधुनिक भारत का दलित आन्दोलन, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003
4. आगलवे, डॉ. प्रदीप, धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद के परिवर्तन, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003
5. अम्बेडकर, डॉ. बी. आर., मुक्ति कोण पथे, प्रकाशक प्रदीप रोडगे
6. लवानिया और जैन, भारत में जनजातियों का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन, त्रिपोलिया, जयपुर, 2008
7. झा और माली, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यमिक कार्यालय, नई दिल्ली।
8. भारती, संतोष, दलित अल्पसंख्यक सशक्तिकरण, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008

-0-

## “हिन्दी के समकालीन उपन्यासों में ग्रामीण सांस्कृतिक परिवेश”

श्रीमती शाहिनी थॉमस, शोध छात्रा, हिंदी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

**शोध सार :** उपन्यास रचना का मूलाधार मानव जीवन है और इसका मूल लक्ष्य मानव जीवन की व्याख्या करना है। सामाजिक गतिविधियों का जीता-जागता चित्रण हमें प्रत्यक्ष रूप से उपन्यासों में परिलक्षित होता है। भारतीय परिदृश्य में उपन्यासों की पृष्ठभूमि में परिवेश ग्रामीण है अथवा नगरीय यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत गांवों में बसता है। भारत का हृदय साहित्य गांवों से स्पष्ट झलकता है। अतः उपन्यासकारों ने ग्रामीण परिवेश के जनजीवन को आधार बनाकर अपनी कल्पना को मूर्त रूप दिया है। सन् 1980 से वर्ष 2010 तक के समकालीन उपन्यासों में ग्रामीण समाज के सांस्कृतिक मूल्यों का आंकलन सांस्कृतिक परिवेश के अंतर्गत किया गया है।

### संस्कृति का शाब्दिक अर्थ—

संस्कृति शब्द 'सम' उपसर्ग "क" धातु से निष्पन्न होता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार सम् उपसर्ग के आगे कृति अथवा कार शब्द को जोड़ देने पर इसके फलस्वरूप सम्+कार=संस्कार शब्द की निष्पत्ति को विधान है। संस्कृत साहित्य में 'संस्कार' और 'संस्क्रिया' शब्दों का प्रयोग संस्कृति शब्द के व्यवहार में पाया जाता है। हिन्दी शब्द कोष में संस्कृति शब्द संस्कार शब्द से बना है। संस्कार अर्थात् परिष्कार। अतः मानव व्यवहारों और चिन्तनों का परिकरण ही संस्कृति है। संस्कृति की परिभाषा देते हुए विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं।

“मानव जीवन की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन अंतवृत्तियों की जिस समष्टि द्वारा होता है तथा जिसके अपनाने से वह सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने की दिशा में अग्रसर होता है, उसे संस्कृति कहते हैं।”<sup>1</sup>

“संस्कृति सुख नहीं, सदाचार है, संस्कृति ताकत नहीं, विजय नहीं, मैत्री है। संस्कृति का परम रूप अहिंसा है। विरोधी के मन को भी कलेश न देना। सुसंस्कृत व्यक्ति दुराग्रह नहीं करेगा। विरोधियों के पक्ष को भी आदर देगा।”<sup>2</sup>

“संस्कृति ही सामाजिक संरचना और निर्माणक इकाइयों की प्रस्थिति एवं भूमिका को प्रमाणित कर उन्हें व्यवस्थित एवं संतुलित रूप प्रदान करती है।”<sup>3</sup>

“अंचल विशेष के प्राकृतिक सौंदर्य और उससे लिपटी हुई संस्कृति से संबंधित वहाँ के रीति-रिवाज, खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा, धार्मिक मान्यताएँ, रुद्धियाँ, लोकगीत, नृत्य, भाषा, पर्व- त्यौहार सबका विवेचन संस्कृति के अंतर्गत आता है।”<sup>4</sup>

संस्कृति के मुख्यतः दो तत्व हैं—(1) आध्यात्मिक तत्व (2) लौकिक तत्व आध्यात्मिक तत्व के अंतर्गत परलोक, मोक्ष, स्वर्ग, साधना, जीवन आदर्श व धार्मिक सिद्धांतों का समावेश होता है, जबकि लौकिक तत्व के अंतर्गत संस्कार उत्सव, पर्व-त्यौहार, मनोरंजन के साधन, रहन-सहन, वेश-भूषा, अलंकरण-प्रसाधन, भोजन, पेय पदार्थ, सामाजिक रुद्धियों, लोकविश्वासों मान्यताओं, कला, शिल्प परम्पराओं और प्रथाओं की परिणामना की जाती है। हिंदी के समकालीन उपन्यासों के सांस्कृतिक परिवेश के अंतर्गत उपन्यासकारों ने संस्कृति के प्रमुख चार तत्वों—(1) खान-पान, रहन-सहन एवं रीति-रिवाज (2) त्यौहार एवं मेले (3) लोकगीत एवं लोकनृत्य (4) प्रमुख संस्कारों को विश्लेषित किया है।

उपन्यासों में वर्णित कुछ उदाहरण इस प्रकार है।

ग्रामीण खान-पान में धूप से आने वाले व्यक्ति को पानी के साथ गुड़ दिया जाता है। समरूप जब कवि खोवा के बाग में जाकर पानी पीने लगता है तब कवि खोवा उसे कहते हैं। “हैं.....हैं.....जरा रुक जाइए। खाली पानी कलेजे में लगता है।..... गुड रखा है।”<sup>5</sup>

ग्रामीण रहन—सहन में बुनकरों का चित्रण दर्शाया जाता है। अखबार में लिखा है— “बुनकरों का रहन—सहन निम्न स्तर का है वे स्वयं कपड़ा बुनकर भी अपने बच्चों को कपड़ा नहीं पहना पाते। घर के नाम पर इन्हें कच्चे सीलन युक्त अथवा टीन भोड़ के मकानों में रहना पड़ता है। मासूली सी वर्षा में घर कीचड़युक्त हो जाता है।”<sup>6</sup>

समकालीन उपन्यासों में विवाह के रीति—रिवाज आज भी भारतीय संस्कृति की झलक देते हैं। नौजवान दूल्हे को लेकर बैठ जाते हैं। लोग पत्नी को वश में करने की रीति प्रथा समझाते हैं— “तीन छूड़ियाँ टूट जाएँगी फिर सारी उम्र वह तेरी गुलाम रहेगी।”<sup>7</sup> संस्कृति के द्वितीय तत्त्व के रूप में भारतीय ग्रामीण व्रत, त्यौहार एवं मेलों को विश्लेषित किया जाता है। किसी देवी—देवता के व्रत कर्ता को शुभ—अशुभ फल में बाँध लेते हैं। ‘वृणोति निबन्धति कर्तारं इति व्रतम। ग्रामचंल में मुख्यतः महिलाएँ छठ—पूजन में लोकगीत गाते जा रही थी—

“अपना के मांमेलि अवध सिन्होखा जन्म—जन्म अहिवात....छठि मइया.....SS।”<sup>8</sup> औरत भंगल—भवन इदन्नम बीस बरस चाक जैसे उपन्यासों में होली दीवाली रक्षाबंधन, मकर संक्रान्ति, दुर्गापूजा, रामलीला—कृष्णलीला जैसे त्यौहारों में संस्कृति की झलक दिखाई देती है। ‘सदा अनंद रहे रहि दवारे जिये से खेले फाग हो।’<sup>9</sup>

सांस्कृतिक परिवेश में लोकगीत लोकनृत्य व लोककथा की विशेष परंपरा होती है। संस्कार, ऋतु, व्रत, जाति, श्रम संबंधी लोकगीतों की मधुरता चारों ओर बिखरी रहती है। “घोड़े के आगे धुंधरा बाजे सिर सौहे रैल बेल, का सेहरा मकना के आगे मोरला नाचे रे।” “ताती—ताती पूरियाँ, धीर में चमोरिया ओके खां के लड़का—लड़के कान घर मिमोरिया।”<sup>10</sup>

“ग्रामीण संस्कृति में लोकनृत्यों का जीवंत चित्रण होता है। समकालीन उपन्यासों में भी धूमर, मौच भील, मोहिली, पाली, झोड़ा चांचरी, छपेली, भगनौल और छोलियाँ जैसे लोकनृत्यों का उपन्यासकारों ने विवरण दिया है।”<sup>11</sup>

“मोरी चंदा चकोर काजर लगा के आ गई भोर ही भोर मोरी चंदा चकोर छतिया में तोता, करिहा पै मोर मोरी चंदा चकोर, चोली में निबुआ धॅंधरा धुमेर।”<sup>12</sup>

सांस्कृतिक परिवेश के अंतर्गत ग्रामीण जन्म, विवाह और मृत्यु के संस्कारों का मुख्यतः निर्वहन करते हैं। पुत्र—जन्म शुभ माना जाता है।

“लाला भवानीदास के पोते के चरुए चदेगे आज। चरुए का मतलब बालक के जन्म के दो दिन बाद का उत्सव जच्चा चलकर आंगन तक आती है। चौक पर खड़ी रहती है।”<sup>13</sup>

विवाह संस्कार में मानर पूजा, माटी कोड़ना, पृथ्वी पूजा, मांडो पूजां, चुभावन गीत, दवार—पूजा, डाल—पूजा, दहावंरा विधि द्वारा छेकना, कक्कन छूटने की विधि, जलुआ खेल विधि व तीज प्रथा जैसी वैवाहिक रस्मों का समकालीन उपन्यासों में सजीव चित्रण है।

“चाक्र पर पानी से लीप कर बनवा गए चौसर हिस्से पर थाली में रखी गीली हल्दी का स्वास्तिक बनाया तथा उसके बाद चाक के चारों तरफ कलावा धागा बांध कर चाक पूजने की रस्म पूरी कर दी गई।”<sup>14</sup>

मृतक संस्कार मानव जीवन का अंतिम संस्कार है। कालाजन, अग्निपर्व ढूब, भंगल—भवन, अल्मा कबूतरी, जंगल जहाँ से शुरू होता है, माटी कहे कुम्हार से जैसे संमकालीन उपन्यासों में मृतक संस्कार का भी विवरण है।

“शिव के पास खड़े रिजावन साव देख रहे थे, सुनिला को मरे हुए यह तीसरा दिन बीत रहा था लेकिन उसकी लाश पर इसका कोई असर नहीं था। नीचे बर्फ और ऊपर फूलों से लदी हुई।”<sup>15</sup>

निष्कर्षतः कहा जा सकता है वर्तमान में स्थल, काल एवं बदलाव की हवा के कारण संस्कार विधियों में किंचित परिवर्तन संभव है लेकिन भारतीय ग्रामीण संस्कृति शाश्वत है, और हमेशा जीवंत रहेगी।

## संदर्भ ग्रंथ –

1. गोपाल, डॉ. मदन (1968), “मध्यकालीन हिन्दी काव्य में भारतीय संस्कृति”, दिल्ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, पृ. 01।
2. चन्द, सोती वीरेन्द्र (1999), “भारतीय संस्कृति के मूल तत्व”, दिल्ली, राजपाल एण्ड संस, पृ. 08।
3. गुप्ता, डॉ. बी.डी. (संवत् 2046), “साहित्य समाज शास्त्रीय समीक्षा”, नयी दिल्ली, सीता प्रकाशन, पृ. 128।
4. सिंह, शंभू (1979), “रांगेय राघव और आंचेलिक उपन्यास”, कानपुर, सुशील प्रकाशन, पृ. 19।
5. राय, डॉ. विवेकी (1983), “सोनामाटी”, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, पृ. 15।
6. अब्दुल, बिसिमिल्लाह (1986), “झीनी—झीनी बीनी चदरिया”, पृ. 142।
7. साहनी, भीष्म (1988), “मध्यादास की माड़ी”, नयी दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, पृ. 49।
8. शुक्ल, ऋचा (1990), “अग्निपर्व”, नयी दिल्ली, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, पृ. 3।
9. मिश्र, रामदरश (1996), “बीस बरस”, नयी दिल्ली, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, पृ. 27।
10. अब्दुल, बिसिमिल्लाह (1986), “झीनी—झीनी बीनी चदरिया”, पृ. 127।
11. राय, डॉ. विवेकी (1994), “मंगल भवन”, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, पृ. 72।
12. मैत्रेयी, पुष्पा (2000), “अल्मा कबूतरी”, नयी दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, पृ. 42।
13. मैत्रेयी, पुष्पा (1997), “चाक”, नयी दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, पृ. 373।
14. मोरवाल, भगवान दास (1999), “काला पहाड़”, नयी दिल्ली, राधाकृष्ण प्रकाशन दरियागंज, पृ. 118।
15. मिथिलेश्वर (2010), “माटी कहे कुम्हार से”, नयी दिल्ली, भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन, पृ. 509।

## पंडित रविशंकर शुक्ल की आर्थिक नीति

नीलेश शर्मा, शोध छात्र, इतिहास रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

**प्रस्तावना :-** पंडित शुक्ल का योगदान आर्थिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय है। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र में तो कार्य किया ही, साथ ही प्रदेश की उन्नति हेतु आर्थिक क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। शुक्ल जी आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग की समानता की विचारधारा के समर्थक थे। वे राजनैतिक गुलामी की ही तरह आर्थिक गुलामी को भी दोष पूर्ण दृष्टि से देखते थे। वे अधिकतर अपने विचारों के माध्यम से कहते थे कि आर्थिक परावलम्बन मनुष्य की आजादी में सबसे बड़ी बंदिश है। अभाव मनुष्य की उद्यमशीलता और प्रगति को अवरुद्ध कर देता है। गरीबी हमारे निम्न जीवनस्तर एवं पिछड़ेपन का कारण है। सामाजिक जीवन के सभी पक्षों की ओर समान रूप से ध्यान देना एवं हर क्षेत्र में उत्कर्ष के लिये जनता को प्रेरित करना, आवश्यकतानुरूप उन्हें दिशा निर्देश प्रदान करना, उनकी सेवा एवं सहायता के लिये हमेशा जागरूक रहना शुक्ल जी की विशेषताएं थी। उनका विचार था कि जनता में राजनैतिक गुलामी के समान ही आर्थिक गुलामी भी दोषपूर्ण है।

शुक्ल जी प्रायः कहा करते थे कि आर्थिक गुलामी मनुष्य की स्वतंत्रता में सबसे बड़ी बाधक है। भरा है पेट तो संचार जगमगाए, सताए भूख तो ईमान डगमगाए, अभाव मनुष्य की उद्यमता और विकास को अवरुद्ध कर देता है स्वतंत्रता संग्राम के समय ही वे लोगों से कहा करते थे कि राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ ही साथ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु उद्यमशील बनना है। 'सादा जीवन उच्च विचार' शुक्ल जी के जीवन का आदर्श था। सात्विक जीवन यापन करने से उनका मानसिक धरातल संवेदनशील बनता गया। वे सांस्कारिक व्यक्ति थे। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन के इस पुरोधा को सत्य और अहिंसा के मसीहा गांधीजी जैसे आदर्श महामानव का नेतृत्व मिला। वे गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन के अनुगामी और प्रचारक-प्रसारक थे। अतः स्वदेश प्रेम शुक्ल जी के जीवन का अभिन्न अंग बन गया। फलतः शुक्ल जी का व्यवित्तव्य प्रखर होता गया।

पं. रविशंकर शुक्ल के आर्थिक क्षेत्र में योगदान पर चर्चा करने से पूर्व यह अध्ययन करना आवश्यक है कि भारत की आर्थिक क्षेत्र में दुर्दशा क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण थे। एक समय आर्थिक रूप से सम्पन्न देश की दशा किस प्रकार ऐसी हो गई कि कृषि की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई तथा मूल उद्योग कंगाली की कागार पर पहुँच गये। आगामी पंक्तियों में ब्रिटिश काल के दौरान अपनाई गई शोषणपूर्ण आर्थिक नीति के विषय में विस्तार से बताया गया है।

**ब्रिटिश शासन का भारतीय कृषि एवं उद्योगों पर प्रभाव :-** 1600 ई. में इंग्लैण्ड के कुछ व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में एक कम्पनी की स्थापना की थी, जिसका नाम ईस्ट इण्डिया कम्पनी था। प्रारंभ में इस कम्पनी की स्थिति बहुत साधारण थी। 1687 ई. तक सूरत इनका मुख्य व्यापारिक केन्द्र था। कालान्तर में सूरत, भड़ौच, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपटनम में उन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की तथा इन स्थानों को अपने अधीन कर लेने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कूटनीतिक दाव पेंच तथा युद्ध का भी सहारा लिया। सत्रहवीं शताब्दी के पश्चात् कम्पनी ने मद्रास पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इसके लिए वह लड़ने को भी तैयार थी। कम्पनी भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी।

1757 में प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में कम्पनी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अठारहवीं सदी के मध्य तथा आरंभ में जब मुगल साम्राज्य का विघटन होने लगा तब यूरोप की अनेक शक्तियों ने इस देश में अपनी सत्ता स्थापित करने का कुचक्र प्रारंभ किया। इनमें फ्रांसिसी, डच तथा अंग्रेज प्रमुख थे। इनकी आपसी प्रतिद्वन्द्विता में अपनी जलशक्ति या नाविक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अंग्रेज सफल हुए तथा उन्होंने भारत में अपनी साम्राज्य की नींव डाली। 1757 से 1857 के बीच अंग्रेजों ने देशी राजाओं को अपनी कूटनीति तथा युद्धों के आधार पर पराजित कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अतः भारत पर शासन करने वाली ईस्ट इण्डिया प्रारम्भ में तो व्यापारिक संस्था थी परंतु धीरे-धीरे उसने एक पूर्वनियोजित षडयंत्र के तहत समस्त देश पर अधिकार कर लिया।

ब्रिटिश शासन का प्रभाव भारत के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन के हर पहलू पर बड़ा किन्तु सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव आर्थिक जीवन पर पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारत की प्राचीन अर्थ व्यवस्था को छिन्न-मिल कर दिया और अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु इस देश की अर्थ व्यवस्था को अपने पक्ष में नये ढांचे में ढालने का प्रयास किया। इंग्लैण्ड के बढ़ते हुए पूँजीवाद का भारतीय अर्थ व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुए स्वभाविक नहीं थे, प्रत्युत उन पर थोपा गया था।

चूंकि भारत ऐतिहासिक रूप से एक कृषि प्रधान देश रहा है अतः यहां की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती थी। ब्रिटिश शासन का भारत की कृषि व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। अंग्रेज शासकों ने नई भू-व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें स्थायी बन्दोबस्त, रैयतबाड़ी तथा महल बाड़ी एवं मालगुजारी प्रथा आदि प्रमुख थी।

ब्रिटिश शासन के प्रभाव स्वरूप ही भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, ग्रामीणों पर ऋणभार बढ़ा तथा कृषक आंदोलन प्रारंभ हुए। कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ नगदी फसलों को उगाना था। नगदी फसलें उस फसल को कहा जाता है जिनकों बाजार में बेचकर किसानों को अधिक पैसा मिल सकता था। जैसे— कपास, चाय, फल, आलू, सरसो, सब्जी, आदि नगदी फसलें कहलाती हैं। खाद्यान्न की तुलना में इन वस्तुओं के उत्पादन में शासन को अधिक आर्थिक लाभ था। उन्नीसवीं शताब्दी में भारत की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर थी। ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रारंभिक काल में भारतीय अर्थ व्यवस्था को ग्रामीण स्तर तक बढ़ावा दिया।

ब्रिटिश सरकार ने भारत के परम्परागत कुटीर उद्योगों को नष्ट करने की नीति अपनाई। इसके परिणामस्वरूप कृषि पर निर्भरता में वृद्धि हुई। दूसरी ओर सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू-राजस्व था। यदि कृषि पैदावार में वृद्धि होती तो सरकार की आय में वृद्धि हो जाती थी। भू राजस्व सरकार की बढ़ी हुई दर पर ही वसूल किया जाता था। भू-राजस्व की वृद्धि का मुख्य कारण कृषि का व्यवसायीकरण था। कृषि का व्यवसायीकरण कृषि विकास की स्वभाविक प्रक्रिया नहीं थी बल्कि सरकार ने अपने लाभ के लिए उसे थोपा था।

कृषि के व्यवसायीकरण का प्रमुख कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीति थी, जो ब्रिटेन में प्रचलित राजनैतिक दर्शन तथा विचारधारों से प्रभावित थी। इसका मुख्य आधार साम्राज्यवाद की आवश्यकताओं को पूरा करना था। सरकार ने भू राजस्व की जिन प्रणालियों को लागू किया उनका उद्देश्य अपनी आय में वृद्धि करना तथा अपने समर्थक जमींदारों को प्रसन्न करना था। इस काल में ब्रिटिश नीति रही कि ब्रिटेन की आवश्यकताओं के लिए कृषि उत्पादन पर नये प्रयोग किये जाएं।

कृषि उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सरकार ने रेलों का जाल बिछा दिया। ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग तथा शहरी आबादी की आवश्यकता पूरी करने के लिए कच्चे कपास को भारत के विभिन्न क्षेत्रों से रेलों द्वारा बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था। वहां से उनको ब्रिटेन भेजा जाता था। इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में भारत ब्रिटेन के एक कृषि उपनिवेश के रूप में परिणित हो गया। कृषि की व्यवसायीकरण के इस प्रक्रिया में सरकार ने उन्हीं फसलों के उत्पादन में योगदान दिया जिनकी विदेशी व्यापारों में आवश्यकता थी।

ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में अमेरीकी कपास की खेती को बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य लंकाशायर के उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना था, क्योंकि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरीकी उपनिवेश से कच्चा माल आना बंद हो गया था। सरकार ने इस प्रकार के फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए तत्संबंधित फार्मों की स्थापना की। बंगाल की सरकार ने नील तथा जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया। इन फसलों को किसान किस सीमा तक तथा किस किस्म का उत्पादन करेगा? इसका निर्णय स्वयं सरकार लेती थी। निर्यात के लिए सरकार को कितने माल की आवश्यकता है तथा उससे राजस्व कितना मिलेगा? उसी हिसाब से उसके उत्पादन को बढ़ावा देती थी। इस व्यवसायीकृत कृषि का पूरे भारत वर्ष में व्यापक प्रभाव पड़ा।

मजदूरों और किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, सरकार की आर्थिक नीति का अर्थ था अधिक लाभांश, अधिक

से अधिक कमाना। जिससे किसान ऋणग्रस्त होता रहे। नील तथा चाय की खेती पर भी उनका वर्चस्व था। वे कृषकों तथा मजदूरों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। अंग्रेज व्यापारी नील का उत्पादन करते थे जिससे उनको भारी लाभ होता था। नील की खेती के लिए उनके अपने बागान थे, जिनमें वे किरये के मजदूरों से खेती करवाते थे। किन्तु नील के अधिकांश उत्पादन का बोझ किसानों पर पड़ता था। बागानों के मालिक किसानों से नील के उत्पादन के लिए संविदा किया करते थे, जिनके अनुसार किसानों को अपने खेतों में नील का उत्पादन करना पड़ता था, और उपज बागान मालिकों को कम मूल्य पर बेचनी पड़ती थी।

किसानों को नील का जो मूल्य बागान मालिकों से मिलता था वह लागत से भी कम होता था। यदि नील के स्थान पर किसान चांवल की खेती करता तो उसे अधिक लाभ होता, किन्तु वह ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त किसानों को एक अन्य प्रकार के शोषण का भी सामना करना पड़ता था। उन्हें खेती के लिए बागान मालिकों से ऋण लेना पड़ता था। किसान अनपढ़ थे और ऋण का हिसाब बागान मालिकों के पास होता था, जिसमें वे बहुत हेरफेर करते थे।

किसान ऋण कभी नहीं चुका पाते थे और उनके बोझ से सदा लदे रहते थे। चाय बागानों को भी यही दशा थी। वास्तव में कृषि के व्यवसायीकरण के परिणामस्वरूप जमीदार तथा महान शक्ति संपन्न हो गये। उनके द्वारा कृषकों का शोषण पहले से बढ़ गया। इस प्रणाली का मुख्य आधार अग्रिम ऋण प्रदान करना था। ऋण की अदायगी के बाद छोटे किसानों के पास कुछ न बचता, क्योंकि खेती के अतिरिक्त आजीविका का कोई साधन नहीं होता था। अतः कर्ज के कारण उनकी स्थिति अद्वदास की हो जाती थी। दूसरी ओर समृद्ध किसान तथा जमीदार गरीब किसानों की फसलों को उपयुक्त समय में बेचकर अधिक लाभ कमाते थे, इससे सामान्य किसानों को कोई लाभ नहीं होता था। संयुक्त प्रांत में अंग्रेजों द्वारा की इस व्यवसायिक खेती से कुछ अव्यवस्था उत्पन्न हुई। किसानों पर लगान की दर बहुत बढ़ा दी गई और कर कठोरता से वसूल किया गया। इससे ऋणग्रस्तता बढ़ गई और इस काल में कृषि का जो भी विस्तार हुआ वह नगदी फसलों में ही हुआ, विशेषतः गन्ना और गेहूं में।

अधिकांश फसलों को तत्काल होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए उत्पादित किया गया, जिसका उद्देश्य अधिकाधिक भू-राजस्व प्राप्त कर पुराने कर्जों को अदा करना था। इस कारण आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई और दलित वर्गों की हालत बद से बदतर हो गई। फलतः जमीदारों, व्यापारियों तथा अंग्रेजों के विरुद्ध किसानों में भयंकर रोष उत्पन्न हुआ। परिणामस्वरूप 1875 में किसानों के अनेक विद्रोह हुए। अनवरत दुर्भिक्ष की विनाशकारी छाया के फलस्वरूप हजारों लोग भूख से तड़प कर मर गये। गरीब किसानों के पा खेती के अतिरिक्त जीवन-पायन का कोई विकल्प नहीं था। खेती से वे इतना जमा नहीं कर पाते थे कि अकाल के समय वह काम आ सके, दूसरी ओर अकाल के समय भी ब्रिटिश शासन के अनाज का निर्यात जारी रखा। इन अकालों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया। ऐसी स्थिति में भी सरकार ने ऊंचे दरों पर राजस्व की मांग की। यह किसानों पर अत्याचार तथा शोषण की पराकाढ़ा थी। ऐसे समय में ऋणग्रस्तता तथा दबाव के कारण किसानों को जमीन बेचने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प न था।

किसानों को ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में खेतिहर मजदूर बनने के लिए विवश होना पड़ा, जो किसान मजदूर बन गये उनको रोजगार की तलाश में अपने मूल निवास स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अतः स्पष्ट है कि व्यवसायिक खेती से गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। इससे बड़े किसानों जमीदारों व अंग्रेजों को ही लाभ मिला। उन्होंने कृषि के इस व्यापार से भारी लाभ कमाया। अंग्रेजों ने भूमि सुधार व सिंचाई संसाधनों आदि की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसी फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिसकी आवश्यकता विदेशी बाजारों में अधिक थी।

सरकार की इस नीति ने किसानों को बर्बाद कर दिया। इस नीति का प्रभाव अन्य प्रान्तों में भी पड़ा। मध्यप्रांत तथा छत्तीसगढ़ भी कृषि पर आधारित अंचल थे। किसानों के जीवन-पायन का मुख्य आधार कृषि ही था। छत्तीसगढ़ को ध्यान का कठोरा कहा जाता था। इसमें सबसे अधिक चांवल उत्पादक क्षेत्र बिलासपुर जिला रहा, क्षेत्र की प्रमुख अर्थव्यवस्था धान की कृषि से जुड़ी हुई है। यहां का किसान अपने जीवन का प्रायः पूरा समय धान के उत्पादन में ही

व्यय करते हैं। रायपुर और दुर्ग में भी मुख्यतः धान का ही उत्पादन होता रहा है। लोगों के जीवन का आर्थिक आधार धान की खेती से ही संबद्ध रहा है।

मराठा युग में कृषि की दशा दयनीय हो गई थी, क्यों कि मराठा सूबेदारों ने उसके विकास की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। ब्रिटिश युग में (आधुनिक युग) कृषि महत्व के प्रतिपादन हेतु भू-राजस्व प्रणाली एवं भूमि बन्दोबस्त की अपनी ही विशेषता रही। अंग्रेजों ने न्याय के आधार पर 'नवीन भू-राजस्व प्रणाली की' शुरूआत की।

भारत की सामाजिक अर्थव्यवस्था कुटीर उद्योगों पर आधारित थी। भारत के उद्योग और यहां का हस्तशिल्प विश्व प्रसिद्ध था। किन्तु इंग्लैण्ड के उद्योगों ने भारत के कुटीर उद्योगों पर गहरा आघात पहुंचाया। जिस समय पश्चिमी यूरोप, जो औद्योगिक व्यवस्था का उद्गम स्थल रहा है, में असम्य जातियां निवास करती थीं उस समय भारत अपने शासकों के वैभव, अपने शिल्पकारों के उच्च कला पूर्ण कौशल के लिए विख्यात था। यहीं नहीं बल्कि काफी समय पश्चात् भी जब पश्चिम से साहसी व्यापारी भारत में पहली बार आए तब भी देश का औद्योगिक विकास किसी भी रूप में यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में घटिया नहीं था।

विकसित उद्योगों में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत कताई, बुनाई, रंगाई और छपाई के साथ-साथ यहां स्वर्ण एवं रजत के धारे भी बनते थे, जिनका उपयोग वस्त्र निर्माण के लिए होता था। प्रारंभ में अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आये थे। उन्होंने जब यह देखा कि भारतीय वस्तुओं की मांग यूरोप के बाजारों में सबसे अधिक है तो उन्होंने भारत में व्यापार करना लाभदायक समझा। भारत से सबसे अधिक निर्यात सूती कपड़े का किया जाता था। उस समय सूती कपड़े के प्रमुख केन्द्र सूरत सहित संपूर्ण गुजरात, चंदेरी, बुरहानपुर, मैसूर, मद्रास, जौनपुर, बनारस, बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल थे। अहमदाबाद और सूरत रेशमी तथा सूती कपड़े के प्रमुख केन्द्र थे। सूती कपड़े के भारी निर्यात को देखकर इंग्लैण्ड में यह सोचा जाने लगा कि यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इंग्लैण्ड का धन भारत चला जाएगा। अंग्रेजों ने भारत के हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग को नष्ट करने के लिए अनेक प्रयास किये।

वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त भवन निर्माण संबंधी वस्तुएं यथा ईट, चूना, पत्थर, इमारती कार्यों में नकाशियां, चीनी और नमक का उद्योग नील की खेती जवाहरात के कार्य, तांबा, पीतल, कांसे, अल्युमिनियम के बर्तन, बांस उद्योग के अंतर्गत टोकरी, सुपा, झाड़ु आदि का निर्माण एवं लोहे की गलाई, ढलाई तथा अन्य कार्य, यहां तक कि सामुद्रिक जहाज बनाने की कला में भी भारत पारंगत था तथा बंगाल में बने सामुद्रिक जहाज लंदन तक माल ले जाया करते थे। ब्रिटिश शासन की कम्पनी प्रारंभ में व्यापारिक संस्था होने के कारण उनकी प्रशासनिक व्यवस्था व्यवसायिक थी। उनकी धन-निर्गम की प्रक्रिया भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक थी। वे कच्चे मालों का निर्यात करते व निर्मित मालों का आयात किया करते थे, इस विपरीत प्रणाली ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करके रख दिया।

आयात निर्यात की दोषपूर्ण नीति के कारण भारत का कुटीर उद्योग विनष्ट होने लगा। यूरोपीय औद्योगिक विकास में इंग्लैण्ड अग्रणी था, इसलिए अधिकांश वस्तुएं इंग्लैण्ड से आने लगीं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई और संपूर्ण बोझ कृषि पर आ गया। भारत के इस शोषण ने हमें निर्धन से निर्धनतम राष्ट्र बना दिया। अन्यथा भारतीय कुटीर उद्योग इतना सफल था कि प्राचीन युग से ही यहां के वस्त्रों, दाल, चीनी, काली मिर्च मसाले आदि वस्तुओं की मांग विदेशों में अत्यधिक थी और इसके विनिमय से हमें सोने और चांदी प्राप्त होते थे। परंतु दोषपूर्ण नीति के कारण सब कुछ समाप्त होने लगा था।

भारत की औद्योगिक उन्नति अधिकांश विद्वानों हेतु तीव्र बुद्धि, सूक्ष्म जानकारी तथा सर्जनात्मक प्रतिभा से युक्त थी, इसके कारण भारतीय उद्योग पाश्चात्य देशों की अपेक्षा आगे बढ़े हुए थे। प्रारंभ की शताब्दियों में जब पाश्चात्य जल परिवहन पूर्ण रूप से अर्द्धविकसित अवस्था में था, भारत में भारी बोझ ढोने के लिए समुद्री जहाज उपलब्ध थे। प्राचीन काल में जब रोम के निजी एवं सार्वजनिक भवनों में भारतीय कपड़ों, दरी, ताम्बे, चीनी मोजेक, हीरे जवाहरात आदि का उपयोग होता था, उस समय से औद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भ तक आकर्षक तथा सुंदर वस्तुओं के लिए सारा संसार भारत का मोहताज था। अठारहवीं शताब्दी के अंत से पुराने अथवा परम्परागत एवं कुटीर उद्योग, जो प्रधानतः हस्तशिल्प

उद्योग के रूप में थे, एक—एक करके नष्ट होने लगे।

कुठीर उद्योगों के नाश की यह प्रक्रिया वस्त्र उद्योग से प्रारम्भ हुई और धीरे—धीरे अन्य अनेक उद्योग भी इसकी लपेट में आ गये। भारत से सूती कपड़े के आयात से इंग्लैण्ड के ऊनी तथा रेशमी कपड़े के उद्योग को क्षति हो रही थी। भारत का बना कपड़ा इतना उत्तम था कि उसकी प्रतिद्वन्द्विता में इंग्लैण्ड द्वारा निर्मित वस्त्र नहीं ठहर सकता था। इसके परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड के उद्योगों को हानि होने लगी। बहुत से उद्योग तो ठप्प हो गये। अनेक कारीगर बेरोजगार हो गये।

ब्रिटिश सरकार ने इस स्थिति पर काबू पाने के लिए 1700 ई. में एक कानून बनाकर रंगे तथा छपे हुए भारतीय कपड़े के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी। जो कपड़ा इंग्लैण्ड में रंगा तथा छापा जाता था, उस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता था। इस कानून के बावजूद सफेद कपड़ा भारत से बराबर इंग्लैण्ड जाता रहा। सरकार ने सफेद सूती कपड़े के आयात को कम करने के लिए उस पर 15 प्रतिशत आयात कर लगा दिया। 1720 ई. में एक कानून बनाकर इंग्लैण्ड के रंगे व छपे जाने वाले भारतीय कपड़े के उपयोग पर भी पाबंदी लगा दी गई, किन्तु इन कानूनों के पश्चात् भी भारतीय कपड़े की मांग बनी रही।

यूरोप के अन्य देशों ने भी भारतीय कपड़े पर पाबंदी लगा दी थी या आयात कर में बहुत वृद्धि कर दी थी, किन्तु फिर भी भारतीय कपड़े के निर्यात में विशेष अंतर नहीं आया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करते ही भारत के कारीगरों अथवा बुनकरों पर अनेक अत्याचार आरम्भ कर दिये। कम्पनी ने बुनकरों को अपना माल कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया। उन पर यह भी दबाव डाला गया। कि वे कम्पनी के कारखानों में काम करें और भारतीय व्यापारिक उद्योगों के लिए काम करना बंद कर दें।

कम्पनी की नीति के परिणामस्वरूप कारीगरों की काम करने की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। कम्पनी के कर्मचारी जुलाहों को अर्गिम धन राशि देकर एक शर्तनामे पर उनका हस्ताक्षर करा लेते थे। इसके अनुसार उनको एक निश्चित तिथि पर निश्चित मात्रा में तथा निश्चित मूल्य पर कपड़ा देना होता था। कपड़े का जो मूल्य निश्चित किया था, वह बाजार में प्रचलित मूल्य से कम होता था। इससे जुलाहों को बहुत घाटा होता था। आम तौर पर बुनकरों की सहमति आवश्यक नहीं समझी जाती थी, क्योंकि कम्पनी की ओर से जहां बिचौलिए नियुक्त होते थे, वे बुनकरों से जहां चाहते हस्ताक्षर करवा लेते थे और जो बुनकर रूपया लेने से इनकार करता था उनकी पिटायी की जाती थी।'

इस प्रकार के अत्याचार बंगाल, सूरत तथा देश के अन्य भागों में भी किये जाते थे। बुनकरों से कपड़ा अत्यधिक दबाव और अन्यायपूर्ण उपायों से प्राप्त किया जाता था। उनको इस बात के लिए बाध्य किया जाता था कि वे कम्पनी से ही व्यापारिक संबंध बनाये रखें और कम्पनी के लिए ही उत्पादन कार्य में ही संलग्न रहें। कम्पनी की आज्ञा का उल्लंघन करने पर उन्हें जुर्माना भी देना पड़ता था।

कभी—कभी जुलाहे कम्पनी के लिए काम न करके जुर्माना देना अच्छा समझते थे, क्योंकि उन्हें अपने माल का डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अरब व्यापारियों से अधिक मूल्य प्राप्त हो सकता था। बहुत से जुलाहों ने तो कम्पनी के अत्याचारों से तंग आकर काम करना ही बंद कर दिया था। इससे परम्परागत भारतीय उद्योगों को भारी हानि हुई। अंग्रेजों ने भारत के कच्चे माल पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने यह प्रयत्न किया कि भारतीय उत्पादकों को कच्चा माल अधिक से अधिक मूल्य पर उपलब्ध हो।

भारतीय कारीगर कच्चा माल अर्थात् कपास सूरत से 25 लाख रूपये में सारी कपास खरीद ली। कारीगरों को पहले कपास 16 से 18 रूपये प्रति मन के हिसाब से मिलती थी, किन्तु कम्पनी की नीति के कारण अब उनको 28 से 30 रूपये प्रति मन के हिसाब से मिलने लगी। यहीं नीति वे आगे भी अपनाते रहे, इसका कपड़ा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ऊंचे दामों पर कपास लेकर कपड़ा बनाने से बुनकरों तथा उत्पादकों का उतना लाभ नहीं होता था कि वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

इस नीति के कारण भारत में बने कपड़े का मूल्य तो बढ़ गया किन्तु कारीगरों की मजदूरी नहीं बढ़ी, इससे भारतीय उद्योगों को गहरा धक्का लगा। भारतीय बाजार पर विदेशी वस्तुओं का आधिपत्य रहा। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप वहां का आर्थिक ढांचा बदल गया और एक शवितशाली औद्योगिक वर्ग का जन्म हुआ। जिसका उद्देश्य ब्रिटिश उद्योगों का अधिकाधिक विकास करना था। इस वर्ग ने कम्पनी को भारत में ऐसी नीति अपनाने पर बाध्य किया, जिससे अंग्रेजी उद्योगों को कम कीमत पर कच्चा माल मिल सके और उद्योगों से उत्पादित माल भारत में आसानी से बिक सके। अंग्रेजों ने अपने उद्योगों को बढ़ाकर भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया।

भारत के साथ सूती माल के व्यापार का इतिहास एक दुखद प्रसंग है। इससे पता चलता है कि जिस देश पर भारत अश्रित हो चुका था, उसने भारत के साथ कैसा अन्याय किया। यदि प्रतिरोधक कर और कानून न होते तो मैनेचेस्टर एवं कई अन्य मिले शुरू में ही बंद हो जाती और भाप की ताकत से भी उन्हें चलाना संभव नहीं होता। भारतीय उद्योगों की बलि चढ़ाकर ही ब्रिटिश उद्योगों की स्थापना की गई जिसा प्रतिकार स्वाधीन रहने पर भारत कर सकता था, वैसा कोई आत्मरक्षात्मक कार्य वही नहीं कर सका। वह अजनबी लोगों की दया पर निर्भर था। ब्रिटेन में निर्मित वस्तु पर कर नहीं लगता था और यह सामान खरीदने को भारत बाध्य था। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने राजनीतिक प्रभुता और अन्यायपूर्ण नीति की मदद से अपने भारतीय प्रतियोगियों को दबाये रखा और अन्ततोगत्वा उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया यद्यपि बराबर की लड़ाई में वे नहीं टिक पाते। इंग्लैण्ड के पूंजीपति भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एकाधिकार को समाप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए थे। जिसमें उन्हें 1913 ई. में सफलता प्राप्त हुई।

1813 में चार्टर अधिनियम के अनुसार कम्पनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। अब इंग्लैण्ड के उद्योगपतियों के सामने यह समस्या थी कि भारत को इंग्लैण्ड के माल के लिए एक बाजार के रूप में कैसे विकसित किया जाए? इसके लिए सबसे पहला कदम यह उठाया गया कि यहां पर उन्होंने मुक्त व्यापार नीति को प्रारंभ किया। भारत में इंग्लैण्ड से जो भी वस्तुएं आयात होती थी उनकों या तो निःशुल्क आने दिया जाता था या फिर उन पर नाम मात्र का कर लगाया जाता था। जबकि भारत से इंग्लैण्ड जाने वाले माल पर भारी कर लगाये गये।

1840 ई. में इंग्लैण्ड में सूती और रेशमी कपड़ों पर 3.5 प्रतिशत ओर ऊनी कपड़ों पर 2 प्रतिशत कर लगता था। जबकि भारतीय सूती कपड़े पर 10 प्रतिशत रेशमी कपड़ों पर 20 प्रतिशत ओर ऊनी कपड़ों पर 30 प्रतिशत कर लगता था। इस नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कपड़े की इंग्लैण्ड में खपत कम हो गयी और भारत में इंग्लैण्ड की कपड़े की खपत अधिक हो गई। इस तरह की स्थिति सभी प्रकार के कपड़ों तथा लोहे से बने बर्तनों, कांच और कागज से बनी वस्तुओं के क्षेत्र में भी हुई। इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार विदेशी माल से पट गये। विदेशी माल गांव-गांव तथा शहर-शहर में पहुंचाया गया। इससे भारत के पुराने नगर जो किसी समय में उद्योगों में बहुत बड़े केन्द्र थे, जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद तथा सूरत आदि बर्बाद हो गये थे। ढाका की मलमल जो विश्व प्रसिद्ध थी। इसका कारोबार ठप्प हो गया। असंख्य लोगों को जीविका देने वाली कताई और बुनाई की कला भारत से समाप्त हो गई। कुशल कारीगर शहरों को छोड़कर गांवों में शहर लेने लगे, गांवों में जो भी परम्परागत दस्तकारियां थीं उनको भी गहरी चोट पहुंची और इनक कार्यों में लगे हुए लोग खेती में ही अपना आश्रय ढूँढ़ने लगे। इसके परिणामस्वरूप खेती पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा, तथा गांवों का संतुलन बिगड़ गया। अन्ततः भारत औद्योगिक देशों से एक खेतिहर देश बन गया।

इस औद्योगिक पतन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई और इसके विभिन्न अंगों के मध्य जो तालमेल था, वह जाता रहा। इससे देश में बेराजगारी, गरीबी, भुखमरी आदि गंभीर रोगों को तेजी से बढ़ने का अवसर मिला। अतः स्पष्ट है कि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य राजनैतिक नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से इस देश को खोखला कर देना था, ऐसा उन्होंने 175 वर्षों तक किया। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को चूस डाला, जिसके कारण सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश गरीबी और भुखमरी का शिकार हो गया। इस व्यवस्था से छत्तीसगढ़ के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

**पं. शुक्ल की कृषि एवं औद्योगिक नीति :-**— पंडित शुक्ल कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन न खो कर समस्याओं को हल करने के लिये परस्पर विरोधी विचारों में समन्वय स्थापित करने की असाधारण क्षमता रखते थे। उन्होंने स्वदेशी उद्योग एवं किसानों की समस्याओं का अध्ययन जिस लगन और तत्परता के साथ किया, वह उनके जैसा ध्येय निष्ठ व्यक्ति ही कर सकता है। वे न केवल किसानों से अपितु ग्रामीण समाज से, जिसमें भूमिहीन श्रमिक और दलित लोग भी सम्मिलित थे एकाकार हो गये।

देश के लोगों की गरीबी, असहाय अवस्था और बेचैनी और बेबसी देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता था। पंडित शुक्ल को अपने जीवन के प्रारंभ में जो अनुभव और संस्कार मिले उसके फलस्वरूप निर्धनों, अशक्तों, किसानों आदि के प्रति उनकी सौहार्द्रता व सहानुभूति उनके जीवन का अंग बन गई निश्चित होकर उन्हें कोई भी कार्य सौंपा जा सकता था। वे किसी भी समर्पित कार्य को अपने अथक परिश्रम से छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए सम्पादित करते थे।

शुक्ल जी इतने नम्र और सरल थे कि कभी—कभी उनकी सादगी और सरलता पर लोग भौंचक रह जाते थे। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की भविष्य में क्या नीति होनी चाहिए? इसकी भी स्पष्ट धारण उनके मनः मस्तिष्क पर पड़ चुकी थी। प्रधानमंत्री के रूप में धारा सभा द्वारा गठित आर्थिक विकास आयोजन समिति के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मध्यप्रांत एवं बरार मूलतः बिखरे हुए गावों का समूह है। यह प्रदेश परम्परागत कृषि एवं स्वदेशी उद्योग का केन्द्र है। इस अंचल के बन प्रदेश में रहने वाले बनवासियों के लिए कृषि आजीविका का गौण साधन है, उनका प्रमुख साधन वनोपज है। अतः हमारे राज्य का ग्रामीण जीवन दो वर्गों में विभक्त है। प्रथम—कृषि तथा स्वदेशी उद्योग, द्वितीय—वनोपज आश्रित ग्रामीण अंचल दोनों की अलग—अलग समस्याएं हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण भरपूर फसल लेने में हमारे किसान असफल हैं। साथ ही कुटीर उद्योग की स्थिति भी ठीक नहीं है। आवश्यक बाजार एवं विदेशी वस्तुओं के प्रभाव तथा अंग्रेजी नीति के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र का स्वदेशी उद्योग ठप्प हो गया है।

अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था के मुख्यतः दो चक्र थे, आधे वर्ष किसानी और आधे वर्ष बढ़ई गिरी, चरखा, हाथ करधा आदि छोटे स्वदेशी अथवा कुटीर उद्योग में संलग्न रहना। उनके उत्पादकों के लिए बाजार की व्यवस्था करना भी उनकी समस्या थी और इन सबके लिए यातायात के साधनों का विकास एवं शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक था।

आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में लोगों का संतुलन विकास एवं राज्य की योजनाबद्ध प्रगति संबंधी सुविचारित नीति के अंतर्गत केन्द्र शासन के अनुसार 1950 से पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई। इसके द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमानुसार विकास कार्यों को क्रियान्वित करना तथा उनकी उपलब्धियों का प्रत्यक्ष एवं संपूर्ण लाभ जनता को मुहैया करना मुख्य रूप से राज्य शासन का दायित्व था। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश की गणना सामन्यतः विश्व के अविकसित देशों में की जाती थी। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बाद भी मध्यप्रांत देश के सर्वाधिक पिछड़े हुए राज्यों में से एक था। यहां की आबादी का लगभग एक तिहाई आदिम जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का था। अतएव यहां के जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वदेशी एवं कुटीर उद्योगों के आधार पर आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों को प्राथमिता देने की आवश्यकता थी।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाये जाने पर विशेष बल दिया गया। शुक्ल जी के प्रयासों से मध्यप्रांत में 329 विकासखण्डों की स्थापना की गई और उनके माध्यम से स्वदेशी उद्योग के विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना था। छपाई करना, ग्रामीण परिवेश एवं कृषि कार्य से संबंधित उद्योगों को शुक्ल जी द्वारा निरंतर दिया जाने लगा जिसके कारण ही लघु उद्योग विकास निगम व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई और इनके माध्यम से स्वदेशी उद्योग के विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना था। इस समय तक औद्योगीकरण को आर्थिक विकास एवं उच्च जीवन स्तर का मानक अधिकार स्वीकार किया जाने लगा था।

विश्व में औद्योगिक क्रांति की उपलब्धियों से भारत का नेतृत्व अत्यधिक प्रभावित था। पंडित शुक्ल के नेतृत्व में

मध्यप्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक नीति में अनेक आवश्यक संशोधन किये गये। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में वृहत् इकाईयों की स्थापना हेतु विशेष प्रयास भी आरम्भ किये गये। स्वदेशी लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने की नीति पर कार्य आरम्भ किया गया तथा गांवों एवं नगरों में स्थापित स्वदेशी उद्योग, जैसे – कपड़ा बुनना, रंगाई करना, छपाई करना, ग्रामीण परिवेश एवं कृषि कार्य से सम्बंधित उद्योगों को शुक्ल जी द्वारा निरंतर बढ़ावा दिया जाने लगा, जिसके कारण ही लघु उद्योग विकास निगम व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। पंडित शुक्ल ग्रामीण जनता को आर्थिक तंगहाल से मुक्त कराने तथा उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए मध्यप्रांत, बरार तथा छत्तीसगढ़ अंचल में स्वदेशी उद्योग पर अधिक जोर देने लगे थे।

पं. शुक्ल की धारणा थी कि इस अंचल में वस्त्र उद्योग, छपाई, रंगाई, लोहारी, सोनारी, बढ़ाई, खिलौना, मसाला, बर्टन तेल निकालना, आटा चक्की, धान मिल, रेशा, निकालने जैसे स्वदेशी उद्योग के बल पर ही ग्रामीण अपने पेट का भरण पोषण कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसका व्यापक महत्व प्रतिवादित किया। गांधीजी के बताये हुए मार्ग पर चल कर उन्होंने इन उद्योगों को विकसित करने का प्रयास किया। गांधी जी कहा करते थे कि गांवों में ही स्वर्ग है। उनका मत था कि स्वदेशी कुटीर उद्योग से ही भारत का गांव स्थापित है और एक बड़ा जनसमूह इससे रोजी रोटी की व्यवस्था करता है। लाखों करोड़, लोग इस कार्य में जुटे हैं, वे मशीनीकरण के विरुद्ध थे। वे स्वदेशी उद्योगों के पोषक थे। उनका ही प्रभाव पंडित शुक्ल पर पड़ा, जिसे क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया।

राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ ही इसे एक नया आयाम मिला। तदुपरांत आजादी हासिल करने तक का युग 'गांधी युग' के नाम से जाना जाता है। आजादी हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का आरंभ किया। इस आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रमों में खादी का प्रचार-प्रसार प्रमुख था। राष्ट्रीय आंदोलन में कूदने वाले रणबांकुरों की वेशभूषा खादी की ही होती थी।

पं. शुक्ल भी खादी की पोषक और गांधी टोपी धारण कर आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी के जादुई व्यक्तित्व ने हिन्दुस्तान की जनता को ऐसा समोहित किया कि खादी स्वदेश प्रेम का पर्याय बन गया। खादी के प्रचार-प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ अंचल में भी अनेक खादी आश्रमों की स्थापना की गई। अनेक देशभक्तों ने इन आश्रमों को संचालित करने में अपनी पैतृक संपत्ति भी दांव पर लगा दी। धमतरी, मुंगली, महासमुंद, राजिस, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं अन्य स्थानों में भी अनेक देशभक्तों ने अपने निजी धन से खादी आश्रमों की स्थापना की। खादी के प्रचार-प्रसार में पंडित शुक्ल की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही।

गांधी जी प्रचार-प्रसार के माध्यम से कुछ सीमा तक भारत की अर्थ नीति को संतुलित करना चाहते थे। खादी ग्रहण करने से एक ओर स्वदेश प्रेम झलकता था तो दूसरी ओर खादी उत्पादन से क्र्य-विक्र्य तक का लाभ खादी से जुड़े हुए बुनकरों को ही प्राप्त होता था। खादी वस्त्र नहीं प्रस्तुत संस्कृति का प्रतीक बन गया। ब्रितानी हुकूमत और उसकी पूँजीवादी व्यवस्था पर यह सीधा आघात था। हुकूमत एक ओर कुटीर उद्योग को समूल विनष्ट करने के लिए कृत संकल्प थी तो दूसरी ओर गांधीजी के माध्यम से कांग्रेस इस उद्योग की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध थी।

असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और स्वदेशी वस्त्र के रूप में खादी धारण किया गया। वस्तुतः ब्रितानी सरकार द्वारा भारत के शोषण की लम्बी दास्तां हैं। ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी वस्तुतः ब्रिटिश सरकार की कामधेनु थी। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ब्रिटिश पालियामेण्ट को शासन सौंपा, उस समय ब्रिटिश सरकार पर कंपनी का करोड़ों रुपयों का कर्ज था। अतः ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष भारत एवं अन्य एशियाई देशों में शासन को सुदृढ़ करने और ऋण अदा करने के लिए शोषण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। फलतः इंग्लैण्ड के वे पूँजीपति और उद्योगपति जो कम्पनी के अधिकारी थे अथवा हाउस आफ लार्ड्स के सदस्य थे, उनको संतुष्ट करना और लाभ पहुंचाना उनकी मजबूरी थी।

भारतीय उद्योग, भारतीय कारीगर और भारत की जनता को गलत नीति में फँसाया गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारत का औसत व्यक्ति कुपोषित था। ब्रिटिश सरकार की शोषण नीति और लगातार के अकाल ने

उन्हें दरिद्र बना दिया था। ऐसी विषम परिस्थितियों में लार्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत की सत्ता सम्भाली। भारत में वासराय बनने के पश्चात् फूट डालो और शासन करों की नीति के अंतर्गत उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया।

निश्चित ही इस दुष्कृत्य का उद्देश्य हिन्दू और मुस्लिम के बीच साम्प्रदायिक द्वेष उत्पन्न करना था। अंग्रेज चाहते थे कि हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदाय की सम्मिलित राष्ट्रीय शक्ति उनके शासन के लिए घातक हो सकती थी। किन्तु कांग्रेस के नेतृत्व में बंग-भंग के विरुद्ध आंदोलन द्रुत गति से प्रारंभ हुआ एवं 1911 तक अर्थात् योजना की समाप्ति तक चलता रहा। बंग-भंग का आंदोलन राष्ट्र भर में इतना उग्र हो उठा कि अंग्रेजों को विवश होकर योजना वापस लेनी पड़ी।

भारत में राष्ट्र भक्ति और स्वदेश प्रेम की उत्कट भावना उद्दीप्त हुई और देश के अनेक भागों में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई तथा स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार-प्रसार किया गया। विदेशी वस्तुओं और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से स्वाभाविकतः खादी वस्त्रों की मांग बढ़ने लगी। फलतः कपास की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। आगे चलकर खादी और चरखा असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। स्वयं महात्मा गांधी प्रतिदिन चरखा से धागा निकालकर भारतीय जनता के दिल और दिमाग में इसके प्रति गहरी रुचि उत्पन्न कर दी।

खादी केवल भारतीय वस्त्र न रहकर भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग बन गया और प्रत्येक भारतीय नागरिक इस वस्त्र को धारण कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा। खादी राष्ट्र का प्रतीक बन गया। छिंदवाड़ा में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राजनैतिक परिषद का सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की। इस अवसर पर पंडित शुक्ल ने खादीधारी पांच सौ स्काऊट सेनानियों का नेतृत्व किया।

सम्मेलन के उपरान्त शुक्ल जी ने स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत खादी के प्रचार की दिशा में पूरी निष्ठा से सक्रिय होने का परिचय दिया। खादी के प्रचार-प्रसार के लिए शुक्लजी ने रायपुर जिला परिषद के द्वारा संचालित शालाओं में सेवारत शिक्षकों का बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से प्रयोग किया। जिला शासन से लेकर प्रांत सरकार तक समस्त उच्च पदस्थ अधिकारी वस्तुस्थिति से परिचित होते हुए भी उनके आदेश बनाम परामर्श के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही कर सकने में असमर्थ रहे।

जिला कौंसिल के अपने कार्यकाल में शुक्ल जी योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करते रहे। असहयोग आंदोलन में पारित सभी कार्यक्रमों को कार्यरूप में परिणित करने के लिए शासन को लगान न पटाना, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करना, कौंसिल का बहिष्कार आदि को सफल बनाने के लिए प्रबल जनमत की आवश्यकता थी। इस दिशा में इसे गतिशील बनाने के लिए एक ओर उन्होंने जहां अपने सहयोगियों को समुचित दिशा निर्देश दिया कि वे कार्यक्रमों को सुनियोजित ढंग क्रियान्वित करने का प्रयास करें, वहीं दूसरी ओर स्वयं शहरों, कस्बों और ग्रामों में जाकर विदेशी निरंकुश सत्ता के विरुद्ध असंयोग का अलख जागृत किया।

**संदर्भ सूची :-**

1. पंड्या पन्नालाल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से साक्षात्कार, दिनांक 18.10.2002, रायपुर.
2. Gupta S.N., History of the National Movement, Y.K. Publishers, Agra, 1989, Page-40
3. ग्रोवर बी.एल. एवं यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास : एक नवीन मूल्यांकन, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ-276
4. शुक्ल आर.एल., आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ-58, 59.
5. पाण्डे त्रिनेत्र, भारतवर्ष का सम्पूर्ण इतिहास, द्वितीय भाग, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1985-86, पृष्ठ-60.

## बालाघाट जिले में रोजगार के अवसरों का सृजन

ढालेश्वरी राणा

शोध छात्रा अर्थशास्त्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

बालाघाट ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या की तुलना में अधिक है। जिले की कुल जनसंख्या 17,01,698 है। जिले में ग्रामों में 14,56,882 लोग निवास करते हैं और शहरों में 2,44,816 लोग निवास करते हैं। बालाघाट में अन्य जिलों की तरह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है जिसमें 313 ग्राम पंचायते 10 जनपद पंचायते तथा एक जिला पंचायत है और 10 तहसील और 10 विकासखण्ड हैं। बालाघाट में स्त्री-पुरुष लिंगानुपात 1021 : 1000 है। यह म.प्र. में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। शोध क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 28.2 है। यहां कुल जनसंख्या में से केवल 33.2 प्रतिशत भाग ही कार्यशील है।

उक्त क्षेत्र में कुल रोजगार का 45.3 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में 19.0 प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में तथा 39.69 प्रतिशत भाग तृतीयक द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले में कुल रोजगार का 40.34 प्रतिशत कृषि रोजगार के रूप में तथा 19.5 प्रतिशत भाग गैर कृषि रोजगार रूप में प्राप्त होता है। गैर कृषि रोजगारों का विकास भारतीय ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा गया है। इसी संदर्भ में कृषि क्षेत्र के साथ गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्संबंधों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। कुछ अध्ययन दर्शाते हैं कि कृषि उपभोग व्यय अंतर्संबंधों के माध्यम से गैर कृषि क्षेत्र में नवीन रोजगारों को उत्प्रेरित करने में सक्षम है, क्योंकि जैसे-जैसे कृषि उत्पादता में वृद्धि के कारण कृषिगत आय बढ़ती है वैसे-वैसे श्रमगहन गैर-कृषि उत्पादों हेतु कृषिकों की उपभोग मांग में विस्तार होता है तथा इससे इन वस्तुओं का उत्पादन प्रोत्साहित होता है।

कृषि व गैर कृषि अंतर्संबंधों की अवधारणा का प्रयोग समान्यतः कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने हेतु किया जाता है, ये दोनों क्षेत्र परस्पर उत्पादन अंतर्संबंधों के द्वारा प्रत्यक्षतः संबंधित हो सकते हैं। कृषि के साथ गैर कृषि उत्पादन अंतर संबंध कृषि क्षेत्रों के द्वारा आगतों की विकी तथा उत्पादों की खरीद द्वारा स्थापित होता है। साथ ही कृषि उत्पाद गैर कृषि रोजगार हेतु कच्चेमाल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः कृषि का स्वरूप गैर कृषि रोजगारों को प्रोत्साहन निर्वाचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

गैर कृषि तथा कृषि क्षेत्र के बीच परस्पर आय व्यय अंतर संबंध भी होता है, जिससे कि कृषि कियाओं से उत्पन्न आय को गैर कृषि क्षेत्र के उत्पादों पर व्यय किया जाता है तथा गैर कृषि, रोजगारों से प्राप्त आय को कृषि उत्पादों पर व्यय किया जाता है। गैर कृषि रोजगारों के विकास हेतु कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाना आवश्यक है, ताकि इससे उत्पन्न आय के अतिरेक को गैर कृषि रोजगार हेतु प्रयुक्त किया जा सके। सर्वविदित है कि कृषि विकास अपने अम्बापाली तथा पश्चिमांशी अंतरसंबंधी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कियाओं को प्रोत्साहित करता है।

कृषि तकनीक तथा कृषि में श्रम की मांग, गैर कृषि क्षेत्र के श्रम की पूर्ति को प्रभावित करती है। परंपरागत कृषि तकनीक में श्रम इतनी गहनता से प्रयुक्त होता है कि परिवार में बहुत कम सदस्य बचते हैं, जो गैर कृषिकर्ता कियाओं में संलग्न हो पाये। जिस समय कृषि होती है। उस समयावधि में ज्यादातर श्रमशक्ति कृषि क्षेत्र में ही लगी रहती है। जबकि शेष समय में जब कृषि कार्य नहीं होता तब गैर कृषि कियाओं में श्रम शक्ति की पूर्ति बढ़ जाती है।

भारत में बेरोजगारी की स्थिति विकसित देशों की अपेक्षा अलग तरह की होने का कारण यह है कि यहां गांवों एवं शहरों में जिस गति से जनसंख्या बढ़ी है, उस गति से रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हुई, जिससे श्रमशक्ति के बढ़ते अतिरेक ने ग्रामीण तथा शहरी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव उत्पन्न कर दिया है। जिसके चलते वर्तमान परिवेश में ग्रामीण एवं शहरी विकास के संदर्भ में मात्र कृषि क्षेत्र ही हमारी समस्त विकास आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में गैर कृषि रोजगारों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी गैर कृषि

रोजगार के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग के रूप में विकसित हो रहे हैं तथा श्रमशक्ति विविध प्रकार के गैर कृषि कार्यों की और स्थानांतरित हो रही है। भारत में गरीबी, बेरोजगारी व गैर कृषि रोजगारों के मध्य निःसंदेह प्रबल व घनिष्ठ संबंध है। जिन देशों में ग्रामीण श्रमशक्ति का अंतरण तेजी से कृषि से गैर कृषि क्षेत्र की ओर हुआ है वहाँ गरीबी में तीव्र कमी दर्ज की गई है। विस्तृत अर्थों से गैर कृषि रोजगार अर्थव्यवस्था के विकास में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है।

विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र अकेले गरीबी व बेरोजगारी जैसी विकट समस्याओं का हल उपलब्ध नहीं करा सकता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में रोजगार की लोच निरंतर कम हो रही है, जिससे बढ़ते श्रमाधिक्य को कृषि क्षेत्र में अंतर्लीन नहीं किया जा सकता है। अतः इस अतिरेक श्रम को लाभदायक रूप से प्रयोग करने हेतु गैर कृषि रोजगार का विस्तार आवश्यक है। यह नीति, कार्य की तलाश में होने वाले प्रवसन की प्रक्रिया पर भी अंकुश लगाएगी। देश के सभी भागों की निर्धन व भूमिहीन जनसंख्या द्वारा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में ही बेहतर भविष्य की संभावनाएं विद्यमान हैं। यह क्षेत्र न केवल प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है वरन् अप्रत्यक्ष रूप से कृषि विकास में भी सहायक होता है कृषि क्षेत्र पर दबाव कम करने की संभावनाएं ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ग्रामीण जनसंघ की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा स्थायी ग्रामीण विकास की दृष्टि से गैर कृषिगत आय व रोजगार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण परिदृश्य का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास हेतु समुचित रोगजार अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण परिदृश्य का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास हेतु समुचित रोजगार अवसरों के सृतन हेतु ग्रामीण गैरकृषि क्षेत्र की भूमिका को आवश्यक रूप से विश्लेषित किया जाना चाहिए ताकि विकास को पर्याप्त सहायता व प्रोत्साहन मिल सके जिससे कि बेरोजगारी का दंश झेलते ग्रामीण युवक वर्ग को स्थानीय आधार पर ही गैर कृषि रोजगार के माध्यम से आय सृजन के व्यापक अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।

स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिमटते हुए गैर कृषि रोजगारों तथा बढ़ती हुई श्रमशक्ति को दृष्टिगत करते हुए समस्त ग्रामीण विकास के विस्तृत संदर्भ में गैर कृषि क्षेत्र पर समुचित शोध की आवश्यकता है। ग्रामीण निर्धनता के उन्मुलन/कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने, कृषि क्षेत्र के जोखिमों तथा आय अनिश्चिताओं के प्रबंधन, ग्रामीण जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने, कृषि क्षेत्र के जोखिमों तथा आय अनिश्चिताओं के प्रबंधन, ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार, प्रवसन पर नियंत्रण तथा स्थाई ग्रामीण विकास की दृष्टि से गैर कृषिगत आय तथा रोजगार अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकासोन्मुख देशों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अब तक कृषि पर निर्भर नहीं रहती। ग्रामीण श्रम-शक्ति को रोजगार अंशतः कृषि तथा अंशतः गैर कृषि रोजगारों के माध्यम से उपलब्ध होता है। कुछ ही ग्रामीण परिवार अपनी आय पूर्णरूपेण, कृषि क्षेत्र से प्राप्त करते हैं। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों द्वारा खेतों में कृषि करना तथा कृषि से संबंधित अनेक कार्य जैसे दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन तथा वानिकी इत्यादि कार्य आते हैं। दूसरी तरफ गैर कृषि रोजगारों के विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत लघु व कुटीर उद्योग, भंडारण, व्यापार, निर्माण, यातायात व संचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, विनिर्माण तथा विविध प्रकार की सामाजिक व व्यक्तिगत सेवाओं को शामिल किया जाता है। मौसमी तथा विनिर्माणत्मक रोजगार जो कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं होते तथा स्थानीय रूप से गांवों में ही या शहरों के समीप स्थापित औद्योगिक कस्बों 'में उपलब्ध होते हैं ये भी कृषि रोजगारों का ही अंग होते हैं।

इस मान्यता में अब निरंतर वृद्धि हो रही है कि गैर कृषि रोजगार ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार तथा आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। गैर कृषि रोजगारों की अवधारणा का विकास कृषि क्षेत्र के रोजगार लोच में आई कमी तथा बढ़ती हुई श्रमशक्ति को लाभदायक रूप से कृषि क्षेत्र में अंतर्लीन न कर सकने की समस्या के परिणाम स्वरूप हुआ है। गैर कृषि रोजगार वे रोजगार होते हैं जो कि श्रमशक्ति को स्वरोजगार, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध होते हैं। ग्रामीण गरीब परिवार गैर-कृषि रोजगारों का आश्रय केवल अपनी सकल आय में वृद्धि के लिए ही नहीं लेते बल्कि आय प्रवाह में आने वाले वार्षिक उतार-चढ़ाव की क्षति पूर्ति करने हेतु भी अपनाते हैं गैर कृषि रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम के अतिरेक को लाभदायक रोजगार संभावनाएं उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। इस प्रकार गैर कृषि रोजगार बेरोजगारी तथा गरीबी के दुश्चक्षों को तोड़ने हेतु ग्रामीण का पर्याप्त आय के स्त्रोत प्रदान करते हैं।

विभिन्न अध्ययन दर्शाते हैं कि ग्रामीण श्रमशक्ति का कृषि से गैर-कृषि क्षेत्र की और लगातार धीमा अंतरण हो रहा है। ग्रामीण परिवारों द्वारा विविध प्रकार के गैर कृषि रोजगार अपनाये जा रहे हैं। इन कृषि रोजगारों को खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा सुविधा की दृष्टि से 7 समूहों में बांटा गया है—

- खनिज आधारित उद्योग
- वन आधारित उद्योग
- कृषि आधारित और खाद्य उद्योग
- बहुलक और रसायन आधारित उद्योग
- इंजीनियरिंग और गैर परंपरागत उर्जा
- वस्त्रोद्योग
- सेवा उद्योग

**सामान्यतः भूमिहीन परिवारों की भूमि न होने के कारण गैर कृषि रोजगारों के माध्यम से ही आय प्राप्त करते हैं** कुछ गैर कृषि रोजगार स्थानीय रूप से गांवों में ही उपलब्ध होते हैं तथा कुछ शहरों में प्रवसन के माध्यम से प्राप्त होते हैं, कुछ गैर कृषि रोजगारों के विस्तार की और ध्यान देना आवश्यक है ये ग्रामीण जनसंख्या को वैकल्पिक आय के साधन उपलब्ध कराकर ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भारत में इस समय कुल पंजीकृत बेरोजगारों अधिकतर बेरोजगार पढ़े-लिखे हैं यदि पुरुष और स्त्री अनुपात देखें तो, प्रत्येक सात बेरोजगारी में से एक स्त्री पंजीकृत है।

**ग्रामीण बेरोजगारी का स्वरूप :— बेरोजगारी वस्तुतः भारत के लिए एक अभिशाप है, प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से धनी होते हुये भी बेरोजगारी ने देश को जकड़ रखा है। बेरोजगारी से आशय यह है कि स्वस्थ व्यक्ति को योग्यता अनुसार पूर्णकालिक रोजगार, प्रचलित मजदूरी दर पर प्राप्त न होना है। उदाहरणार्थ, समाज में या राष्ट्र में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, जो स्वस्थ होते हुए भी काम मिलने पर काम नहीं करना चाहते इस वर्ग के लोगों को आलसी एवं निकम्मा कहा जा सकता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सामान्य बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी पायी जाती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, वृद्धि से अनेक समस्याओं का समाधान का किया जा सकता है। यहां की कृषि मौसमी व प्रकृति पर ही ज्यादा आधारित है अतः इसका प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादन पर ही पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी के प्रकारों को नीचे दर्शाया गया है—**

1. **सामान्य बेरोजगारी :—** ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य बेरोजगारी भी पाई जाती है, यहां काम करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिससे अधिकांश लोग बेरोजगार हैं। भारत में मुख्यतः इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है।
2. **मौसमी बेरोजगारी :—** कृषि प्रधान क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है, यहां कृषि में वर्ष भर कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता है। यहां मुख्यतः दो प्रकार की फसल पैदा की जाती है। यहां पर रबी फसल एवं खरीफ की फसल महत्वपूर्ण है, इसलिए कृषि संलग्न व्यक्ति को पूरे वर्षभर काम नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं।
3. **शिक्षित बेरोजगारी :—** यह बेरोजगारी खुली बेरोजगारी का ही रूप है जिसमें शिक्षित व्यक्ति अल्प रोजगार होते हैं।
4. **प्रचन्न बेरोजगारी :—** इस प्रकार की बेरोजगारी भी अधिक है। इसमें बेरोजगारी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है।

उदाहरण के लिए खेत में 3 व्यक्तियों की आवश्यकता है परंतु घर के सभी पांच व्यक्ति उस कार्य में लग जाते हैं। परंतु इससे उत्पादन में कोई अंतर नहीं आता है तो इस प्रकार दो व्यक्ति इस कार्य में अधिक लगे हुए होते हैं। यहीं अदृश्य या छिपी बेरोजगारी है। इस तरह से ग्रामीण अंचलों में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी की समस्या विकाराल रूप धारण किये हुए हैं ऐसी परिस्थितियों में गैर-कृषि रोजगारों के माध्यम से जहां रोजगार के अवसरों का सृजन होगा वही आर्थिक विकास की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुरुक्षेत्र – प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पटियाला हाउस नई दिल्ली
2. दत्त, सुंदरम एवं पी. एम. भारतीय अर्थव्यवस्था
3. खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग बालाघाट
4. जिला पंचायत कार्यालय बालाघाट एवं जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2011
5. योजना, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण, भारत सरकार योजना भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली

## सुदामचरित् महाकाव्य में प्रकृति का मनोवैज्ञानिक स्वरूप

**डॉ नीता आर्या**  
सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, कुविंशु नैनीताल, उत्तराखण्ड

काव्य में प्रकृति और पर्यावरण का विशेष महत्व होता है। जिस काव्य रचना या महाकाव्य में प्रकृति का अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक दृश्यांकन होता है, वह उतना ही अधिक प्रभाव मानस के अन्तः पटल पर छोड़ता है। महाकवि कालिदास, वाणिभट्ट आदि महान् कवियों ने स्वकाव्य रचनाओं में प्रकृति को मनोवैज्ञानिक स्वरूप देकर अपार ख्याति अर्जित की। उनकी काव्य रचनाएँ प्रकृति का जीवन्त दृश्य उपरिथित कर देती हैं महाकवि कालिदास तो प्रकृति के कालजयी कवि हैं। शोधकर्त्ताओं के अनुसार महान् पर्यावरणविद् और वैज्ञानिक भी थे। इसी कारण वह प्रकृति का इतना सुरम्य चित्रण कर पाएं जो सहस्रों वर्शों के उपरान्त भी हमारी प्रकृति प्रेमी दृष्टि का श्रृंगार बना हुआ है। महाकवि बहोर पाठक ने सुदामचरितं महाकाव्य में प्रकृति का रमणीय एवं मनोवैज्ञानिक चित्रांकन किया है। वस्तुतः मनुष्य को प्रकृति का अभिन्न अंग स्वीकार करने वाले महाकवि इस तथ्य से सुपरिचित हैं कि जड़ जगत् अर्थात् पृथ्वी, नदियां, पर्वत वन् एवं वन्यजीव तथा चेतन जगत् के मध्य समानुपातिक सामन्जस्य है और इसी सामन्जस्य एवं सम्बन्ध के कारण ही पर्यावरण तथा परिस्थितिकीय तन्त्र में साम्य एवं सन्तुलन बना रहता है।

पर्यावरणविद् एवं मनोवैज्ञानिक इस तथ्य से भली—भौति परिचित होते हैं कि मानवीय व्यवितत्व के विविध आधार भौतिक, जैविक और मानसिक तीनों परिवेश और पर्यावरण से गहराई से जुड़े हुए हैं। अन्तःकरण का प्रकृति से अभिन्न योग है। वस्तुतः प्रकृति और पर्यावरण हमारे मन एवं भावना आदि को प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। मनोवैज्ञानिक आज स्वीकारने लगे हैं कि प्रकृति और पर्यावरण हमारे अन्दर अनेक प्रकार के भावों का जनक है। इसी कारण महावीर स्वामी ने वृक्षों को परम शान्ति का प्रतीक बताया और उनका सम्बर्धन समृद्धि व प्रगति का सूचक माना है। गौतम बुद्ध को गया में विशाल वट वृक्ष में नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। आदि शंकराचार्य के ज्ञान को सिद्ध करने वाले वृक्ष ही थे। इसी प्रकार गुप्त साम्राज्य से लेकर पृथ्वीराज् चौहान के समय तक वनों का समाज राष्ट्र का अंग सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हैं।

प्रकृति और मनुष्य का सम्बन्ध इतना निकट का है जितना घर और समाज का। जन्म के पॉच वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य के पच्चीस वर्ष शिक्षा ग्रहण करने के लिए वनों में स्थापित गुरुकुलों में व्यतीत होते रहे हैं। इतना ही नहीं राजा अपने सुपुत्रों को राजपाट देकर वनों में वानप्रस्थी वन जीवन व्यतीत करते रहे हैं। वस्तुतः वृक्ष, वन और प्रकृति हमारे आधारभूत तत्व रहे हैं— सम्राट् अशोक ने भारतीय संस्कृति व बौद्ध धर्म का बोध कराने के लिए वट, अशोक आदि के वृक्ष लगवाए थे।

हमारे प्राच्य ऋषियों का उद्देश्य बाह्य प्रकृति से अन्तः प्रकृति में प्रवेशकर, मन का प्रकृति के साथ तादाम्य स्थापित करके उसे पारकर आनन्द पाना रहा है। आधुनिक दार्शनिकों में से अधिकांश का लक्ष्य बाह्य प्रकृति के साथ अन्तः प्रकृति का सम्बन्ध स्थापित करके अन्तरंग में रमण कर आनन्द प्राप्ति है, जबकि आज वैज्ञानिक चिन्तन में यह उद्देश्य बाह्य प्रकृति से अधिकाधिक प्राप्त करके मात्र उसका उपभोग करना रह गया है और इसी का परिणाम है कि हम प्रकृति का शोषण और दोहन करते चले जा रहे हैं तथा प्रकृति और पर्यावरण को विनष्ट करने पर उत्तारु हो गए हैं, इसका परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है।

महाकवि बहोर पाठक ने सुदामचरितं महाकाव्य में प्रकृति के साथ सम्बन्ध स्थापित करके उससे पार जाकर आनन्द का मार्ग प्रशस्त किया है। महाकवि ने प्रकृति की सुन्दर मनोवैज्ञानिक भावभूमि रखते हुए द्वितीय प्रबन्ध में अखिल ब्रह्माण्ड के रहस्य मानों उदघाटन् ही कर दिया हो— ‘स्वातीवृष्टिर्भुवि निखिल बीजं जनयते’ वस्तुतः अखिल ब्रह्माण्ड में समस्त वस्तुओं का मूल कारण बीज रूप ही होता है वह स्वाती नक्षत्र की वृष्टि से अर्थात् अवसर पाकर ही प्रस्फुटित होता है।

जीवन में एक वस्तु का अन्य वस्तुओं का संयोग प्रायः एक जैसा नहीं रहता है। जैसे सर्शप और सस्य की देखरेख खेतों में एक जैसे नहीं करते, उसी प्रकार हमारे सगे सम्बन्धी भी सभी अवस्थाओं में हमारा एक जैसा ध्यान नहीं रखते। महाकवि ने प्रकृति के माध्यम से इस भाव को प्रथम प्रबन्ध में बड़ी चतुराई से व्यक्त कर दिया है।

'जलेंचराणं जलमेव जीवन' अर्थात् जलचर प्राणियों का जीवन जल ही होता है उसी प्रकार मनुष्य जीवन की सार्थकता ईश्वर का चिन्तन मनन में है, परन्तु इन तथ्यों को जानते हुए भी मानव मन धन, ऐश्वर्य आदि की पिपासा से तृप्त हो ही जाता है वस्तुतः जलचर प्राणियों की भौति मनुष्य के स्वभाव में भौतिक सम्पदा के प्रति आकर्षण नैसर्गिक होता है। इस भाव का मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्ति बहोर पाठक जैसे महाकवि ही कर सकते हैं।

तृतीय प्रबन्ध में प्रकृति का मानवीकरण करके महाकवि कालिदास की भौति कवि ने सुन्दर भावभिव्यजन्य मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत की है। वस्तुतः सुदामचरितम् का प्रकृति चित्रण मानवीय भावनाओं का ही चित्रण है। प्रकृति और मानवीय भावनाओं के इस सामन्जस्य को कवि ने इतनी कलात्मकता के साथ व्यक्त किया है कि मानव की सभी भावनाएँ, आलम्बन, उद्दीपन एवं संवेदनशील रूप के साथ-साथ मानवेतर जीवों के लिए भी उपयोगिनी बन पड़ी है।

षष्ठ प्रबन्ध से लेकर द्वादश प्रबन्ध तक कवि के द्वारा आदि ऋतुओं की कठिनाइयों, परिस्थितियों और उनमें जीवधारियों की उत्कृष्ट जिजीविशा का वर्णन प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से सुन्दर वन पड़ा है। महाकवि ने प्रकृति का चित्रण तीन रूपों – आलम्बन, उद्दीपन और अलंकरण में ही किया जाता है। आलम्बन के रूप में अन्य दोनों रूपों की अपेक्षा कम हुआ है किन्तु फिर भी षष्ठ प्रबन्ध में प्रकृति के अनेक सरस एवं स्वभाविक अवतरण उपलब्ध होते हैं।

इसी प्रकार देखा जाय तो प्रकृति के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रकृति संघर्ष की अपेक्षा सहयोग की शिक्षा देती है। मनुष्य जाति की सुख-सुमन्नति केवल स्पर्धा से प्राप्त नहीं हो सकती है अपितु बीज भावनाओं के विकास में संरक्षित होते हैं। भावनाओं के विकास के द्वारा अभावपूर्ण जीवन में भी आनन्द और उल्लास, हँसी और प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है।

इसमें प्रकृति क्षण-क्षण हमारा मार्गदर्शन करती है। संसार में बिना अभाव के प्रगति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, प्रगति के लिए तो कठिनाइयाँ आवश्यक प्रतीत होती है। प्रायः मनुष्य उन्हें नहीं समझ पाता, जबकि मनुष्येतर प्राणी उसे समझकर अपने जीवन का हास-उल्लासमय तथा निर्वन्द्व बनाए रखते हैं। चीटी, वानर, हँस आदि जीवजन्तु और सहकारिता के महत्व को समझते हैं और उसका सम्प्रकाश भी उठाते हैं। जबकि मनुष्य जैसे बुद्धिमान प्राणी को स्पर्द्धा ईश्या, द्वेष और मनोमलिनता आदि विकार एवं वृत्तियां उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं। हमें प्रकृति प्रतिक्षण स्व उपागमों से सिखाती है कि सुख और शान्ति, समृद्धि और सम्पन्नता का राजमार्ग यह है कि मनुष्य भी मिलजुल कर प्रफुल्लित मन से गदगद रहते हुए जीवन यापन करें अपने हित को दूसरे के हित से जुड़ा हुआ मानकर एक-दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखें और प्रकृति का सान्निध्य सर्वदा बनाएं रखकर प्रेरणा लेते रहें।<sup>1</sup> शुक्ल यजुर्वेद में भी यहीं शिक्षा दी गई है कि – हमें प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए।

#### निष्कर्ष :-

पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। पर्यावरण के सभी अंग मानव जीव जन्तु, वनस्पति आदि परस्पर पूरक हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे पर निर्भर है। ये सभी मिलकर समग्र पर्यावरण का ताना-बाना बुनते हैं और साथ ही प्राकृतिक एवं सामाजिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं। वायु, वर्षा, सूर्य की रोशनी, जलस्रोत, वन, पेड़-पौधे, झाड़ियाँ आदि समस्त प्राकृतिक स्रोत पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मनुष्य पशु-पक्षी, कीट आदि सभी प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण के अंग हैं। प्रकृति के इन अभिन्न अंगों से मनुष्य किसी न किसी रूप में अवश्य ही जुड़ा रहता है फिर साहित्यकार इनसे अछूता कैसे रह सकता है। प्रकृति के इन बहुमूल्य उपादानों का वर्णन साहित्य में मनुष्य की प्रकृति के प्रति गहन आस्था और लगाव को दर्शाता है।

महाकवि बहोर पाठक ने 'सुदामचरितम्' नामक अपने इस महाकाव्य में प्रकृति के ऐसे अतिउत्तम उपादानों का वर्णन कर प्रकृति के प्रति अपनी निष्ठा को दर्शाया है। वस्तुतः बड़े-बड़े वर्णन ही प्रकृति प्रेम के सूचक नहीं होते अपितु लघु उपादानों से भी प्रकृति प्रेम की अनुपम छटा को प्रकीर्णित किया जा सकता है। सुदामचरितम् इसका एक अप्रीतम उदाहरण है। जिसे इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

एक छोटा सा दीप जला दो।

तो अंधियारा मिट जाएगा।  
एक छोटा सा फूल उगा दो  
तो एक उपवन बन जाएगा।  
ऐसी बात नहीं हो सकती,  
कि छोटी बातों का कोई महत्व ना हो,  
क्योंकि छोटी-छोटी ईंटों पर तो  
एक महल खड़ा हो जाता है।

#### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये । गलितवयसामिक्षवयाकूणामिदं हि कुलब्रतम् ॥ रघुवंशम् 4 / 70
2. सु०च०पृ०-२ / 3,4
3. सु०च०पृ०-१ / 13
4. सु०च०पृ०-२ / 8
5. सु०च०पृ०-६ / 10-37
6. सु०च०पृ०-११ / 7,9,6
7. ऋग्वेद-४ / 23 / 8
8. शुक्ल यजुर्वेद-७ / 45